PLUTUS IAS
UPSC / PCS

PLUTUS IAS

मासिक करेंट अफेयर्स

अक्टूबर 2025











मुख्य आकर्षण :

1. उपराष्ट्रपति : कार्यपालिका और विधायिका के बीच अद्वितीय सेतु
2. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की 25वीं शिखर बैठक और भारत की भूमिका
3. भारत का विनिर्माण क्षेत्र: $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर
4. भारत की परमाणु आपूर्ति श्रृंखला का सशक्तिकरण : सशक्त भारत-सुरक्षित भविष्य
5. भारत में संगठित अपराध : स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा
6. प्राकृतिक आपदा चक्रवात : तूफान रागासा (RAGASA's) का एशिया भर में प्रभाव
7. स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान

+91 8448440231 | info@plutusias.com | www.plutusias.com

PLUTUS IAS

Where there is a will there is way

Offline/OnIine/Hybrid Batches
Admission Open at Karol Bagh/Chandigarh



Experienced Renowned Faculties



Personalized Mentorship Programme



Notes Making & Answer Writing



Live Session with Backup

Important Courses Offered by PLUTUS IAS

- GS Foundation Course
- NCERT Base
- Pre Cum Mains (GS)
- Prelims Test Series (65 Tests)
- Mains Test Series (24 Tests)

संपादकीय

प्रिय अभ्यर्थियों,

"यह परीक्षा मात्र प्रश्नों का उत्तर देने की नहीं, बल्कि यह दृष्टिकोण, धैर्य और अनुशासन की पहचान है। अतः जो तूफानों से लड़ना जानता है, वही इतिहास में अपना नाम लिखता है।"

सिविल सेवा परीक्षा केवल एक प्रतिस्पर्धा भर नहीं है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास, मनोबल और सकारात्मक दृष्टिकोण की कसौटी है। महात्मा गांधी ने कहा था कि— **"ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती, यह अदम्य इच्छाशक्ति से आती है।"** इसी अदम्य शक्ति और संकल्प के साथ जब आप अपनी तैयारी को साधना का रूप देंगे, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी।

प्लूटस आईएएस टीम द्वारा प्रस्तुत यह करेंट अफेयर्स पत्रिका इस प्रकार संकलित की गई है कि इसमें सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े सभी प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण विषयों को व्यापक दृष्टिकोण से समाहित किया जा सके। हमारा उद्देश्य है कि यह पत्रिका न केवल आपकी तैयारी को ठोस आधार दे, बल्कि आपको समकालीन घटनाओं और उनके पीछे छिपे विमर्श को समझने की क्षमता भी प्रदान करे।

"हर दिन का छोटा प्रयास ही भविष्य की बड़ी सफलता का आधार बनता है।" अतः एक ओर समाचार पत्र जहाँ करेंट अफेयर्स की तैयारी का प्राथमिक स्रोत हैं, वहीं यह पत्रिका उस ज्ञान को गहराई देने वाला सहायक साधन है। आज समसामयिक घटनाएँ केवल समाचार नहीं रह गई हैं, बल्कि वे वैचारिक स्पष्टता, मौलिक चिंतन और विश्लेषणात्मक क्षमता की परीक्षा का आधार बन गई हैं। अतः हमने इसे इस प्रकार तैयार किया है कि यह प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो।

सिविल सेवा की तैयारी केवल तथ्यों को रटने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके सोचने के ढंग को निखारने की यात्रा है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था — **"उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।"** यह यात्रा कठिन अवश्य है, किंतु याद रखें —**"संघर्ष जितना कठिन होगा, विजय उतनी ही महान होगी।"**

इस परीक्षा में वही सफल होता है, जिसके पास धैर्य की शक्ति, अनुशासन की तपस्या और कर्म की निरंतरता होती है। यह पत्रिका आपको ज्ञान और दृष्टि, दोनों के संतुलन में मदद करेगी। अतः अपने मन के हर संशय और भय को दूर रखकर, मेहनत को अपना हथियार बनाइए।

"मन के हर संशय और डर को रख दूर, मेहनत को बना ले हथियार, तू ही है निर्माता, तू ही है पतवार। उठ! समय है तेरा, इतिहास रचने को हो जाओ तैयार, सिविल सेवक बन कर, देश और मानवता की सेवा को करो स्वीकार।।"

प्लूटस आईएएस टीम आपको आगामी सफलता की अग्रिम और अशेष हार्दिक शुभकामनाएँ देती है। आपके उज्जवल भविष्य के मंगलकामना के साथ आपका शुभाकांक्षी -

टीम प्लूटस आईएएस।

स्रोत:

द हिंदू | द इंडियन एक्सप्रेस | द इकोनॉमिक टाइम्स | प्रेस सूचना ब्यूरो | पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च | आईडीएसए: रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान | योजना और कुरुक्षेत्र | लोकसभा और राज्यसभा की बहसें।

Copyright © by Plutus IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Plutus IAS.



अक्टूबर 2025
करेंट अफेयर्स

अनुक्रमणिका

भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था (Indian Politics and Governance) :

- राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और भारत के फार्मा क्षेत्र की चुनौतियाँ 1
- 130वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025 : संवैधानिक संशोधन और कार्यकारी उत्तरदायित्व 4
- उपराष्ट्रपति : कार्यपालिका और विधायिका के बीच अद्वितीय सेतु....6
- भारत का चुनाव आयोग : लोकतांत्रिक रीढ़ को मजबूत करना.....9
- भारत में फ्रीबीज़ की राजनीति : वोट बैंक और विकास बनाम राजकोषीय घाटा 12
- दिव्यांग व्यक्तियों (PWD) को सशक्त बनाना : कल्याण से लेकर सम्मान और समावेश तक 16
- ई-गवर्नेंस : डिजिटल युग में शासन का रूपांतरण 18

अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International relations):

- भारत-जापान मैत्री : विकास और सुरक्षा को एक साथ सशक्त बनाना.....21
- विश्वास से परिवर्तन तक : भारत-सिंगापुर साझेदारी के 60 वर्ष 24
- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की 25वीं शिखर बैठक और भारत की भूमिका 26
- भारत और यूरोपीय संघ व्यापार समझौते एवं शिखर सम्मेलन 29
- काठमांडू में संकट : राजनीतिक अस्थिरता के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा 32
- संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन पर भारत का वोट : रणनीतिक स्वायत्तता की कार्रवाई 34
- भारत और मॉरीशस : महासागर से एकजुट, विरासत से बंधे 36
- पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन : सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौते पर भारत की प्रतिक्रिया 37
- 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र : प्रासंगिकता, संकट और आगे की राह 39
- सीमा पार आतंकवाद : यूएनएचआरसी में उठाई गई एक वैश्विक चिंता 42

भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy):

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 : भारत में गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा 45
- बागवानी : भारत की कृषि-अर्थव्यवस्था को मजबूत करना.....46
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण (PMFME) 52
- भाारतीी य पेटेंट प्रणााली : नवााचाार, जनहित और वैश्विक माानकों में संतुलन.....55
- मोकामा- मुंगेर ग्रीनफील्ड राजमार्ग को मंजूरी : कैबिनेट ने भारत के हाई-स्पीड कॉरिडोर विस्तार के हिस्से के रूप में 59
- सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा : एक लचीले भविष्य का निर् माण.....63
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना : विरासत का सम्मान, प्रगति को शक्ति प्रदान करना.....65
- भारत का विनिर्माण क्षेत्र : $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर अग् रसर.....68

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology):

- राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 : प्राचीन खगोल विज्ञान और आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बीच सेतु निर्माण.....72
- भारत बनाम साइबर अपराध : साइबर सुरक्षा की रणनीतियाँ और भविष्य का नवाचार 74
- सोशल मीडिया का विनियमन बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक गरिमा के बीच संतुलन.....77
- वैश्विक स्तर पर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में भारत की भूमिका.....80
- प्रक्षेपण से लेकर निराशा तक : भारत की अंतरिक्ष दौड़ अब तक की सबसे कठिन परीक्षा 82
- भारत की परमाणु आपूर्ति श्रृंखला का सशक्तिकरण : सशक्त भारत-सुरक्षित भविष्य 85
- बर्फ के नैनोस्केल रहस्य : नैनोटेक्नोलॉजी की दुनिया में एक कदम.. 87
- भारत में सैटेलाइट बनाम इंटरनेट : इंटरनेट का भविष्य.....92

आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

- भारत में बढ़ती मादक पदार्थों की तस्करी.....95
- भारत में संगठित अपराध : स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा.....98
- भारत के लिए बढ़ती आंतरिक सुरक्षा चुनौती : पाकिस्तान से सीमा पार ड्रग ड्रोन.....102
- फेक न्यूज़ और भ्रामक सूचना पर संसद की चिंता : लोकतंत्र की रक्षा की दिशा में कदम.....105

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment and Ecology):

- परिवर्तन के चक्र : हरित गतिशीलता के लिए भारत की करंट छलांग 108
- ओज़ोन संरक्षण और जलवायु संतुलन बनाम वैश्विक कार्यवाही और साझा सुरक्षा 112
- भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा : आत्मनिर्भरता और जलवायु नेतृत्व की ओर 115
- समुद्री सुरक्षा और द्वीपीय पारिस्थितिकी में संतुलन : अंडमान और निकोबार में दुविधा की स्थिति 118
- स्वच्छ पौध – समृद्ध किसान बनाम क्लीन प्लांट मिशन और सतत बागवानी..... 121
- प्राकृतिक आपदा चक्रवात : तूफान रागासा (RAGASA'S) का एशिया भर में प्रभाव.....124

भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति (INDIAN HISTORY, ART AND CULTURE) :

- क्रांति की स्त्री रेखा : भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की निर्णायक भूमिका 129
- स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान.....131



राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और भारत के फार्मा क्षेत्र की चुनौतियाँ

समाचार में क्यों?



- हाल ही में रसायन और उर्वरक पर संसद की स्थायी समिति ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा 2024 में आवश्यक दवाओं के मूल्य में 50% तक की वृद्धि को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
- संसद की स्थायी समिति का मानना है कि यह कदम जनस्वास्थ्य और दवाओं की वहनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। समिति ने इस मूल्य वृद्धि के औचित्य, प्रक्रिया और पारदर्शिता पर प्रश्न उठाए हैं, जिससे स्वास्थ्य नीति में संतुलन और जवाबदेही का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
- इस घटनाक्रम ने न केवल भारत की औषधि मूल्य निर्धारण प्रणाली को जांच के दायरे में ला दिया है, बल्कि देश के फार्मास्युटिकल क्षेत्र की व्यापक चुनौतियों और सुधार की आवश्यकता पर भी दिया है।

मूल मामला क्या है?

1. वर्ष 2024 में NPPA ने औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 (DPCO 2013) और नीति आयोग की CAMPH समिति के परामर्श से 11 आवश्यक दवाओं की कीमतों में 50% तक वृद्धि को मंजूरी दी।
2. इन दवाओं में बैक्टीरियल संक्रमण, अस्थमा और द्विध्रुवी विकार (bipolar disorder) के इलाज में प्रयुक्त औषधियाँ शामिल हैं।
3. हालाँकि यह निर्णय उत्पादन लागत, सक्रिय औषधि संघटक (API) और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में वृद्धि जैसे कारणों पर आधारित था, लेकिन सार्वजनिक वहनीयता, गरीब वर्ग की पहुँच और मूल्य निर्धारण की पारदर्शिता जैसे पहलुओं की अनदेखी को लेकर तीव्र आलोचना हुई है।

संसदीय समिति की मुख्य चिंताएँ और उससे जुड़ी प्रमुख टिप्पणियाँ :

1. **सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव :** समिति ने यह स्पष्ट किया कि आवश्यक दवाओं की कीमतों में भारी वृद्धि जन स्वास्थ्य नीति के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग की दवाओं तक पहुँच बाधित हो सकती है।
2. **उपभोक्ता हितों को उचित प्राथमिकता नहीं देना और निर्णय की प्रक्रिया में सीमित औचित्य :** हालाँकि NPPA ने मूल्य वृद्धि का कारण उत्पादन लागत बढ़ना बताया, लेकिन समिति के अनुसार, निर्णय प्रक्रिया में वहनीयता और उपभोक्ता हितों को उचित प्राथमिकता नहीं दी गई।
3. **कैंसर दवाओं पर मूल्य नियंत्रण की कमी :** NLEM-2022 में कैंसर-रोधी दवाओं की संख्या 40 से बढ़कर 63 हो गई है, लेकिन कई महंगी ऑन्कोलॉजी दवाएँ अब भी DPCO के बाहर हैं, जिससे ये दवाएँ अधिकांश रोगियों की पहुँच से बाहर हो जाती हैं।

संसद की स्थायी समिति की प्रमुख सिफारिशें :

1. **मूल्य निर्धारण प्रक्रिया की समीक्षा** – समिति चाहती है कि NPPA मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को अधिक जनोन्मुखी और तार्किक बनाए।
2. **ऑन्कोलॉजी जैसी गंभीर दवाओं को मूल्य नियंत्रण में शामिल करना** – सरकार को सुझाव दिया गया है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं को DPCO के अंतर्गत लाया जाए।
3. **भविष्य की मूल्य वृद्धि में पारदर्शिता** – किसी भी मूल्य वृद्धि का निर्णय सार्वजनिक हित, उपलब्ध आँकड़ों, और स्पष्ट मापदंडों पर आधारित हो।

4. **गैर-आवश्यक दवाओं की सख्त निगरानी** – गैर-आवश्यक दवाओं पर वार्षिक मूल्य वृद्धि की अधिकतम सीमा (10%) सुनिश्चित की जाए।

5. **नियमित मूल्य निगरानी और समावेशन** – दवा बाजार की लगातार निगरानी और आवश्यक औषधियों को मूल्य नियंत्रण में शामिल करने की प्रक्रिया को तेज किया जाए।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की मुख्य भूमिका और संरचना :

- NPPA भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा 1997 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, जिसका उद्देश्य देश में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, वहनीयता और न्यायसंगत मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना है।

प्रमुख कार्य :

- DPCO 2013 के अंतर्गत मूल्य नियंत्रण लागू करना।
- आवश्यक दवाओं की सूची (NLEM) के आधार पर मूल्य तय करना।
- अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) तय करना और गैर-आवश्यक दवाओं पर निगरानी रखना।

डिजिटल और पारदर्शी पहल :

- IPDMS 2.0 : इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे उत्पादन और वितरण पर नजर रखी जाती है।
- PMRU : देश भर में स्थापित प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट्स।
- फार्मा जन समाधान और फार्मा सही दाम जैसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म।

भारत के फार्मा क्षेत्र की मुख्य चुनौतियाँ :

1. **गुणवत्ता और विनियामक अनुपालन संबंधी चुनौतियाँ :** हाल के वर्षों में भारत में बने कुछ कफ सिरप को लेकर WHO की चेतावनी सामने आई, जिससे गुणवत्ता मानकों पर प्रश्न उठे। यद्यपि भारत के पास सबसे अधिक US-FDA मान्यता प्राप्त संयंत्र हैं, फिर भी उत्पादन की गुणवत्ता में असमानता एक चुनौती बनी हुई है।

2. **बौद्धिक संपदा अधिकार और अनिवार्य लाइसेंस / पेटेंट संबंधी चुनौतियाँ :** भारत के जेनेरिक दवाओं के पक्ष में अनिवार्य लाइसेंसिंग के रुख से कई वैश्विक कंपनियाँ असहज रही हैं। उदाहरण के लिए, कैंसर की कुछ महंगी दवाओं पर भारत द्वारा अनिवार्य लाइसेंस दिए जाने से अंतरराष्ट्रीय विवाद खड़े हो चुके हैं।

3. **भारत का API पर आयात निर्भरता संबंधी चुनौतियाँ :** भारत लगभग 70–80% API चीन से आयात करता है। चीन में आपूर्ति श्रृंखला में आया व्यवधान भारत की दवा निर्माण क्षमता को प्रभावित करता है और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

4. **जेनेरिक दवाओं पर अत्यधिक निर्भरता का होना :** भारत वैश्विक जेनेरिक दवा बाजार में अग्रणी है, परंतु इससे नवाचार और उच्च-मूल्य उत्पाद विकास की दिशा में प्रगति सीमित हो जाती है।

5. **कुशल मानव संसाधन / कौशल की कमी का होना :** बायोलॉजिक्स, AI आधारित फार्मा अनुसंधान, और नियामक मामलों में कुशल मानव संसाधन की कमी फार्मा क्षेत्र के उन्नयन में बाधक है।

6. **पर्यावरणीय चुनौतियाँ :** फार्मा उद्योग में जैव चिकित्सा अपशिष्ट, कार्बन उत्सर्जन, और जल प्रदूषण जैसे मुद्दे पर्यावरणीय चिंता के कारण बन चुके हैं।

समाधान की राह और भविष्य की दिशा :



1. **अनुसंधान और नवाचार में निवेश करने की आवश्यकता :** भारत को R&D में निवेश बढ़ाना होगा, ताकि बायोलॉजिक्स, जीन थेरेपी, और नवीन औषधियों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता विकसित की जा सके।

2. **API निर्माण को प्रोत्साहन देने की जरूरत :** PIL योजना और API पार्कों की स्थापना से आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है। इससे भारत की आपूर्ति श्रृंखला अधिक सुदृढ़ और लचीली बनेगी।

3. **फार्मा उत्पादन को सतत् उत्पादन प्रक्रिया को वैश्विक हरित मानकों के अनुरूप बनाना आवश्यक :** पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों, नवीकरणीय ऊर्जा, और शून्य अपशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से फार्मा उत्पादन को वैश्विक हरित मानकों के अनुरूप बनाना आवश्यक है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

4. **डिजिटल और AI एकीकरण की जरूरत :** AI आधारित दवा विकास, गुणवत्ता नियंत्रण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से न केवल दक्षता बढ़ेगी, बल्कि भारत फार्मा टेक्नोलॉजी में वैश्विक नेतृत्व भी प्राप्त कर सकता है।

5. **स्वास्थ्य अवसंरचना, उत्पादन और अनुसंधान में सार्वजनिक-निजी भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता :** स्वास्थ्य अवसंरचना, उत्पादन और अनुसंधान में PPP मॉडल के तहत सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवश्यक दवाओं की पहुँच और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है।

6. **कौशल विकास के माध्यम से कुशल कार्यबल तैयार करने की जरूरत :** शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग से उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में कुशल कार्यबल तैयार किया जा सकता है। सरकार को स्किल डेवलपमेंट में निवेश बढ़ाना चाहिए।

7. **घरेलू बाजार में अनुसंधान और नवाचार पर अधिक जोर देने की आवश्यकता :** भारत में मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसे NCD का भार लगातार बढ़ रहा है। फार्मा कंपनियों को इन बीमारियों के इलाज में अनुसंधान और नवाचार पर अधिक जोर देना होगा।

8. **सस्ती दवा दुकानों के माध्यम से सस्ती दवाओं की उपलब्धता में विस्तार किए जाने की जरूरत :** जन औषधि योजना, ई-फार्मा नेटवर्क, और सस्ती दवा दुकानों के माध्यम से सस्ती दवाओं की उपलब्धता में विस्तार किया जा सकता है।

9. **उन्नत चिकित्सा तकनीकों में निवेश की आवश्यकता :** CRISPR, RNA आधारित चिकित्सा, और बायोसिमिलर्स में निवेश करके भारत वैश्विक उच्च-मूल्य दवा बाजार में नेतृत्व कर सकता है।

निष्कर्ष :

- भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र आज एक संभावनाओं और चुनौतियों के संगम पर खड़ा है। एक ओर यह "विश्व की फार्मेसी" के रूप में सस्ती जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करके वैश्विक स्वास्थ्य में योगदान दे रहा है, वहीं दूसरी ओर, इसे गुणवत्ता, नवाचार, और पारदर्शिता के उच्च मानकों की ओर बढ़ना भी आवश्यक हो गया है।
- NPPA द्वारा की गई मूल्य वृद्धि की आलोचना, हमें यह सोचने पर विवश करती है कि क्या भारत का औषधि मूल्य निर्धारण तंत्र आमजन के हितों की पर्याप्त सुरक्षा कर रहा है?
- भारत को यदि फार्मा नवाचार, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और घरेलू स्वास्थ्य आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना है, तो उसे नियामकीय पारदर्शिता, अनुसंधान में निवेश, और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देनी होगी।
- आत्मनिर्भर भारत और " वन हेल्थ (One Health) " के दृष्टिकोण के साथ, भारतीय फार्मा उद्योग न केवल अपनी चुनौतियों को पार कर सकता है, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य की दिशा को भी नया मार्ग दिखा सकता है।

स्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) का प्रमुख कार्य क्या है?

1. आयातित दवाओं पर सीमा शुल्क तय करना
2. आवश्यक दवाओं की कीमतें तय करना
3. DPCO 2013 के तहत मूल्य नियंत्रण लागू करना
4. दवा लाइसेंस को जारी करना

नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें :

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C. इनमें से कोई नहीं। D.उपरोक्त सभी।

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. चर्चा कीजिए कि एक ओर जहाँ भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र वैश्विक स्तर पर किफायती दवाओं के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है, वहीं दूसरी ओर इसे दीर्घकालिक सतत विकास के संदर्भ में इसे किन संरचनात्मक और रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और इन चुनौतियों के समाधान में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की क्या भूमिका हो सकती है?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



130वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025 : संवैधानिक संशोधन और कार्यकारी उत्तरदायित्व

समाचार में क्यों?

- राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक बनकर उभरा है।
- हालाँकि संसद और न्यायपालिका ने इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया है, लेकिन गंभीर आपराधिक आरोपों वाले मंत्री अक्सर दोषसिद्धि होने तक कार्यकारी पद पर बने रहते हैं।
- इससे संवैधानिक नैतिकता कमज़ोर होती है, शासन के मानकों का क्षरण होता है और जनता का विश्वास कम होता है।
- इसी पृष्ठभूमि में, केंद्र सरकार ने गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखे गए मंत्रियों को स्वतः पद से हटाने का प्रावधान करने के लिए 130वाँ संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया है।

संवैधानिक संदर्भ :

1. **अनुच्छेद 75 :** केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित है।
2. **अनुच्छेद 164 :** राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित कार्य।
3. **अनुच्छेद 239AA :** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT of Delhi) की विशेष स्थिति और प्रशासनिक ढांचे

वर्तमान में, ये अनुच्छेद हिरासत में लिए गए मंत्रियों को स्वतः हटाने का प्रावधान नहीं करते हैं, वे राष्ट्रपति/राज्यपाल की इच्छा पर्यन्त पद पर बने रहते हैं।

130वें संशोधन विधेयक की मुख्य विशेषताएं :

- **स्वचालित निष्कासन :** यदि कोई मंत्री लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उसे हटाना अनिवार्य हो जाता है।
- **प्रक्रिया :**

  केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं।

  राज्यों में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं।

  दिल्ली में राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं।
- **विशेष मामला :** यदि प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री (दिल्ली सहित) को 30 दिनों के लिए हिरासत में रखा जाता है, तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा।
- **प्रतिवर्ती :** निष्कासन अस्थायी है और हिरासत से रिहाई के बाद इसे रद्द किया जा सकता है।
- **उद्देश्य :** संवैधानिक नैतिकता, जवाबदेही और सुशासन को बनाए रखना।

वर्तमान कानूनी ढांचा :

1. **RPA, 1951 (धारा 8) :** विधायकों को केवल 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद ही अयोग्य घोषित किया जाता है।
2. **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 :** दोषसिद्धि के कारण जुर्माना सहित अयोग्यता हो जाती है; कारावास के कारण सजा की अवधि के साथ-साथ छह वर्ष की सजा भी अयोग्यता हो जाती है।
3. **सीमा :** केवल गिरफ्तारी या नजरबंदी से कोई अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता; इसलिए गंभीर आरोपों के बावजूद मंत्री पद पर बने रह सकते हैं।

न्यायिक घोषणाएँ :

1. **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2018) :** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह अयोग्यता का आधार नहीं जोड़ सकता, केवल संसद ही कानून बना सकती है। राजनीतिक दलों को जघन्य आरोपों वाले उम्मीदवारों को टिकट न देने की सिफारिश की गई।
2. **मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014):** आपराधिक रिकॉर्ड वाले मंत्रियों की नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है; तथापि, प्रधानमंत्री को संवैधानिक नैतिकता का पालन करना चाहिए तथा ऐसी नियुक्तियों से बचना चाहिए।
3. **वी. सेंथिल बालाजी केस (2025):** सुप्रीम कोर्ट ने घोटाले में जमानत के बाद पुनर्नियुक्ति के बाद तमिलनाडु के मंत्री को स्वतंत्रता और पद के बीच चयन करने का निर्देश दिया; बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
4. **अरविंद केजरीवाल केस (2024):** सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के दौरान मुख्यमंत्री को सरकारी कर्तव्यों से वंचित कर दिया, लेकिन उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं कर सका; उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया।

नए प्रावधान का औचित्य

1. **राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाना:** एडीआर रिपोर्ट 2025 से पता चलता है कि 45% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, 29% पर हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं।
2. **जवाबदेही सुनिश्चित करना:** मंत्रीगण कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग करते हैं और संभावित रूप से जांच को प्रभावित कर सकते हैं।

3. **न्यायिक विलंब:** दोषसिद्धि में प्रायः वर्षों लग जाते हैं; तब तक मंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं।

4. **सार्वजनिक विश्वास बहाल करना:** हिरासत में लिए गए मंत्रियों को हटाने से लोगों का शासन में विश्वास मजबूत होता है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

1. **निर्दोषता की धारणा:** गिरफ्तारी के बाद स्वतः निष्कासन दोषसिद्धि तक मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष कर सकता है।

2. **दुरुपयोग की संभावना:** राजनीतिक रूप से प्रेरित गिरफ्तारियों का इस्तेमाल विरोधियों को हटाने के लिए किया जा सकता है।

3. **संघीय निहितार्थ:** केंद्र, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बीच टकराव पैदा हो सकता है।

4. **कार्यान्वयन बाधाएँ:** अस्पष्टता को रोकने के लिए "गंभीर आपराधिक आरोपों" की स्पष्ट परिभाषा आवश्यक है।

आगे की राह :

1. **कानूनी सुधार:** विधि आयोग की 170वीं (1999) और 244वीं (2014) सिफारिशों को लागू करें - गंभीर अपराधों के लिए आरोप तय होने पर अयोग्यता।

2. **राजनीतिक नैतिकता को मजबूत करना:** राजनीतिक दलों को आंतरिक जवाबदेही अपनानी चाहिए और दागी उम्मीदवारों को टिकट नहीं देना चाहिए।

3. **संसदीय निगरानी:** आचार समितियों को मजबूत करें, आपराधिक मामलों और संपत्तियों का खुलासा अनिवार्य करें।

4. **आचार संहिता:** ईमानदारी, पारदर्शिता और सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बाध्यकारी मंत्रिस्तरीय आचार संहिता लागू करना।

5. **न्यायिक सुरक्षा उपाय:** केवल गिरफ्तारी के आधार पर अनिश्चितकालीन निलंबन को रोकने के लिए त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष :

- 130वां संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025, राजनीति को स्वच्छ बनाने और मंत्रियों की जवाबदेही को मज़बूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
- यह संवैधानिक नैतिकता को लोकतांत्रिक शासन के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करता है, यह सुनिश्चित करके कि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे मंत्री अपने पद का दुरुपयोग न कर सकें।
- हालाँकि निर्दोषता की धारणा और संभावित दुरुपयोग की चुनौतियाँ बनी हुई हैं, फिर भी पर्याप्त सुरक्षा उपायों और पूरक सुधारों के साथ, इस विधेयक में भारत की राजनीतिक संस्थाओं में विश्वास बहाल करने और एक स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह लोकतंत्र के दृष्टिकोण के और करीब पहुँचने की क्षमता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 130वें संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन करना है।
2. इसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 164 में संशोधन करना है।
3. इसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 239AA में संशोधन करना है।
4. इसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन करना है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. संवैधानिक नैतिकता को मजबूत करने और राजनीति के अपराधीकरण का मुकाबला करने में 130वें संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके कार्यान्वयन में क्या चुनौतियां आ सकती हैं?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



PLUTUS IAS UPSC/ PCS

उपराष्ट्रपति : कार्यपालिका और विधायिका के बीच अद्वितीय सेतु

चर्चा में क्यों ?

- जुलाई में, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह पद श्री इरशान रेड्डी को सौंपा गया था।
- अब उपराष्ट्रपति का चुनाव 09 सितंबर 2025 को निर्धारित है, जहाँ एनडीए उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन, इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी. सूद के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे ।



भारत में उपराष्ट्रपति पद की उत्पत्ति :

1. **संवैधानिक प्रावधान :** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63–71 के तहत स्थापित यह पद 26 जनवरी 1950 से अस्तित्व में है और उपराष्ट्रपति पदेन रूप से राज्यसभा के सभापति होते हैं।
2. **दोहरी भूमिका :** यह पद कार्यपालिका और विधायिका के बीच सेतु के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है तथा पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालते हैं।
3. **आदर्श के रूप में उदाहरण :** डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1952-62)) ने संवैधानिक कर्तव्यों को नैतिक अधिकार के साथ जोड़कर एक उदाहरण स्थापित किया, जिससे कार्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ी।

पहलू	भारतीय उपराष्ट्रपति	अमेरिकी उपराष्ट्रपति
संवैधानिक आधार	भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63–71	अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद II एवं संशोधन XII, XX
चुनाव	अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल (संसद के दोनों सदनों) के माध्यम से, एसटीवी प्रणाली	राष्ट्रपति के साथ संयुक्त टिकट पर, निर्वाचक मंडल द्वारा
पात्रता	राज्यसभा सदस्य होने की योग्यता	प्राकृतिक रूप से जन्मे अमेरिकी नागरिक, न्यूनतम 35 वर्ष आयु, 14 वर्ष का निवास
विधायिका में भूमिका	राज्यसभा के सभापति (उच्च सदन की अध्यक्षता करते हैं)	सीनेट के अध्यक्ष; बराबरी की स्थिति में निर्णायक वोट डालते हैं
कार्यकारी में भूमिका	कोई प्रत्यक्ष कार्यकारी शक्तियाँ नहीं; केवल राष्ट्रपति की अनुपस्थिति (मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन) में कार्यवाहक	कार्यकारी शाखा का हिस्सा; राष्ट्रपति के बाद सबसे वरिष्ठ; कैबिनेट व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य
राष्ट्रपति पद का उत्तराधिकार	अधिकतम 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता	राष्ट्रपति की मृत्यु/इस्तीफा/हटाने पर तुरंत राष्ट्रपति बन जाते हैं (25वें संशोधन के अनुसार)
हटाना	राज्यसभा के प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति से	राष्ट्रपति की तरह महाभियोग द्वारा
कार्यकाल	5 वर्ष, कितनी भी बार पुनः निर्वाचित हो सकते हैं	4 वर्ष का कार्यकाल; यदि राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो अधिकतम 2 शर्तें
राजनीति में दृश्यता	प्रायः औपचारिक, संसद के बाहर सीमित भूमिका (अपवाद: डॉ. राधाकृष्णन, हामिद अंसारी)	अत्यधिक राजनीतिक; अक्सर भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माने जाते हैं (उदाहरण: जो बिडेन, कमला हैरिस)
वेतन	राज्यसभा के सभापति के रूप में ₹4,00,000/माह	कार्यकारी अधिकारी के रूप में ~$235,000/वर्ष

भारतीय और अमेरिकी उपराष्ट्रपतियों के बीच तुलना

संवैधानिक प्रावधान:

पहलू	विवरण
अनुच्छेद 66 – योग्यताएँ	भारत का नागरिक, न्यूनतम 35 वर्ष आयु, लाभ का पद धारण न करने वाला, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए पात्र
अनुच्छेद 66 – निर्वाचक मंडल	संसद के दोनों सदनों (लोकसभा + राज्यसभा; निर्वाचित + मनोनीत सदस्य) द्वारा

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

अनुच्छेद 66 एवं उपराष्ट्रपति/ राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 – चुनाव प्रणाली	आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत, गुप्त मतदान, नामांकन हेतु 20 प्रस्तावक + 20 अनुमोदक आवश्यक; सुरक्षा जमा ₹15,000
अनुच्छेद 69 – शपथ/प्रतिज्ञान	राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित; संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ
अनुच्छेद 67 – अवधि	5 वर्ष का कार्यकाल, पुनः पात्र; उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण करने तक जारी, रिक्ति पर राज्यसभा के उपसभापति कार्य करते हैं
अनुच्छेद 67 – त्यागपत्र	राष्ट्रपति को संबोधित पत्र; स्वीकृति पर प्रभावी; रिक्ति शीघ्र भरी जाएगी
अनुच्छेद 67(B) – निष्कासन	राज्यसभा का प्रस्ताव (प्रभावी बहुमत) + लोकसभा की सहमति (साधारण बहुमत); 14 दिन का नोटिस; निष्कासन हेतु कोई विशेष आधार निर्दिष्ट नहीं
अनुच्छेद 71(1) – चुनाव विवाद	चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा; याचिका 30 दिनों के भीतर
वेतन एवं भत्ते	राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में ₹4,00,000/ माह; निःशुल्क आवास, चिकित्सा, यात्रा, पेंशन 50%
अनुच्छेद 66 और 89	उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं; दोनों पदों (राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष) पर एक साथ नहीं रह सकते

सटीक प्रक्रिया:

1. चुनाव की अधिसूचना

↓

- चुनाव आयोग द्वारा जारी उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 (अवधि समाप्ति से 60 दिन पहले)

2. नामांकन दाखिल करना

↓

- उम्मीदवार नामांकन प्रस्तुत करता है (फॉर्म 3)
- 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए
- सुरक्षा जमा: ₹15,000
- मतदाता सूची प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति जमा करें

3. नामांकनों की जांच

↓

4. उम्मीदवारी वापस लेना

↓

- उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा तक अपना नाम वापस ले सकते हैं

5. मतदान (गुप्त मतदान)

↓

- संसद भवन, नई दिल्ली में आयोजित
- निर्वाचक मंडल: सभी सांसद (लोकसभा + राज्यसभा, मनोनीत सदस्यों सहित)
- एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व
- गुलाबी मतपत्रों पर प्राथमिकताएं 1,2,3... के रूप में चिह्नित करें

6. मतों की गिनती

↓

- प्रथम वरीयता गिनी गई
- कोटा = (कुल वैध वोट ÷ 2) + 1
- यदि कोई भी उम्मीदवार कोटा पूरा नहीं करता है, तो सबसे कम अंक वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है, और अगली वरीयता के आधार पर वोट पुनर्वितरित किए जाते हैं
- तब तक दोहराएं जब तक उम्मीदवार कोटा तक न पहुंच जाए

7. परिणाम की घोषणा

↓

- उम्मीदवार को कोटा निर्वाचित घोषित किया जाता है
- 2-उम्मीदवार वाले चुनावों में, जिस उम्मीदवार के पास अधिक वोट पहली गिनती के बाद जीत

8. चुनाव को चुनौती (वैकल्पिक)

↓

- चुनाव याचिका दायर की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट 30 दिनों के भीतर

भारत के उपराष्ट्रपति :

भूमिका

मुख्य केन्द्र	उदाहरण
राज्यसभा के पदेन सभापति (अनुच्छेद 64)	2023: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लगातार व्यवधान के कारण आप सांसद संजय सिंह को निलंबित किया

भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति (अनुच्छेद 65)	1969: राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की अचानक मृत्यु के बाद वी.वी. गिरि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने
संसद में तटस्थ मॉडरेटर	1952: प्रथम उपराष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन ने शरणार्थी पुनर्वास मुद्दों पर राज्यसभा में गरमागरम बहस को शांत किया
संसदीय सम्मेलनों के संरक्षक	2005: उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत ने अनुशासन पर जोर देकर प्रश्नकाल के दुरुपयोग को रोका
राज्यों और संघ के बीच सेतु	1998–2002: उपराष्ट्रपति कृष्णकांत ने कृष्णा-गोदावरी जैसे नदी जल विवादों पर राज्यों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की

महत्त्व

प्रमुख भूमिका	उदाहरण
शासन की निरंतरता सुनिश्चित करना	1977: फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए चुनाव होने तक उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया
संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना	2013: उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने लोकपाल विधेयक पर विस्तृत बहस की अनुमति दी, जिससे आम सहमति सुनिश्चित हुई
संघीय संतुलन बनाए रखना	2023: वी.पी. धनखड़ ने केंद्र द्वारा राज्यों को दरकिनार करने के आरोपों के खिलाफ राज्यसभा की भूमिका का बचाव किया
दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना	1950 के दशक: डॉ. राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति के रूप में कांग्रेस द्वारा मनोनीत किए जाने के बावजूद राज्यसभा को कांग्रेस पार्टी की राजनीति से ऊपर रखा

मुख्य केन्द्र	घटना / उदाहरण
राज्यसभा में बार-बार व्यवधान	2018: उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, "देश को बाढ़ के कारण प्रति घंटे लाखों का नुकसान हो रहा है"
कथित राजनीतिक पूर्वाग्रह	2022: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने NJAC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की, इसे पक्षपातपूर्ण बताया
कार्यकारी कामकाज में सीमित भूमिका	1977: कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बी.डी. जत्ती को राजनीतिक उथल-पुथल (आपातकाल के बाद) के दौरान कैबिनेट की सलाह पर हस्ताक्षर करने पड़े
विचार-विमर्श के मानकों को कमजोर करना	2017: हामिद अंसारी ने अपने विदाई भाषण में बढ़ती असहिष्णुता और बहस की गिरती गुणवत्ता पर दुख जताया

मुद्दे / चुनौतियाँ :

उपराष्ट्रपति की भूमिका को और अधिक दृश्यमान बनाने के लिए आगे की राह :

प्रमुख पहल / लक्ष्य	घटना / उदाहरण
राज्यसभा में शिष्टाचार सुनिश्चित करके संसदीय कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाना	2018: उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अनुशासन का संदेश देते हुए सदन में व्यवधान डालने वाले 245 सांसदों को निष्कासित किया
राज्यों और विश्वविद्यालयों तक VP की पहुंच को संस्थागत बनाना (राष्ट्रीय सहमति बनाना)	1952–1962: उपराष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन ने नियमित रूप से विश्वविद्यालयों को संबोधित किया, जिससे बौद्धिक-राजनीतिक सेतु मजबूत हुआ
नियमित सार्वजनिक सहभागिता और नीति वकालत	2017–2022: हामिद अंसारी ने अल्पसंख्यक अधिकारों और लोकतंत्र पर चर्चा की, जिससे उपराष्ट्रपति की आवाज सार्वजनिक दायरे में रही
राज्यसभा सचिवालय के माध्यम से अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना	2023: उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सार्वजनिक पहुंच के लिए राज्यसभा की बहसों का नया डिजिटल संग्रह लॉन्च किया
पीठासीन अध्यक्ष से परे शासन में भूमिका को स्पष्ट और विस्तारित करना	1977: कार्यवाहक राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती ने राजनीतिक अस्थिरता के दौरान निरंतरता सुनिश्चित की; भविष्य के संकटों में मदद कर सकता है
कार्यालय की तटस्थता और निष्पक्षता को मजबूत करना	2002: उपराष्ट्रपति कृष्णकांत निष्पक्ष आचरण के लिए सम्मानित, विश्वास बहाल करने का उदाहरण प्रस्तुत किया

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि (सॉफ्ट डिप्लोमेसी)	2006–2007: उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने संयुक्त राष्ट्र मंचों और गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया
जन जागरूकता के लिए iGOT-कर्मयोगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएं	2024: उपराष्ट्रपति कार्यालय ने संसद की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए iGOT पोर्टल पर प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया

निष्कर्ष :

1. यदि उपराष्ट्रपति कार्यालय सक्रिय रूप से संसदीय सुधार, सार्वजनिक संवाद, संघीय समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व में संलग्न रहता है, तो यह केवल "औपचारिक बैकअप" की भूमिका से आगे बढ़कर संवैधानिक लोकतंत्र के प्रत्यक्ष संरक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
2. उपराष्ट्रपति का सक्रिय और तटस्थ नेतृत्व न केवल संसदीय प्रक्रिया की गुणवत्ता बढ़ाता है, बल्कि संघीय संतुलन, लोकतांत्रिक संस्कृति और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को भी सुदृढ़ करता है।
3. अतः उपराष्ट्रपति पद का उपयोग केवल प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र के संरक्षण और संस्थागत मजबूती के लिए किया जाना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं।
2. उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है।
3. राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में, उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
4. उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की तरह ही महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर - (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. "भारत के उपराष्ट्रपति का पद अक्सर औपचारिक माना जाता है, लेकिन संसदीय स्थिरता और संवैधानिक निरंतरता सुनिश्चित करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।" उपराष्ट्रपति कार्यालय की दृश्यता और प्रभावशीलता को मज़बूत करने के लिए इसकी भूमिका, महत्व, चुनौतियों और संभावित सुधारों पर चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



भारत का चुनाव आयोग : लोकतांत्रिक रीढ़ को मजबूत करना

समाचार में क्यों?

- भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने चुनावी व्यवस्था को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक मज़बूत कदम उठाया है।
- 18 सितंबर 2025 को, उसने लगातार छह वर्षों तक चुनावों में भाग न लेने के कारण 474 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को सूची से हटा दिया, इसके अलावा अगस्त 2025 में पहले हटाए गए 334 दलों को भी सूची से हटा दिया गया था।



- इस प्रकार, दो महीनों के भीतर 808 आरयूपीपी को हटा दिया गया है। अनिवार्य वित्तीय रिपोर्ट दाखिल न करने के कारण 359 आरयूपीपी के विरुद्ध कार्यवाही भी शुरू हो गई है।
- यह चुनावी लोकतंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के निरंतर प्रयास का हिस्सा है।

संवैधानिक और कानूनी ढांचा

प्रावधान	महत्व
अनुच्छेद 324	यह विधेयक भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को चुनावों पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है।
अनुच्छेद 325	कोई भी व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं होगा।
अनुच्छेद 326	चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होते हैं।
अनुच्छेद 327–329	संसद और राज्य विधानमंडलों को कानून के माध्यम से चुनावों को विनियमित करने में सक्षम बनाना।
धारा 29ए, आरपीए 1951	राजनीतिक दलों के पंजीकरण को नियंत्रित करता है।
आदर्श आचार संहिता (एमसीसी)	स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए दिशा-निर्देश, यद्यपि कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।

चुनाव आयोग की संरचना

- **संघटन:** मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) + अन्य चुनाव आयुक्त (वर्तमान में 2)।
- **नियुक्ति:** अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया।
- **कार्यकाल:** 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
- **स्वतंत्रता:** मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल महाभियोग जैसी प्रक्रिया (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान) द्वारा ही हटाया जा सकता है; अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।

ईसीआई द्वारा राजनीतिक दलों का वर्गीकरण

वर्ग	मान्यता मानदंड	विशेषाधिकार	उदाहरण (2023 तक)
राष्ट्रीय पार्टी	- 4 या अधिक राज्यों और 4 लोकसभा सीटों पर 6% वोट शेयरया- 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त	पूरे भारत में आरक्षित प्रतीक, निःशुल्क प्रसारण, एमसीसी में परामर्श	BJP, INC, CPI(M), BSP, AAP, TMC, NCP
राज्य पार्टी	- राज्य में 6% वोट शेयर और 2 विधानसभा सीटेंया- विधानसभा सीटों का 3%	उस राज्य में आरक्षित प्रतीक, निःशुल्क प्रसारण समय	डीएमके (तमिलनाडु), बीजेडी (ओडिशा), जेडी(यू) (बिहार), टीआरएस/बीआरएस (तेलंगाना)
आरयूपीपी	पंजीकृत लेकिन मान्यता मानदंडों को पूरा करने में विफल	चुनाव लड़ने के पात्र लेकिन आरक्षित चुनाव चिन्ह नहीं, मुफ्त प्रसारण समय नहीं	हजारों निष्क्रिय/छोटी पार्टियाँ

भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियां और कार्य

1. **स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन:** चुनाव आयोग संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों की देखरेख करता है। इसका अधिकार चुनावों की समय-सारणी बनाने से लेकर चुनावों की निगरानी और परिणामों की घोषणा करने तक फैला हुआ है, जिससे सत्ता का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित होता है।

2. **मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन:** यह अनुच्छेद 326 के अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देने के लिए मतदाता सूची तैयार करता है, उसे अद्यतन करता है और संशोधित करता है।

3. **राजनीतिक दलों की मान्यता और विनियमन:** ईसीआई, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में वर्गीकृत करता है।

4. **चुनाव व्यय की निगरानी:** चुनाव आयोग उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा तय करता है और खर्चों की पारदर्शी रिपोर्टिंग अनिवार्य करता है। चुनावों में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए यह उड़न दस्तों, वीडियो निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करता है।

5. **निर्वाचन जागरूकता और मतदाता शिक्षा:** एसवीईईपी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से यह मतदान के अधिकार, नैतिक भागीदारी और सूचित निर्णय लेने के बारे में जागरूकता फैलाता है।



भारत निर्वाचन आयोग की हालिया पहल

1. **निष्क्रिय राजनीतिक दलों को सूची से हटाना:** अकेले 2025 में, चुनाव आयोग ने 808 आरयूपीपी को सूची से हटा दिया, जो चुनाव लड़ने या ऑडिट किए गए खाते जमा करने में विफल रहे। इस कदम से न केवल गैर-गंभीर दलों की सूची साफ़ होगी, बल्कि कर छूट जैसे पंजीकरण लाभों के दुरुपयोग पर भी अंकुश लगेगा।

2. **ई-ईपीआईसी (इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड) की शुरूआत :** ई-ईपीआईसी एक पोर्टेबल डिजिटल मतदाता पहचान पत्र है जिसे 2021 में लॉन्च किया गया है। मतदाता इसे अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे भौतिक कार्ड पर निर्भरता कम हो जाएगी और प्रणाली अधिक कुशल हो जाएगी।

3. **वीवीपीएटी-आधारित सत्यापन :** मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए, आयोग ने 2019 में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) की शुरुआत की। यह मतदाताओं को एक मुद्रित पर्ची पर अपने वोट को सत्यापित करने की अनुमति देता है, जिससे नागरिकों और ईवीएम के बीच विश्वास की खाई को पाटा जा सकता है।

4. **सीविजिल ऐप:** एक मोबाइल एप्लीकेशन जो नागरिकों को नकदी के बदले वोट, मुफ्त उपहारों का वितरण या घृणास्पद भाषण जैसी चुनावी गड़बड़ियों की तुरंत रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है।

5. **सुगम्यता उपाय:** चुनाव आयोग ने दिव्यांगजनों (PwD) के लिए व्हीलचेयर, रैंप और ब्रेल-सक्षम ईवीएम उपलब्ध कराकर मतदान केंद्रों को सुलभ बनाया है। डाक मतपत्रों का विस्तार वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) और दिव्यांगजनों के लिए भी किया गया है।

प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ :

चुनौती	चित्रण / तथ्य
आरयूपीपी का प्रसार	धन शोधन एवं कर चोरी के लिए उपयोग किया जाता है, कई पार्टियां निष्क्रिय रहती हैं।
अपारदर्शी राजनीतिक वित्तपोषण	चुनावी बांड (2017 में शुरू) की दानदाताओं की गुमनामी के लिए आलोचना की गई।
पूर्वाग्रह की धारणा	विपक्ष ने एमसीसी उल्लंघनों के प्रवर्तन में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति नरमी बरतने का आरोप लगाया।
चुनावी मुफ्त उपहार और लोकलुभावनवाद	सर्वोच्च न्यायालय (2022) ने राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए जोखिम को चिह्नित किया।
डिजिटल खतरे	फर्जी खबरें, डीपफेक, एआई-संचालित सामग्री मतदाताओं की धारणा को प्रभावित कर रही है।
राजनीति का अपराधीकरण	एडीआर डेटा: 2019 में लोकसभा में 43% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की उदासीनता	लोकसभा 2019 में मुंबई में मतदान: ~55% बनाम राष्ट्रीय औसत ~67%।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

आगे की राह :

1. **पारदर्शी वित्तपोषण** - गुमनाम चुनावी बांड को समाप्त किया जाए; दानदाताओं का पूर्ण खुलासा सुनिश्चित किया जाए।
2. **चुनावों का राज्य वित्तपोषण** – काले धन के प्रभाव को कम करना।
3. **कॉलेजियम-आधारित नियुक्तियाँ**– सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के बाद स्वतंत्रता को मजबूत करना।
4. **डिजिटल सुरक्षा उपाय**- फर्जी खबरों और डीपफेक का मुकाबला करने के लिए एआई-संचालित उपकरण।
5. **चूककर्ता पक्षों के लिए दंड**– लेखापरीक्षित खातों का सख्त प्रवर्तन।
6. **मुफ्त चीजों का विनियमन** – कल्याण और राजकोषीय विवेकशीलता के बीच संतुलन बनाने के लिए स्पष्ट रूपरेखा।
7. **अनिवार्य आंतरिक-पार्टी लोकतंत्र**– नियमित आंतरिक चुनाव, पारदर्शी उम्मीदवार चयन।
8. **शहरी एवं युवा भागीदारी को बढ़ावा देना** - प्रोत्साहन, ऑनलाइन वोटिंग पायलट, कैम्पस अभियान।

निष्कर्ष :

- भारत का चुनाव आयोग सात दशकों से भी ज़्यादा समय से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों की रक्षा करते हुए चुनावी प्रक्रिया की आधारशिला रहा है।
- निष्क्रिय दलों को सूची से हटाना और वित्तीय पारदर्शिता लागू करना जैसे इसके सक्रिय कदम राजनीतिक माहौल को साफ़-सुथरा बनाने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
- हालाँकि, धन और बाहुबल का प्रभाव, चुनावी कदाचार और राजनीतिक दबाव जैसे लगातार बने रहने वाले मुद्दे अधिक स्वायत्तता, पारदर्शिता और सुधारों की आवश्यकता को उजागर करते हैं।
- चुनाव आयोग को संस्थागत रूप से मज़बूत करना, तकनीक को ज़िम्मेदारी से अपनाना और जनता का विश्वास बढ़ाना, यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले वर्षों में भारत का लोकतंत्र जीवंत, समावेशी और लचीला बना रहे।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत का निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक बहुसदस्यीय निकाय है।
2. यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के अंतर्गत राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है।
3. विधायकों की अयोग्यता पर इसकी सिफारिशें सलाहकारी हैं और राष्ट्रपति या राज्यपाल पर बाध्यकारी नहीं हैं।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) तीनों (d) कोई नहीं

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "राजनीतिक दलों को विनियमित करने और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा करें।"

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)



भारत में फ्रीबीज़ की राजनीति : वोट बैंक और विकास बनाम राजकोषीय घाटा

समाचार में क्यों ?

- " किसी आदमी को एक मछली दो तो तुम एक दिन के लिए उसका पेट भरोगे लेकिन अगर किसी आदमी को मछली पकड़ना सिखा दो तो तुम जीवन भर के लिए उसके पेट भरने का उपाय कर दोगे।" ("Give a man a fish and you feed him for a day, teach a man to fish and you feed him for a lifetime.")
- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक

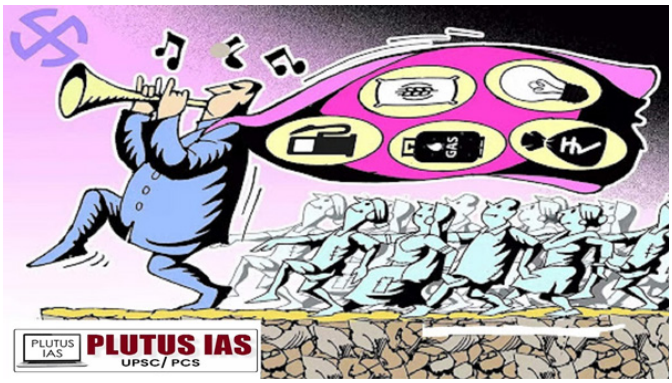
महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत उन्होंने "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके हाथों में आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना है।



- योजना के प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक परिवार से एक महिला को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस सहायता राशि के माध्यम से महिलाएं छोटे स्तर पर व्यापार, स्वरोजगार या आजीविका संबंधी गतिविधियाँ शुरू कर सकेंगी, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।
- कार्यक्रम की शुरुआत के अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं लगभग 50 लाख महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त की राशि हस्तांतरित की। कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपये की राशि का वितरण इस योजना के अंतर्गत किया जाना है। इससे महिलाओं को न केवल आर्थिक सहयोग मिलेगा बल्कि परिवार की आय में भी वृद्धि होगी।
- इस योजना के लाभार्थियों में विशेष रूप से "जीविका दीदियों" यानी स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएँ, जो पहले से सामुदायिक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं, उन्हें और अधिक मजबूती एवं सहयोग मिलेगा।
- हाल ही में दाखिल एक जनहित याचिका में यह दावा किया गया कि निःशुल्क सुविधाएँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करती हैं। इसके समाधान के लिए हितधारकों की सलाह लेने हेतु एक विशेषज्ञ पैनल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

भारत में योजनाओं से संबधित फ्रीबीज (निःशुल्क) संस्कृति क्या है ?

- भारत में फ्रीबीज (निःशुल्क) संस्कृति को समझने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में इसे "एक लोक कल्याणकारी उपाय" के रूप में परिभाषित किया गया है, जो नागरिकों को निःशुल्क प्रदान किया जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक की उस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि फ्रीबीज स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी व्यापक और दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने वाली सार्वजनिक या मेरिट वस्तुओं (public/ merit goods) से भिन्न होते हैं।
- भारत में भारत में लोकलुभावनवादी योजनाएं या फ्रीबीज आमतौर पर चुनावी रणनीतियों का हिस्सा होते हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को तत्काल लाभ देना होता है, जबकि सार्वजनिक वस्तुएं समाज के समग्र विकास के लिए जरूरी होती हैं।



निःशुल्क योजनाएं (फ्रीबीज) और कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) के बीच मुख्य अंतर :

- कल्याणकारी योजनाएं जहां समाज या राज्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, वहीं निःशुल्कता (फ्रीबीज) राज्य या व्यक्ति की राज्य पर निर्भरता और उससे उत्पन्न विकृति को पैदा कर सकती है।
- फ्रीबीज उन वस्तुओं और सेवाओं का समूह हैं जो उपयोगकर्ताओं को बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराए जाते हैं। इनका लक्ष्य सामान्यतः अल्पकालिक लाभ पहुँचाना होता है, जो अक्सर मतदाताओं को आकर्षित करने या लोकलुभावन वादों के तहत एक प्रकार की रिश्वत के रूप में देखे जाते हैं। उदाहरण के लिए, निःशुल्क लैपटॉप, टीवी, साइकिल, बिजली और पानी जैसे उपहार फ्रीबीज के श्रेणी में आते हैं।
- राज्य द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएं जहाँ सुविचारित कार्यक्रम होती हैं, जिनका उद्देश्य लक्षित जनसंख्या को लाभ पहुँचाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। ये योजनाएं नागरिकों के प्रति संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं, और इन्हें सामाजिक न्याय, समानता और मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए देखा जाता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), और मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं।
- अतः किसी भी कल्याणकारी राज्य में फ्रीबीज और कल्याणकारी योजनाएं विभिन्न दृष्टिकोण और प्रभाव के साथ एक साथ काम करती हैं, जो समाज में उनकी भूमिका को स्पष्ट करती हैं।

लोकलुभावनवादी निःशुल्क योजनाओं (फ्रीबीज) के लाभ :

1. **लोकतंत्र में पारदर्शिता और संवाद का निर्माण और सार्वजनिक सहभागिता का होना :** निःशुल्क योजनाएं सरकार के प्रति जनता

का भरोसा बढ़ाती हैं, जिससे लोकतंत्र में पारदर्शिता और संवाद का निर्माण होता है।

2. **मतदाताओं की जागरूकता और संतोष में वृद्धि होना :** विभिन्न प्रकार के अध्ययन बताते हैं कि निःशुल्क योजनाएं मतदाताओं की जागरूकता और संतोष में वृद्धि करती हैं। जैसे कि - उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में लैपटॉप और साइकिल योजनाएं।

3. **आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना :** देश के कम विकसित राज्यों या क्षेत्रों में निःशुल्क योजनाएं वहां के कार्यबल की उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती हैं। जैसे कि - सिलाई मशीन या लैपटॉप वितरण जैसी योजनाएं।

4. **छात्र/छात्राओं के नामांकन और स्कूल ड्रॉपआउट दर में कमी लाने में सहायक :** बिहार और पश्चिम बंगाल में साइकिल जैसी योजनाएं छात्राओं के नामांकन और ड्रॉपआउट दर को सुधारने में सहायक रही हैं।

5. **वंचित वर्गों को बुनियादी सेवाएं प्रदान कर उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक होना :** निःशुल्क योजनाएं गरीब और वंचित वर्गों को बुनियादी सेवाएं प्रदान कर उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाती हैं, जैसे कि स्कूल यूनिफॉर्म और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाएं।

6. **निर्धनता अनुपात में कमी लाने में सहायक :** खाद्य सब्सिडी ने भारत में निर्धनता अनुपात को 7% तक कम करने में मदद की है।

7. **स्वास्थ्य खर्चों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना :** राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ने गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य खर्चों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

8. **आय असमानता में कमी होना :** निःशुल्क योजनाएं संसाधनों का समान वितरण करके आय असमानता को कम कर सकती हैं, जैसे कि ऋण माफी।

9. **किसानों की साख क्षमता में सुधार होना :** ऋण माफी योजनाओं ने किसानों की साख क्षमता को बेहतर बनाने में मदद की है।

लोकलुभावनवादी निःशुल्क योजनाओं (फ्रीबीज) से होने वाली हानियां :

1. **लाभार्थियों में आत्मनिर्भरता की भावना में बाधा उत्पन्न होना :** निःशुल्क योजनाएं लाभार्थियों में आत्मनिर्भरता की भावना को कमजोर कर सकती हैं, जिससे वे भविष्य में और अधिक मुफ्त योजनाओं की अपेक्षा करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, 1 रुपए प्रति किलो चावल या मुफ्त बिजली जैसे लाभ उन्हें सरकारी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह बना सकते हैं। 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि तमिलनाडु में 41% मतदाता इन योजनाओं को मतदान में महत्वपूर्ण मानते हैं।

2. **राजकोषीय घाटा का बढ़ना :** निःशुल्क योजनाएं सार्वजनिक व्यय, सब्सिडी, और ऋण में वृद्धि कर सकती हैं, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। कृषि ऋण माफी या बेरोज़गारी भत्ते जैसी योजनाएं सरकार के बजटीय संसाधनों पर दबाव डालती हैं, जिससे अन्य क्षेत्रों में निवेश करने की क्षमता प्रभावित होती है।



3. **संसाधनों का गलत तरीके से आवंटन होना :** निःशुल्क योजनाओं के कारण राज्य का संसाधन अधिक उत्पादक क्षेत्रों से हटकर निःशुल्क योजनाओं पर खर्च होते हैं, जिससे राज्य के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मोबाइल फोन या लैपटॉप जैसी योजनाओं के लिए बड़े खर्च से सड़कें, पुल और सिंचाई प्रणालियों में निवेश की कमी आ सकती है।

4. **नवाचार और गुणवत्ता में कमी आना :** निःशुल्क योजनाएं वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, मुफ्त साइकिल या लैपटॉप अक्सर बाजार में उपलब्ध उत्पादों की तुलना में कम गुणवत्ता वाले होते हैं।

5. **पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना :** निःशुल्क योजनाएं जल, बिजली, और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा देती हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँच सकता है।

6. मुफ्त बिजली या पानी जैसी योजनाएं लोगों में जल संरक्षण और उर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता को कम कर सकती हैं।

7. कैग की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में मुफ्त बिजली के कारण उपयोग और दक्षता में कमी आई है। इन हानियों के कारण, निःशुल्क योजनाओं के कार्यान्वयन में संतुलन और जिम्मेदारी की आवश्यकता है।

समाधान / आगे की राह :

1. **राजनीतिक दलों द्वारा वित्तीय स्रोतों की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की जरूरत :** राजनीतिक दलों को निःशुल्क योजनाओं की घोषणा से पहले उनके वित्तपोषण के स्रोतों की स्पष्टता प्रदान करनी चाहिए। उन्हें यह भी विवरण देना चाहिए

कि इन योजनाओं का राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति, सार्वजनिक व्यय पर प्रभाव और दीर्घकालिक स्थिरता पर क्या परिणाम होंगे।

2. **भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियों का विस्तार करने की जरूरत :** चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा निःशुल्क योजनाओं की घोषणा और उनके कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। इसमें राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने और जुर्माना लगाने जैसी सख्त शक्तियाँ शामिल होनी चाहिए।



3. **मतदाता जागरूकता अभियानों और शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देने की आवश्यकता :** मतदाताओं को निःशुल्क योजनाओं के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। उन्हें इस विषय पर शिक्षित किया जाना चाहिए कि कैसे इन योजनाओं का लंबे समय में प्रभाव पड़ता है, ताकि वे जवाबदेही की मांग कर सकें। इसके लिए विभिन्न जागरूकता अभियान और साक्षरता कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

4. **सार्वजनिक चर्चा को प्रोत्साहित करने और न्यायपालिका की भूमिका को स्पष्ट करने की आवश्यकता :** निःशुल्क योजनाओं पर संसद में रचनात्मक बहस करना कठिन हो सकता है, इसलिए न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायालय विभिन्न उपायों पर विचार करके सार्वजनिक चर्चा को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे बेहतर नीति निर्धारण में मदद मिलेगी।

5. **समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत :** देश में समावेशी विकास के दृष्टिकोण से गरीबी और असमानता के कारणों का समाधान किया जा सकता है, जिससे निःशुल्क योजनाओं पर निर्भरता कम होगी। इससे दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक लाभों का रास्ता साफ होगा।

6. **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम को और अधिक सख्त बनाने की जरूरत :** भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अनियंत्रित सरकारी खर्चों पर नियंत्रण के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम को और सख्त बनाया जाना चाहिए।

7. **समयबद्ध और लक्षित सब्सिडी का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता :** देश के नागरिकों में स्थायी कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, सब्सिडी योजनाओं को समयबद्ध और लक्षित रूप से लागू किया जाना चाहिए।

8. **कल्याण और फ्रीबीज़ को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की जरूरत :** देश में सामाजिक उपयोगिता, दीर्घकालिक प्रभाव और राजकोषीय स्थिरता के आधार पर, आवश्यक कल्याण योजनाओं को चुनावी फ्रीबीज़ से अलग करने के लिए स्पष्ट नीतिगत दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है।

9. **संस्थागत संरचना को सशक्त बनाने की जरूरत :** सार्वजनिक खर्च की निगरानी के लिए वित्तीय नियामकों को मजबूत किया जाना चाहिए और ऑफ-बजट उधारी एवं प्रच्छन्न सब्सिडी पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए।

10. **कल्याण और राजकोषीय घाटा में संतुलन स्थापित करने की जरूरत :** देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर जोर दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सब्सिडी और सामाजिक योजनाएं नागरिकों में योजनाओं पर निर्भरता को बढ़ावा न दे बल्कि वह क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने को सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष :

- भारत के राजनीतिक दल प्रायः मतदाताओं को लोकलुभावनवादी योजनाओं के दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभावों से अवगत नहीं कराते, जबकि ऐसे कदम राजकोषीय असंतुलन बढ़ाकर आर्थिक सुधारों की गति को बाधित करते हैं।
- यदि भारत के मतदाता यह समझने लगें कि इन योजनाओं के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना जैसी आवश्यक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो वे इनका समर्थन करने से बच सकते हैं।
- भले ही यह पहल न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने का साधन है, बल्कि राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम मानी जा रही है। लेकिन बिहार राज्य जैसी दबावग्रस्त अर्थव्यवस्था में इन योजनाओं का वास्तविक लाभ सीमित और चुनावी प्रभाव अस्थायी हो सकता है।
- अतः भारतीय राजनीतिक दलों को अल्पकालिक राजनीतिक लाभ से आगे बढ़कर दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और पारदर्शिता को प्राथमिकता देनी चाहिए तथा मतदाताओं को तथ्यपूर्ण जानकारी देकर निर्णय लेने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए।

स्त्रोत्र - पी.आई.बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत में लोकलुभावनवादी निःशुल्क योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसे जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने एवं समाज कल्याण में सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से किया जाता है।

2. इसे आमतौर पर अल्पावधि में लक्षित आबादी को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है।

3. इसमें व्यय प्राथमिकताओं और संसाधनों का गलत आवंटन होने की संभावना होती है।

4. यह गरीबी और आय असमानता को कम करने में सहायक होता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3 B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. चर्चा कीजिए कि लोकलुभावनवादी घोषणाएँ एवं योजनाएँ किस प्रकार भारत में राजकोषीय घाटे को बढ़ाकर आर्थिक सुधारों की गति को प्रभावित करती हैं? इनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) को सशक्त बनाना : कल्याण से लेकर सम्मान और समावेश तक

समाचार में क्यों?

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में श्री पारसमल बोहरा दृष्टिबाधित महाविद्यालय के नए भवनों का शिलान्यास किया।
- इस अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने दिव्यांगजनों की सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि उन्हें सहानुभूति के बजाय दिव्यता के प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए।
- उन्होंने कहा कि पैरालिंपिक में भारत के 52 पदक प्रोत्साहित करने पर उनकी क्षमता साबित करते हैं, और बताया कि केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के बजट को 2014 के ₹338 करोड़ से बढ़ाकर आज ₹1,313 करोड़ कर दिया है।



विशेष योग्यता वाले व्यक्ति (PwDs) :

- दिव्यांगजनों व्यक्तियों (PwD), जिन्हें भारत में दिव्यांगजन कहा जाता है, वे व्यक्ति हैं जो शारीरिक, मानसिक, संवेदी या संज्ञानात्मक सीमाओं का सामना करते हैं, लेकिन उनमें अद्वितीय क्षमताएँ और क्षमताएँ होती हैं।
- उन्हें सशक्त बनाना केवल कल्याणकारी चिंता ही नहीं, बल्कि अधिकारों, सम्मान और समावेशी विकास का भी विषय है।

दिव्यांगजनों के बारे में तथ्य :

- **वैश्विक स्तर :** विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि विश्व की लगभग 15% जनसंख्या किसी न किसी प्रकार की विकलांगता के साथ जी रही है।
- **भारत :** 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं (जनसंख्या का 2.21%)। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संख्या वास्तविक जनसंख्या के लगभग 5-6% के बराबर है।
- **विकलांगता के प्रकार (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016) :** मान्यता प्राप्त श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया, जिनमें ऑटिज्म, थैलेसीमिया, एसिड अटैक पीड़ित आदि शामिल हैं।
- **शिक्षा:** दिव्यांगजनों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है, जहां साक्षरता दर केवल 54% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 74% है।
- **रोज़गार:** केवल 34% दिव्यांगजन ही रोजगार में हैं, जो सामान्य जनसंख्या से कम है (एनएसओ डेटा)।
- **खेल:** भारत ने पिछले 3 पैरालंपिक खेलों में 52 पैरालंपिक पदक जीते, जबकि 1960-2012 के बीच केवल 8 पदक जीते थे।

संवैधानिक कानून :

1. **अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता
2. **अनुच्छेद 15 और 16:** कोई भेदभाव नहीं; नौकरियों में समान अवसर।

3. **अनुच्छेद 21:** सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार।
4. **अनुच्छेद 41 (निर्देशक सिद्धांत):** राज्य विकलांगों के लिए काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार सुनिश्चित करेगा।
5. **73वां और 74वां संशोधन:** स्थानीय निकाय दिव्यांगजन कल्याण के लिए योजना बनाएंगे।
6. **भारत विकलांग व्यक्तियों के** अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी), 2007 का हस्ताक्षरकर्ता है।

सरकारी उपाय

1. **कानूनी ढांचा:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 1995 - पहला बड़ा कानून। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 - आरक्षण: नौकरियों में 4%, उच्च शिक्षा में 5%।
2. **प्रशासनिक एवं संस्थागत:** दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD)। दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त - अर्ध-न्यायिक निवारण निकाय। राष्ट्रीय संस्थान (जैसे, NIVH, AIISH, NIEPMD)। भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI)।
3. **नीतिगत उपाय :** सुगम्य भारत अभियान (2015) - भवन, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को सुगम्य बनाना। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) - गैर सरकारी संगठनों का सहयोग। एडीआईपी योजना - निःशुल्क सहायक उपकरण।
4. **विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड** - लाभों तक एकल-खिड़की पहुँच। कौशल विकास पहल - दिव्यांगजनों के लिए एनएसडीसी की कौशल परिषद। स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा - 10 वर्षों में 31 लाख लोगों को कृत्रिम अंग।

मुद्दे और चुनौतियाँ :

1. **कम रिपोर्ट किया गया डेटा** - जनगणना 2011 पुरानी हो चुकी है।
2. **पहुंच का अंतर** – कई सार्वजनिक स्थान अभी भी विकलांगों के अनुकूल नहीं हैं।
3. **कलंक और सामाजिक बाधाएं** – सम्मान के बजाय सहानुभूति की दृष्टि से देखा गया।
4. **शिक्षा संबंधी चुनौतियाँ** – समावेशी कक्षाओं और प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव।
5. **रोजगार बाधाएँ** – आरक्षण के बावजूद सीमित अवसर।
6. **स्वास्थ्य देखभाल में अंतराल** - महंगे सहायक उपकरण, अपर्याप्त विशेष देखभाल।
7. **कमजोर कार्यान्वयन** – आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम का प्रवर्तन धीमा बना हुआ है।
8. **ग्रामीण उपेक्षा** – बुनियादी ढांचा और सहायता मुख्यतः शहर-केंद्रित।

आगे की राह :

1. **विकलांगता जनगणना को अद्यतन करें** – बेहतर योजना के लिए सटीक डेटा।
2. **पहुंच को मजबूत करें** – सुगम्य भारत मानकों को सख्त निगरानी के साथ लागू करें।
3. **समावेशी शिक्षा** – शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण, डिजिटल उपकरण, ब्रेल एवं सांकेतिक भाषा एकीकरण।
4. **नौकरी के अवसर** – निजी क्षेत्र में नियुक्तियों को प्रोत्साहित करना, दिव्यांगजन उद्यमिता को बढ़ावा देना।
5. **किफायती स्वास्थ्य सेवा** – आयुष्मान भारत के अंतर्गत सब्सिडीयुक्त उपकरण, दिव्यांगजनों के लिए बीमा।
6. **जागरूकता अभियान** – गरिमा को बढ़ावा दें, कलंक को कम करें।
7. **स्थानीय शासन की भूमिका** – पंचायती राज संस्थाएं एवं शहरी स्थानीय निकाय विकलांगता योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे।
8. **प्रौद्योगिकी एकीकरण** – सशक्तिकरण के लिए एआई, रोबोटिक्स और सहायक ऐप्स का उपयोग करें।
9. **अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा** – एडीए (अमेरिका) और जापान के सुगम्यता मानदंडों से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना।

निष्कर्ष :

- दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण एक संवैधानिक दायित्व और विकासात्मक आवश्यकता दोनों है।
- समानता, सुलभता और सम्मान सुनिश्चित करके, भारत लाखों दिव्यांगजनों की क्षमता को उजागर कर सकता है और एक समावेशी समाज बनने की ओर अग्रसर हो सकता है।
- जैसा कि नेताओं ने रेखांकित किया है, "विकलांग" से "दिव्यांग" की ओर बदलाव केवल शब्दार्थ नहीं है, बल्कि विकलांगता पर क्षमता को मान्यता देने की दिशा में एक कदम है।
- भविष्य कल्याण से सशक्तिकरण की ओर बढ़ने में निहित है, जहाँ दिव्यांगजन राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार होंगे।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. विकलांग व्यक्तियों (PwDs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 ने मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की संख्या को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया।
2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में 4% और उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण का प्रावधान है।
3. भारत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) का हस्ताक्षरकर्ता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तर: D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत में दिव्यांगजनों (PwDs) को एक मज़बूत संवैधानिक और कानूनी ढाँचे के बावजूद कई सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनके सशक्तिकरण से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कीजिए और भारत को दिव्यांगजनों के लिए अधिक समावेशी बनाने के उपाय सुझाइए। (शब्द सीमा - 250, अंक - 15)



ई-गवर्नेंस : डिजिटल युग में शासन का रूपांतरण

समाचार में क्यों?

- ई-गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीईजी) 2025, 22 सितंबर, 2025 को विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ, जिसका विषय था "विकसित भारत: सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन"।



- प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य ई-गवर्नेंस में सर्वोत्तम प्रथाओं, नवाचारों और रणनीतियों को प्रदर्शित करना है।
- सम्मेलन में विभिन्न शासन स्तरों पर अनुकरणीय पहलों को मान्यता देने के लिए छह श्रेणियों में ई-गवर्नेंस 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए जाएँगे।

ई-गवर्नेंस क्या है?

ई-गवर्नेंस का अर्थ है सेवा वितरण, पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक भागीदारी में सुधार के लिए सरकारी कामकाज में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग।

यह शामिल करता है:

- **जी2सी (सरकार से नागरिक):** उदाहरणार्थ, उमंग ऐप, डिजीलॉकर।
- **जी2बी (सरकार से व्यवसाय):** उदाहरणार्थ, एमसीए21 पोर्टल, जीएसटीएन।
- **जी2ई (सरकार से कर्मचारी):** उदाहरणार्थ, ई-ऑफिस।
- **जी2जी (सरकार से सरकार):** उदाहरणार्थ, सीपीजीआरएएमएस शिकायत निवारण।



विश्व बैंक (2023) ने संयुक्त राष्ट्र ई-गवर्नेंस विकास सूचकांक (ईजीडीआई) में भारत को वैश्विक स्तर पर 10वां स्थान दिया है, जो आईसीटी अपनाने में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाता है।

ई-गवर्नेंस में सरकार की प्रगति

पहल	उद्देश्य	उपलब्धियाँ
डिजिटल इंडिया मिशन (2015)	भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना	35 करोड़ से अधिक जनधन खाते आधार और मोबाइल से जोड़े गए
आधार	प्रमाणीकरण एवं डीबीटी के लिए अद्वितीय बायोमेट्रिक आईडी	1.35 अरब आधार कार्ड जारी; डुप्लिकेट कार्ड हटाकर ₹2.25 लाख करोड़ की बचत (यूआईडीएआई, 2024)
DigiLocker & UMANG	सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज और एकल सेवा पहुंच	21 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता; 7.5 अरब दस्तावेज जारी
CoWIN और आरोग्य सेतु	महामारी से संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म	CoWIN के माध्यम से 200+ करोड़ वैक्सीन खुराकें दी गईं
जीएसटीएन (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क)	एकीकृत कर अनुपालन और फाइलिंग मंच	1.4 करोड़ से अधिक व्यवसाय पंजीकृत
ई-एनएएम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)	किसानों के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेट-फॉर्म	22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1,260+ मंडियों को जोड़ा गया

Digital India
Power To Empower

PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

आदर्श पहल और सफलता की कहानियाँ :

- **भूमि परियोजना (कर्नाटक) :** भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण - बिचौलियों और भ्रष्टाचार में कमी।
- **पासपोर्ट सेवा परियोजना :** कई शहरों में पासपोर्ट बनवाने में लगने वाला समय घटकर मात्र 3-7 दिन रह गया।
- **ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना :** 20 करोड़ केस रिकॉर्ड तक ऑनलाइन पहुंच; 98% जिला अदालतें कम्प्यूटरीकृत।
- **डिजिटल आंध्र प्रदेश :** राज्य मॉडल के रूप में रियल-टाइम गवर्नेंस सोसाइटी (आरटीजीएस) और ब्लॉकचेन-आधारित भूमि रिकॉर्ड का उपयोग।
- **आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPC) :** अंतिम छोर तक वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाया गया - प्रतिवर्ष 500 करोड़ से अधिक लेनदेन।

ई-गवर्नेंस की सीमाएँ

1. **डिजिटल विभाजन :** TRAI (2024) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच 44% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 72% है।
2. **साइबर सुरक्षा जोखिम :** भारत में 2022 में 13 लाख से अधिक साइबर सुरक्षा घटनाएं घटीं (सीईआरटी-इन रिपोर्ट)।
3. **डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएँ :** मजबूत डेटा संरक्षण कानूनों का अभाव (हालांकि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 एक शुरुआत है)।
4. **क्षमता एवं जागरूकता अंतराल :** केवल 38% ग्रामीण परिवार डिजिटल साक्षरता रखते हैं (एनएसएसओ डेटा)।
5. **बुनियादी ढांचे की बाधाएं :** सुदूर आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में अनियमित बिजली और कम बैंडविड्थ।
6. **परिवर्तन का प्रतिरोध :** नौकरशाही जड़ता और प्लेटफार्मों के बीच अंतर-संचालन की कमी।

आगे की राह :

1. **डिजिटल विभाजन को पाटना :** सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट का विस्तार।
2. **साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण :** सीईआरटी-इन को मजबूत करना, डीपीडीपी अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करना, तथा सुदृढ़ बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. **क्षमता निर्माण :** मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत 20 लाख से अधिक सिविल सेवकों को डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

4. **एकीकरण और अंतरसंचालनीयता :** राज्यों में एकल-खिड़की नागरिक प्लेटफार्मों का विकास।

5. **उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग :** पूर्वानुमानित शासन के लिए एआई, पारदर्शी भूमि और आपूर्ति श्रृंखला रिकॉर्ड के लिए ब्लॉकचेन, स्मार्ट कृषि के लिए IoT।

6. **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) :** एआई डेटा सेंटर और सब-सी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में उद्योग सहयोग को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष:

- भारत की ई-गवर्नेंस यात्रा 1990 के दशक में सरकारी कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण से लेकर आज एआई-संचालित नीति-निर्माण तक विकसित हुई है। डिजिटल इंडिया, आधार और कोविन जैसी पहलों ने शासन में बदलाव लाने में आईसीटी की शक्ति को प्रदर्शित किया है। हालाँकि चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं—खासकर डिजिटल विभाजन, साइबर जोखिम और क्षमता अंतराल—ई-गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे मंच एक समावेशी, पारदर्शी और डिजिटल रूप से सशक्त भारत बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। अगर इसे समता और लचीलेपन को केंद्र में रखकर लागू किया जाए, तो ई-गवर्नेंस 2047 तक विकसित भारत का प्रमुख स्तंभ होगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत में ई-गवर्नेंस के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के लिए 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया था।
2. अनुमान है कि आधार-सक्षम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली से लीकेज समाप्त होने से सरकार को 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी।
3. ई-नाम प्लेटफॉर्म विशेष रूप से उर्वरकों और बीजों के डिजिटल व्यापार के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत में ई-गवर्नेंस ने पारदर्शिता और सेवा वितरण में सुधार किया है, फिर भी डिजिटल डिवाइड और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)





भारत-जापान मैत्री : विकास और सुरक्षा को एक साथ सशक्त बनाना

समाचार में क्यों?

- भारत और जापान के बीच बौद्ध धर्म, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और युद्धोत्तर आर्थिक सहयोग पर आधारित एक गहरा ऐतिहासिक संबंध है।
- जापान ने 1990 के दशक में भारत के आर्थिक सुधारों में सहायक भूमिका निभाई और एक प्रमुख विकास भागीदार बनकर उभरा।
- 2006 में इस साझेदारी को वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया, और 2014 में इसे विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया।
- वर्षों से, जापान भारत के सबसे बड़े आधिकारिक विकास सहायता (ODA) प्रदाताओं में से एक रहा है, जिसने दिल्ली मेट्रो और मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है।

हाल के उच्च-स्तरीय दौरे और संवाद

1. हाल के वर्षों में, शीर्ष-स्तरीय आदान-प्रदान में तेजी आई है:
2. प्रधानमंत्री मोदी की जापान की लगातार यात्राएं (2014, 2016, 2018, 2022 और 2025)।
3. जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, फुमिओ किशिदा और योशीहिदे सुगा ने भारत के साथ संबंधों को सक्रिय रूप से मजबूत किया है।
4. 2025 की यात्रा ने निरंतरता को मजबूत किया, जिसमें मोदी ने जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा, पूर्व प्रधानमंत्री किशिदा और सुगा तथा संसदीय नेताओं से मुलाकात की।

एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत रणनीति में जापान का महत्व

जापान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण आधार है और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भागीदार है। दोनों देश क्वाड (अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ) के अंतर्गत सहयोग करते हैं, जिससे समुद्री सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन सुनिश्चित होता है। जापान की उन्नत तकनीक और भारत का जनसांख्यिकीय लाभ मिलकर क्षेत्रीय व्यवस्था को आकार देने में एक स्वाभाविक तालमेल बनाते हैं।

संसदीय कूटनीति

स्पीकर फुकुशिरो नुकागा और सांसदों के साथ बैठक का महत्व

जापान के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष और सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने में संसदीय कूटनीति की भूमिका को रेखांकित करती है। इस तरह की बातचीत सरकारी स्तर की बातचीत से आगे बढ़कर दीर्घकालिक सहयोग के लिए सभी दलों के बीच समर्थन को बढ़ाती है।

संसदीय आदान-प्रदान की भूमिका

सांसदों के बीच नियमित आदान-प्रदान से विश्वास बढ़ता है, लोगों के बीच आपसी संपर्क बेहतर होते हैं, और शासन, नीति निर्माण और सामाजिक-सांस्कृतिक समझ में व्यापक सहयोग को बढ़ावा मिलता है। इससे दोनों देशों में नेतृत्व परिवर्तन के दौरान भी साझेदारी को स्थायित्व मिलता है।

आर्थिक सहयोग

पारंपरिक क्षेत्र: ऑटोमोबाइल, बुनियादी ढांचा, निवेश

1. ऑटोमोबाइल (सुजुकी, टोयोटा, होंडा) और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में जापान का निवेश द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी की आधारशिला रहा है।
2. भारत में जापानी एफडीआई 40 बिलियन डॉलर को पार कर गया है, जिससे जापान 5वां सबसे बड़ा निवेशक बन गया है।

नए क्षेत्र: बैटरी, रोबोटिक्स, अर्धचालक, जहाज निर्माण, परमाणु ऊर्जा

1. प्रधानमंत्री मोदी के 2025 आर्थिक मंच के संबोधन में ईवी बैटरी, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, जहाज निर्माण और परमाणु ऊर्जा में ऑटोमोबाइल क्षेत्र की सफलता को दोहराने पर जोर दिया गया।
2. ये क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के लिए महत्वपूर्ण हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

व्यापार और निवेश प्रवाह

1. द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 21 बिलियन डॉलर को पार कर गया, लेकिन क्षमता का अभी भी पूरा उपयोग नहीं हुआ है।
2. जापान समर्पित माल गलियारा, स्मार्ट सिटी और औद्योगिक गलियारा जैसी प्रमुख परियोजनाओं में प्रमुख योगदानकर्ता है।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने में भूमिका

जापान की विशेषज्ञता, भारत के विशाल बाजार और श्रम शक्ति के साथ मिलकर, इस साझेदारी को भारत की वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने की स्थिति में लाती है।

प्रौद्योगिकी और नवाचार

1. **एआई, विज्ञान, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और अर्धचालकों में सहयोग:** दोनों देश एआई अनुसंधान, अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र और क्वांटम कंप्यूटिंग और 5G/6G जैसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में निवेश कर रहे हैं।
2. **भारत-जापान डिजिटल परिवर्तन साझेदारी:** दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा, ई-गवर्नेंस और अगली पीढ़ी के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए डिजिटल सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
3. **तकनीक-प्रतिभा तालमेल:** भारत के युवा कुशल कार्यबल और जापान के तकनीकी नेतृत्व, लेकिन बढ़ती उम्र की आबादी के साथ, मानव संसाधन गतिशीलता कार्यक्रम एक जीत-जीत मॉडल बना सकते हैं।

हरित और सतत विकास

1. **हरित ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकियां:** जापान ने भारत के राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों और कम कार्बन परिवहन का समर्थन किया है।
2. **जलवायु परिवर्तन सहयोग:** दोनों देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों पर एकमत हैं तथा हरित हाइड्रोजन, अपतटीय पवन और कार्बन-तटस्थ मार्गों पर सहयोग कर रहे हैं।
3. **भारत के ऊर्जा परिवर्तन में जापान की भूमिका:** जापान भारत को अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहा है, विशेष रूप से हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से।

मानव संसाधन और सांस्कृतिक संबंध

1. **गतिशीलता भागीदारी और कौशल विकास:** भारत-जापान कौशल साझेदारी का उद्देश्य हजारों भारतीय युवाओं को जापान में काम करने के लिए प्रशिक्षित करना, श्रम की कमी को दूर करना तथा भारतीय पेशेवरों के लिए अवसर प्रदान करना है।
2. **सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध:** साझा मूल्य, बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सभ्यतागत संबंधों को मज़बूत करते हैं। त्योहार, योग और जापानी भाषा सीखने से आपसी समझ बढ़ रही है।

छात्र आदान-प्रदान, पर्यटन और प्रवासी भूमिका

1. विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक सहयोग बढ़ रहा है।
2. पर्यटन प्रवाह बढ़ रहा है, बौद्ध सर्किट जापानी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं।
3. जापान में भारतीय प्रवासी विभिन्न समाजों के बीच सेतु का काम करते हैं।

सामरिक और भू-राजनीतिक महत्व

- **जापान एक प्रमुख हिंद-प्रशांत साझेदार के रूप में:** दोनों देश नौवहन की स्वतंत्रता और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत (एफओआईपी) की वकालत करते हैं।
- **रक्षा और समुद्री सहयोग:** नियमित मालाबार नौसैनिक अभ्यास (QUAD)।

  रक्षा प्रौद्योगिकियों का संयुक्त विकास।

  क्षेत्रीय खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा वार्ता।
- **चीन को संतुलित करना:** चीन की बढ़ती आक्रामकता के मद्देनजर भारत और जापान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और जोखिम कम करने के लिए रणनीतियों का समन्वय कर रहे हैं।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

1. **व्यापार असंतुलन:** जापान को भारत का निर्यात आयात की तुलना में सीमित है, जिसके कारण असंतुलन पैदा हो रहा है, जो न्यायसंगत आर्थिक संबंधों में बाधा डाल रहा है।
2. **कम एफडीआई उपयोग:** जापान एक शीर्ष निवेशक होने के बावजूद, भारत को नौकरशाही संबंधी देरी और नियामक बाधाओं के कारण निवेश को कुशलतापूर्वक अवशोषित करने में संघर्ष करना पड़ा है।
3. **परियोजना में देरी:** मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जैसी प्रमुख परियोजनाओं को वित्तपोषण संबंधी समस्याओं, भूमि अधिग्रहण संबंधी बाधाओं और क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों के कारण देरी का सामना करना पड़ रहा है।
4. **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण बाधाएँ:** जापान अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को साझा करने के प्रति सतर्क है, जिससे भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की महत्वाकांक्षा सीमित हो रही है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

5. **श्रम और भाषा संबंधी बाधाएँ:** भाषाई और सांस्कृतिक अंतर के कारण भारतीय पेशेवरों को जापान के कार्यबल में एकीकृत होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

6. **क्षेत्रीय सुरक्षा जोखिम:** दोनों देशों को संवेदनशील क्षेत्रीय चुनौतियों, विशेषकर चीन की आक्रामकता, पूर्वी चीन सागर में समुद्री विवाद और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अस्थिरता से निपटना होगा।

7. **भू-राजनीतिक विचलन:** मोटे तौर पर एकमत होने के बावजूद, भारत और जापान कभी-कभी विशिष्ट वैश्विक मुद्दों (जैसे, रूस-यूक्रेन युद्ध का रुख) पर भिन्न राय रखते हैं, जिससे समन्वय जटिल हो सकता है।

आगे की राह :

1. **आर्थिक साझेदारी को गहरा करना:** वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का विस्तार करना, गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना, तथा जापानी कम्पनियों को भारत के विनिर्माण केन्द्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना।

2. **प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग:** सेमीकंडक्टर, ईवी बैटरी, रोबोटिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन और एआई में सहयोग को प्राथमिकता देना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास सुनिश्चित करना।

3. **कौशल विकास और गतिशीलता:** जापान के श्रम बाजार के लिए भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए भारत-जापान कौशल साझेदारी कार्यक्रमों का विस्तार करना, जिससे जापान की वृद्ध होती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

4. **लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना:** मजबूत सामाजिक संबंध बनाने के लिए छात्र आदान-प्रदान, पर्यटन, सांस्कृतिक कूटनीति और प्रवासी जुड़ाव को बढ़ावा देना।

5. **बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाना:** बेहतर भूमि अधिग्रहण, नीतिगत स्पष्टता और समय पर वित्तपोषण के माध्यम से बुलेट ट्रेन और औद्योगिक गलियारों जैसी लंबित परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।

6. **बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाना:** सुरक्षा, व्यापार और जलवायु परिवर्तन में साझा एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए क्वाड, जी20, एससीओ और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों में समन्वय स्थापित करना।

7. **दीर्घकालिक दृष्टि:** अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था प्लेटफार्मों, स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी प्रणालियों और मानव पूंजी में आपसी विश्वास पर आधारित भविष्योन्मुखी साझेदारी का निर्माण करना।

निष्कर्ष :

- भारत और जापान आज अपनी साझेदारी के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं—जो न केवल साझा इतिहास और सांस्कृतिक समानताओं से, बल्कि भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण से भी जुड़ा है।
- जापान, भारत के आर्थिक आधुनिकीकरण, बुनियादी ढाँचे के निर्माण और क्षमता विकास में एक विश्वसनीय साझेदार रहा है, जबकि भारत जापान को एक विशाल बाज़ार, एक युवा कार्यबल और एशिया में एक विश्वसनीय रणनीतिक सहयोगी प्रदान करता है।
- यह संबंध विकासात्मक सहायता से आगे बढ़कर अत्याधुनिक तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और हिंद-प्रशांत सुरक्षा सहयोग तक पहुँच गया है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत-जापान संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जापान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के शीर्ष पांच स्रोतों में से एक है।
2. जापान भारत को आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) प्रदान करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक रहा है।
3. मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना जापानी सहायता से विकसित की जा रही है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तर: D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत और जापान एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी साझा करते हैं जो एशिया के आर्थिक और सुरक्षा ढांचे के लिए केंद्रीय है। इस साझेदारी में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा करें, चुनौतियों और आगे की राह पर प्रकाश डालें। (शब्द सीमा - 250, अंक - 15)



PLUTUS IAS UPSC/ PCS

विश्वास से परिवर्तन तक : भारत-सिंगापुर साझेदारी के 60 वर्ष

समाचार में क्यों?

- सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2-4 सितंबर 2025 तक भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं।
- यह यात्रा एक ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है, जो भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ और सिंगापुर की स्वतंत्रता के 60वें वर्ष (SG60) के साथ मेल खाता है।
- औपचारिक महत्व के अलावा, इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद है।

ऐतिहासिक आयाम

1. **1965–2025:** 60 वर्षों के संबंध - 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता के बाद भारत उसे मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था।
2. दोनों राष्ट्र अब सीमित व्यापार साझेदारों से व्यापक रणनीतिक साझेदारों (2015) में विकसित हो चुके हैं।
3. दशकों से सिंगापुर भारत के लिए आसियान का प्रवेश द्वार और वैश्विक मंचों पर एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभरा है।

राजनीतिक और कूटनीतिक आयाम

1. प्रधानमंत्री वोंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता करेंगे।
2. वित्त, विदेश, शिक्षा, स्वास्थ्य मंत्रियों और एनएसए अजीत डोभाल के साथ उच्च स्तरीय बैठकें बहु-क्षेत्रीय जुड़ाव को रेखांकित करती हैं।
3. यह यात्रा राजनीतिक विश्वास को मजबूत करती है और निरंतरता प्रदान करती है, क्योंकि वोंग सिंगापुर की भारत नीति को बनाए रखने में पूर्व प्रधानमंत्री ली सीन लूंग का स्थान लेंगे।

आर्थिक और व्यापार आयाम

1. **सिंगापुर से एफडीआई प्रवाह:** सिंगापुर भारत के लिए सबसे बड़े एफडीआई स्रोतों में से एक है, जो वित्त, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और प्रौद्योगिकी में निवेश करता है, तथा वैश्विक पूंजी के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
2. **द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि:** भारत सिंगापुर का शीर्ष दक्षिण एशियाई व्यापार साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा।
3. **डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक:** डिजिटल भुगतान और फिनटेक में साझेदारियां बढ़ रही हैं, जिसका प्रमुख उदाहरण है सीमा पार निर्बाध लेनदेन के लिए यूपीआई-पेनाउ लिंक।
4. **स्टार्टअप और नवाचार:** सिंगापुर की नियामक शक्ति भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन प्रदान करती है, जिससे संयुक्त अनुसंधान एवं विकास, इनक्यूबेटर और उद्यम पूंजी प्रवाह संभव होता है।
5. **हरित परिवर्तन:** दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ तकनीक और जलवायु वित्त की संभावनाएं तलाश रहे हैं, तथा हरित वित्त और कार्बन बाजारों में सिंगापुर की भूमिका का लाभ उठा रहे हैं।
6. **शहरी बुनियादी ढांचा:** स्मार्ट शहरों और जल प्रबंधन में सिंगापुर की विशेषज्ञता भारत के स्मार्ट सिटी मिशन और गति शक्ति परियोजनाओं के अनुरूप है।

सामरिक और सुरक्षा आयाम

1. **आसियान साझेदारी:** सिंगापुर आसियान के भीतर भारत का सबसे विश्वसनीय सुरक्षा साझेदार बना हुआ है, जो विश्वास और स्थिरता के लिए क्षेत्रीय आधार के रूप में कार्य कर रहा है।
2. **रक्षा सहयोग:** द्विपक्षीय रक्षा समझौते प्रशिक्षण, रसद और प्रौद्योगिकी साझा करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे पारस्परिक रक्षा तैयारियां मजबूत होती हैं।
3. **सैन्य अभ्यास:** सिम्बेक्स (नौसैनिक) जैसे नियमित अभ्यास, तथा अन्य साझेदारों के साथ त्रिपक्षीय अभ्यास, परिचालन अंतर-संचालन क्षमता में सुधार करते हैं।
4. **हिंद-प्रशांत स्थिरता:** दोनों देश एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हैं, जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति और सिंगापुर की आसियान केन्द्रीयता के अनुरूप है।
5. **आतंकवाद निरोध एवं साइबर सुरक्षा:** आतंकवाद निरोधी खुफिया जानकारी, साइबर रक्षा और डिजिटल अवसंरचना संरक्षण में बढ़ता सहयोग सुरक्षा ढांचे को मजबूत करता है।
6. **समुद्री सुरक्षा:** सुरक्षित समुद्री मार्ग, समुद्री डकैती विरोधी गश्ती और नौसैनिक क्षमता निर्माण में साझा रुचि, हिंद महासागर में व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
7. **रणनीतिक वार्ता मंच:** रक्षा मंत्रियों की वार्ता और रणनीतिक साझेदारी बैठक जैसे संस्थागत मंच दीर्घकालिक सहयोग सुनिश्चित करते हैं।

सांस्कृतिक और लोगों से लोगों का आयाम

1. **विदेशी सिंगापुरी समुदाय :** दिल्ली में सिंगापुरवासियों के साथ प्रधानमंत्री वोंग की बातचीत भावनात्मक जुड़ाव और प्रवासी समुदाय तक पहुंच को मजबूत करती है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

2. **सिंगापुर में भारतीय प्रवासी:** भारतीय मूल का समुदाय (सिंगापुर की जनसंख्या का 9%) दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सेतु का काम करता है।

3. **साझा विरासत:** सदियों से चले आ रहे समुद्री और सांस्कृतिक आदान-प्रदान विश्वास और ऐतिहासिक संबंधों की नींव प्रदान करते हैं।

4. **राजघाट श्रद्धांजलि :** राजघाट पर वोंग की श्रद्धांजलि शांति, अहिंसा और गांधीवादी आदर्शों के साझा मूल्यों को रेखांकित करती है।

5. **शैक्षिक आदान-प्रदान :** छात्र गतिशीलता, छात्रवृत्ति और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम युवा स्तर पर सहभागिता को बढ़ावा देते हैं।

6. **पर्यटन एवं संपर्क :** प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क से पर्यटन, तीर्थयात्रा सर्किट और सांस्कृतिक पर्यटन प्रवाह को बढ़ावा मिलता है।

7. **संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने का जश्न :** संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और स्वागत समारोह छह दशकों की कूटनीतिक और सांस्कृतिक साझेदारी का प्रतीक हैं।

शिक्षा और कौशल विकास आयाम

1. **नीति संवाद:** शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के साथ बातचीत में मानव पूंजी विकास के लिए साझा दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया।

2. **एनईपी 2020 सहयोग:** सिंगापुर के संस्थान भारत की एनईपी 2020 के अनुरूप काम कर रहे हैं, वैश्विक परिसरों और लचीले शिक्षा मॉडल को बढ़ावा दे रहे हैं।

3. **व्यावसायिक प्रशिक्षण :** उभरते उद्योगों के लिए युवाओं को तैयार करने हेतु तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर।

4. **फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज:** एआई, रोबोटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और अग्रणी तकनीक में सहयोग भविष्य के लिए तैयार कौशल सुनिश्चित करता है।

5. **अनुसंधान सहयोग:** संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शैक्षणिक अनुसंधान, संकाय आदान-प्रदान और नवाचार इन्क्यूबेटरों को प्रोत्साहित करती हैं।

6. **कार्यबल गतिशीलता:** कुशल पेशेवरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने वाली नीतियों से आईटी, स्वास्थ्य सेवा और इंजीनियरिंग दोनों क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा।

7. **डिजिटल प्रशिक्षण:** ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म, डिजिटल साक्षरता और ई-कौशल कार्यक्रमों में साझेदारी समावेशी विकास का समर्थन करती है।

वैश्विक और क्षेत्रीय आयाम

1. **हिंद-प्रशांत विजन:** दोनों देश एशिया में रणनीतिक हितों को संतुलित करते हुए नियम-आधारित, समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र की वकालत करते हैं।

2. **व्यापार वास्तुकला:** मुक्त व्यापार समझौतों और खुले आर्थिक ढांचे के प्रति साझा प्रतिबद्धता क्षेत्रीय समृद्धि को मजबूत करती है।

3. **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन:** चीन से परे आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के प्रयास विनिर्माण और रसद में नए अवसर पैदा करते हैं।

4. **बहुपक्षीय मंच :** जी-20, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आईओआरए और संयुक्त राष्ट्र मंचों पर घनिष्ठ समन्वय से संयुक्त प्रभाव में वृद्धि होती है।

5. **समुद्री सहयोग:** हिंद महासागर में नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री डकैती निरोधक और समुद्री संसाधन सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना।

6. **डिजिटल कनेक्टिविटी:** क्षेत्रीय डिजिटल ढांचे, फिनटेक एकीकरण और सीमा पार ई-कॉमर्स पर चर्चा से कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

7. **आरसीईपी और आसियान संबंध:** सिंगापुर भारत के आसियान और आरसीईपी के साथ गहन जुड़ाव के लिए एक सेतु की भूमिका निभाता है, तथा भारत के एक्ट ईस्ट विजन का समर्थन करता है।

निष्कर्ष :

1. लॉरेंस वोंग की पहली भारत यात्रा न केवल प्रतीकात्मक है, बल्कि 60 साल पुरानी साझेदारी की रणनीतिक पुष्टि भी है।

2. यह राजनीतिक विश्वास, आर्थिक पूरकता, सुरक्षा सहयोग और सांस्कृतिक आत्मीयता के संगम को उजागर करती है।

3. दोनों देशों की भविष्य की दृष्टि से, यह यात्रा डिजिटल नवाचार, हरित विकास, शिक्षा और हिंद-प्रशांत सुरक्षा पर केंद्रित भविष्य-तैयार साझेदारी का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

4. कई मायनों में, यह यात्रा "साझा इतिहास, साझा नियति" की भावना को दर्शाती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि भारत और सिंगापुर एशिया के उभरते परिदृश्य में स्वाभाविक साझेदार बने रहें।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत-सिंगापुर संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

1. सिंगापुर भारत में एफडीआई के शीर्ष स्रोतों में से एक है।
2. भारत और सिंगापुर प्रतिवर्ष सिम्बेक्स नौसैनिक अभ्यास आयोजित करते हैं।
3. सिंगापुर की जनसंख्या में भारतीय मूल के लोगों की हिस्सेदारी लगभग 9% है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तर: D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत और सिंगापुर 2025 में अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उनकी साझेदारी के राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक और वैश्विक जैसे प्रमुख आयामों का विश्लेषण कीजिए। भारत की एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाने के लिए इस संबंध का लाभ कैसे उठाया जा सकता है? (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की 25वीं शिखर बैठक और भारत की भूमिका

समाचार में क्यों ?

- हाल ही में चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं शिखर बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया।
- यह बैठक इसलिए चर्चा में रही क्योंकि इसमें वैश्विक आतंकवाद, आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था जैसे प्रमुख मुद्दों पर गंभीर विमर्श और निर्णय लिए गए।



- भारत ने इस मंच का उपयोग अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए वैश्विक संतुलन की दिशा में योगदान देने के लिए किया। तियानजिन सम्मेलन न केवल SCO की भावी दिशा निर्धारित करता है, बल्कि भारत की सक्रिय कूटनीति और बहुध्रुवीय विश्व में उसकी भूमिका को भी दर्शाता है।

SCO शिखर सम्मेलन 2025 के प्रमुख निष्कर्ष :

1. **आतंकवाद के विरुद्ध सख्त रुख :** तियानजिन घोषणापत्र में पहलगाम जैसे आतंकी हमलों की कठोर निंदा की गई। इसने आतंकियों की सीमा पार आवाजाही पर रोक और उग्रवादी समूहों के भाड़े के रूप में उपयोग के विरुद्ध प्रतिबद्धता व्यक्त की। यह भारत की लंबे समय से चली आ रही आतंकवाद-विरोधी नीति का समर्थन करता है।
2. **सदस्यता और साझेदारियों का विस्तार :** लाओस को SCO का नया साझेदार देश घोषित किया गया, जिससे संगठन की कुल सदस्यता 27 हो गई — इसमें 10 पूर्ण सदस्य और 17 साझेदार देश शामिल हैं। यह संगठन की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता और रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र को दर्शाता है।
3. **वैश्विक शासन पहल (GGI) :** GGI पहल को तियानजिन घोषणा का केंद्रबिंदु माना गया, जिसका उद्देश्य बहुपक्षवाद, सार्वभौमिक समानता और न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देना है। यह भारत के "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" जैसे दृष्टिकोण के अनुरूप है।
4. **सांस्कृतिक समरसता और सामाजिक सहयोग :** सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव का स्वागत किया, जो नाजीवाद, नव-नाजीवाद, नस्लवाद और ज़ेनोफोबिया के खिलाफ है। इसके साथ ही लोगों के बीच संपर्क, आपसी सम्मान और बहुसांस्कृतिक सहयोग की पुष्टि की गई।
5. **वैश्विक संघर्षों पर एकजुट प्रतिक्रिया :** गाजा और ईरान में सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की गई और अफगानिस्तान में समावेशी शासन को स्थायी शांति का मार्ग बताया गया। इससे SCO के सदस्य देशों की साझा विदेश नीति प्राथमिकताएँ परिलक्षित होती हैं।
6. **आर्थिक और विकासात्मक सहयोग :** इस शिखर बैठक में वैश्विक व्यापार स्थिरता, द्विपक्षीय निवेश, SCO विकास बैंक की

स्थापना और बहुपक्षीय आर्थिक तंत्रों के विस्तार पर जोर दिया गया। ये घोषणाएँ एक प्रतिस्पर्धी आर्थिक समूह बनने की SCO की आकांक्षाओं को इंगित / व्यक्त करती हैं।

वैश्विक बहुपक्षवाद में SCO की भूमिका :



1. **व्यापक भूराजनीतिक पहुँच :** SCO अब केवल मध्य एशियाई संगठन नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक GDP का लगभग 23% और विश्व की 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी सदस्यता में विविधता इसे एक वैश्विक मंच में परिवर्तित कर रही है।

2. **पश्चिमी गठबंधनों को चुनौती :** तुर्की जैसे नाटो सदस्य की SCO में भागीदारी बताती है कि यह मंच पारंपरिक पश्चिमी संरचनाओं के एक वैकल्पिक मंच के रूप में उभर रहा है। विशेषकर वैश्विक दक्षिण के लिए यह एक मुखर मंच बनता जा रहा है।

3. **सुरक्षा ढाँचे का विस्तार :** SCO नाटो द्वारा छोड़े गए सुरक्षा शून्य, विशेषतः अफगानिस्तान में, को भरने का प्रयास करता है। ताशकंद स्थित RATS आतंकवाद-विरोधी प्रयासों के लिए एक महत्त्वपूर्ण तंत्र है।

4. **आपसी संपर्कता और क्षेत्रीय व्यापारिक एकीकरण :** IN-STC और चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाओं को समर्थन देकर SCO क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देता है। SCO बिज़नेस काउंसिल और इंटरबैंक कंसोर्टियम आर्थिक सहयोग के लिए सक्रिय हैं।

5. **सभ्यतागत सहयोग :** भारत की पारंपरिक चिकित्सा, बौद्ध धरोहर, डिजिटल समावेशन और स्टार्ट-अप जैसी पहलें SCO को मात्र सरकार-स्तरीय नहीं, बल्कि जनता-से-जनता के संबंधों को भी मजबूत करने वाले मंच में बदलती हैं।

6. **वैश्विक संस्थाओं में सुधार का समर्थन :** SCO संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार की मांग करता है, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था को एक नया स्वरूप मिल सके। यह बहुध्रुवीयता और लोकतांत्रिक वैश्वीकरण की दिशा में एक प्रयास है।

SCO की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ :



1. **सुरक्षा के स्तर पर सीमित प्रभावशीलता का होना :** RATS तंत्र हालाँकि नियमित अभ्यास करता है, लेकिन यह आतंकवाद पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहा है। पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों की मौजूदगी इसकी साख को कमजोर करती है।

2. **शक्तियों के असमानता का होना :** मध्य एशियाई देश अक्सर रूस और चीन के प्रभुत्व में स्वयं को कमतर महसूस करते हैं। 'शंघाई भावना' व्यवहार की अपेक्षा भाषणों में ही सीमित है।

3. **कमजोर आर्थिक एकीकरण का होना :** SCO समझौतों का क्रियान्वयन बहुत धीमा है। उदाहरणस्वरूप, SCO परिवहन समझौता अभी तक पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं हुआ। मध्य एशिया के भीतर व्यापार अब भी न्यूनतम स्तर पर है, जो ASEAN से काफी पीछे है।

4. **संस्थागत संरचना की कमी होना :** SCO के अंतर्गत बैंकिंग, व्यापार परिषदों और ऊर्जा सहयोग के लिए ठोस ढाँचागत संस्थाएँ स्थापित नहीं हो पाई हैं। यह मंच अधिकतर औपचारिक बैठकें और नेटवर्किंग तक ही सीमित है।

5. **सार्क (SAARC) से तुलना करना :** जहाँ ASEAN ने संस्थागत सक्रियता के ज़रिए विवाद प्रबंधन में सफलता पाई है, वहीं SCO को SAARC की तरह केवल शिखर सम्मेलन-आधारित गतिविधियों तक सीमित देखा जा रहा है।

भारत की SCO से जुड़ी चिंताएँ :

1. **चीन का बढ़ता प्रभुत्व :** SCO के भीतर चीन की सक्रियता और BRI (Belt and Road Initiative) को थोपने के प्रयास भारत के लिए चिंता का विषय हैं। BRI का एक हिस्सा, CPEC (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा), भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है।

2. **संपर्क परियोजनाओं में भारत की सीमित भागीदारी :** SCO के कई संपर्क परियोजनाओं में भारत की सीमित भागीदारी उसके आर्थिक और भू-रणनीतिक प्रभाव को सीमित करती है।

3. **चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति :** भारतीय समुद्री क्षेत्र में चीन की घेराबंदी रणनीति SCO के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ सकती है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

4. **पश्चिम-विरोधी गुट के रूप में छवि होना :** SCO को रूस, चीन और ईरान के प्रभाव के चलते एक पश्चिम-विरोधी गुट के रूप में देखा जाता है। भारत के लिए यह चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वह QUAD और G20 जैसे पश्चिम-नेतृत्व वाले मंचों में भी सक्रिय है।

5. **भारत की आतंकवाद - विरोधी नीतियों के विपरीत होना :** भारत द्वारा पाकिस्तान-आधारित आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग अक्सर चीन और पाकिस्तान द्वारा SCO मंच पर बाधित की जाती है। इससे भारत की आतंकवाद-विरोधी नीतियों को झटका लगता है।

समाधान की राह / भारत की रणनीतिक राह :



1. **भारत द्वारा रणनीतिक बहुसंरेखण (Strategic Multi-Alignment) की नीति को अपनाना :** भारत, कठोर गुटबंदी से परे, सभी वैश्विक मंचों में सक्रिय रहता है — चाहे वह QUAD हो या SCO। यह उसकी 'रणनीतिक स्वायत्तता' की नीति को दर्शाता है।

2. **भारत की चयनात्मक भागीदारी होना :** भारत SCO के संवेदनशील पहलुओं (जैसे, BRI, सुरक्षा) से दूरी बनाकर व्यापार, तकनीक और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रहता है। यह विवाद से दूर रहकर सहयोग की नीति है।

3. **भारत - रूस के बीच संतुलनकारी साझेदारी का होना :** भारत-रूस संबंध SCO में भारत की स्थिति को मज़बूत बनाते हैं। रूस RIC (रूस-भारत-चीन) वार्ता को पुनर्जीवित करके भारत और चीन के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।

4. **सीमा विवाद पर आपसी संवाद और चीन के साथ कूटनीतिक संवाद भी जारी रखना :** भारत, LAC पर सैन्य तैयारी बनाए रखते हुए, चीन के साथ कूटनीतिक संवाद भी जारी रखता है। वर्ष 2024 के देपसांग और डेमचोक विमुक्ति समझौते इसका उदाहरण हैं।

5. **वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को उठाने हेतु भारत द्वारा बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करना :** भारत SCO और BRICS जैसे मंचों का उपयोग वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को उठाने हेतु करता है, जबकि QUAD और इंडो-पैसिफिक फ्रेमवर्क जैसे मंचों से चीन की आक्रामकता का संतुलन बनाता है।

निष्कर्ष :



PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- शंघाई सहयोग संगठन, विशेषकर 25वीं शिखर बैठक के पश्चात, एक ऐसा मंच बनकर उभरा है जो वैश्विक दक्षिण की आवाज़ उठाने, बहुपक्षीयता को सशक्त करने और एक अधिक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था की दिशा में प्रयास कर सकता है।
- शंघाई सहयोग संगठन की शक्ति असंतुलन और संस्थागत प्रभावशीलता की कमी जैसी आंतरिक चुनौतियाँ इसकी संभावनाओं को सीमित करती हैं।
- भारत इस मंच में व्यावहारिक और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाते हुए, सहयोग के अवसरों का लाभ उठाता है तथा विवादास्पद मुद्दों से दूरी बनाकर एक संतुलित भागीदार की भूमिका निभाता है।
- तियानजिन सम्मेलन न केवल शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की भावी दिशा को संकेत करता है, बल्कि भारत की बहुध्रुवीय विश्व में रणनीतिक स्वायत्तता और सक्रिय भूमिका को भी रेखांकित करता है।

स्रोत - पी. आई. बी एवं द हिंदू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह वैश्विक GDP का लगभग 23% और जनसंख्या का 42% प्रतिनिधित्व करता है।
2. इसका मुख्य कार्य केवल मध्य एशियाई देशों के मुद्दों तक ही सीमित है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. यह वैश्विक दक्षिण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनता जा रहा है।

4. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) संयुक्त राष्ट्र (UN) के स्थान पर कार्य करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा / से कथन SCO के वैश्विक प्रभाव को दर्शाते हैं?

A. केवल 1 और 4 B. केवल 1 और 3

C. इनमें से कोई नहीं। D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. चीन एशिया में अपनी सैन्य शक्ति की स्थिति मजबूत करने के लिए आर्थिक साधनों का उपयोग कर रहा है। इस संदर्भ में भारत पर उसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। इसके साथ ही साथ चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के भारत की सुरक्षा पर संभावित खतरों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते और शिखर सम्मेलन

समाचार में क्यों?

1. भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने भारत-ईयू नेताओं के शिखर सम्मेलन (जनवरी/फरवरी 2026) से पहले एक गहन राजनयिक जुड़ाव योजना शुरू की है।

2. अगले पाँच महीनों में, व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, रक्षा, गतिशीलता और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए कम से कम 10 सुनियोजित संवाद निर्धारित हैं।

3. यह नया जुड़ाव व्यापार शुल्कों को लेकर भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव के बीच हो रहा है, जो इस बात का संकेत है कि भारत और यूरोपीय संघ अपनी साझेदारी में रणनीतिक स्थिरता, विश्वास और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना चाहते हैं।



1991 से भारत-यूरोपीय संघ संबंधों का विकास

भारत-यूरोपीय संघ संबंध एक संकीर्ण व्यापारिक केंद्र से विकसित होकर एक बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं। 1990 के दशक में उदारीकरण ने नए रास्ते खोले और लगातार शिखर सम्मेलनों ने सहयोग को और गहरा किया है।

- **1994:** भारत-यूरोपीय संघ सहयोग समझौते ने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों की नींव रखी।
- **2000:** प्रथम भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन ने वार्षिक संवाद को संस्थागत रूप दिया।
- **2004:** यूरोपीय संघ ने भारत को एक "रणनीतिक साझेदार" के रूप में मान्यता दी।
- **2007:** व्यापक-आधारित व्यापार और निवेश समझौते (बीटीआईए) पर बातचीत शुरू हुई (जो बाद में रुक गई)।
- **2016:** साझेदारी को पुनर्जीवित करने के लिए 2020 के लिए कार्यसूची को अपनाना।
- **2021:** जलवायु परिवर्तन और डिजिटल शासन पर सहयोग के साथ-साथ एफटीए वार्ता को पुनः आरंभ करना।
- **2023:** आईएमईईसी गलियारे के लिए यूरोपीय संघ के समर्थन ने नए सिरे से रणनीतिक संरेखण को चिह्नित किया।

भारत के लिए यूरोपीय संघ का महत्व

- यूरोपीय संघ न केवल एक प्रमुख आर्थिक समूह है, बल्कि एक नियामक शक्ति भी है जो व्यापार, प्रौद्योगिकी और शासन के क्षेत्र में वैश्विक मानकों को आकार देता है।

- भारत के लिए, यूरोपीय संघ एक महत्वपूर्ण बाज़ार होने के साथ-साथ बहुपक्षवाद, लोकतंत्र और नियम-आधारित व्यवस्था को बनाए रखने में एक समान विचारधारा वाला साझेदार भी है।
- ऐसे समय में जब वैश्विक राजनीति विखंडन और बढ़ते संरक्षणवाद का सामना कर रही है, भारत-यूरोपीय संघ के बीच गहन जुड़ाव भारत की विदेश नीति में संतुलन और स्थिरता लाता है।
- **आर्थिक महत्व:** यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है (2023-24 में भारत के कुल व्यापार का 11%)। द्विपक्षीय व्यापार 155 अरब अमेरिकी डॉलर (2022-23) रहा। यूरोपीय संघ की कंपनियों ने 2000 से भारत में 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** यूरोपीय संघ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक, स्वच्छ ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी और फार्मा क्षेत्र में अग्रणी है। यह सहयोग भारत के प्रतिभा आधार और डिजिटल अर्थव्यवस्था का पूरक है। उदाहरण: भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी), 2023।
- **जलवायु एवं ऊर्जा सहयोग:** दोनों पक्ष पेरिस समझौते के प्रति प्रतिबद्ध हैं। नवीकरणीय ऊर्जा में यूरोपीय संघ की विशेषज्ञता और भारत के जलवायु लक्ष्य, हरित हाइड्रोजन और विद्युत गतिशीलता में संयुक्त परियोजनाओं के लिए अवसर पैदा करते हैं।
- **गतिशीलता और शिक्षा:** यूरोप की वृद्ध होती आबादी और भारत के कुशल युवाओं के बीच गतिशीलता साझेदारी के ज़रिए खाई पाटी जा सकती है। उदाहरण: प्रवासन और गतिशीलता पर भारत-यूरोपीय संघ साझा एजेंडा (2016)।
- **सुरक्षा और रक्षा:** यूरोपीय संघ की हिंद-प्रशांत रणनीति (2021) में भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में मान्यता दी गई है। समुद्री सुरक्षा वार्ता, साइबर सहयोग और रक्षा खरीद उभरते क्षेत्र हैं।
- **वैश्विक शासन:** भारत और यूरोपीय संघ लोकतंत्र, बहुपक्षवाद और नियम-आधारित व्यवस्था के साझा मूल्यों पर सहमत हैं। वे संयुक्त राष्ट्र, जी-20 और विश्व व्यापार संगठन में समन्वय करते हैं। उदाहरण: 2023 में भारत की जी-20 अध्यक्षता के लिए यूरोपीय संघ का समर्थन।

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में बाधाएँ :

- यद्यपि भारत और यूरोपीय संघ व्यापक पूरकताओं को साझा करते हैं, फिर भी प्राथमिकताओं और दृष्टिकोणों में अंतर के कारण उनकी साझेदारी अक्सर बाधित रही है। इन चुनौतियों ने कई वैश्विक मुद्दों पर रणनीतिक अभिसारिता के बावजूद, संबंधों को अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँचने से रोका है।
- **रुकी हुई व्यापार वार्ता :** 2007 में शुरू किया गया व्यापक-आधारित व्यापार और निवेश समझौता (बीटीआईए) अभी तक अनसुलझा है।
- यूरोपीय संघ ऑटोमोबाइल, वाइन और डेयरी उत्पादों में बाज़ार पहुँच चाहता है, जबकि भारत घरेलू उद्योगों और कृषि की सुरक्षा के लिए लचीलेपन की माँग करता है।
- डेटा सुरक्षा मानकों (जीडीपीआर अनुपालन) और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर भी मतभेद हैं, जो दवाइयों और आईटी सेवाओं जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं।
- **राजनीतिक संवेदनशीलताएँ :** यूरोपीय संघ ने समय-समय पर भारत की घरेलू नीतियों पर चिंता जताई है, जिनमें नागरिकता संशोधन अधिनियम (2020), जम्मू-कश्मीर की स्थिति (2019), और किसानों का विरोध प्रदर्शन (2020-21) शामिल हैं।
- मानवाधिकारों के मुद्दों के रूप में देखे जाने पर, भारत इन्हें हस्तक्षेप मानता है, जिससे कूटनीतिक तनाव पैदा होता है और द्विपक्षीय पहलों पर आम सहमति धीमी होती है।
- **रणनीतिक विचलन:** रूस-यूक्रेन संघर्ष पर अमेरिका और नाटो के साथ यूरोपीय संघ का दृढ़ गठबंधन, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति के विपरीत है,
- जिसमें ऊर्जा और रक्षा आपूर्ति के लिए रूस के साथ निरंतर जुड़ाव शामिल है।
- यह विचलन सुरक्षा, रक्षा और हिंद-प्रशांत मामलों में संयुक्त कार्रवाइयों को सीमित करता है।
- **यूरोपीय संघ की संस्थागत जटिलता:** 27 सदस्य देशों के अपने-अपने राष्ट्रीय हितों के साथ, यूरोपीय संघ की सर्वसम्मति-आधारित निर्णय प्रक्रिया वार्ताओं को धीमा कर देती है।
- उदाहरण के लिए, व्यापार, रक्षा या जलवायु संबंधी मुद्दों पर सर्वसम्मति हासिल करने में अक्सर महीनों लग जाते हैं, जिससे भारत-यूरोपीय संघ समझौते द्विपक्षीय समझौतों की तुलना में कम तेज़ी से होते हैं।
- **चीन के बारे में भिन्न धारणाएँ:** भारत चीन को एक रणनीतिक और सुरक्षा ख़तरा मानता है,
- **जबकि यूरोपीय संघ उसे मुख्यतः** एक आर्थिक प्रतिस्पर्धी और साझेदार मानता है, और व्यापारिक हितों को भू-राजनीतिक सावधानी के साथ संतुलित करता है।
- यह अंतर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखलाओं और समुद्री रणनीति पर सहयोग को प्रभावित करता है।
- **अन्य चुनौतियाँ:** यूरोपीय संघ के आव्रजन नियमों के कारण कुशल श्रमिकों की गतिशीलता जैसे मुद्दे सीमित हैं।
- इसी प्रकार, एआई, सेमीकंडक्टर और हरित ऊर्जा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग अलग-अलग नियामक मानकों और निवेश मानदंडों के कारण धीमा है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने के लिए भविष्य की कार्यवाही :

2026 के भारत-यूरोपीय संघ नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले के अगले पाँच महीने बातचीत को ठोस परिणामों में बदलने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं।

साझेदारी को और अधिक रणनीतिक, सुदृढ़ और भविष्य के लिए तैयार बनाने के लिए, भारत और यूरोपीय संघ निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं:

- **प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग को गहरा करना:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, हरित हाइड्रोजन और जैव प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान केंद्र स्थापित करने से नवाचार को गति मिल सकती है।

  2023 में शुरू की जाने वाली भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) सहयोगी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने और ज्ञान हस्तांतरण के लिए एक मंच के रूप में काम कर सकती है।

- **रणनीतिक और रक्षा सहयोग को मजबूत करना:** आतंकवाद-रोधी संवादों, संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों और साइबर सुरक्षा सहयोग का विस्तार भारत के सुरक्षा ढांचे को मज़बूत करेगा। समन्वित रक्षा ख़रीद और प्रौद्योगिकी साझाकरण से बाहरी कारकों पर निर्भरता भी कम हो सकती है।

- **कनेक्टिविटी परियोजनाओं का संचालन:**
  - भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का एक विकल्प प्रदान कर सकता है,
  - जिससे लचीला परिवहन, व्यापार और डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकती है।
  - ये गलियारे क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और ऊर्जा सुरक्षा को भी बढ़ावा दे सकते हैं।

- **गतिशीलता और कौशल साझेदारी को बढ़ाना:** छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए संरचित समझौते यूरोप में श्रम की कमी को दूर कर सकते हैं और साथ ही भारतीय प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान कर सकते हैं।

- ब्लू कार्ड योजना और शिक्षा साझेदारी जैसे ढाँचों का विस्तार गतिशीलता को संस्थागत रूप दे सकता है।

- **वैश्विक शासन और जलवायु कार्रवाई पर सहयोग करें:** विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ की प्रक्रियाओं में सुधारों को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने से व्यापार नियमों, जलवायु शमन और सतत विकास पर प्रभाव बढ़ सकता है। भारत और यूरोपीय संघ जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हरित वित्त तंत्र और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों का भी सह-विकास कर सकते हैं।

- **साझा विकास के लिए उभरते क्षेत्रों का लाभ उठाएं:** यूरोपीय संघ और भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था, जैव प्रौद्योगिकी, फिनटेक और एआई गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं, जिससे एक "सकारात्मक-योग खेल" का निर्माण होगा, जहां दोनों भागीदारों को आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक लाभ प्राप्त होगा।

- **मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को तेजी से आगे बढ़ाना:** भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के सफल होने से उच्च-मूल्य वाले यूरोपीय संघ के बाज़ारों तक पहुँच आसान हो सकती है और विदेशी निवेश आकर्षित हो सकता है। उदाहरण के लिए, 2022-23 में वस्तुओं का व्यापार 155 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, और एक मुक्त व्यापार समझौते से यह 2030 तक 200 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा हो सकता है, साथ ही वैश्विक व्यवधानों के विरुद्ध आपूर्ति श्रृंखला की लचीलापन भी मज़बूत हो सकता है।

निष्कर्ष :

- भारत-यूरोपीय संघ संबंधों ने व्यापार-केंद्रित होने से लेकर रणनीतिक, तकनीकी और सुरक्षा आयामों को शामिल करते हुए एक व्यापक साझेदारी के रूप में विकसित होने तक का एक लंबा सफर तय किया है। फिर भी, यह संबंध अपनी क्षमता की तुलना में अभी भी कमज़ोर है।

- 2026 के नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले के अगले कुछ महीने, विश्वास और राजनीतिक इच्छाशक्ति को ठोस परिणामों में बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं।

- बढ़ते संरक्षणवाद, बदलते गठबंधनों और तकनीकी व्यवधानों से चिह्नित वैश्विक परिवेश में, एक मज़बूत भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी स्थिरता के एक स्तंभ के रूप में काम कर सकती है, और एक समावेशी और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को आकार दे सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत-यूरोपीय संघ संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. भारत को 2004 में यूरोपीय संघ द्वारा "रणनीतिक साझेदार" का दर्जा दिया गया था।
2. भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापक व्यापार और निवेश समझौते (बीटीआईए) पर वार्ता 2016 में शुरू हुई।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: A

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "भारत-यूरोपीय संघ संबंध साझा मूल्यों और पूरक हितों पर आधारित एक व्यापक साझेदारी के रूप में परिपक्व हो गए हैं। भारत के लिए इस संबंध के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और मौजूदा बाधाओं को दूर करने के उपाय समझाइये।"

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)



काठमांडू में संकट : राजनीतिक अस्थिरता के बीच नेपाल के प्रधान मंत्री का इस्तीफा

समाचार में क्यों?

- नेपाल सरकारी भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों के कारण बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण सुर्खियों में है।



- यह अशांति हिंसा में बदल गई, जिसके कारण कम से कम उन्नीस लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हुए और प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा।
- संसद, सर्वोच्च न्यायालय, सरकारी कार्यालयों और राष्ट्रपति आवास पर हमलों सहित संपत्ति को हुए भारी नुकसान ने देश में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति को उजागर किया है।

नेपाल में अराजकता:

विरोध प्रदर्शन के कारण:

1. **सोशल मीडिया पर प्रतिबंध:** सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स सहित 26 प्लेटफार्मों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे युवाओं में असंतोष फैल गया।
2. **भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद:** राजनीतिक अभिजात वर्ग के प्रति जनता में आक्रोश और जवाबदेही की कमी ने गुस्से को और भड़का दिया।
3. **आर्थिक असमानता:** युवा बेरोजगारी में लगभग 20% की वृद्धि हुई, जिससे युवाओं में निराशा बढ़ी।
4. **हिंसक सरकारी प्रतिक्रिया:** 8 सितम्बर 2025 को कम से कम 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जिससे तनाव बढ़ गया।

प्रमुख घटनाएँ:

1. प्रधानमंत्री का इस्तीफा:बढ़ते दबाव के बीच के.पी. शर्मा ओली ने पद छोड़ दिया।
2. **संसद में आग लगाई गई :** व्यवस्थागत परिवर्तन की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में इमारत में आग लगा दी।
3. **उड़ान में व्यवधान:** अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लखनऊ और दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया।



नेपाल की स्थिरता भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

कारण	स्पष्टीकरण / उदाहरण
रणनीतिक स्थान	नेपाल साझा करता है 1,758 किमी खुली सीमाभारत के साथ। राजनीतिक स्थिरता यह सुनिश्चित करती है कि बाहरी प्रभाव, विशेष रूप सेचीनभारत की सुरक्षा या रणनीतिक हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

व्यापार और संपर्क	राजनीतिक अशांति या नाकेबंदी, जैसे2015 नेपाल नाकाबंदी, व्यापार और आपूर्ति मार्गों को बाधित कर सकता हैभारत के पूर्वोत्तर राज्यों, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को प्रभावित कर रहा है।
जलविद्युत सहयोग	द्विपक्षीय परियोजनाओं के लिए स्थिरता महत्वपूर्ण है, जैसेपंचेश्वर बहुउद्देशीय परियो-जनाअशांति से निर्माण, ऊर्जा उत्पादन और पारस्परिक लाभ में देरी हो सकती है।
सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध	साझा त्यौहार जैसे Dashainसीमाओं के पार मुक्त आवाजाही और सांस्कृतिक आदान-प्र-दान मजबूत होता हैसामाक्जक सद्भावऔर द्विपक्षीय सद्भावना।
सीमा सुरक्षा और आतंक-वाद	अस्थिरता बढ़ सकती हैतस्करी, हथियारों की तस्करी और घुसपैठराई क्षेत्र में, भारत की आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है।
आर्थिक और निवेश हित	भारतीय निवेश बुनियादी ढांचा, जल विद्युत और पर्यटन परियोजनाएं सुचारू संचालन और वापसी के लिए नेपाल में स्थिर राजनी-तिक माहौल पर निर्भर रहना होगा।

भारत की भूमिका:

लघु अवधि विकल्प:

1. **राजनयिक जुड़ाव:** भारत नेपाल में स्थिरता लाने के लिए बातचीत के माध्यम से राजनीतिक विवादों में मध्यस्थता कर सकता है।
2. **मानवीय एवं व्यापार सहायता :** आवश्यक वस्तुओं और आपातकालीन सहायता की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें।
3. **सुरक्षा सहयोग:** सीमा पार घुसपैठ और अशांति को रोकने के लिए सीमा निगरानी को मजबूत करना।

दीर्घावधि विकल्प:

1. **बुनियादी ढांचा निवेश:** बाजारों को एकीकृत करने और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सड़क, रेलवे और ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करना।
2. **आर्थिक साझेदारी:** नेपाल के जल विद्युत, पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना।
3. **सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध :** दीर्घकालिक सद्भावना निर्माण के लिए छात्रवृत्ति, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच संपर्क कार्यक्रमों का विस्तार करें।

निष्कर्ष :

- नेपाल की स्थिरता बनाए रखने से सुचारू व्यापार, सुरक्षित सीमाएँ और क्षेत्रीय शांति सुनिश्चित होती है।
- अल्पकालिक कूटनीतिक और मानवीय उपायों को दीर्घकालिक आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ाव के साथ जोड़कर, भारत नेपाल के साथ एक सुदृढ़ और सहयोगात्मक संबंध विकसित कर सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत-नेपाल संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नेपाल भारत के साथ 1,700 किलोमीटर से अधिक लंबी खुली सीमा साझा करता है।
2. नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के कारण पहले भी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ व्यापार बाधित हुआ है।
3. पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक जलविद्युत परियोजना है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. नेपाल की हालिया राजनीतिक अस्थिरता ने भारत के सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों के लिए चुनौतियों को उजागर किया है। चर्चा कीजिए कि नेपाल की स्थिरता भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और ऐसे अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय सुझाइए जिन्हें भारत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए अपना सकता है।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)



PLUTUS IAS UPSC/ PCS

संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन पर भारत का वोट: रणनीतिक स्वायत्तता की कार्रवाई

समाचार में क्यों?

- भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जिसमें 'न्यूयॉर्क घोषणापत्र' का समर्थन किया गया था।
- यह घोषणापत्र दो-राज्य समाधान के माध्यम से इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष को सुलझाने के उद्देश्य से बनाया गया था।
- फ्रांस द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को भारी समर्थन मिला, जिसमें 142 देशों ने इसका समर्थन किया, 10 ने इसके विरोध में मतदान किया और 12 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया।
- यह गाजा में चल रहे युद्ध को समाप्त करने और इज़राइल के साथ शांतिपूर्वक रहने वाले एक संप्रभु फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए एक नए वैश्विक प्रयास को दर्शाता है।



द्विपक्षीय

1. **सुरक्षा:** संयुक्त सैन्य अभ्यास में आतंकवाद निरोध, खुफिया जानकारी साझा करना, साइबर एवं समुद्री सुरक्षा, रक्षा तकनीक हस्तांतरण शामिल हैं।
2. **कृषि:** सिंचाई एवं कृषि में सर्वोत्तम अभ्यास; जलवायु-अनुकूल फसल अनुसंधान; कृषि-तकनीक नवाचार; खाद्य प्रसंस्करण एवं शीत-श्रृंखला विकास।
3. **अर्थव्यवस्था व्यापार:** विस्तार; निवेश के अवसर; बुनियादी ढांचा एवं ऊर्जा सहयोग; डिजिटल अर्थव्यवस्था; कनेक्टिविटी एवं प्रौद्योगिकी साझेदारी।

क्षेत्रीय

1. **पश्चिम एशिया:** भारत की ऊर्जा सुरक्षा (तेल और गैस आयात); बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों; अरब सागर में समुद्री सुरक्षा; इजरायल, फिलिस्तीन, खाड़ी देशों और ईरान के साथ संबंधों में संतुलन के लिए महत्वपूर्ण।
2. **रणनीतिक स्वायत्तता:** स्वतंत्र विदेश नीति; अमेरिका, रूस और क्षेत्रीय शक्तियों में संतुलन; वैश्विक मंचों (संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, जी-20) में लचीलापन; राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखते हुए गुटबाजी से बचना।
3. **I2U2 (भारत-इज़राइल-यूएई-यूएसए):** खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देता है; पश्चिम एशियाई कनेक्टिविटी को बढ़ाता है; नए निवेश के अवसर पैदा करता है; भारत की एक्ट वेस्ट नीति को पूरक बनाता है।

वैश्विक स्तर

1. **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद:** स्थायी सदस्यता के लिए प्रयास; निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के लिए सुधारों की वकालत; शांति स्थापना और वैश्विक सुरक्षा में सक्रिय भूमिका।
2. **वैश्विक शक्ति:** वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में उभरना; अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, चीन के साथ संबंधों में संतुलन बनाना; जी-20 और ब्रिक्स में नेतृत्व।
3. **वैश्विक पहल:** जलवायु कार्रवाई के चैंपियन (आईएसए, लाइफ, सीडीआरआई); बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना; डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं और विकास साझेदारी में नेतृत्व।
4. **आतंकवाद:** अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र व्यापक अभिसमय (सीसीआईटी) के लिए सशक्त आवाज; आतंकवाद वित्तपोषण, साइबर खतरों और चरमपंथी नेटवर्क पर वैश्विक सहयोग।

महत्वपूर्ण मुद्दे

स्तर	महत्वपूर्ण मुद्दे
द्विपक्षीय	- सुरक्षा सहयोग (रक्षा, साइबर, समुद्री) - कृषि प्रौद्योगिकी और खाद्य सुरक्षा - व्यापार असंतुलन और बाजार पहुंच - निवेश प्रवाह और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
क्षेत्रीय	- पश्चिम एशिया अस्थिरता (इज़राइल-फिलिस्तीन, ईरान-सऊदी तनाव) - प्रतिद्वंद्विता के बीच संबंधों को संतुलित करना - बदलते गठबंधनों में रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना - खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और कनेक्टिविटी में I2U2 सहयोग

वैश्विक	- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी - वैश्विक शक्ति समीकरणों को संतुलित करना (अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता, रूस संघर्ष) - जलवायु, ऊर्जा और डिजिटल कॉमन्स पर वैश्विक पहल - सीसीआईटी और एफएटीएफ के माध्यम से आतंकवाद विरोधी सहयोग

आगे की राह :

1. **संवाद और कूटनीति को मजबूत करना:** विवादों को सुलझाने और विश्वास बनाने के लिए लगातार उच्च स्तरीय बातचीत को बढ़ावा देना।
2. **आर्थिक एकीकरण को गहरा करना:** पारस्परिक विकास के लिए व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी का विस्तार करना।
3. **सुरक्षा सहयोग बढ़ाना:** आतंकवाद निरोध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा पर संयुक्त कार्रवाई।
4. **बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, जलवायु कार्रवाई और समतापूर्ण वैश्विक शासन के लिए प्रयास करना।
5. **रणनीतिक स्वायत्तता को संतुलित करें:** रचनात्मक क्षेत्रीय और वैश्विक गठबंधन बनाते हुए स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखें।

निष्कर्ष :

1. न्यूयॉर्क घोषणापत्र के प्रति भारत का समर्थन, इज़राइल और अरब देशों के साथ संबंधों को सावधानीपूर्वक संतुलित करते हुए, शांतिपूर्ण द्वि-राष्ट्र समाधान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
2. चूँकि पश्चिम एशिया अस्थिर बना हुआ है, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता उसे किसी भी गुट के साथ कठोर रूप से जुड़े बिना राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है। रक्षा, कृषि और व्यापार में द्विपक्षीय सहयोग भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।
3. क्षेत्रीय स्तर पर, भारत को I2U2 जैसे मंचों के माध्यम से जुड़ाव बनाए रखना चाहिए, जबकि वैश्विक स्तर पर, वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए प्रयास जारी रखे, जलवायु और डिजिटल कॉमन्स पर नेतृत्व करे, और आतंकवाद-रोधी कड़े उपायों की वकालत करे।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए :

Q. भारत की बहुस्तरीय विदेश नीति चुनौतियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. द्विपक्षीय स्तर पर, भारत की प्रमुख चिंताओं में व्यापार असंतुलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और खाद्य सुरक्षा शामिल हैं।
2. क्षेत्रीय स्तर पर, I2U2 के माध्यम से भारत की भागीदारी का उद्देश्य पूर्वी एशिया में अस्थिरता को दूर करना है।
3. वैश्विक स्तर पर, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की वकालत करता है तथा सीसीआईटी और एफएटीएफ के माध्यम से आतंकवाद-निरोध में सक्रिय भूमिका निभाता है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) तीनों (d) कोई नहीं

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क घोषणापत्र के पक्ष में मतदान किया, जिसमें इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष के द्वि-राज्य समाधान का समर्थन किया गया था। इस संदर्भ में, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत पश्चिम एशिया में अपने सामरिक हितों को बहुपक्षवाद, सामरिक स्वायत्तता और वैश्विक शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ कैसे संतुलित करता है। साथ ही, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर प्रमुख चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डालिए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)



PLUTUS IAS UPSC/ PCS

भारत और मॉरीशस : महासागर से एकजुट, विरासत से बंधे

समाचार में क्यों?

- मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम आठ दिवसीय भारत यात्रा पर हैं।
- वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में उनकी पूजा-अर्चना और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की उनकी निर्धारित यात्रा को भारत और मॉरीशस के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है।
- इस यात्रा के दौरान रणनीतिक, आर्थिक और समुद्री सहयोग को मज़बूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए।



मुख्य बातें:

1. विदेश मंत्रालय ने काशी विश्वनाथ यात्रा को "गहन सभ्यतागत संबंधों का प्रमाण" बताया।
2. मॉरीशस के लिए 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा।
3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समुद्र विज्ञान, विद्युत, जल विज्ञान, लघु विकास परियोजनाएं और अंतरिक्ष सहयोग जैसे क्षेत्रों में सात समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
4. **प्रमुख समझौता:** टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और संचार स्टेशनों के लिए अंतरिक्ष सहयोग।
5. द्विपक्षीय वार्ता में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा में साझेदारी की पुष्टि की गई

भारत-मॉरीशस सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

महत्वपूर्ण क्षेत्र

क्षेत्र	मुख्य बिंदु / हाइलाइट्स
1. आर्थिक सहयोग	- भारत मॉरीशस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार (आयात का ~25%) - द्विपक्षीय व्यापार: 742 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2023) - भारत के लिए प्रमुख एफडीआई स्रोत: 160+ बिलियन अमेरिकी डॉलर (2000–2023) डीटीएए के माध्यम से
2. सामरिक एवं रक्षा	- भारत अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी और जेटी बना रहा है - गश्ती जहाज, डोर्नियर विमान, रडार प्रणालियाँ प्रदान - ईईजेड मानचित्रण और जल सर्वेक्षण में सहयोग
3. लोगों से लोगों के बीच संबंध	- मॉरीशस की 68% जनसंख्या भारतीय मूल की - शिक्षा सहयोग: IIT मद्रास और IIPM ने मॉरीशस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू
4. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध	- साझा गिरमिटिया (बंधुआ मजदूर) परंपरा - भारत ने आप्रवासी घाट (यूनेस्को वैश्विक धरोहर स्थल) का संरक्षण कराया
5. क्षेत्रीय और वैश्विक आयाम	- नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीति का हिस्सा - IORA में सहयोग: जलवायु एवं समुद्री शासन
6. अफ्रीका फैक्टर	- मॉरीशस भारत का अफ्रीका तक प्रवेश द्वार - IAFS का समर्थन और अफ्रीका में फिनटेक/आईटी को बढ़ावा
7. चीन कारक	- चीन के निवेश (बंदरगाह और अचल संपत्ति) पर चिंताएँ - भारत की प्रतिक्रिया: गुडविल प्रोजेक्ट्स और 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहायता पैकेज (2025)

भारत-मॉरीशस संबंधों में चुनौतियाँ

1. **रणनीतिक संतुलन:** मॉरीशस भारत, चीन, फ्रांस और अमेरिका के साथ अपने संबंधों में एक पतली रेखा पर चल रहा है। भारत की अगलेगा हवाई पट्टी परियोजना, हालांकि रणनीतिक है, लेकिन इसने सैन्यीकरण को लेकर घरेलू चिंताएं पैदा कर दी हैं।
2. **चागोस द्वीपसमूह विवाद:** भारत चागोस पर मॉरीशस की संप्रभुता का समर्थन करता है, लेकिन डिएगो गार्सिया पर ब्रिटेन-अमेरिका का बेस एक भू-राजनीतिक बाधा बना हुआ है।
3. **आर्थिक भेद्यता:** मॉरीशस पर्यटन और अपतटीय वित्त पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे उसे वैश्विक झटकों का खतरा बना रहता है और भारत के साथ व्यापार विविधीकरण की संभावना सीमित हो जाती है।
4. **जलवायु जोखिम:** एक लघु द्वीप विकासशील राज्य (एसआईडीएस) के रूप में, मॉरीशस बढ़ते समुद्र स्तर, चक्रवातों और तटीय कटाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है - जिसके लिए दीर्घकालिक बाह्य सहायता की आवश्यकता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

5. **व्यापार असंतुलन:** भारत का निर्यात (745 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मॉरीशस से होने वाले आयात (128 मिलियन अमेरिकी डॉलर) से कहीं अधिक है, जिससे आर्थिक विषमता पैदा हो रही है।

आगे की राह :

भविष्य के लिए तैयार साझेदारी का निर्माण

1. **नीली अर्थव्यवस्था और जलवायु कार्रवाई:** मत्स्य पालन, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और महासागर-आधारित नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएँ। जलवायु लचीलेपन के लिए आईएसए और सीडीआरआई के अंतर्गत संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा दें।

2. **समुद्री सुरक्षा:** संयुक्त गश्त, ईईजेड निगरानी और जल सर्वेक्षण को बढ़ावा देना। अगलेगा को हिंद महासागर में एचएडीआर और समुद्री निगरानी के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करना।

3. **कनेक्टिविटी और व्यापार गलियारे :** लिन4. अफ्रीका के प्रवेशद्वार के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए मॉरीशस को भारत के सागरमाला और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर (आईएमईईसी) से जोड़ा गया।

4. **प्रवासी एवं सांस्कृतिक जुड़ाव :** युवा आदान-प्रदान, सांस्कृतिक पर्यटन (जैसे रामायण सर्किट) और डिजिटल विरासत के माध्यम से गहरे प्रवासी संबंधों का लाभ उठाएं, ताकि संबंधों को जीवंत और अंतर-पीढ़ीगत बनाए रखा जा सके।

निष्कर्ष :

- भारत और मॉरीशस रणनीतिक साझेदारों से कहीं बढ़कर हैं—वे इतिहास, संस्कृति और लोगों के आपसी संबंधों से भी जुड़े हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा है, यह रिश्ता एक परिवार जैसा है।
- सुरक्षा, विकास और वैश्विक शासन में साझा प्राथमिकताओं के साथ, भारत-मॉरीशस साझेदारी और गहरी होगी,
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग का एक आदर्श और हिंद महासागर में स्थिरता का एक स्तंभ बनेगी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत-मॉरीशस संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

1. आप्रवासी घाट - भारतीय गिरमिटिया मजदूरों से संबंधित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल
2. जन औषधि केंद्र - हाल ही में भारत के बाहर पहली बार मॉरीशस में स्थापित
3. सागर नीति - हिंद महासागर में सुरक्षा और विकास के लिए रूपरेखा

उपरोक्त में से कौन सा सही है?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत और मॉरीशस केवल साझेदार नहीं, बल्कि एक परिवार हैं।" सामरिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के विशेष संदर्भ में, हाल के घटनाक्रमों के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)



पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन : सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौते पर भारत की प्रतिक्रिया

समाचार में क्यों?

- सऊदी अरब और पाकिस्तान ने रियाद में एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो पश्चिम एशिया की सुरक्षा गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।
- इस समझौते की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब खाड़ी देश इज़राइल के हालिया सैन्य हमलों और ईरान द्वारा परमाणु हथियार प्राप्त करने की संभावना को लेकर चिंतित हैं, जो दोनों ही क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हैं।
- इस समझौते को एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है जो सऊदी अरब के विशाल वित्तीय संसाधनों को पाकिस्तान की परमाणु-सक्षम सैन्य शक्ति के साथ जोड़ता है,



- जिससे शक्ति संतुलन में बदलाव आएगा और न केवल खाड़ी बल्कि दक्षिण एशिया और व्यापक वैश्विक सुरक्षा ढांचे के लिए भी व्यापक निहितार्थ सामने आएंगे।

द्विपक्षीय समझौते:

- **आधिकारिक नाम :** सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौता (एसएमडीए)।
- रक्षा संबंधों को मजबूत करने और संयुक्त प्रतिरोध सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- **मूल सिद्धांत:** "किसी एक के विरुद्ध आक्रमण को दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा।"
- इसे पश्चिम एशिया में अमेरिकी सुरक्षा छत्र पर निर्भरता से दूर जाने के रूप में देखा जा रहा है।

समझौते का प्रावधान :

1. **पारस्परिक रक्षा खंड:** दोनों देश किसी भी बाहरी आक्रमण का संयुक्त रूप से जवाब देने की ज़रूरत हैं।
2. **सैन्य सहयोग:** सऊदी अरब में प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और पाकिस्तानी सेनाओं की तैनाती का विस्तार करना।
3. **संभावित खाड़ी विस्तार:** यह समझौता सऊदी नेतृत्व के अंतर्गत अन्य खाड़ी देशों को भी शामिल कर सकता है।
4. **परमाणु अस्पष्टता:** पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर परमाणु आयाम से इनकार करता है, लेकिन सऊदी अरब के संकेत वास्तविक परमाणु कवच की ओर इशारा करते हैं।
5. **आर्थिक-सुरक्षा संबंध:** सऊदी वित्तीय सहायता (ऋण, निवेश) से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और रक्षा आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
6. **रक्षा औद्योगिक सहयोग:** सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा उत्पादन, हथियार खरीद और प्रौद्योगिकी साझाकरण में संयुक्त उद्यम संभव।
7. **आतंकवाद निरोधी सहयोग:** किसी भी देश के लिए खतरा पैदा करने वाले गैर-राज्य सशस्त्र समूहों के खिलाफ खुफिया जानकारी साझा करना, सीमा सुरक्षा और समन्वित अभियान को मजबूत करना।

भारत की पश्चिम एशिया कूटनीति पर प्रभाव

1. **सुरक्षा चिंताएँ:** पाकिस्तान की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का अप्रत्यक्ष रूप से पश्चिम एशिया पर प्रभाव पड़ने की संभावना। यह भारत की रणनीतिक चिंताओं को और बढ़ा देता है, जो पहले से ही इज़राइल, ईरान और खाड़ी देशों के साथ संबंधों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है।
2. **क्षेत्रीय संतुलन:** भारत ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल के साथ मज़बूत रक्षा और ऊर्जा संबंध बनाए हैं। सऊदी-पाकिस्तान सैन्य गठबंधन खाड़ी क्षेत्र में भारत के सामरिक प्रभाव को कम कर सकता है।
3. **ईरान कोण:** यदि खाड़ी-पाकिस्तान-सऊदी संबंध तेहरान के विरुद्ध कठोर हो जाते हैं तो ईरान के साथ भारत की चाबहार बंदरगाह परियोजना को अधिक जांच का सामना करना पड़ सकता है।
4. **भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण:** उभरते गुटों का जोखिम - सऊदी-पाकिस्तान-खाड़ी बनाम भारत-इज़राइल-अमेरिका (संभावित गठबंधन)। भारत को जटिल त्रिपक्षीय प्रतिद्वंद्विता से निपटने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
5. **आर्थिक हित:** खाड़ी क्षेत्र में 90 लाख से ज़्यादा प्रवासी भारतीय रहते हैं और यह भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता है। किसी भी क्षेत्रीय अस्थिरता का असर धन प्रेषण, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार पर पड़ सकता है।

भारत के निहितार्थों को प्रबंधित करने के तरीके :

1. **रणनीतिक संतुलन:** सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इजरायल और ईरान के साथ संबंधों को संतुलित रखना जारी रखें, किसी का पक्ष लेने से बचें।
2. **रक्षा कूटनीति:** नौसैनिक अभ्यास, रक्षा निर्यात और प्रौद्योगिकी साझाकरण के माध्यम से खाड़ी सुरक्षा में भारत की भूमिका का विस्तार करना।
3. **ऊर्जा कूटनीति:** राजनीतिक झटकों से बचने के लिए दीर्घकालिक तेल और एलएनजी सौदे सुरक्षित करें।
4. **प्रवासी सुरक्षा:** खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों के लिए निकासी और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना।

5. **बहुपक्षीय जुड़ाव:** क्षेत्रीय स्थिरता और संवाद को बढ़ावा देने के लिए IORA, SCO और BRICS+ जैसे मंचों का उपयोग करें।

6. **बैकचैनल कूटनीति:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह समझौता भारत के सुरक्षा या ऊर्जा हितों को प्रभावित न करे, रियाद के साथ चुपचाप बातचीत की जाए।

निष्कर्ष :

- सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौता पश्चिम एशिया के सुरक्षा परिदृश्य में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है, जो अमेरिकी सुरक्षा के प्रति खाड़ी देशों के अविश्वास और पाकिस्तानी सेना पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।
- भारत के लिए, यह पाकिस्तान की क्षेत्रीय भूमिका को बढ़ाकर और ईरान, इज़राइल तथा अरब देशों के बीच उसके नाज़ुक संतुलन को जटिल बनाकर चुनौतियाँ खड़ी करता है।
- भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने तथा पश्चिम एशिया में प्रभाव बनाए रखने के लिए बहु-वेक्टर रणनीति अपनानी होगी - आर्थिक अंतरनिर्भरता को गहरा करना, प्रवासी संबंधों का लाभ उठाना, तथा रक्षा कूटनीति को बढ़ाना।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन के संदर्भ में भारत के लिए कौन-सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण है?

1. ऊर्जा सुरक्षा और तेल आपूर्ति
2. भारतीय प्रवासी समुदाय का कल्याण
3. रक्षा साझेदारी और रणनीतिक सहयोग
4. अंतरिक्ष अन्वेषण सहयोग

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. " सऊदी अरब–पाकिस्तान रक्षा समझौता पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन तथा भारत की सामरिक चिंताओं पर क्या प्रभाव डाल सकता है? चर्चा कीजिए।"

(शब्द संख्या - 250 अंक - 15)



21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र : प्रासंगिकता, संकट और आगे की राह

समाचार में क्यों?



- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने अपने 80वें सत्र (सितंबर 2025) में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को पूर्व-रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से उच्च-स्तरीय बहस को संबोधित करने की अनुमति दी गई।
- यह कदम संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर फ़िलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल को वीज़ा देने से इनकार करने के बाद उठाया गया।
- प्रस्ताव के पक्ष में 145, विपक्ष में 5 और मतदान में 6 मतों के अभाव के साथ पारित हुआ,
- जिसने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को एक ऐसे मंच के रूप में प्रदर्शित किया जहाँ वैश्विक विवादों और प्रतिनिधित्व के मुद्दों पर विचार-विमर्श और समाधान किया जाता है।

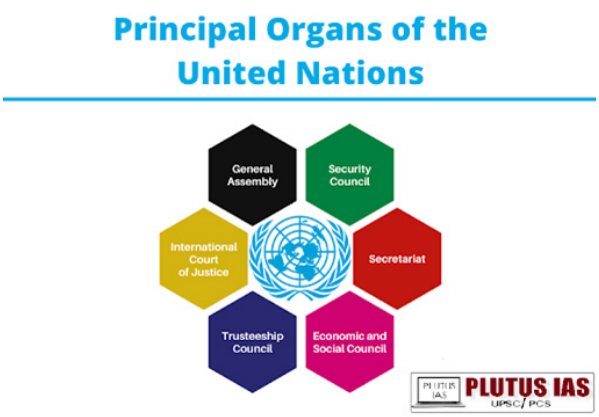
संयुक्त राष्ट्र क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में हुआ था और इसके 51 संस्थापक सदस्य हैं।
- इसके चार्टर में संप्रभु समानता, शांतिपूर्ण विवाद समाधान, बल प्रयोग न करने और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत निहित हैं।

- आज, 193 सदस्य देशों के साथ, यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सार्वभौमिक अंतर-सरकारी संगठन है।
- संयुक्त राष्ट्र छह प्रमुख अंगों के माध्यम से कार्य करता है, जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक जैसी विशेष एजेंसियों का समर्थन प्राप्त है।

संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंग :

संयुक्त राष्ट्र अंग	अधिदेश / कार्य
महासभा (UNGA)	विश्व का सबसे बड़ा विचार-विमर्श मंच; एक देश-एक वोट सिद्धांत; प्रस्ताव पारित करना, बजट को मंजूरी देना, तथा अन्य अंगों के लिए सदस्यों का चुनाव करना।
सुरक्षा परिषद (UNSC)	वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करता है; 15 सदस्य (वीटो के साथ P5 + 10 निर्वाचित); प्रतिबंध लगा सकते हैं, बल प्रयोग को अधिकृत कर सकते हैं, और शांति मिशन स्थापित कर सकते हैं।
आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)	सामाजिक-आर्थिक और विकासात्मक एजेंडों का समन्वय; WHO, ILO, FAO जैसी एजेंसियों का पर्यवेक्षण।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)	राज्यों के बीच विवादों का निपटारा; कानूनी मुद्दों पर सलाहकार की भूमिका; हेग (नीदरलैंड) में स्थित।
सचिवालय	महासचिव (वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस) के नेतृत्व वाली प्रशासनिक शाखा; निर्णयों को क्रियान्वित करती है, शांति स्थापना का प्रबंधन करती है, और रिपोर्ट तैयार करती है।
ट्रस्टीशिप परिषद	विउपनिवेशीकरण और ट्रस्ट क्षेत्रों की देखरेख के लिए बनाया गया; पलाऊ की स्वतंत्रता (1994) के बाद परिचालन निलंबित।



संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्यों महत्वपूर्ण है?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अक्सर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का "तंत्रिका केंद्र" कहा जाता है। इसका महत्व इस प्रकार है:

1. **संयुक्त राष्ट्र चार्टर** के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी शक्तियां।
2. **संघर्षों में हस्तक्षेप को अधिकृत करना** (उदाहरण के लिए, कोरियाई युद्ध 1950, खाड़ी युद्ध 1991)।
3. शांति स्थापना अभियान (वर्तमान में 12 सक्रिय मिशनों में 80,000 से अधिक शांति सैनिक तैनात हैं)।
4. **परमाणु अप्रसार:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों ने ईरान परमाणु समझौते जैसी व्यवस्थाओं को आकार दिया है।
5. **वैश्विक वैधता :** यहां तक कि प्रमुख शक्तियां भी हस्तक्षेप के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का समर्थन चाहती हैं, उदाहरण के लिए, 9/11 के बाद अमेरिका।



संयुक्त राष्ट्र की 80 वर्षों की मुख्य उपलब्धियाँ :

1. **संघर्ष रोकथाम और शांति स्थापना :** 70 से अधिक शांति मिशनों में तैनात; नामीबिया, कंबोडिया और सिएरा लियोन में उल्लेखनीय सफलताएं।
2. **उपनिवेशवाद का अंत :** एशिया और अफ्रीका के 80 से अधिक देशों को स्वतंत्रता दिलाई।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. **मानवाधिकार:** मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाना (1948); रवांडा और पूर्व यूगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरणों की स्थापना।

4. **वैश्विक स्वास्थ्य:** चेचक का उन्मूलन; कोविड-19, इबोला और पोलियो उन्मूलन अभियानों के दौरान नेतृत्व।

5. **सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी):** 2015-2030 के लिए एक सार्वभौमिक विकास एजेंडा निर्धारित करें।

6. **मानवीय राहत:** विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) प्रतिवर्ष 150 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है; यूएनएचसीआर 43 मिलियन शरणार्थियों की सुरक्षा करता है।

संयुक्त राष्ट्र के लिए वर्तमान चुनौतियाँ :

1. **भू-राजनीतिक पक्षाघात :** प्रतिद्वंद्विता (अमेरिका-चीन, रूस-पश्चिम) सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को कमजोर करती है।

2. **वीटो गतिरोध :** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् प्रायः पंगु हो जाती है (उदाहरण के लिए, रूस द्वारा यूक्रेन पर प्रस्तावों पर वीटो लगाना)।

3. **वैधता संकट :** वैश्विक दक्षिण से उठती आवाजें अधिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रही हैं।

4. **मानवीय अतिशयता :** विश्व भर में 110 मिलियन से अधिक विस्थापित लोग संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों पर दबाव डाल रहे हैं।

5. **वित्तपोषण अंतराल :** केवल 10 देश संयुक्त राष्ट्र के बजट का लगभग 70% योगदान करते हैं।

6. **नये खतरे :** जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और महामारियों के लिए पर्याप्त ढांचे का अभाव

आगे की राह :

1. **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विस्तार :** स्थायी सीटों में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, जापान और अफ्रीकी संघ के एक उम्मीदवार जैसे देशों को शामिल किया जाना चाहिए, जो बहुध्रुवीय वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करता है।

2. **संयुक्त राष्ट्र महासभा को पुनर्जीवित करना :** अपने संकल्पों को वैश्विक निर्णय-निर्माण और जवाबदेही से अधिक प्रभावी ढंग से जोड़कर उन्हें मजबूत बनाना।

3. **वित्तीय स्थिरता :** मुट्ठी भर दानदाताओं पर निर्भरता से दूर हटें; सभी सदस्यों के बीच समान रूप से भार साझा करने को प्रोत्साहित करें।

4. **शांति स्थापना 2.0 :** संयुक्त मिशनों के लिए प्रशिक्षण, जवाबदेही में सुधार करना तथा क्षेत्रीय संगठनों (जैसे अफ्रीकी संघ) को एकीकृत करना।

5. **नई चुनौतियों के लिए नए अधिदेश :** साइबर युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता नैतिकता, जलवायु प्रवासन और बाह्य अंतरिक्ष शासन से निपटना।

6. **वैश्विक दक्षिण समावेशन :** यह सुनिश्चित करना कि एजेंडा निर्धारण, वित्त पोषण प्राथमिकताओं और नेतृत्व की भूमिकाओं में विकासशील देशों की भागीदारी अधिक हो।

7. **बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना :** एकतरफावाद और गुटबाजी की राजनीति के स्थान पर संवाद और सामूहिक समस्या समाधान को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष :

- संयुक्त राष्ट्र, अपनी कमियों के बावजूद, दुनिया का सबसे वैध बहुपक्षीय मंच बना हुआ है।
- 80 वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन प्रकरण ने प्रतिनिधित्व और संवाद के एक वैश्विक मंच के रूप में इसकी भूमिका की पुष्टि की।
- पिछले 80 वर्षों में, संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक युद्धों को रोकता है, मानवाधिकारों को बढ़ावा दिया है और अभूतपूर्व पैमाने पर मानवीय राहत का समन्वय किया है।
- जब तक संरचनात्मक सुधार नहीं किए जाते—विशेषकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में—इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न लगते रहेंगे।
- जैसे-जैसे मानवता जलवायु संबंधी आपात स्थितियों, तकनीकी व्यवधानों और भू-राजनीतिक विखंडन का सामना कर रही है, संयुक्त राष्ट्र को 21वीं सदी के लिए खुद को नए सिरे से गढ़ना होगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 1994 में पलाऊ की स्वतंत्रता के बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल का अस्तित्व समाप्त हो गया।
2. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है।
3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एकमात्र ऐसा अंग है जिसके निर्णय सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) तीनों (d) कोई नहीं

उत्तर: B

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सुधार की लगातार वकालत की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के योगदान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए उसके दावे पर चर्चा कीजिए। (शब्द सीमा - 250, अंक - 15)



सीमा पार आतंकवाद : यूएनएचआरसी में उठाई गई एक वैश्विक चिंता

समाचार में क्यों



- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के सत्र के दौरान जिनेवा में आयोजित एक फोटो प्रदर्शनी में, भारतीय मानवाधिकार कार्यकर्ता जावेद अहमद बेग ने आतंकवाद को समर्थन देने में पाकिस्तान की भूमिका की कड़ी आलोचना की।
- उन्होंने कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए लश्कर-ए-तैयबा हमले की ओर ध्यान आकर्षित किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वह क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बने सीमा पार आतंकवादी समूहों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए।
- **1951 शरणार्थी सम्मेलन, अनुच्छेद 1(ए)(2):** शरणार्थी वह व्यक्ति है जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक मत के कारण सताए जाने के भय के कारण अपनी राष्ट्रीयता के देश से बाहर है और ऐसे भय के कारण उस देश की सुरक्षा का लाभ उठाने में असमर्थ है या ऐसा करने को तैयार नहीं है।"

यूएनएचसीआर क्या है?

- **संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) का सहायक अंग, 1949 में स्थापित;** 1951 में कार्य करना शुरू किया।
- **मुख्यालय :** जिनेवा, स्विटजरलैंड।
- **वर्तमान उच्चायुक्त :** फ़िलिपो ग्रांडी (2016 से; दिसंबर 2025 तक कार्यकाल)।
- **कर्मचारी:** ~18,800 (क्षेत्र में 91%). संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- **संरचना**
- **उच्चायुक्त** → संगठन का प्रमुख होता है।
- **कार्यकारी समिति (एक्सकॉम)** → 54 सदस्य, वार्षिक बैठक, नीति निष्कर्ष तैयार करता है।
- सदस्यों को 1951 शरणार्थी कन्वेंशन (जैसे, भारत) का पक्षकार होने की आवश्यकता नहीं है।
- **विभाग** → संरक्षण, संचालन, वित्त, मानव संसाधन, निरीक्षण और मूल्यांकन।
- **क्षेत्रीय प्रभाग** → क्षेत्र कार्य का समन्वय करना।

यूएनएचसीआर का अधिदेश

1. **मुख्य मिशन:** शरणार्थियों, शरण चाहने वालों, राज्यविहीन व्यक्तियों और संघर्ष या उत्पीड़न के कारण विस्थापित अन्य लोगों की सुरक्षा और सहायता करना।
2. **अंतर्राष्ट्रीय कानून की भूमिका:** 1951 शरणार्थी कन्वेंशन और 1967 प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना और निगरानी करना।
3. **शरण एवं संरक्षण:** शरण के अधिकार को सुनिश्चित करना तथा जबरन वापसी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना।
4. **टिकाऊ समाधान:** स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन, स्थानीय एकीकरण, तीसरे देश में पुनर्वास।

5. **सुरक्षा सेवाएँ:** कानूनी सहायता, पहचान/यात्रा दस्तावेज, पंजीकरण और वकालत।
6. **मानवीय सहायता:** कार्यक्रमों, गैर सरकारी संगठनों और साझेदारियों के माध्यम से सामग्री और वित्तीय सहायता।
7. **अच्छे कार्यालय कार्य:** सामूहिक विस्थापन या गैर-अधिदेश मामलों (जैसे, आईडीपी) में मध्यस्थता करना।
8. **ग्लोबल कॉम्पैक्ट भूमिका:** उत्तरदायित्व-साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए 2018 ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजीज़ (जीसीआर) के कार्यान्वयन का नेतृत्व करना।

यूएनएचसीआर की सफलताएँ

1. **1956 हंगेरियन विद्रोह** → ऑस्ट्रिया में शरणार्थियों के प्रवाह को प्रबंधित किया गया।
2. **भारत-चीन शरणार्थी संकट (1970-80 का दशक)** → पुनर्वास कार्यक्रम.
3. **रवांडा और ग्रेट लेक्स संकट (1990 का दशक)** → बड़े पैमाने पर मानवीय राहत।
4. **सीरियाई शरणार्थी प्रतिक्रिया (2011 के बाद)** → जॉर्डन, लेबनान, तुर्की में आश्रय, चिकित्सा सहायता।
5. **यूक्रेन संकट (2022)** → लाखों विस्थापितों के लिए आपातकालीन ऑपरेशन।
6. **नोबेल शांति पुरस्कार (1954 और 1981)** → मानवीय प्रयासों को मान्यता।

यूएनएचसीआर में भारत की भूमिका

1. एक्सकॉम के सदस्य, यद्यपि 1951 शरणार्थी कन्वेंशन के पक्षकार नहीं।
2. श्रीलंकाई तमिलों, तिब्बतियों, अफगानों, रोहिंग्या और चकमा शरणार्थियों की मेजबानी करता है।
3. यूएनएचसीआर कार्यक्रमों के लिए वित्तीय योगदान प्रदान करता है।
4. रोहिंग्या दस्तावेज़ीकरण और शहरी शरणार्थी सहायता पर यूएनएचसीआर के साथ काम करता है।
5. सार्क और आसियान ढांचे के अंतर्गत क्षेत्रीय सहयोग का समर्थन करता है।

कार्रवाई के साधन

1. **कानूनी साधन:** शरणार्थी सम्मेलन, क़ानून, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव।
2. **परिचालन साधन:** 137+ देशों में क्षेत्रीय उपस्थिति।
3. **वित्तीय साधन:** ~85% धनराशि स्वैच्छिक राज्य अंशदान से, ~11% धनराशि निजी दाताओं से।
4. **साझेदारी:** एनजीओ, आईजीओ, मेजबान सरकारें।
5. **शरणार्थियों पर वैश्विक समझौता:** बोझ साझा करने और दीर्घकालिक शरणार्थी एकीकरण के लिए रूपरेखा।

यूएनएचसीआर की आलोचनाएँ

1. संरचना-संबंधी

- अति-नौकरशाहीकरण → धीमी प्रतिक्रिया।
- स्वैच्छिक वित्तपोषण पर निर्भरता → वित्तीय अस्थिरता।
- जिनेवा मुख्यालय बनाम क्षेत्र आवश्यकताओं में अति-एकाग्रता।

2. क्रिया-संबंधी

- रवांडा (1994 नरसंहार) और स्रेब्रेनिका (बोस्निया, 1995) में विफलताएं।
- सीमित अधिदेश के कारण आंतरिक विस्थापितों की प्रभावी ढंग से सुरक्षा करने में असमर्थता।
- अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों (जैसे, OCHA, UNICEF) के साथ ओवरलैप/संघर्ष।

3. अधिदेश-संबंधी

- शरणार्थी की परिभाषा बहुत संकीर्ण है (जलवायु शरणार्थियों, आर्थिक प्रवासियों को छोड़कर)।
- शरणार्थी की स्थिति का निर्धारण राज्यों पर छोड़ दिया गया, जिससे यूएनएचसीआर का अधिकार सीमित हो गया।
- मानवीय तटस्थता अक्सर राज्यों के राजनीतिक दबाव के कारण प्रभावित होती है।

सुझाए गए सुधार

1. **शरणार्थी की परिभाषा का विस्तार करें** → इसमें जलवायु-प्रेरित और आपदा-विस्थापित व्यक्ति शामिल हैं।
2. **वित्तपोषण तंत्र को मजबूत करें** → अधिक मूल्यांकित योगदान (केवल स्वैच्छिक नहीं)।
3. **समन्वय बढ़ाएँ क्षेत्रीय निकायों** (जैसे, ए.यू., ई.यू., सार्क) के साथ।
4. **संचालन का विकेंद्रीकरण करें** → क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिक अधिकार/संसाधन हस्तांतरित करना।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

5. **जवाबदेही बढ़ाएँ** → शांतिरक्षक/सहायता कार्यकर्ता के कदाचार की कड़ी निगरानी।

6. **यूएनएचसीआर को कानूनी रूप से सशक्त बनाना** → शरणार्थी स्थिति निर्धारण एवं सुरक्षा गारंटी में अधिक भूमिका।

7. **टिकाऊ समाधानों पर ध्यान केंद्रित करें** → न केवल राहत, बल्कि दीर्घकालिक एकीकरण और विकास संबंध (यूएनडीपी, विश्व बैंक के साथ)।

निष्कर्ष :

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक आवश्यक वैश्विक मंच बनी हुई है,लेकिन प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए इसे संरचनात्मक कमज़ोरियों को दूर करना होगा, राजनीतिकरण को कम करना होगा और निष्पक्षता को बढ़ाना होगा।
- इसकी विश्वसनीयता और दक्षता को मज़बूत करना न केवल वांछनीय है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक भी है कि मानवाधिकारों की रक्षा सत्ता की राजनीति के प्रभाव से परे, सार्वभौमिक रूप से की जाए।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित में से कौन सा/से 1951 शरणार्थी सम्मेलन का/के मूल सिद्धांत है/हैं?

1. गैर-भेदभाव
2. अवैध प्रवेश के लिए दंड न देना
3. गैर-वापसी

सही उत्तर का चयन करें:

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3 D. 1, 2, और 3

उत्तर: D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. वैश्विक शरणार्थी संकट से निपटने में UNHCR की भूमिका पर चर्चा कीजिए। सुरक्षा और स्थायी समाधान सुनिश्चित करने में उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

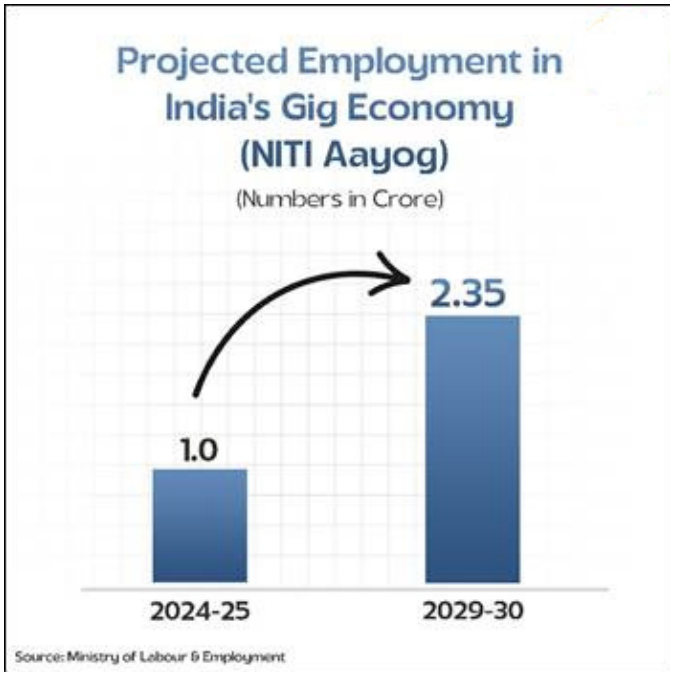




सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 : भारत में गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा

समाचार में क्यों?

- नीति आयोग के अनुसार, इस क्षेत्र में 2024-25 तक 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों को रोज़गार मिलने की उम्मीद है, और 2029-30 तक यह संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ हो जाने का अनुमान है।
- भारत का तेज़ी से बढ़ता गिग कार्यबल दुनिया भर में आर्थिक बदलाव की एक नई लहर चला रहा है। अपने आधे अरब से ज़्यादा कार्यबल, दुनिया की सबसे युवा आबादी, तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण और स्मार्टफ़ोन व डिजिटल उपकरणों के व्यापक उपयोग के साथ, देश इस बदलाव का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है।
- गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था राइडशेयरिंग, डिलीवरी सेवाओं, लॉजिस्टिक्स और पेशेवर काम जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा कर रही है।



गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और सहायता

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक

संसद द्वारा पारित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, पहली बार "गिग वर्कर्स" और "प्लेटफॉर्म वर्कर्स" को परिभाषित करके और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों का विस्तार करके एक ऐतिहासिक कदम है।

गिग श्रमिक : पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी व्यवस्था के बाहर अपनी आजीविका कमाने वाले व्यक्ति।

प्लेटफ़ॉर्म कर्मचारी: गिग श्रमिकों का एक उपसमूह, जिनका रोजगार एग्रीगेटर कंपनियों द्वारा संचालित ऑनलाइन एप्लीकेशन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर करता है।

सामाजिक सुरक्षा प्रावधान

संहिता में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए लाभों की एक व्यापक रूपरेखा की परिकल्पना की गई है, जैसे:

- जीवन और विकलांगता कवर
- दुर्घटना बीमा
- स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ
- वृद्धावस्था सुरक्षा

प्लेटफ़ॉर्म कर्मचारियों के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणाएँ

अर्थव्यवस्था में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए, सरकार ने नए प्रावधानों की घोषणा की :

1. ई-श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों का पंजीकरण।
2. पहचान सुनिश्चित करने और कल्याणकारी लाभों तक आसान पहुंच के लिए पहचान पत्र जारी करना।
3. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवरेज।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए AB-PMJAY के बारे में

1. द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करता है।
2. 31,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों (सार्वजनिक और निजी) में उपलब्ध।
3. प्लेटफार्म श्रमिकों के लिए एबी-पीएमजेएवाई का विशेष विस्तार अभी शुरू किया जाना है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (एसएस कोड, 2020)

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 एक ऐतिहासिक श्रम सुधार कानून है जिसका उद्देश्य भारत में सभी कार्यबलों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को एकीकृत, युक्तिसंगत और विस्तारित करना है।
- नौ केंद्रीय श्रम कानूनों को एक ढाँचे में समाहित करके, यह संहिता अनुपालन को सरल बनाती है और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सार्वभौमिक मंच तैयार करती है, जिसमें ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह, जैसे असंगठित श्रमिक, गिग श्रमिक और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक, भी शामिल हैं।

1. संहिता के अंतर्गत विलय किए गए अधिनियम

एसएस कोड सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए नौ मौजूदा कानूनों को निरस्त और विलय करता है:

- कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
- ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972
- सिने श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1981
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक उपकर अधिनियम, 1996
- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

2. व्यापक कवरेज

- संगठित, असंगठित, स्व-नियोजित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को कवर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किया गया है। इससे निर्माण, घरेलू कार्य और ऐप-आधारित सेवाओं जैसे पहले न्यूनतम कवरेज वाले क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।
- यह केन्द्र और राज्य सरकारों को विशिष्ट श्रमिक श्रेणियों के लिए लक्षित योजनाएं तैयार करने में सक्षम बनाता है।

3. संहिता के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

- यह संहिता सरकारों को निम्नलिखित को कवर करने वाली योजनाएं डिजाइन करने के लिए लचीलापन प्रदान करती है -
- दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा के लिए भविष्य निधि और पेंशन।
- स्वास्थ्य, विकलांगता और दुर्घटना कवर के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई)।
- निरंतर सेवा पूरी करने पर श्रमिकों को ग्रेच्युटी।
- मातृत्व लाभ मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- अन्य लाभ जैसे जीवन बीमा, वृद्धावस्था सुरक्षा और क्रेच सुविधाएं।

4. गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की मान्यता

- संहिता की सबसे प्रगतिशील विशेषताओं में से एक है गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को कानूनी मान्यता प्रदान करना।
- **गिग श्रमिक:** वे लोग जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से बाहर काम करते हैं।
- **प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक:** डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म/एग्रीगेटर ऐप्स (जैसे, राइड-हेलिंग, खाद्य वितरण, ई-कॉमर्स) के माध्यम से कमाई करने वाले गिग श्रमिक।

5. निम्नलिखित द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए पात्र:

- सरकार, एग्रीगेटर/प्लेटफ़ॉर्म, और कभी-कभी तो श्रमिक स्वयं भी ऐसा करते हैं।

ई-श्रम पोर्टल: असंगठित श्रमिकों के लिए एक डेटाबेस

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
e-Shram
Shramev Jayate
NATIONAL DATABASE OF UNORGANISED WORKERS

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों (एनडीयूडब्ल्यू) का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें एक मंच भी शामिल है। श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, कृषि श्रमिक, आदि।

ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और समर्थन करना है।3 अगस्त 2025 तक, 30.98 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें 3.37 लाख से अधिक प्लेटफॉर्म और गिग श्रमिक शामिल हैं।

ई-श्रम पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए कदम

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण को बढ़ावा देने और असंगठित श्रमिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे:

- Regular review meetings with States and Union Territories.
- Continuous coordination with Common Service Centres (CSCs).
- Integration of e-Shram with the National Career Service (NCS) and Skill India Digital Portal to provide employment and skilling opportunities.
- Integration with the myScheme portal for easy access to government schemes.
- SMS campaigns to inform and guide workers.
- Use of social media platforms to spread awareness.
- Support for workers through State Seva Kendras (SSKs) and CSCs for assisted registrations.
- Organisation of registration camps and awareness drives in collaboration with CSCs, the Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development (DTNBWED), and State Labour Departments.

सबसे अधिक पंजीकरण रिपोर्ट करने वाले शीर्ष राज्य



- पोर्टल पर सबसे ज़्यादा पंजीकरण उत्तर प्रदेश (8.39 करोड़) से दर्ज किए गए हैं, उसके बाद बिहार (3.00 करोड़) और पश्चिम बंगाल (2.64 करोड़) का स्थान है।
- ये आँकड़े इन राज्यों में असंगठित कार्यबल और देश भर में श्रमिकों के पंजीकरण और सहायता के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाते हैं।
- इन पंजीकरणों में महिलाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 4.41 करोड़ महिला पंजीकरण हुए हैं, जिसके बाद बिहार (1.72 करोड़) और पश्चिम बंगाल (1.44 करोड़) का स्थान है।

निष्कर्ष :

1. भारत की गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था श्रम बाज़ार में तेज़ी से बदलाव ला रही है, नए अवसर पैदा कर रही है और साथ ही सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संदर्भ में अनूठी चुनौतियाँ भी पेश कर रही है।
2. सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) और ई-श्रम पोर्टल जैसी पहलों के माध्यम से, सरकार गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को मान्यता, सुरक्षा और सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है।
3. पंजीकरण की सुविधा, स्वास्थ्य और दुर्घटना कवरेज प्रदान करके, और लाभों तक आसान पहुँच सुनिश्चित करके, इन उपायों का उद्देश्य प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को मुख्यधारा में लाना और देश के कार्यबल को मज़बूत बनाना है।
4. जैसे-जैसे यह क्षेत्र आगे बढ़ेगा, निरंतर समर्थन, जागरूकता और नवीन नीतिगत हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होंगे कि प्रत्येक गिग कार्यकर्ता सम्मान, सुरक्षा और अवसर के साथ काम कर सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारतीय श्रम कानूनों में पहली बार गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को परिभाषित करता है।
2. यह नौ मौजूदा केंद्रीय श्रम कानूनों को विलयित और निरस्त करता है।
3. संहिता के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का वित्तपोषण केवल केन्द्र सरकार द्वारा किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: A

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ने भारत के गिग और प्लेटफ़ॉर्म कर्मचारियों को पहली बार सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया है। इस कदम के महत्व, कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और आगे की राह पर चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)



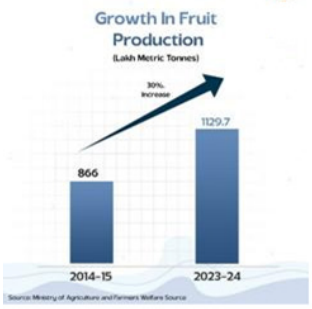
बागवानी : भारत की कृषि-अर्थव्यवस्था को मजबूत करना

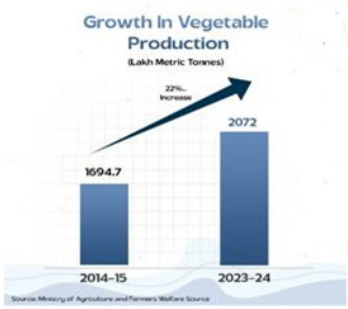
समाचार में क्यों?

- केरल के कोझिकोड के एक सेवानिवृत्त शिक्षक, श्री के. टी. फ्रांसिस ने अपने तीन एकड़ के खेत को नारियल आधारित मिश्रित खेती के एक मॉडल में बदल दिया है।
- 200 नारियल के पेड़ों, मसालों, कंद फसलों और उष्णकटिबंधीय फलों से, वह सालाना ₹14-15 लाख कमाते हैं, मुख्यतः नारियल और नर्सरी की बिक्री से राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित, उनकी सफलता दर्शाती है कि कैसे एकीकृत खेती और वैज्ञानिक पद्धतियाँ छोटी जोतों को लाभदायक और टिकाऊ बना सकती हैं।
- असम के कामरूप ज़िले के कुल्हाटी गाँव के 40 वर्षीय किसान श्री प्रभात दास ने पारंपरिक फ़सलों से फूलों की खेती करके अपने खेतों का कायाकल्प कर दिया है।
- कला स्नातक होने के बाद, उन्होंने 2014 से 2016 के दौरान अपनी 12 बीघा ज़मीन पर ग्लेडियोलस, ट्यूब रोज़, टिशू ज़र्बेरा और रेड ज़र्बेरा की खेती शुरू की। यह कदम बेहद फ़ायदेमंद साबित हुआ क्योंकि उन्होंने ग्रेटर गुवाहाटी के थोक और खुदरा बाज़ारों में अपने फूल बेचकर सालाना डेढ़ से दो लाख रुपये कमाए।
- पहले फ़सलों से उनकी कमाई मामूली थी, लेकिन फूलों की खेती ने उन्हें बेहतर मुनाफ़ा दिलाया है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। इस सफलता से उत्साहित होकर, अब वह आने वाले सीज़न में फूलों की खेती के क्षेत्र का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं।



- बागवानी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- बागवानी बेहतर पोषण को बढ़ावा देती है, वैकल्पिक ग्रामीण रोज़गार प्रदान करती है, कृषि में विविधीकरण को प्रोत्साहित करती है और किसानों की आय बढ़ाती है।
- भारत दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मसालों, नारियल और काजू के उत्पादन में भी भारत की स्थिति मज़बूत बनी हुई है।
- 2016 में, सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के उपाय तलाशने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया। एक प्रमुख रणनीति बागवानी सहित उच्च-मूल्य वाली कृषि में विविधीकरण थी।
- पिछले एक दशक में इस क्षेत्र ने प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। अगस्त 2025 तक, 2024-25 (द्वितीय अग्रिम अनुमान) के लिए, बागवानी उत्पादन 2013-14 के 280.70 मिलियन टन से बढ़कर 367.72 मिलियन टन हो गया। इसमें 114.51 मिलियन टन फल उत्पादन, 219.67 मिलियन टन सब्जी उत्पादन और अन्य बागवानी फसलों से 33.54 मिलियन टन उत्पादन शामिल है।
- 2023-24 में, फलों का उत्पादन 2014-15 के 866 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 1129.7 लाख मीट्रिक टन हो गया, जो लगभग 30% की वृद्धि दर्शाता है। इसी अवधि में सब्जियों का उत्पादन भी 1694.7 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2072 लाख मीट्रिक टन हो गया, जो 22% की वृद्धि दर्शाता है। उत्पादकता के स्तर में भी सुधार हुआ, फल 14.17 से बढ़कर 15.80 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर और सब्जियां 17.76 से बढ़कर 18.40 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गईं।





योजनाएँ और पहल

- बागवानी क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में लक्षित सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति की है, जिनका उद्देश्य इस क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन करते हुए प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है।
- फसल की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादन में वृद्धि और किसानों की बाज़ारों तक पहुँच में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)

- सरकार 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास मिशन का क्रियान्वयन कर रही है। इस केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करना है।परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए, नीति आयोग सहित स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से कई प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं।
- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भी विभिन्न क्षेत्रों में इस योजना की नियमित निगरानी और मूल्यांकन करता है। इन समीक्षाओं से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, क्षेत्र-स्तरीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए योजना में बदलाव और नए घटक शामिल करके इसे पुनर्गठित किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- **बागवानी में उत्कृष्टता केंद्र :** क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकियों पर प्रदर्शन और प्रशिक्षण के लिए केन्द्र के रूप में स्थापित।
- **बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम:** बागवानी समूहों की भौगोलिक क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया। यह उत्पादन-पूर्व और उत्पादन से लेकर कटाई-पश्चात प्रबंधन, रसद, ब्रांडिंग और विपणन तक एकीकृत और बाज़ार-आधारित विकास को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य घरेलू और निर्यात, दोनों बाज़ारों में भारतीय बागवानी की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।
- **स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम :** यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो वैश्विक बागवानी व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली, रोग मुक्त रोपण सामग्री प्रदान करने पर केंद्रित है।
- **प्रवेश के बाद संगरोध सुविधाएं :** वास्तविक और गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की आपूर्ति के लिए स्थापित, जिससे बागों की उत्पादकता में सुधार हो और किसानों की आय में वृद्धि हो।

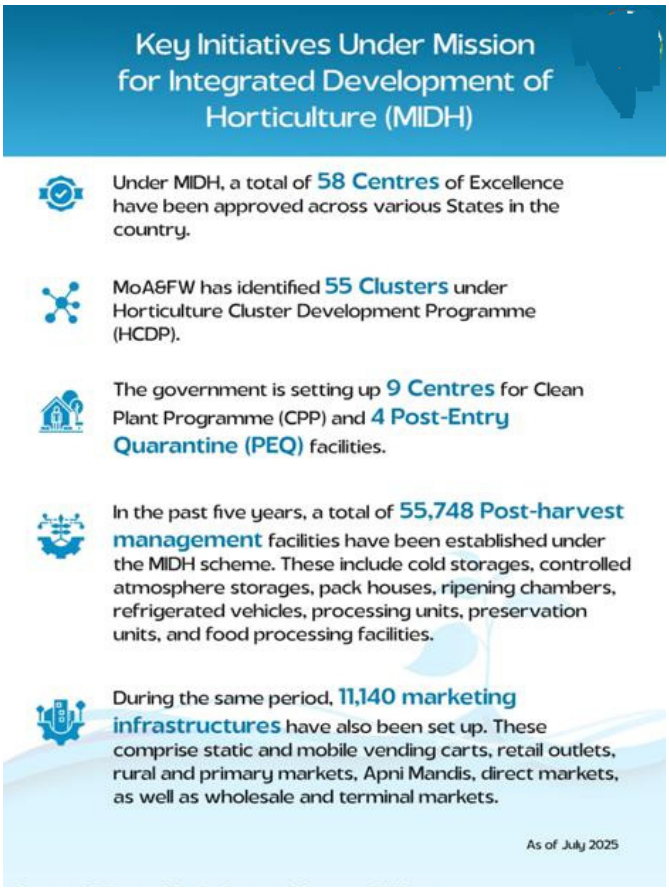
वित्तीय और तकनीकी सहायता

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)

- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) भारत सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जिसमें फल, सब्जियाँ, फूल, मसाले, बागानी फसलें, मशरूम और औषधीय पौधे शामिल हैं।
- यह मिशन उत्पादकता, स्थिरता और लाभप्रदता पर ज़ोर देता है, जिससे किसानों की आय और पोषण सुरक्षा में योगदान मिलता है।

एमआईडीएच के अंतर्गत प्रमुख हस्तक्षेप

1. **नर्सरी और रोपण सामग्री :** नर्सरियों और ऊतक संवर्धन इकाइयों की स्थापना से उच्च गुणवत्ता वाले, रोग मुक्त बीजों और रोपण सामग्री का उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित होती है।
2. **क्षेत्र विस्तार और बाग विकास :** उत्पादकता बढ़ाने के लिए नए बाग, फल, सब्जियां और फूलों के बगीचे स्थापित करने के साथ-साथ पुराने और जीर्ण बागों के पुनरुद्धार के लिए सहायता दी जाती है।
3. **संरक्षित खेती :** पॉलीहाउस, ग्रीनहाउस और शेड नेट जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने से उच्च मूल्य वाली सब्जियों, फूलों और बेमौसमी फसलों की खेती संभव हो पाती है।
4. **जैविक खेती और प्रमाणन :** रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, जिससे घरेलू और निर्यात बाजारों में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ती है।



5. **जल संसाधन प्रबंधन :** जल संचयन संरचनाओं, जलग्रहण प्रबंधन प्रणालियों और सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं का निर्माण कुशल जल उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देता है।

6. **मधुमक्खी पालन और परागण सहायता :** परागण को बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे फसल की पैदावार बेहतर होती है और शहद तथा उप-उत्पादों के माध्यम से किसानों की आय में विविधता आती है।

7. **बागवानी मशीनीकरण :** कठिन परिश्रम को कम करने, कार्यकुशलता बढ़ाने तथा श्रम पर निर्भरता कम करने के लिए आधुनिक उपकरणों और यंत्रों को अपनाने के लिए सहायता दी जाती है।

8. **फसलोत्तर प्रबंधन एवं विपणन अवसंरचना:** एकीकृत पैक हाउस, शीत भण्डारण, पकने वाले कक्ष, प्रशीतित परिवहन और शीत श्रृंखला प्रणालियों के विकास से फसल-उपरान्त होने वाले नुकसान में कमी आती है तथा खेत से बाजार तक सम्पर्क मजबूत होता है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करना और सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से मज़बूत पिछड़े संबंध बनाना है।

मिशन निम्नलिखित पर केंद्रित है:

1. नर्सरियों और ऊतक संवर्धन इकाइयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
2. क्षेत्र विस्तार और पुनरुद्धार के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना।
3. बागवानी में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना और उनका प्रसार करना।
4. फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना।
5. प्रत्येक राज्य या क्षेत्र की क्षमता और जलवायु के अनुसार गतिविधियों की योजना बनाना।

पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (HMNEH)

- विभाग 2001-02 से पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के एकीकृत विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के रूप में जाना जाता था।
- दसवीं पंचवर्षीय योजना (2003-04) में, इस योजना का विस्तार तीन हिमालयी राज्यों, अर्थात् हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, और उत्तराखंड तक किया गया।
- यह मिशन बागवानी की पूरी श्रृंखला को, रोपण से लेकर उपभोग तक, पश्चगामी और अग्रगामी दोनों प्रकार के संबंधों के साथ, कवर करता है।
- वर्ष 2014-15 से एचएमएनईएच योजना को बागवानी के एकीकृत विकास मिशन के साथ विलय कर दिया गया है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी)

- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1984 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी।
- बोर्ड का उद्देश्य एकीकृत उच्च तकनीक वाणिज्यिक बागवानी के लिए उत्पादन क्लस्टर या केंद्र विकसित करना,
- कटाई के बाद और शीत श्रृंखला बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना और उच्च तकनीक वाणिज्यिक बागवानी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देना है।

नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी)

- नारियल विकास बोर्ड, भारत सरकार द्वारा नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है और जनवरी 1981 में कार्यरत हुआ। एमआईडीएच के अंतर्गत, इसका ध्यान गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन और वितरण, संभावित और गैर-पारंपरिक, दोनों क्षेत्रों में नारियल की खेती का विस्तार और प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में उत्पादकता में सुधार पर केंद्रित है।
- यह फसल-उपरांत प्रसंस्करण और विपणन तकनीकों के विकास, उत्पाद विविधीकरण और उप-उत्पाद उपयोग को बढ़ावा देने, नारियल-आधारित उत्पादों के मूल्य संवर्धन, सूचना साझा करने और नारियल क्षेत्र में क्षमता निर्माण पर भी कार्य करता है।

केंद्रीय बागवानी संस्थान (CIH)

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए 2006-07 में नागालैंड के मेडजीफेमा में केंद्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना की गई थी।
- अब यह MIDH के अंतर्गत एक उप-योजना के रूप में कार्य करता है। हालाँकि, संस्थान सीधे तौर पर किसी भी योजना का क्रियान्वयन नहीं करता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

अनुसंधान और गुणवत्ता सुधार

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तत्वावधान में आईसीएआर संस्थानों और राज्य/केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों (सीएयू/एसएयू) सहित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) उन्नत बागवानी किस्में उपलब्ध कराती है।



निष्कर्ष :

- भारत के कृषि विकास को मज़बूत करने और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में बागवानी की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- फलों और सब्जियों से लेकर मसालों, फूलों और बागानों में उगाई जाने वाली फसलों की विस्तृत विविधता इस क्षेत्र की समृद्ध विविधता को दर्शाती है।
- निरंतर अनुसंधान, उन्नत किस्में और बेहतर कटाई-पश्चात प्रबंधन किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।
- निरंतर सरकारी सहयोग और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने से, बागवानी ग्रामीण आजीविका को और बढ़ावा दे सकती है, निर्यात बढ़ा सकती है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे 2014-15 में केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था।
2. इसमें फल, सब्जियां, फूल, मसाले, बागान फसलें, मशरूम और औषधीय पौधे शामिल हैं।
3. यह योजना केवल पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों में लागू की गई है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत में बागवानी कृषि विकास और कृषक आय के एक प्रमुख चालक के रूप में उभरी है। बागवानी क्षेत्र के विकास के रुझान, सरकारी पहल और चुनौतियों पर चर्चा करें।

(250 शब्द, 15 अंक)



प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण (PMFME)

समाचार में क्यों?

- केरल के एर्नाकुलम में स्थित रूबी फ्रेश स्नैक्स, एक छोटे से सपने के फलते-फूलते उद्यम बनने की कहानी बयां करता है।
- श्री पी. एम. जलील द्वारा 2011 में मूंगफली के लड्डुओं से स्थापित, यह इकाई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के सहयोग से विकसित हुई।
- 2021 में 3 लाख रुपये से अधिक के ऋण ने उन्हें नई मशीनें खरीदने, उत्पादन दोगुना करने और अपने उत्पादों का विस्तार करने में मदद की। दैनिक लाभ लगभग 12,000 रुपये से बढ़कर लगभग 20,000 रुपये हो गया और 2021-22 में उनका कारोबार 32 लाख रुपये को पार कर गया।
- रूबी फ्रेश स्नैक्स न केवल गुणवत्तापूर्ण स्थानीय व्यंजनों का स्रोत है, बल्कि यह इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे सरकारी सहयोग छोटे उद्यमियों को प्रेरक सफलता की कहानियों में बदल सकता है।
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना 29 जून 2020 को शुरू की गई।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो देश भर में सूक्ष्म खाद्य इकाइयों के विकास और औपचारिकीकरण पर केंद्रित है।
- यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वोकल फॉर लोकल (वोकल फॉर लोकल) दृष्टिकोण का समर्थन करती है।



- यह उद्यमियों को नई इकाइयाँ स्थापित करने या मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है।
- यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2025-26 तक चलेगी।
- इसका लक्ष्य सूक्ष्म उद्यमों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना, उन्हें संगठित क्षेत्र में लाना और विकास के नए अवसर प्रदान करना है।

इस योजना के अंतर्गत व्यय को केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के साथ 90:10 के अनुपात में, विधायिका वाले केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ 60:40 के अनुपात में तथा अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए केन्द्र द्वारा 100% साझा किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य

- ऋण-आधारित सब्सिडी के माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करना है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में तीव्र विकास को गति देने के लिए साझा बुनियादी ढाँचा तैयार करना और संस्थागत समर्थन को मज़बूत करना भी है।
- भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने पिछले 11 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जो इसके मज़बूत कृषि आधार, बढ़ती माँग और सहायक सरकारी नीतियों के कारण संभव हुई है।
- देश इस क्षेत्र में निरंतर वृद्धि के साथ वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने के लिए तैयार है। कृषि खाद्य प्रसंस्करण की रीढ़ बनी हुई है, और यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद, रोज़गार और निर्यात में अपनी बढ़ती हिस्सेदारी के माध्यम से अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण बन गया है।
- जुलाई 2025 तक, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात लगभग 49.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का लगभग 20.4% हिस्सा था,
- जिसने भारत को खाद्य प्रसंस्करण में एक उभरते वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया। पंजीकृत खाद्य व्यवसाय संचालकों की संख्या 25 लाख से बढ़कर 64 लाख हो गई है, जो बढ़ती औपचारिकता को दर्शाता है।
- 24 मेगा फूड पार्क, 22 कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर स्थापित करने और 289 कोल्ड चेन परियोजनाओं और 305 प्रसंस्करण और संरक्षण इकाइयों को पूरा करने के साथ बुनियादी ढाँचा भी मजबूत हुआ है, जिससे महत्वपूर्ण अतिरिक्त क्षमता का निर्माण हुआ है।
- ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत 10 परियोजनाओं ने मूल्यवर्धन को बढ़ाया है, जबकि 225 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं ने 20 पेटेंट और 52 व्यावसायीकृत प्रौद्योगिकियाँ प्रदान की हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

योजना के प्रमुख घटक

अवयव	लक्ष्य समूह	समर्थन का प्रकार	प्रमुख विशेषताऐं
व्यक्तिगत इकाइयों के लिए समर्थन	व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम	ऋण-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी	- परियोजना लागत का 35% सब्सिडी पर - अधिकतम ₹10 लाख प्रति इकाई - 10% लाभार्थी अंशदान - बैंक ऋण के माध्यम से शेष राशि
स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए समर्थन	स्वयं सहायता समूह के सदस्य	बीज पूंजी सहायता	- कार्यशील पूंजी और उपकरणों के लिए प्रति सदस्य ₹40,000 - ओडीओपी आधारित स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता - संघ स्तर पर पुनर्भुगतान योग्य ऋण के रूप में वितरित
एफपीओ और सहकारी समितियों के लिए समर्थन	किसान-उत्पादक संगठन और उत्पादक सहकारी समितियाँ	प्रशिक्षण के साथ अनुदान सहायता	- क्रेडिट लिंकेज के साथ 35% अनुदान - प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण प्रदान किया गया - योजना के मानदंडों के अनुसार वित्तपोषण की सीमा
ब्रांडिंग और मार्के-टिंग सहायता	एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों, एसपीवी के समूह	विपणन, ब्रांडिंग और गुणवत्ता सुधार	- ओडीओपी दृष्टिकोण पर आधारित (राज्य/क्षेत्रीय स्तर) - पूरी तरह से वित्त पोषित विपणन प्रशिक्षण - समान ब्रांड, पैकेजिंग और मानकीकरण - खुदरा श्रृंखलाओं और राज्य संस्थानों के साथ गठजोड़ - गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को लागू किया गया

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)

पहलू	विवरण
उद्देश्य	योजना के अंतर्गत प्रस्तावों के लिए आवश्यक।
अंतर्वस्तु	- उत्पाद प्रोफ़ाइल और रणनीति - गुणवत्ता नियंत्रण उपाय - उपज का एकत्रीकरण - पैकेजिंग और ब्रांडिंग योजना - मूल्य निर्धारण और प्रचार रणनीतियाँ - भंडारण और विपणन चैनल - बिक्री वृद्धि अनुमान
वित्तीय सहायता	ब्रांडिंग और मार्केटिंग से संबंधित डीपीआर तैयार करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) से 5 लाख रुपये तक की सहायता।
फ्लो चार्ट आवश्यकता	कच्चे माल की खरीद से लेकर गुणवत्ता नियंत्रण जांच चौकियों के साथ विपणन तक की गतिविधियों को दिखाना होगा।
पंचवर्षीय योजना	इसमें शामिल होना चाहिए: - प्रचार कार्य - उत्पादक भागीदारी का विस्तार - कारोबार में वृद्धि
दिशानिर्देश समर्थन	मंत्रालय उद्यमियों, एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों, एसपीवी को संरचित प्रस्ताव तैयार करने में सहायता के लिए टेम्पलेट्स, संदर्भ की तकनीकी शर्तों और प्रारूपों के साथ मॉडल डीपीआर प्रदान करता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन

बुनियादी ढांचे का प्रकार	समर्थन का विवरण
परख एवं भंडारण सुविधाएं	कृषि उपज की जांच, छंटाई, ग्रेडिंग, भंडारण, फार्म गेट पर शीत भंडारण की सुविधाएं।
सामान्य प्रसंस्करण इकाइयाँ	ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) उत्पादों के लिए समर्पित प्रसंस्करण इकाइयाँ।
इन्क्यूबेशन केंद्र	- एक या अधिक उत्पाद लाइनें - किराये के आधार पर छोटी इकाइयों के लिए उपलब्ध - आंशिक रूप से प्रशिक्षण के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है - सभी इन्क्यूबेशन केंद्र वाणिज्यिक आधार पर चलाए जाएंगे

पीएमएफएमई योजना – घटक-वार स्वीकृत इकाइयाँ (30 जून 2025 तक)

क्र. सं.	अवयव	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
1	क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी	1,44,517	11,501.79
2	बीज पूंजी	3,48,907	1,182.48
3	सामान्य बुनियादी ढाँचा	93	187.20
4	ब्रांडिंग और मार्केटिंग	27	82.82

क्षमता निर्माण और अनुसंधान

- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को औपचारिक प्रणाली में लाने का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।
- राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी) क्षमता निर्माण और अनुसंधान का नेतृत्व करते हैं और इन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
- राज्य-स्तरीय तकनीकी संस्थानों के सहयोग से, वे चयनित उद्यमों, समूहों और क्लस्टरों को प्रशिक्षण और अनुसंधान सहायता प्रदान करते हैं।
- आईसीएआर, सीएसआईआर के अंतर्गत विशिष्ट संस्थान, और रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएफआरएल) और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) जैसे प्रमुख संस्थान भी देश भर में उत्पाद-विशिष्ट प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करने में भागीदार हैं।

ओडीओपी फोकस

- यह योजना खरीद, सेवाओं और विपणन को बढ़ाने के लिए एक ज़िला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण का अनुसरण करती है।
- राज्य उत्पादों की पहचान करते हैं, जिनमें फल, सब्जियाँ, मसाले, मत्स्य पालन और शहद व हल्दी जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थों जैसे नाशवान उत्पादों को प्राथमिकता दी जाती है।
- प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग और अपव्यय को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ओडीओपी इकाइयों के लिए पूंजी निवेश को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि नए उद्यम केवल ओडीओपी उत्पादों के लिए ही पात्र होते हैं।
- यह दृष्टिकोण कृषि निर्यात नीति और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत क्लस्टर-आधारित पहलों का पूरक है, जिससे मज़बूत मूल्य श्रृंखलाएँ और साझा सुविधाएँ सुनिश्चित होती हैं।

निष्कर्ष :

- पीएमएफएमई योजना सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को मज़बूत करने और स्थानीय उत्पादों की क्षमता को उजागर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- ओडीओपी साझा बुनियादी ढाँचे, कौशल प्रशिक्षण और ऋण तक पहुँच के माध्यम से, यह छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा करने के साधन प्रदान करती है।
- अपव्यय को कम करके, मूल्य संवर्धन में सुधार करके और ब्रांडिंग को बढ़ावा देकर, यह योजना न केवल किसानों और उत्पादकों की आय बढ़ाती है, बल्कि रोज़गार भी पैदा करती है और ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा देती है।
- यह पारंपरिक और आधुनिक बाज़ारों के बीच एक सेतु का काम करती है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण (पीएमएफएमई) योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह योजना व्यक्तिगत इकाइयों के लिए परियोजना लागत के 50% तक की ऋण-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है।
2. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) प्रति सदस्य 40,000 रुपये की प्रारंभिक पूंजी सहायता के लिए पात्र हैं।
3. यह योजना मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण का अनुसरण करती है।
4. इस योजना के अंतर्गत ब्रांडिंग और विपणन सहायता केवल व्यक्तिगत उद्यमियों को ही दी जाती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 2 और 3 B. केवल 1, 2 और 4

C. केवल 2, 3 और 4 D. केवल 1 और 3

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (PMFME) योजना का उद्देश्य भारत में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बदलाव लाना है। इसके प्रमुख घटकों, उपलब्धियों और मूल्य श्रृंखलाओं को मज़बूत करने में ODOP की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इस योजना के सामने क्या चुनौतियाँ हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है? (शब्द सीमा - 250, अंक - 15)



भारतीय पेटेंट प्रणाली: नवाचार, जनहित और वैश्विक मानकों में संतुलन

समाचार में क्यों?

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने आज नई दिल्ली में इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 में अपनी मेडिकल इनोवेशन-पेटेंट मित्र पहल के तहत उद्योग भागीदारों को नौ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का लाइसेंस दिया।



पेटेंट क्या है?

- पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो सरकार किसी आविष्कारक को किसी नए आविष्कार के लिए देती है।
- यह आविष्कारक को एक निश्चित अवधि के लिए दूसरों को बिना अनुमति के उस आविष्कार को बनाने, इस्तेमाल करने, बेचने या आयात करने से रोकता है।
- बदले में, आविष्कारक को पेटेंट आवेदन में आविष्कार के बारे में पूरी जानकारी देनी होती है।
- क्या पेटेंट कराया जा सकता है?
- आप किसी नए उत्पाद या प्रक्रिया का पेटेंट करा सकते हैं यदि नया है एक आविष्कारशील कदम है (स्पष्ट नहीं) उद्योग में इस्तेमाल किया जा सकता है पेटेंट अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत शामिल नहीं है

भारत में पेटेंट पर प्रमुख सरकारी नीतिगत पहलू

प्रमुख नीतिगत पहलू	नीति समर्थन और विवरण	प्रासंगिक डेटा / उदाहरण
1. कानूनी ढांचा	पेटेंट अधिनियम, 1970 पेटेंट अधिकारों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, पेटेंट योग्य विषय-वस्तु को परिभाषित करता है, तथा पेटेंट जीवन चक्र को विनियमित करता है।	- पेटेंट अवधि: 20 वर्ष - गैर-पेटेंट योग्य वस्तुओं को परिभाषित करता है (धारा 3 और 4)
2. अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन	वैश्विक बौद्धिक संपदा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए ट्रिप्स समझौते (डब्ल्यूटीओ) के अनुरूप राष्ट्रीय कानून।	- भारत ने ट्रिप्स की अपेक्षानुसार उत्पाद पेटेंट को शामिल करने के लिए 2005 में पेटेंट कानून में संशोधन किया।
3. पेटेंट योग्यता मानक	नवीनता, आविष्कारशील कदम और औद्योगिक अनुप्रयोग निर्दिष्ट करता है। धारा 3(डी) के माध्यम से सदाबहारीकरण को रोकता है।	- धारा 3(डी) केवल संशोधनों पर पेटेंट को रोकती है जब तक कि बढ़ी हुई प्रभावकारिता नहीं दिखाई जाती (उदाहरण के लिए, नोवार्टिस मामला)।
4. प्रक्रियात्मक सुव्यवस्थि-तीकरण	पेटेंट नियम, 2024 के अंतर्गत सुधारों में नए फॉर्म, ई-फाइ-लिंग, कम अनुपालन और तीव्र जांच शामिल हैं।	- परीक्षा की समय-सीमा 48 महीने से घटाकर 31 महीने की गई - अब कार्य विवरण हर 3 साल में एक बार
5. अनिवार्य लाइसेंसिंग	सार्वजनिक हित के लिए पेटेंट के सरकार-अधिकृत उपयोग को सक्षम बनाता है (उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य आपातस्थि-तियां, सामर्थ्य संबंधी मुद्दे)।	- 2012: नैटको फार्मा को नेक्सावर (कैंसर की दवा) के लिए भारत का पहला अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त हुआ।
6. सरकारी उपयोग प्रावधान	पेटेंट अधिनियम की धारा 100 के अंतर्गत सरकार को राष्ट्रीय हित में पेटेंट प्राप्त आविष्कारों का उपयोग करने की अनुमति देता है।	- रक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है (जैसे, महामारी के दौरान)।
7. वित्तपोषण योजनाएँ	फाइलिंग और आईपी व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए आविष्कारकों/स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता।	- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए आईपी प्रबंधन और कानूनी सहायता प्रदान करता है। - एमएसएमई योजनाएं आईपी लागतों का भी समर्थन करती हैं।
8. जागरूकता और प्रशिक्षण	आईपी शिक्षा के लिए पेटेंट सुविधा प्रकोष्ठों (पीएफसी) और एनआईपीएएम के माध्यम से कार्यक्रम।	- एनआईपीएएम ने 2024 तक आईपी जाग-रूकता मिशन के तहत 1 मिलियन से अधिक छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया।
9. आविष्कारकों की मान्यता	अभिस्वीकृति के लिए नए उपकरण जैसे कि आविष्कार प्रमाणपत्र (पेटेंट नियम 2024)।	- अब आविष्कारकों को स्वीकृत पेटेंट में योगदान के प्रमाण के रूप में एक औपचारिक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है।
10. पेटेंट जानकारी तक पहुंच	आईपी कानूनों, नियमों, प्रपत्रों और पेटेंट की स्थिति तक मुफ्त और पारदर्शी पहुंच।	- आईपी इंडिया पोर्टल - वैश्विक तुलना के लिए WIPO डेटाबेस।

भारतीय पेटेंट प्रणाली में प्रगति:

1. **रिकॉर्ड उच्च पेटेंट आवेदन:** 2023 में भारत को 90,300 से अधिक पेटेंट आवेदन प्राप्त हुए, जो इसके इतिहास में सबसे अधिक है।

2. **पेटेंट अनुदान में भारी वृद्धि:** 2023-24 में, भारतीय पेटेंट कार्यालय ने 1 लाख (100,000) से अधिक पेटेंट प्रदान किए - जो पिछले वर्ष की तुलना में 201.91% की वृद्धि है।

3. **घरेलू नवाचार में वृद्धि:** पहली बार, भारतीय निवासियों ने 2023 में कुल पेटेंट आवेदनों का 55.2% दायर किया, जो 2013 में केवल 24.8% था।

4. **बेहतर वैश्विक स्थिति:** भारत 2023 में पेटेंट आवेदन रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर पहुंच गया, जो 2020 में 9वें स्थान से बेहतर है (डब्ल्यूआईपीओ डेटा)।

5. **तीव्र प्रसंस्करण के लिए नीतिगत सुधार:** पेटेंट संशोधन नियम 2024 और 2025 ने परीक्षण के अनुरोध की अवधि को 48 महीने से घटाकर 31 महीने कर दिया।

6. **स्थिरता के लिए समर्थन:** हरित प्रौद्योगिकी पेटेंट को अब प्रोत्साहन और त्वरित जांच का लाभ मिल रहा है, जिससे पर्यावरण-नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है।

7. **तकनीकी एवं परिचालन प्रगति:** पेटेंट प्रणाली के पूर्ण डिजिटलीकरण से 24/7 ई-फाइलिंग, वास्तविक समय ट्रैकिंग और ऑनलाइन सुनवाई संभव हो जाती है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता में सुधार होता है।

भारतीय पेटेंट प्रणाली में चुनौतियाँ

A. प्रणालीगत और परिचालन संबंधी मुद्दे

1. **परीक्षा बैकलॉग:** सुधारों के बावजूद, प्रथम कार्यालय कार्रवाई के लिए औसत समय लगभग 50 महीने (2024 तक) बना हुआ है।

2. **नियुक्ति विवाद:** मई 2025 में, अखिल भारतीय पेटेंट अधिकारी संघ ने तीसरे पक्ष के अनुबंध परीक्षकों की नियुक्ति की सर्वोच्च न्यायालय से जांच की मांग की, जिससे उनके निर्णयों की कानूनी वैधता पर सवाल उठे।

3. **गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ:** विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पेटेंट अनुदान में वृद्धि से परीक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, क्योंकि 2024 में आवेदन समीक्षा की गति धीमी हो जाएगी।

4. **प्रशिक्षण और क्षमता अंतराल:** यद्यपि नियुक्तियों में वृद्धि हुई है, फिर भी नवनियुक्त परीक्षकों के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण और सत्यापन के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं।

B. नवाचार और अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियाँ

1. **निजी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में कम निवेश:** वैश्विक नवाचार अग्रणी देशों की तुलना में भारत का समग्र अनुसंधान एवं विकास व्यय, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में, कम बना हुआ है।

2. **शैक्षणिक फाइलिंग पर अत्यधिक निर्भरता:** निवासी आवेदनों का एक बड़ा हिस्सा सरकारी संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों से आता है, जिसमें उद्योग की भागीदारी सीमित होती है।

3. **उच्च तकनीक पेटेंट में पिछड़ना:** सीआरआई दिशानिर्देश 2025 के बावजूद, भारत अभी भी अमेरिका और चीन जैसे देशों की तुलना में एआई, एमएल और ब्लॉकचेन के पेटेंट में पीछे है।

4. **अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट विस्तार का अभाव:** बहुत कम भारतीय आविष्कारक अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग (जैसे, पी.सी.टी. के माध्यम से) करते हैं, जिससे वैश्विक वाणिज्यिक संभावना सीमित हो जाती है।

भारतीय पेटेंट प्रणाली में नीतिगत उपाय

पेटेंट प्रणाली का समर्थन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपाय:

वर्ग	अंतर्राष्ट्रीय उपाय	भारतीय पेटेंट प्रणाली पर प्रभाव	सहायक डेटा
विधायी	ट्रिप्स समझौता (डब्ल्यूटीओ, 1995) पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी, 1998)	भारत ने फार्मा/बायोटेक में उत्पाद पेटेंट की अनुमति देने के लिए अपने पेटेंट अधिनियम (2005) में संशोधन किया। 150 से अधिक देशों के लिए एकल अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग मार्ग।	- 2023-24 में 1+ लाख पेटेंट प्रदान किए गए; ट्रिप्स अनुपालन ने फार्मा फाइलिंग को बढ़ावा दिया। - 3,946 पीसीटी आवेदन (2023) - 12% वार्षिक वृद्धि - भारत शीर्ष 10 पीसीटी फाइलर्स में शामिल

संस्थागत	डब्ल्यूआईपीओ तकनीकी सहयोग डब्ल्यूआई-पीओ-भारत सहयोग समझौता (2020)	परीक्षक प्रशिक्षण, डिजिटलीकरण, आईटी इन्फ्रा (आईपीएएस) को मजबूत किया गया। टीआईएससी (प्रौद्योगिकी और नवाचार सहायता केंद्र) की स्थापना की गई।	- 2024 तक आईपीओ पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा - 24/7 ई-फाइलिंग, ऑनलाइन सुनवाई, वास्तविक समय ट्रैकिंग सक्षम - भारत में 100 से अधिक TISC हैं - डब्ल्यूआईपीओ ग्रीष्मकालीन स्कूलों की मेजबानी करता है
पहल	डब्ल्यूआईपीओ ग्रीन पार्टनरशिप (2023) वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआई-आई)	भारतीय नवप्रवर्तकों को वैश्विक हरित-प्रौद्योगिकी साझेदारों से जोड़ा गया। भारत के आईपी एवं नवाचार पारिस्थि-तिकी तंत्र का बेंचमार्क किया गया।	- हरित पेटेंट (2024 नियम) के लिए त्वरित जांच का नेतृत्व किया गया। - मजबूत आईपी आउटपुट के कारण भारत 2023 में 40वें स्थान पर (2015 में 81वें स्थान से ऊपर) आ गया।

पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने वाले अतिरिक्त सरकारी उपाय:

वर्ग	पहल / उपाय	विवरण और सहायक डेटा
शिक्षा और अनुसंधान	1. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) 2. उच्च शिक्षा में बौद्धिक संपदा का एकीकरण	- विश्वविद्यालयों में अनुसंधान संस्कृति को मजबूत करने के लिए एनईपी 2020 के तहत प्रस्ताव। - बजट: 5 वर्षों में ₹50,000 करोड़। - फोकस: अंतःविषयक अनुसंधान और पेटेंट योग्य परिणाम। - यूजीसी और एआईसीटीई के निर्देश: आईपी शिक्षा को पाठ्यक्रम में एकीकृत किया गया। - कपिला योजना 700 से अधिक संस्थानों में आईपी साक्षरता को बढ़ावा देती है। - छात्रों एवं संकाय सदस्यों द्वारा पेटेंट दाखिल करने को प्रोत्साहित करता है।
वित्त पोषण और नवाचार	3. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड और डीपीआईआईटी सहायता 4. बीआईआरएसी और अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम)	- प्रारंभिक चरण के नवप्रवर्तकों को प्रोटोटाइप और आईपी-संबंधित लागतों में सहायता के लिए 945 करोड़ रुपये का फंड। - स्टार्टअप्स उत्पाद विकास और आईपी फाइलिंग के लिए 50 लाख रुपये तक की सहायता के लिए पात्र हैं। - BIRAC: बायोटेक स्टार्टअप्स को आईपी, कानूनी और तकनीकी हस्तांतरण सहायता प्रदान करता है। - एआईएम (नीति आयोग): इनक्यूबेटर और आईपी हब को वित्तपोषित करता है। - 2024 तक 10,000+ स्टार्टअप को समर्थन दिया जाएगा।
सरकारी सहायता और सरलीकरण	5. जीईआरडी (अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय) में वृद्धि 6. सरलीकृत पेटेंट फाइलिंग और फास्ट-ट्रैक तंत्र	- वर्तमान जीईआरडी: जीडीपी का 0.7%; लक्ष्य: 2%। - सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर ध्यान केन्द्रित करना। - राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास नीति सहयोगात्मक अनुसंधान एवं पेटेंट को बढ़ावा देती है। - स्टार्टअप, महिलाओं, एमएसएमई, हरित प्रौद्योगिकियों के लिए शीघ्र जांच। - ऑनलाइन आईपी फाइलिंग, रियल-टाइम ट्रैकिंग और आईपी इंडिया पोर्टल के माध्यम से 24/7 पहुंच।

निष्कर्ष :

- मज़बूत क़ानूनी सुधारों, संस्थागत पहलों और वैश्विक समन्वय से प्रेरित भारत का विकसित होता पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र, जनहित की रक्षा करते हुए नवाचार को बढ़ावा देने के राष्ट्र के संकल्प को रेखांकित करता है।
- पेटेंट आवेदनों में वृद्धि, स्टार्टअप्स और शिक्षा जगत के लिए बढ़ते समर्थन और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के साथ, भारत तेज़ी से नवाचार में एक वैश्विक नेता बन रहा है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में दिए गए प्रत्येक पेटेंट की अवधि दाखिल करने की तिथि से 20 वर्ष है।
2. पेटेंट केवल नवीन आविष्कारों के लिए दिए जाते हैं, जिनमें आविष्कारशील कदम शामिल होते हैं और जिनकी औद्योगिक प्रयोज्यता होती है।
3. यह अधिनियम फार्मास्यूटिकल्स और कृषि-रसायनों सहित प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में उत्पाद पेटेंट की अनुमति देता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत का पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र उल्लेखनीय वृद्धि देख रहा है, फिर भी इसे प्रणालीगत और नवाचार-संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चर्चा करें

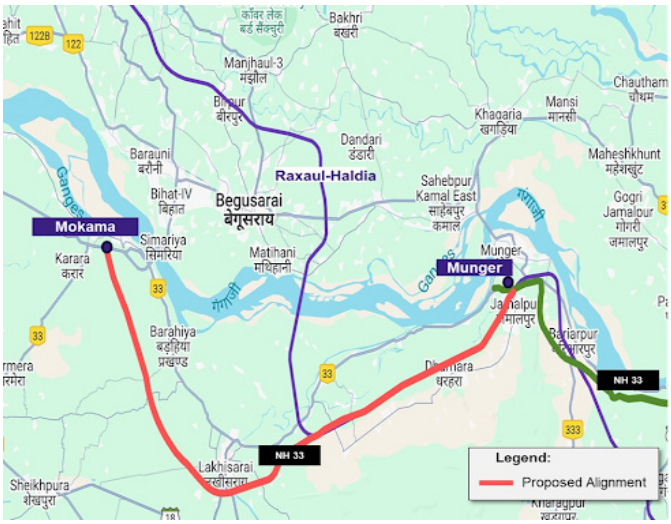
(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)



मोकामा- मुंगेर ग्रीनफील्ड राजमार्ग को मंजूरी : कैबिनेट ने भारत के हाई-स्पीड कॉरिडोर विस्तार के हिस्से के रूप में

समाचार में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-नियंत्रित मोकामा-मुंगेर खंड के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
- यह परियोजना हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर क्रियान्वित की जाएगी।
- कुल लंबाई: 82.4 किमी
- अनुमानित व्यय: ₹4447.38 करोड़



समग्र बहुआयामी विकास में सड़कों की भूमिका:

1. आर्थिक विकास

- **व्यापार एवं वाणिज्य विस्तार:** सड़कें परिवहन लागत कम करती हैं, जिससे माल सस्ता होता है और बाजार अधिक सुलभ होते हैं। **उदाहरण:** स्वर्णिम चतुर्भुज ने माल ढुलाई में सुधार किया, जिससे 2000 के दशक में भारत की जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा मिला।
- **औद्योगिक विकास एवं निवेश:** बेहतर सड़कें सुचारू संचालन सुनिश्चित करके उद्योगों को आकर्षित करती हैं। **उदाहरण:** दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी पर आधारित है।
- **रोजगार सृजन:** राजमार्ग परियोजनाएं प्रत्यक्ष रोजगार (निर्माण) और अप्रत्यक्ष रोजगार (आतिथ्य, रसद) पैदा करती हैं।
- **उदाहरण:** पीएमजीएसवाई ग्रामीण सड़कों के क्रियान्वयन के दौरान लाखों मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ।

2. सामाजिक विकास

- **शिक्षा तक पहुंच:** सड़कें दूरदराज के गांवों को स्कूलों/कॉलेजों से जोड़ती हैं। **उदाहरण:** आदिवासी झारखंड में पीएमजीएसवाई सड़कों के कारण स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी।
- **स्वास्थ्य सेवा पहुंच:** एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सेवाएं सड़क नेटवर्क पर निर्भर करती हैं। **उदाहरण:** मध्य प्रदेश में जननी एक्सप्रेस योजना से सड़क मार्ग से जुड़ी एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से मातृ मृत्यु दर में कमी आई।
- **सामाजिक समावेशन एवं गतिशीलता:** सड़कें एकाकीपन को कम करती हैं, जिससे महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को अवसरों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलती है। **उदाहरण:** पूर्वोत्तर भारत में बेहतर कनेक्टिविटी ने जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा के बाजारों और संस्थानों के करीब ला दिया।

3. क्षेत्रीय एवं संपर्क विकास

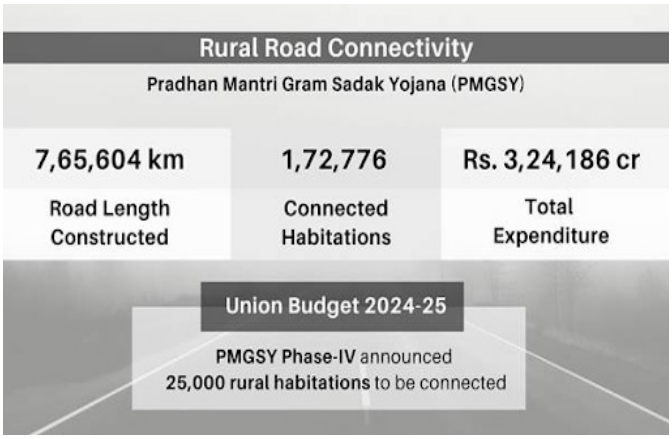
- **संतुलित क्षेत्रीय विकास:** सड़कें पिछड़े क्षेत्रों को विकास केन्द्रों से जोड़ती हैं। **उदाहरण:** भारतमाला परियोजना क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स अंतराल को कम करने पर केंद्रित है।
- **पर्यटन को बढ़ावा:** बेहतर सड़क पहुंच से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। **उदाहरण:** उत्तराखंड में चारधाम राजमार्ग परियोजना तीर्थ पर्यटन को सुगम बनाती है।
- सामरिक एवं सीमापार संपर्क:सड़क सुरक्षा और व्यापार संबंधों को मजबूत बनाती हैं। **उदाहरण:** भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग एक्ट ईस्ट नीति के तहत क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है।

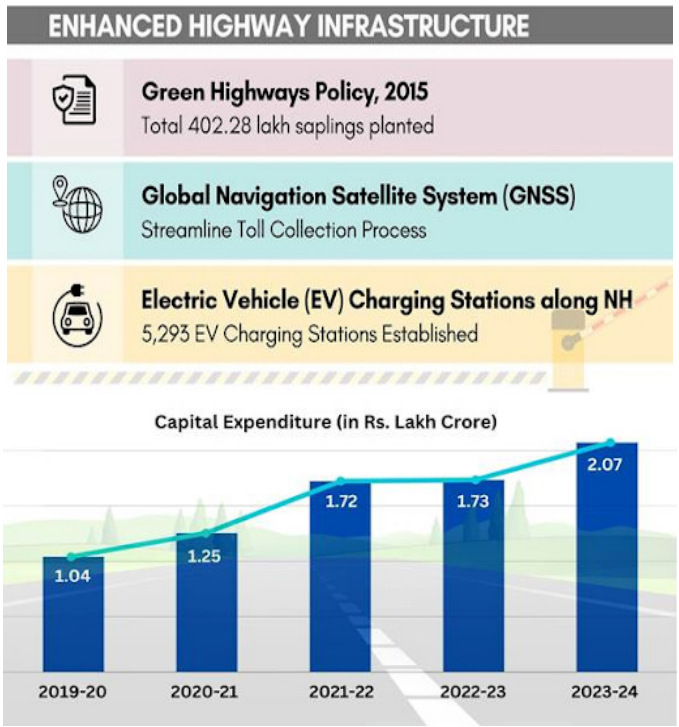
4. ग्रामीण विकास

- **किसानों के लिए बाजार पहुंच:** सड़कें किसानों को सीधे उत्पाद बेचने में मदद करती हैं, जिससे बिचौलियों की समस्या कम हो जाती है। **उदाहरण:** पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क संपर्क के बाद महाराष्ट्र में ग्रामीण हाटों का विकास हुआ।
- **गैर-कृषि अवसर:** सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपूर्ति श्रृंखलाओं (डेयरी, हस्तशिल्प) से जोड़ती हैं। **उदाहरण:** अमूल का डेयरी मॉडल मजबूत ग्रामीण सड़क संपर्क पर आधारित है।
- **गरीबी में कमी:** सड़कें स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देकर प्रवासन दबाव को कम करती हैं। **उदाहरण:** पीएमजीएसवाई पर विश्व बैंक के एक अध्ययन से पता चला है कि इससे जुड़े गांवों में गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है।

भारत के सड़क बुनियादी ढांचे में बदलाव: प्रमुख योजनाएं और उपलब्धियां







भारत के सड़क बुनियादी ढांचे में बदलाव: प्रमुख योजनाएं और उपलब्धियां

योजना / पहल	फोकस क्षेत्र	मुख्य सफलतायें
राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार (एनए-चएआई)	पूंजीगत व्यय और एनएच वृद्धि	एनएच नेटवर्क का विस्तार91,287 किमी (2014) को 1,46,126 किमी (2024); महत्वपूर्ण पूंजी निवेश वृद्धि
भारतमाला परियोजना	आर्थिक गलियारे, एक्स-प्रेसवे, बंदरगाह और सीमा संपर्क	26,425 किमी आवंटित,17,411 किमी का निर्माण; का व्यय₹4.59 लाख करोड़.
ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे	उच्च गति वाले प्रवेश-नियंत्रित गलियारे	5 एक्सप्रेसवे + 22 राजमार्ग (कुल9,860 किमी); परियोजना लागत₹4,19,130 करोड़
रोजगार सृजन (एनएचएआई परियोजनाओं के माध्यम से)	निर्माण के दौरान रोजगार सृजन	24,050 किमी5 वर्षों में निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या;45 करोड़ प्रत्य-क्ष,57 करोड़ अप्रत्यक्ष, और 532 Cr प्रेरितमानव-दिवस
उत्तर पूर्व सड़क संपर्क (एनई-आर)	क्षेत्रीय एकीक-रण और एक्ट ईस्ट नीति	9,984 किमीरा-ष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण₹1,07,504 करोड़; 265 चालू परियोजना-एं₹1,18,894 करोड़; 10% बजट निर्धारित
पीएमजीएस-वाई (प्रधानमं-त्री ग्राम सड़क योजना)	ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसमों में कनेक्टिविटी	8,10,250 किमीस्वी-कृत,7,65,601 किमी का निर्माण (94%);₹3.24 लाख करोड़.खर्च; चरण IV में 25,000 और बस्तियों को शामिल किया जाएगा
हरित राजमार्ग नीति (2015)	स्थिरता और पर्यावरण संतुलन	402.28 लाखराजमार्गों के किनारे लगाए गए पौधे
ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर	राजमार्गों पर स्वच्छ गतिशी-लता	5,293ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए (पेट्रोलि-यम मंत्रालय द्वारा 4,729); विस्तार किया जा रहा है₹800 करोड़ की सब्सिडी
जीएनए-सएस-आधा-रित टोलिंग (पायलट परियोजनाएं)	स्मार्ट टोल संग्रह	पायलटों परएनएच-275 (बेंगलुरु-मैसूर)और NH-709 (पानीपत–हिसार)
सड़क एवं पुल रखरखाव (सी-आरआईएफ एवं आईबीए-मएस)	राज्य सड़क परियोजनाएँ और संरचना-त्मक सुरक्षा	1,209 परियोजना-एँ(14,369 किमी, ₹37,098 करोड़); आईबीएमएस पुल स्वास्थ्य निगरानी को सक्षम बनाता है
सड़क सुरक्षा (4 E : इंजीनि-यरिंग, प्रवर्तन, शिक्षा, आपात-काल)	दुर्घटना एवं मृत्यु दर में कमी	सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने का लक्ष्य2030 तक 50%; सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य; का एटीएम और राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च करें

भारत के सड़क बुनियादी ढांचे में चुनौतियाँ

वर्ग	प्रमुख चुनौतियाँ
1. वित्तीय एवं राजनीतिक चुनौतियाँ	• निधि संचय में व्यवधान: भारत को जरूरत है1.4 ट्रिलियन डॉलर (2022-2040, नीति आयोग) सड़क अवसंरचना के लिए। • भूमि अधिग्रहणदेरी : खत्म700+ परियोजनाएँकानूनी विवादों और प्रतिरोध के कारण (MoRTH 2023) रुका हुआ है। • भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप: सीएजी 2022 ने राष्ट्रीय राजमार्ग अनुबंधों में अनियमितताओं और घटिया निष्पादन को चिन्हित किया।
2. पर्यावरण एवं जलवायु चुनौतियाँ	• बाढ़ और भूस्खलन : केरल बाढ़ (2018) से क्षतिग्रस्त 12,000 किमी, जिसकी लागत ₹6,000+ करोड़ है। उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण 2025 में BRO को ₹100 करोड़ का नुकसान हुआ। • प्रदूषण: सड़क परिवहन उत्सर्जित करता हैभारत के CO_2 का 11%(आईईए 2023)।

3. योजना और तकनीकी चुनौतियाँ	• देरी : 44%एनएच परियोजनाओं में देरी (एमओआरटीएच 2024)। • भीड़ : 70%सड़कों की कुल संख्या एकल/मध्यवर्ती लेन है। • रखरखाव घाटे: केवल 40%वार्षिक रखरखाव वाली पीडब्ल्यूडी सड़कों की संख्या (विश्व बैंक 2023); कुशल श्रमिकों की कमी और गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी समस्याएं।

भारत के सड़क अवसंरचना के लिए सुधार और समाधान

वर्ग	सुधार / समाधान
रणनीतिक योजना और वित्तीय सुधार	• शुरू करना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (आईडीएफ)दीर्घकालिक निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए। • पीपीपी मॉडल में सुधारअधिक न्यायसंगत जोखिम साझाकरण के साथ (रियायती समझौतों का पुनः डिजाइन किया जा रहा है)। • रखरखाव को प्राथमिकता देंवर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग रखरखाव बजट कुल का <1% है; पीआरएस इंडिया ने खर्च में बदलाव का आग्रह किया। • भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरणअधिग्रहण को सुव्यवस्थित करने और कानूनी विवादों को कम करने के लिए।
शासन और परियोजना निष्पादन	• सुधार निगरानी: मई 2024 तक,₹5.71 लाख करोड़.458 परियोजनाओं की लागत बढ़ी, 831 विलंबित। • उपयोग PM Gati Shakti मंत्रालयों में एकीकृत मंजूरी और तेजी से परियोजना निष्पादन के लिए।
प्रौद्योगिकी और नवाचार	• तैनात करना बुद्धिमान यातायात प्रणालियाँ (आईटीएस)दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में बेहतर यातायात प्रवाह के लिए। • प्रोत्साहित करना हरित निर्माणसौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और कम कार्बन वाली सामग्री का उपयोग करें। • बढ़ाना बहु-मॉडल परिवहन: 2024 तक,945 किमी21 शहरों में मेट्रो नेटवर्क 1 करोड़ दैनिक यात्रियों को सेवा प्रदान करता है।
सामाजिक एवं सुरक्षा उपाय	• गड्ढों और खराब डिजाइन से होने वाली मौतों में कमी: 2022 में गड्ढों के कारण 4,446 दुर्घटनाएं, 1,856 मौतें। • लागू करेंब्लैक स्पॉट रीडिज़ाइनऔर सख्त सुरक्षा ऑडिट। • कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर कार्यरत श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण एवं वजीफा अनिवार्य कर दिया है।

निष्कर्ष :

- सड़कें न केवल परिवहन का एक साधन हैं, बल्कि शांति और स्थिरता के मार्ग भी हैं। पर्याप्त सड़क अवसंरचना आर्थिक विकास, सामाजिक सामंजस्य और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देती है।
- जिससे अशांति और अस्थिरता कम होती है। यदि भारत व्यापक संपर्क सुनिश्चित करता है, तो नेपाल में अलगाव और कम पहुँच के कारण हाल ही में हुई उथल-पुथल जैसी स्थितियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में मजबूत सड़क नेटवर्क के रणनीतिक महत्व को उजागर करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारतमाला परियोजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक केन्द्र प्रायोजित योजना है।
2. इस योजना का एक प्रमुख घटक यात्रा समय को कम करने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण है।
3. यह योजना मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल एक B. केवल दो
C. तीनों D. कोई नहीं

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. चर्चा कीजिए कि भारत में सड़क अवसंरचना आर्थिक विकास, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण में किस

प्रकार योगदान देती है। अपने उत्तर के समर्थन में प्रासंगिक उदाहरण दीजिए।



सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा : एक लचीले भविष्य का निर्माण

समाचार में क्यों?

- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन – रबी अभियान 2025 नई दिल्ली में घोषणा की कि भारत का कृषि क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है 3.7% – दुनिया में सबसे अधिककिसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए,
- नकली बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया और ज़ोर देकर कहा कि केवल निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले जैव-उत्तेजक पदार्थों को ही अनुमति दी जाएगी।
- दो दिवसीय सम्मेलन का विषय था "एक राष्ट्र – एक कृषि – एक टीम"यह रिपोर्ट उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए केंद्र-राज्य सहयोग को रेखांकित करती है।

सतत कृषि क्या है?

- सतत कृषि, खेती का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो उत्पादकता को पारिस्थितिक स्वास्थ्य, आर्थिक व्यवहार्यता और सामाजिक समता के साथ संतुलित करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना हो।
- यह दृष्टिकोण खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए संसाधनों के संरक्षण हेतु पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकृत करता है। एफएओऐसी खेती जो "लाभप्रदता, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और सामाजिक समानता सुनिश्चित करते हुए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करती है।"
- संयोजन पारिस्थितिक संतुलन, आर्थिक विकास और सामुदायिक कल्याण। उदाहरण: सिक्किम बनादुनिया का पहला पूर्णतः जैविक राज्य(2016), स्थिरता का एक मॉडल प्रदर्शित करता है।

विभिन्न प्रथाएँ

- सतत कृषि कोई एक पद्धति नहीं, बल्कि पर्यावरण-अनुकूल, लागत-प्रभावी और समुदाय-उन्मुख विधियों का एक समूह है। ये पद्धतियाँ हानिकारक आदानों पर निर्भरता कम करती हैं और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करती हैं।
- **जैविक खेती :** रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से परहेज, मिट्टी की उर्वरता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्राकृतिक आदानों पर निर्भर भारत ने 4.4 मिलियन जैविक किसान (विश्व में सबसे बड़ा – FiBL 2023)।
- शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF)रासायनिक उर्वरकों के बजाय जीवामृत जैसे स्थानीय जैविक आदानों का उपयोग करके खेती की लागत कम करता है।
- आंध्र प्रदेश में लोकप्रिय, लागत कम करता है, अपनाया गयादेश भर में 80 लाख किसानविभिन्न मॉडलों के अंतर्गत।फसल विविधीकरणकीटों के हमलों और बाज़ार में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए एक ही मौसम में कई फसलें उगाना।
- भारत ने 2023 (अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष) में बाजरे को बढ़ावा दिया; बाजरा, रागी और ज्वार को कम पानी की आवश्यकता होती है और पोषण में सुधार होता है।
- कृषि वानिकी मृदा स्वास्थ्य, जैव विविधता और कार्बन अवशोषण में सुधार के लिए फसलों और पशुधन के साथ वृक्षों का एकीकरण। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चिनार और नीलगिरी की खेती को बढ़ावा देती है।
- **जल-स्मार्ट तकनीकें:** ड्रिप सिंचाई, वर्षा जल संचयन,पीएमकेएसवाईसूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 13 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

हमें सतत कृषि की आवश्यकता क्यों है?

- 1.4 अरब की आबादी वाला भारत प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है।
- असंवहनीय कृषि पद्धतियों के कारण मृदा क्षरण, जल संकट और जैव विविधता का ह्रास हुआ है।
- सतत कृषि अब वैकल्पिक नहीं रही—यह दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है।

भूमि क्षरण: लगभग भारत की 30% भूमिक्षीण हो गया है। (इसरो 2021)

- **जल संकट:** कृषि उपयोगभारत के 80% मीठे पानीपंजाब और हरियाणा में भूजल की गंभीर कमी है।
- जलवायु परिवर्तन आईपीसीसी का अनुमान है कि भारत को इसका सामना करना पड़ सकता है 2100 तक फसल उपज में 10-40% की हानियदि असंवहनीय प्रथाएं जारी रहती हैं।
- स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँकीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा विषाक्तता और किसानों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं (उदाहरण के लिए, पंजाब में "कैंसर ट्रेन")।
- **खाद्य सुरक्षा :** 2060 तक जनसंख्या 1.7 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, इसलिए भावी पीढ़ियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए टिकाऊ खेती आवश्यक है।

सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियाँ

इस तात्कालिक आवश्यकता को समझते हुए, भारत सरकार ने पर्यावरण-अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कई मिशन और योजनाएँ शुरू की हैं। इन पहलों का उद्देश्य रसायनों पर निर्भरता कम करना, मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और किसानों की आजीविका को सहारा देना है।

- **परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) :** जैविक खेती को बढ़ावा देता है, 7.88 लाख हेक्टेयर ढका हुआ। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) जलवायु-लचीले व्यवहारों पर ध्यान केन्द्रित करें।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना :** वितरित 23 करोड़ से अधिक कार्ड 2015 से, किसानों को उर्वरक उपयोग को संतुलित करने में मदद कर रहा है।
- **पीएम-कुसुम योजना :** सौर ऊर्जा चालित सिंचाई को बढ़ावा देता है, डीजल/बिजली के उपयोग को कम करता है।
- **बाजरा संवर्धन :** भारत ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया बाजरे का वर्ष,वैश्विक बाजरा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
- **ताइवान के साथ एपीडा का एमआरए (पारस्परिक मान्यता समझौता) (2024):** पहला द्विपक्षीय समझौताजैविक उत्पाद व्यापार इससे चावल, चाय और औषधीय पौधों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

सतत कृषि को बढ़ाने में समस्याएँ

- प्रगति के बावजूद, टिकाऊ कृषि को मुख्यधारा में लाने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। ये समस्याएँ संरचनात्मक और नीतिगत, दोनों ही हैं, जो अक्सर किसानों को टिकाऊ तरीके अपनाने से हतोत्साहित करती हैं।
- उच्च संक्रमण लागत जैविक/प्राकृतिक खेती के लिए प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है और पैदावार अस्थायी रूप से कम हो सकती है।
- बाजार पहुंच जैविक फसलों के लिए सुनिश्चित एमएसपी या प्रीमियम मूल्य निर्धारण का अभाव।
- जागरूकता का अंतर किसानों का एक छोटा सा हिस्सा ही पीकेवीवाई या जेडबीएनएफ जैसी योजनाओं के बारे में जानता है।
- खंडित भूमि जोत: ऊपर 86% किसान छोटे/सीमांत हैं, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को सीमित करना।
- प्रमाणन बाधाएँजैविक उत्पादों के लिए लंबी एवं महंगी प्रमाणन प्रक्रियाएं।
- सब्सिडी पर निर्भरतारासायनिक उर्वरकों पर अभी भी भारी सब्सिडी दी जा रही है (2023-24 में ~ 1.75 लाख करोड़ रुपये), जिससे जैविक अपनाने में बाधा आ रही है।

आगे की राह :

1. टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए, भारत को नवाचार, प्रोत्साहन और संस्थागत सुधारों के मिश्रण की आवश्यकता है।
2. किसानों, सरकारों और बाज़ारों को शामिल करते हुए एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण आवश्यक है। नीति संरेखण यूरिया के स्थान पर जैविक, जैव-उर्वरकों और ड्रिप सिंचाई को प्राथमिकता देने के लिए सब्सिडी को पुनर्संतुलित किया जाना चाहिए।
3. **S**बाजरा, दालें और तिलहन जैसी टिकाऊ फसलों के लिए सुनिश्चित खरीद/एमएसपी।
4. **कृषि-तकनीक एकीकरण :** सटीक खेती के लिए ड्रोन, IoT, AI का उपयोग; जैविक किसानों को खरीदारों से जोड़ने के लिए e-NAM का उपयोग।
5. **क्षमता निर्माण:** किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का विस्तार करना, लक्ष्य 2027 तक 10,000 एफपीओ सामूहिक के लिए.
6. **वैश्विक व्यापार अवसर:** भारत पहले से ही निर्यात करता है1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के जैविक उत्पाद(एपीडा, 2022), ताइवान, यूरोपीय संघ और खाड़ी बाजारों में विस्तार की गुंजाइश।
7. **जलवायु-स्मार्ट प्रथाएँ:** भारत के साथ संरेखित करते हुए लचीली किस्मों और कार्बन क्रेडिट मॉडल को प्रोत्साहित करें 2070 तक नेट-शून्य लक्ष्य।

निष्कर्ष :

1. टिकाऊ कृषि भारत की खाद्य और पारिस्थितिक सुरक्षा की रीढ़ है।बढ़ती आबादी, घटते संसाधनों और जलवायु परिवर्तन के दबाव के साथ, पर्यावरण-अनुकूल, किसान-केंद्रित प्रथाओं की ओर बदलाव अत्यावश्यक है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

2. सरकारी योजनाएँ, वैश्विक साझेदारियाँ और जमीनी स्तर के नवाचार गति प्रदान करते हैं, लेकिन व्यापक रूप से अपनाया जाना मज़बूत प्रोत्साहन और जागरूकता पर निर्भर करेगा।

3. इनके संयोजन सेपारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मेलभारत ऐसी खेती सुनिश्चित कर सकता है जो न केवल अपने लोगों को भोजन उपलब्ध कराए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी मिट्टी, पानी और जैव विविधता की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q1. भारत में निम्नलिखित पहलों पर विचार करें:

1. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 3. पीएम-कुसुम योजना
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

उपर्युक्त में से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 1, 3 और 4 (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (b) केवल 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. "सतत कृषि न केवल एक पर्यावरणीय आवश्यकता है, बल्कि भारत के लिए एक आर्थिक और सामाजिक अनिवार्यता भी है।" भारत की कृषि चुनौतियों और सरकारी पहलों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

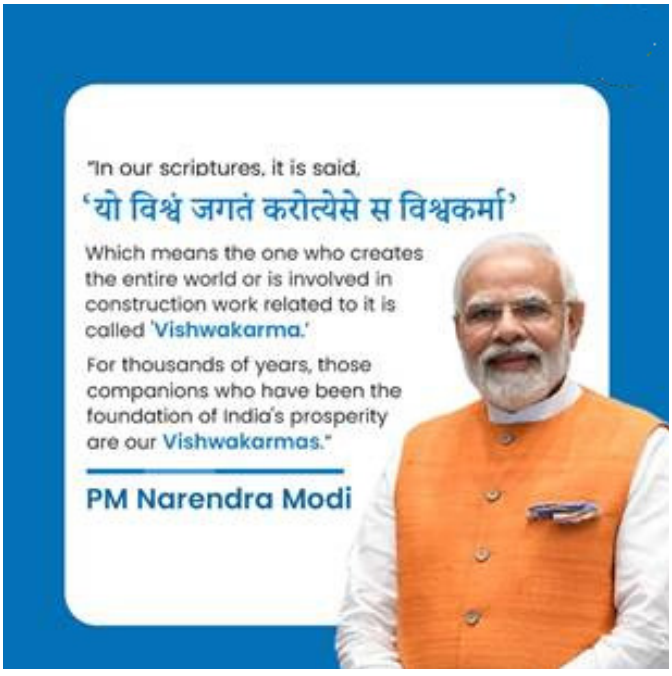
(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)



प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना: विरासत का सम्मान, प्रगति को शक्ति प्रदान करना

समाचार में क्यों?

- सितंबर 2025 में, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के दो वर्ष पूरे हो जाएँगे, जो पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने की इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
- इस अवधि में, लगभग 30 लाख कारीगरों को इस योजना के तहत पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 86% ने अपने शिल्प को उन्नत बनाने और आधुनिक बाज़ार की ज़रूरतों के अनुकूल बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- इसके अतिरिक्त, लगभग 4.7 लाख ज़मानत-मुक्त ऋण वितरित किए गए हैं, जो उनकी आजीविका को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
- विरासत संरक्षण और आजीविका सशक्तिकरण, दोनों के लिए एक प्रमुख पहल के रूप में मान्यता प्राप्त, इस योजना ने कारीगर समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करते हुए भारत के पारंपरिक शिल्प की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।



विश्वकर्मा :

1. **पहचान:** विश्वकर्मा हिंदू ब्रह्मांड के दिव्य वास्तुकार और शिल्पकार हैं।
2. **पौराणिक कथाओं में भूमिका:** दिव्य महलों, पौराणिक शहरों, दिव्य हथियारों और देवताओं के लिए उड़ने वाले रथों के निर्माता।

3. **प्रतीकवाद :** हिंदू परंपरा में प्रथम इंजीनियर, वैज्ञानिक और शिल्पकार के रूप में सम्मानित।

4. **पूजा :** विश्वकर्मा जयंती (17 सितंबर) को विशेष रूप से कारीगरों, इंजीनियरों, वास्तुकारों और औद्योगिक श्रमिकों द्वारा मनाया जाता है।

5. **सांस्कृतिक महत्व :** यह कौशल, नवाचार और शिल्प कौशल के प्रति भारत के सदियों पुराने सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है।

कार्यक्षेत्र इसकी आवश्यकता क्यों?

कार्यक्षेत्र	इसकी आवश्यकता क्यों?	स्पष्टीकरण / उदाहरण
आर्थिक सशक्ति-करण	पारंपरिक कारीगरों की आय और बाजार पहुंच में गिरावट	वैश्विक व्यापार में हथकरघा एवं हस्तशिल्प निर्यात का हिस्सा 2010–2022 के बीच 5% से घटकर 2% रह गया
रोजगार सृजन	असंगठित शिल्प क्षेत्र में रोजगार सुरक्षा और मान्यता का अभाव	13 करोड़ कारीगर कम मजदूरी वाले अनौपचारिक काम पर निर्भर
कौशल विकास	पारंपरिक कौशल को आधुनिक मांगों के अनुरूप उन्नत नहीं किया गया	डिजिटल उपकरणों और आधुनिक मशीनरी में प्रशिक्षण की आवश्यकता
सामाजिक उत्थान	कारीगर समुदाय अक्सर हाशिए पर पड़े वर्गों से संबंधित	योजना पारंपरिक व्यवसायों को सामाजिक सम्मान और पहचान सुनिश्चित करती है
सांस्कृतिक संरक्षण	औद्योगीकरण के कारण कई पारंपरिक शिल्प लुप्त हो रहे	उदाहरण: बनारसी बुनकर, धातु शिल्पकार अपनी आजीविका खो रहे
समावेशिता	महिला कारीगरों को कौशल और वित्तीय पहुंच में दोहरे भेदभाव का सामना	योजना लिंग-संवेदनशील ऋण और प्रशिक्षण को बढ़ावा देती है
तकनीकी उन्नयन	तकनीकी एकीकरण का अभाव उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को कम करता	आधुनिक उपकरणों, ई-कॉमर्स, ब्रांडिंग के लिए समर्थन की आवश्यकता
स्थिरता और हरित विकास	कई शिल्पकलाओं में पर्यावरण-अनुकूल, स्थानीय सामग्रियों का उपयोग	यह सतत विकास लक्ष्यों और "मेक इन इंडिया" हरित निर्यात के अनुरूप
संस्थागत समर्थन	पहले नीतियां खंडित थीं, एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता	पीएम विश्वकर्मा योजना: ऋण, प्रशिक्षण, प्रमाणन, बाजार संपर्क एक ही छत के नीचे

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है?

- 17 सितंबर 2023 (विश्वकर्मा जयंती) पर लॉन्च किया गया ।
- **वित्तीय परिव्यय :** ₹13,000 करोड़ (2023-28)।
- 18 पारंपरिक व्यवसायों (बढ़ई, राजमिस्त्री, कुम्हार, दर्जी, मोची, नाई, लोहार, सुनार, आदि) को समर्थन प्रदान करता है।
- आईडी मान्यता, कौशल प्रशिक्षण, टूलकिट प्रोत्साहन, रियायती ऋण और बाजार संपर्क प्रदान करता है।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

1. **मान्यता** → पीएम विश्वकर्मा आईडी और प्रमाण पत्र।
2. **कौशल विकास** → बुनियादी + उन्नत प्रशिक्षण.
3. **वित्तीय सहायता** → 5% ब्याज पर ₹3 लाख तक का ऋण।

4. **टूलकिट प्रोत्साहन** → ₹15,000 का ई-वाउचर।

5. **बाजार संबंध** → GeM, मेले, ई-कॉमर्स, ब्रांडिंग।

6. **विरासत संरक्षण** → गुरु-शिष्य परंपरा का समर्थन करें

प्रमुख चुनौतियाँ:

चुनौती क्षेत्र	समस्याएँ	डेटा / उदाहरण
आर्थिक	सीमित वैश्विक बाजार पहुंच; कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव	कई कारीगर केवल स्थानीय बाजारों में सामान बेचते हैं; हथकरघा निर्यात ~₹23,000 करोड़ (2024) पर स्थिर
सामाजिक	दूरस्थ/आदिवासी क्षेत्रों में जागरूकता का अभाव; लैंगिक असमानता	हथकरघा क्षेत्र में बहुसंख्यक होने के बावजूद कुल लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी <30%
सांस्कृतिक	मशीन-निर्मित वस्तुओं से खतरा; युवा व्यापार छोड़ रहे	पश्चिम बंगाल: टेराकोटा शिल्प की जगह बड़े पैमाने पर उत्पादित मिट्टी के बर्तन
प्रशासनिक	असमान DPMU निगरानी; योजनाओं में दोहराव	CAG (2024): पीएमईजीपी और मुद्रा योजनाओं में ओवरलैप
प्रौद्योगिकीय	कम डिजिटल साक्षरता; कमजोर ई-कॉमर्स उपस्थिति	प्रोत्साहन के बावजूद केवल 12% कारीगर ही GeM से जुड़े

समावेशी विरासत के लिए आगे की राह:

कार्यक्षेत्र	आगे की राह	उदाहरण / सुझाव
आर्थिक समावेशन	लचीले पुनर्भुगतान के साथ संपार्श्विक-मुक्त ऋणों का विस्तार; कारीगरों को निर्यात संवर्धन परिषदों से जोड़ना	वित्त तक आसान पहुंच; EPC के माध्यम से वैश्विक खरीदारों से जुड़ाव
सामाजिक सशक्तिकरण	विशेष महिला-केंद्रित कारीगर समूह बनाना; SHG को विश्वकर्मा लाभार्थियों के साथ एकीकृत करना	पूर्वोत्तर में हथकरघा समूह, असम में चटाई निर्माता; SHG द्वारा ऋण व सामूहिक विपणन
सांस्कृतिक पुनरोद्धार	प्रत्येक राज्य में हेरिटेज शिल्प केंद्र स्थापित करना; गुरु-शिष्य परंपरा से युवा प्रशिक्षुता को बढ़ावा	शिल्प केंद्र स्थानीय विरासत प्रदर्शित करें; परंपरा + नवीनता का सम्मिश्रण
प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण	विश्वकर्मा पोर्टल को Udyam Assist से डिजिटल रूप से जोड़ना; डीपीएमयू को उन्नत उपकरणों से मजबूत करना	497 DPMU में AI-आधारित लाभार्थी ट्रैकिंग
तकनीकी और बाजार संबंध	NID/NIFT के माध्यम से डिजाइन उन्नयन; GeM ऑनबोर्डिंग, ब्रांडिंग व ODOP अभियानों को बढ़ावा	आधुनिक डिजाइन, ई-कॉमर्स तक पहुंच, मजबूत "एक जिला, एक उत्पाद" ब्रांडिंग

निष्कर्ष :

- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक आर्थिक कार्यक्रम से कहीं बढ़कर है—यह भारत के कारीगरों के प्रति एक सभ्यतागत श्रद्धांजलि है, जो उनकी गरिमा, पहचान और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- विरासत के कौशल को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर और जाति, लिंग और क्षेत्र से परे समावेशी विकास को बढ़ावा ।
- यह योजना विश्वकर्माओं को विकसित भारत 2047 की ओर भारत के अभियान में सच्चा भागीदार बना सकती है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

Q. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना निम्नलिखित में से किस व्यापार के लिए है?

1. बढ़ई
2. राजमिस्त्री (राजमिस्त्री
3. दर्जी
4. आईटी पेशेवर

विकल्प:

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2 और 4

(C) सभी चार (d) केवल 1 और 4

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न :

Q. वैश्वीकरण के युग में भारत की सांस्कृतिक और शिल्प विरासत को संरक्षित करने में पारंपरिक कारीगरों (विश्वकर्मा) की भूमिका पर चर्चा करें।

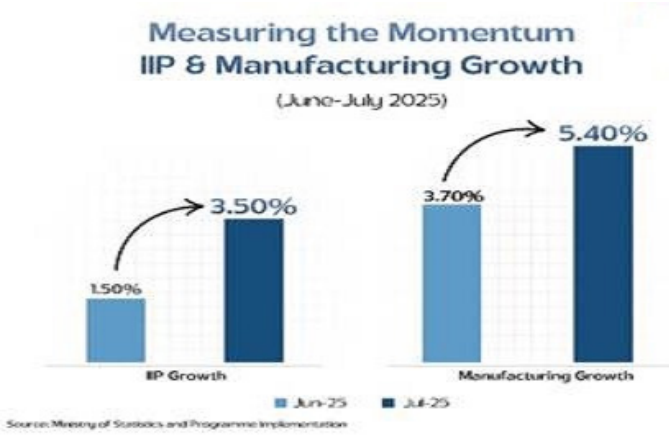
(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)



भारत का विनिर्माण क्षेत्र : $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर

समाचार में क्यों?

- हाल ही जुलाई 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में 3.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है। भारत का विनिर्माण क्षेत्र वर्तमान में अपनी आर्थिक यात्रा में एक उल्लेखनीय गति दर्शा रहा है, जो इसे आर्थिक विकास का एक प्रमुख इंजन बना रहा है।



- भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने अकेले 5.4% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की, जो देश की औद्योगिक मजबूती का स्पष्ट संकेत है। यह गति कई महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों का परिणाम है, जिनमें उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना, पीएम मित्र (PM MI-TRA) वस्त्र पार्क, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (NMM) और स्किल इंडिया कार्यक्रम शामिल हैं। ये पहलें न केवल घरेलू विनिर्माण को मजबूत कर रही हैं और निर्यात को बढ़ावा दे रही हैं, बल्कि देश भर में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर भी सृजित कर रही हैं।

- इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और वस्त्र उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्र इस विकास के इंजन बनकर उभर रहे हैं। यह सब भारत की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है कि वह वित्त वर्ष 2026 (FY26) तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की विनिर्माण अर्थव्यवस्था बने और विश्व मानचित्र पर एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करे।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में विस्तृत योगदान :



सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और औद्योगिक उत्पादन में मजबूती प्रदान करना :

- देश में विनिर्माण क्षेत्र भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण के लिए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र

अकेले जीडीपी में लगभग 7.1% का योगदान देता है और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसी तरह, वस्त्र उद्योग जीडीपी में लगभग 2.3% का योगदान देता है और कृषि के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है।

- औद्योगिक उत्पादन के मोर्चे पर, जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई। इस वृद्धि में विनिर्माण क्षेत्र की 5.4% वृद्धि का प्रमुख योगदान रहा। यह गति मुख्य रूप से कुछ प्रमुख उप-क्षेत्रों से आई: मूल धातुओं में 12.7% की वृद्धि हुई, विद्युत उपकरणों में 15.9% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, और गैर-धात्विक खनिजों ने 9.5% की स्वस्थ वृद्धि दर्ज की। ये आंकड़े उत्पादन और अवसंरचना में तेजी का संकेत देते हैं।

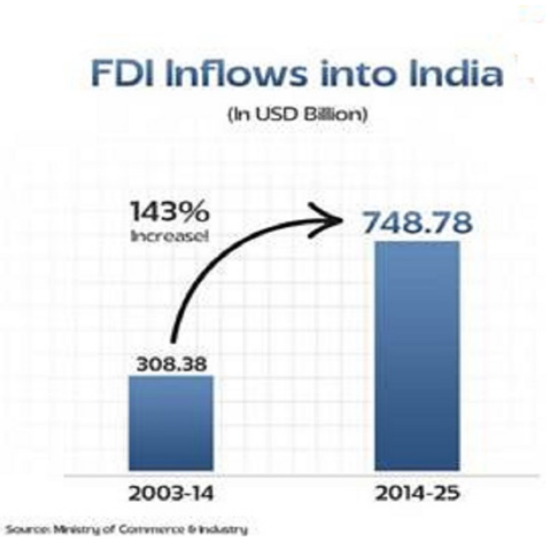
निर्यात और विदेशी निवेश (FDI) का आकर्षण :

- विनिर्माण क्षेत्र भारत के व्यापार संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। अप्रैल से अगस्त 2025 की अवधि में माल निर्यात का मूल्य US$ 184.13 बिलियन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.52% अधिक है।
- इस निर्यात वृद्धि में इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्र अग्रणी रहे। उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में विशेष रूप से बड़ा उछाल देखा गया है।
- यह क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का एक बड़ा आकर्षण केंद्र भी है। वित्त वर्ष 2024–25 में भारत को US$ 19.04 बिलियन का FDI प्राप्त हुआ, जो वैश्विक निवेशकों का भारत की उत्पादन क्षमता पर विश्वास दर्शाता है।
- इस निवेश को आकर्षित करने वाले शीर्ष राज्य महाराष्ट्र (39%), कर्नाटक (13%) और दिल्ली (12%) रहे, जबकि सिंगापुर (30%) शीर्ष निवेशक बनकर उभरा है।

रोजगार सृजन और कुशल कार्यबल विकास :

- भारत में विनिर्माण क्षेत्र ने पिछले एक दशक में 17 करोड़ नौकरियाँ सृजित करके एक महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक भूमिका निभाई है।
- वर्तमान समय में, इस क्षेत्र का कार्यबल भागीदारी दर (WPR) 52.2% है, जिसमें महिला WPR 32% तक पहुँच गई है।
- स्किल इंडिया कार्यक्रम विनिर्माण क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कार्यबल को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे औपचारिक रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल रहा है।

विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित प्रमुख नीतिगत पहलें :



भारत सरकार ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है -

1. उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना :

- **उद्देश्य :** घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, बड़े निवेश को आकर्षित करना और भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।
- **सफलता :** यह योजना एक अभूतपूर्व सफलता रही है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ₹3.27 लाख करोड़ के पार चला गया है, जिसमें स्मार्टफोन निर्यात अकेले ₹2 लाख करोड़ तक पहुँच गया है, जो वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के एकीकरण को दर्शाता है।

2. राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (NMM) :

- **उद्देश्य :** सतत विनिर्माण के लिए एक रणनीतिक रोडमैप तैयार करना, नवाचार को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करना।
- **सफलता :** यह मिशन स्वच्छ प्रौद्योगिकी उद्योगों के विकास और देश के नेट-ज़ीरो 2070 लक्ष्य के साथ विनिर्माण प्रक्रियाओं को संरेखित करने पर केंद्रित है, जिससे एक भविष्य-तैयार औद्योगिक आधार का निर्माण हो रहा है।

3. पीएम मित्र वस्त्र पार्क (PM MITRA) :

- **उद्देश्य :** विश्व स्तरीय एकीकृत वस्त्र और परिधान क्लस्टर बनाना, लॉजिस्टिक्स लागत कम करना और एंड-टू-एंड विनिर्माण को सक्षम करना।
- **सफलता :** धार (मध्य प्रदेश) जैसे स्थानों पर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें 1,300 एकड़ का क्षेत्र शामिल है। ये पार्क 80 से अधिक विनिर्माण इकाइयों को आकर्षित करने और 3 लाख तक संभावित नौकरियाँ सृजित करने की क्षमता रखते हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

4. जीएसटी 2.0 और व्यवसाय सुगमता :

- **उद्देश्य :** कर स्लैब को सरल बनाना, दरों में कमी करना और अनुपालन को आसान बनाना, जिससे विनिर्माण की लागत कम हो।
- **सफलता :** वस्त्र और चमड़ा उत्पादों पर 5% जीएसटी और ट्रक व वैन पर 18% जीएसटी जैसे कदम लॉजिस्टिक्स और उत्पादन लागत को तर्कसंगत बनाते हैं।

5. स्किल इंडिया कार्यक्रम :

- **उद्देश्य :** आधुनिक विनिर्माण की बदलती जरूरतों के अनुरूप कुशल कार्यबल तैयार करना।
- **सफलता :** इस पहल के तहत ₹8,800 करोड़ का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 4.0 और विभिन्न अप्रेंटिसशिप योजनाएँ उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए कार्यबल को अपस्किल और रीस्किल कर रही हैं।

6. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) :

- **उद्देश्य :** लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, दक्षता में सुधार करना और विनिर्माण उत्पादों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करना।
- **सफलता :** यह नीति पीएम गति शक्ति के साथ एकीकृत है, जो भौतिक और डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से लॉजिस्टिक्स पार्क और बेहतर संपर्क विकसित कर रही है।



भारत के विनिर्माण क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ :

भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लिए निम्नलिखित चुनौतियों का समाधान करना होगा -

क्षेत्र-विशिष्ट या क्षेत्र - आधारित समस्याएँ :

- **इलेक्ट्रॉनिक्स :** निर्यात बढ़ने के बावजूद, हम अभी भी कई महत्वपूर्ण पुर्जों के आयात पर निर्भर हैं। सरकार का लक्ष्य 2024-25 तक इस निर्भरता को कम करना है।
- **फार्मा :** भारतीय फार्मा उद्योग वैश्विक टीकों का 50% और अमेरिका को 40% जेनेरिक दवाएँ देता है। हालाँकि, यह चीन जैसे देशों से कच्चे माल (API) की उपलब्धता और तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा के प्रति संवेदनशील है।
- **ऑटोमोबाइल :** इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी इकोसिस्टम के लिए उन्नत अवसंरचना और तकनीकी क्षमताओं की कमी है। EV क्रांति के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता है।
- **वस्त्र :** इस उद्योग की 80% क्षमता MSME क्लस्टर में है। इन क्लस्टरों के आधुनिकीकरण और वैश्विक गुणवत्ता मानकों को अपनाने में चुनौती है, जो रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है।

व्यापक संगठनात्मक बाधाएँ :

- **लॉजिस्टिक्स :** भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत अभी भी वैश्विक मानकों से अधिक है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) का उद्देश्य इस लागत को कम करना और लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) रैंक में सुधार करना है।
- **कुशल श्रमिकों की कमी :** रोबोटिक्स और AI जैसी उन्नत विनिर्माण तकनीकों के लिए प्रशिक्षित कुशल श्रमिकों की कमी है। स्किल इंडिया कार्यक्रम को इस अंतर को पाटने के लिए पुनर्गठन की आवश्यकता है।
- **नियामक ढाँचा में व्याप्त समस्याएं :** अत्यधिक अनुपालन बोझ और नियामक विलंब से 'व्यवसाय करने में सुगमता' प्रभावित होती है। GST 2.0 का उद्देश्य इन प्रक्रियाओं को और सरल बनाना है।

समाधान / आगे की राह :



कौशल विकास और अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश करने की अत्यंत जरूरत :

- **कौशल विकास :** हमें आधुनिक विनिर्माण की विशिष्ट मांग-आधारित प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। स्किल इंडिया को उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों के लिए उद्योग के साथ मिलकर पाठ्यक्रम तैयार करने चाहिए।
- **विश्व-स्तरीय अवसंरचना :** हमें औद्योगिक गलियारों, पीएम मित्र पार्कों और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स एकीकरण पर तेज़ी से काम करना चाहिए। पीएम गति शक्ति के माध्यम से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए इन्हें समय पर लागू करना आवश्यक है।

स्वच्छ-प्रौद्योगिकी और व्यापार सुगमता अनुपालन प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाने की आवश्यकता :

- **प्रौद्योगिकी और नवाचार :** विनिर्माण में स्वच्छ-प्रौद्योगिकी, डिजिटल विनिर्माण (उद्योग 4.0), और स्वचालन को बढ़ावा देना चाहिए। PLI योजनाओं को EV, हरित ऊर्जा और उन्नत फार्मा जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्रों पर अधिक केंद्रित करना चाहिए।
- **व्यवसाय सुगमता :** अनुपालन प्रक्रियाओं को और सरल बनाना तथा GST के बोझ को तर्कसंगत बनाना आवश्यक है। स्टार्टअप इंडिया पहल का लाभ उठाकर नवाचार को बढ़ावा दिया जाए और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए कर संरचनाओं को प्रतिस्पर्धी बनाया जाए।

निर्यात प्रतिस्पर्धा और सतत विकास के तहत नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने की जरूरत :

- **निर्यात प्रतिस्पर्धा :** हमें गुणवत्ता मानकों को बढ़ाना चाहिए और बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **सतत विकास :** हरित विनिर्माण को अपनाना और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना महत्वपूर्ण है। नेट-ज़ीरो 2070 लक्ष्य के साथ विनिर्माण को संरेखित करने के लिए सख्त पर्यावरणीय दिशानिर्देशों को लागू करना चाहिए।

निष्कर्ष :



- भारत को $1 ट्रिलियन विनिर्माण अर्थव्यवस्था बनने और एक स्थायी वैश्विक केंद्र बनने के लिए एक केंद्रित रणनीति को अपनाने की आवश्यकता है।
- विनिर्माण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसका योगदान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जुलाई 2025 में 5.4% की मजबूत वृद्धि के साथ, यह न केवल रोजगार सृजन और नवाचार को प्रोत्साहन दे रहा है, बल्कि निर्यात और निवेश का एक वैश्विक केंद्र बनने की ओर भी अग्रसर है।
- सतत नीति समर्थन, एक कुशल और आधुनिक कार्यबल का विकास, प्रौद्योगिकीय अंगीकरण में निवेश और हरित विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के बल पर, भारत FY26 तक $1 ट्रिलियन डॉलर की विनिर्माण अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।
- यह सफलता न केवल वर्तमान आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि "विकसित भारत 2047" की औद्योगिक नींव को भी निर्णायक रूप से मजबूत करेगी।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. PLI योजना में वित्तीय प्रोत्साहन सीधे तौर पर उत्पादन व बिक्री में वृद्धि से जुड़े हैं।
2. यह 14 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, वस्त्र एवं ड्रोन शामिल हैं।
3. इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना एवं आयात पर निर्भरता घटाना है।
4. PLI लाभ केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तक सीमित है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1, 2 और 3 केवल (b) 1 और 4 केवल

(c) 2 और 4 केवल (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत के विनिर्माण क्षेत्र को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर बनाने में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना की भूमिका का विश्लेषण कीजिए तथा इसकी संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

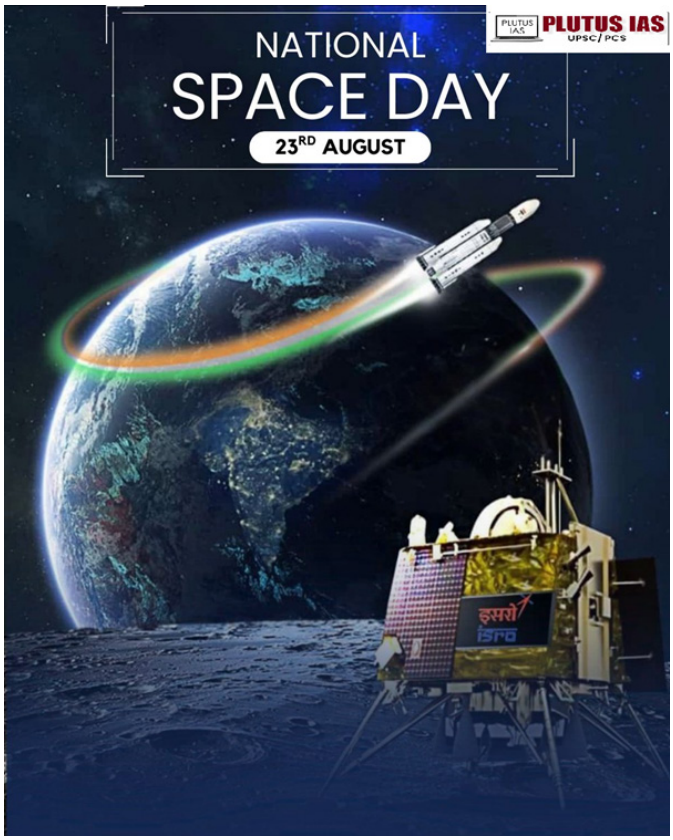


विज्ञान और प्रौद्योगिकी

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 : प्राचीन खगोल विज्ञान और आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बीच सेतु निर्माण

समाचार में क्यों?

- अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है।
- यह दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 चंद्रमा पर 'शिव शक्ति पॉइंट' नामक ऐतिहासिक स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जिससे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बन जाएगा।



- इस मिशन ने प्रज्ञान रोवर को भी तैनात किया, जिसने भारत की चंद्र अन्वेषण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर जोड़ा।
- राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का उद्देश्य युवा मस्तिष्कों को प्रेरित करना, राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना और यह प्रदर्शित करना है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियाँ मौसम पूर्वानुमान और कृषि से लेकर आपदा प्रबंधन तक, दैनिक जीवन में कैसे लाभकारी हैं।

थीम 2025 :

- **राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 का विषय है:**

"अतीत और भविष्य को जोड़ना: पारंपरिक खगोल विज्ञान का सम्मान और आधुनिक अंतरिक्ष उपलब्धियों का प्रदर्शन।"

ये समारोह भारत के प्राचीन खगोलीय ज्ञान पर ज़ोर देते हैं और साथ ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में समकालीन उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालते हैं।

- इस उत्सव में छात्र मुख्य भूमिका निभाते हैं, जहाँ स्कूलों और कॉलेजों में विज्ञान मेले, तारामंडल प्रदर्शनियां, प्रतियोगिताएँ और इसरो वैज्ञानिकों के साथ संवाद सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिससे अंतरिक्ष अनुसंधान में जिज्ञासा और रुचि बढ़ती है।

23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है?

- 23 अगस्त, 2023 को, इसरो का चंद्रयान-3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा, जो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ किसी अन्य देश ने अभी तक खोज नहीं की है।
- इसके साथ ही, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बन गया। राष्ट्रों के कुलीन समूह में शामिल हो गए—अमेरिका, रूस और चीन—चन्द्रमा पर उतरने के लिए।
- दुनिया के सामने अपनी कम लागत वाली किन्तु अत्यधिक प्रभावी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के सम्मान में, भारत सरकार ने इसरो की उपलब्धियों को मान्यता देने और युवा मस्तिष्कों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया।

भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियां :

1. निजी क्षेत्र की भागीदारी का विस्तार :

- 2020 में IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र) की स्थापना के बाद से, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है।
- 300 से ज़्यादा स्टार्ट-अप पंजीकृत हो चुके हैं, और छह निजी संस्थाओं ने इसरो के सहयोग से 14 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं।
- इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टार्ट-अप द्वारा दो उप-कक्षीय परीक्षण उड़ानें सफलतापूर्वक संचालित की गईं, जो नवाचार और उद्यमिता के लिए एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाती हैं।

2. मानव अंतरिक्ष उड़ान - क्या मिशन:

- गगनयान कार्यक्रम भारत की मानव अंतरिक्ष यात्रा की एक प्रमुख पहल है। दिसंबर 2025 में होने वाला पहला मानवरहित मिशन, मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए महत्वपूर्ण प्रणालियों का परीक्षण करने हेतु, अर्ध-मानव रोबोट, व्योममित्र को अपने साथ ले जाएगा। भविष्य के इस मानवयुक्त मिशन का उद्देश्य भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मिशन पूरा करने वाले पहले भारतीय हैं। यह भारत की क्षमताओं में एक ऐतिहासिक छलांग है।

3. अन्य उपलब्धियां:

- भारत नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) उपग्रह जैसे मिशनों के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त कर रहा है, जो बेहतरीन ढंग से कार्य कर रहा है।
- देश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग नागरिक-केंद्रित अनुप्रयोगों के लिए भी कर रहा है, जिसमें दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार, सटीक कृषि और आपदा चेतावनी प्रणालियाँ शामिल हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अंतरिक्ष में प्रगति समाज के लिए ठोस लाभ में परिवर्तित हो।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2.0

- **दिनांक एवं स्थान:** 22 अगस्त 2025, नई दिल्ली।
- **प्रतिभागी:** मंत्रालय, स्टार्ट-अप, शिक्षा जगत, विशेषज्ञ।
- उद्देश्य: अगले दशक के लिए भारत के अंतरिक्ष रोडमैप को आकार देना। 10 ब्रेकआउट सत्रों के माध्यम से सैकड़ों व्यावहारिक और भविष्योन्मुखी उपयोग मामलों की पहचान करें।
- **मुख्य आकर्षण:** पी.के. मिश्रा (प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव): अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को बेहतर बनाना है - कृषि को बढ़ावा देना, जलवायु लचीलापन बनाना।
- **स्टार्ट-अप विकास:** 2014 में 2 अंतरिक्ष स्टार्ट-अप से लेकर आज 350+ तक। यह निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने में सुधारों की सफलता को दर्शाता है।

अंतरिक्ष दिवस पर इसरो की प्रमुख उपलब्धियों का जश्न मनाया गया

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 पर, राष्ट्र इसरो की प्रेरणादायक उपलब्धियों पर नज़र डालेगा:

1. **आर्यभट्ट (1975):** भारत का पहला उपग्रह.
2. **पीएसएलवी और जीएसएलवी विकास:** उपग्रहों के लिए विश्वसनीय प्रक्षेपण वाहन।
3. **मंगलयान (2013):** मंगल ग्रह की कक्षा में पहला एशियाई मिशन, जो कम बजट में पूरा किया गया।
4. **चंद्रयान-1 (2008):** चंद्रमा पर जल के अणुओं की खोज की गई।
5. **चंद्रयान-2 (2019):** ऑर्बिटर चंद्रमा का अध्ययन जारी रखे हुए है।
6. **चंद्रयान-3 (2023):** चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग।
7. **नाविक उपग्रह:** भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली।
8. **वाणिज्यिक प्रक्षेपण:** भारत को उपग्रह प्रक्षेपण का वैश्विक केंद्र बनाना

भारत की अंतरिक्ष यात्रा: अतीत से वर्तमान तक

1. **1963:** थुम्बा से परिज्ञापी रॉकेट प्रक्षेपित किये गये।
2. **1975:** भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण।
3. **2023:** चंद्रयान-3 का चंद्रमा पर उतरना।
4. **2025:** आगामी गगनयान मिशन - मानव अंतरिक्ष उड़ान।
5. **दृष्टि:** प्राचीन खगोल विज्ञान को आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ना।
6. **लक्ष्य:** विकसित भारत 2047 प्राप्त करें - वैश्विक मान्यता, तकनीकी उत्कृष्टता और अंतरिक्ष अन्वेषण में नेतृत्व।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 का महत्व

1. **कृषि और खाद्य सुरक्षा:** फसल के स्वास्थ्य की निगरानी, पैदावार की भविष्यवाणी और परिशुद्ध खेती को समर्थन देने के लिए उपग्रह आधारित सुदूर संवेदन का लाभ उठाना।
2. **आपदा प्रबंधन:** पूर्व चेतावनी प्रणालियों के लिए उपग्रह चित्रों का उपयोग, बाढ़, चक्रवात और भूकंप की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग, समय पर राहत प्रयासों में सहायता करना।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. **मौसम पूर्वानुमान और जलवायु निगरानी:** मौसम पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की निगरानी करना, तथा टिकाऊ पर्यावरणीय नियोजन का समर्थन करना।

4. **संचार प्रणालियाँ:** दूरस्थ क्षेत्रों में राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी और उपग्रह आधारित संचार को मजबूत करना।

5. **नेविगेशन और परिवहन:** परिवहन, रसद और शहरी नियोजन के लिए जीपीएस और उपग्रह नेविगेशन प्रणालियों में सुधार करना।

6. **अंतरिक्ष अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास:** अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अन्वेषण में नवाचार को बढ़ावा देना, भारत को वैश्विक अंतरिक्ष नेता के रूप में स्थापित करना।

7. **राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामरिक अनुप्रयोग:** अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों के माध्यम से रक्षा क्षमताओं, निगरानी और रणनीतिक निगरानी को बढ़ाना।

निष्कर्ष :

- राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की असाधारण उपलब्धियों का उत्सव है, साथ ही मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य की कल्पना भी करता है।
- यह युवाओं की सहभागिता, वैज्ञानिक नवाचार और निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व को रेखांकित करता है, और इस बात पर प्रकाश डालता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण राष्ट्रीय विकास, वैश्विक मान्यता और जीवन की बेहतर गुणवत्ता में कैसे योगदान देता है।
- अतीत और भविष्य के बीच सेतु बनाकर, भारत आर्यभट्ट से गगनयान तक अपनी यात्रा जारी रखता है और पीढ़ियों को आकाश से परे सपने देखने के लिए प्रेरित करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न

Q1. राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है।
2. यह दिन भारत के चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है।
3. भारत चंद्रयान-3 के साथ चंद्रमा पर उतरने वाला पहला देश बना।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 अंतरिक्ष विज्ञान और इसके सामाजिक अनुप्रयोगों में भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाता है। इस दिन के महत्व और आर्यभट्ट से गगनयान तक भारत की यात्रा पर चर्चा करें।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)



भारत बनाम साइबर अपराध : साइबर सुरक्षा की रणनीतियाँ और भविष्य का नवाचार

समाचार में क्यों?

- हाल ही में गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत आज बढ़ते साइबर खतरों के दौर से गुजर रहा है।
- भारत में इंटरनेट की सार्वजानिक पहुँच और डिजिटल लेन-देन की व्यापकता ने भारत को न केवल एक वैश्विक डिजिटल शक्ति बनाया है, बल्कि उसे विभिन्न प्रकार के साइबर हमलों के प्रति भी बेहद संवेदनशील बना दिया है।
- देश में बढ़ते रैनसमवेयर हमले, डेटा लीक, पहचान की चोरी और डीपफेक जैसे नवीनतम साइबर खतरे न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता और लोकतांत्रिक संस्थानों के लिये भी गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं।

भारत के समक्ष प्रमुख साइबर खतरे :

1. **साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी :** भारत में यूपीआई और डिजिटल भुगतान प्रणालियों का उपयोग तो बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही फिशिंग, OTP धोखाधड़ी और पहचान चोरी जैसे अपराध भी तेज़ी से बढ़े हैं। वर्ष 2024 में 1.91 मिलियन से अधिक साइबर अपराध शिकायतें दर्ज की गईं – यह संख्या डिजिटल भेद्यता की गंभीरता को दर्शाती है।

2. **रैनसमवेयर और मैलवेयर हमले :** अस्पताल, सरकारी डेटाबेस और निजी कंपनियाँ लगातार रैनसमवेयर के निशाने पर हैं। AIIMS दिल्ली पर 2022 में हुए साइबर हमले ने देश की स्वास्थ्य प्रणाली की साइबर सुरक्षा को कटघरे में खड़ा कर दिया।

3. **महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की भेद्यता :** पावर ग्रिड, दूरसंचार नेटवर्क, परमाणु संयंत्र और बंदरगाह जैसे रणनीतिक परिसंपत्तियाँ साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील हैं। वर्ष 2019 में कुडनकुलम परमाणु संयंत्र पर हमला इस खतरे की वास्तविकता को उजागर करता है।

4. **डेटा उल्लंघन और गोपनीयता का संकट :** भारत में सरकारी और निजी संस्थानों के डेटा में सेंधमारी अब आम बात हो गई है। एयर इंडिया डेटा ब्रीच (2021) में करीब 4.5 मिलियन यात्रियों की व्यक्तिगत जानकारी लीक हो गई थी।

5. **डीपफेक और गलत एवं भ्रामक सूचना की भरमार होना :** AI आधारित डीपफेक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सामाजिक वैमनस्य, राजनीतिक भ्रम और चुनावी हेरफेर के प्रयास हो रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में कई राजनीतिक नेताओं के डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए।

6. **डार्क वेब के माध्यम से और संगठित साइबर अपराध और उग्रवाद को बढ़ावा देना :** डार्क वेब के माध्यम से आतंकवाद, ड्रग्स, अवैध हथियारों और बिटकॉइन आधारित वित्तपोषण को बढ़ावा मिल रहा है। इस छद्म नेटवर्क का दायरा भारत में संगठित साइबर अपराध और उग्रवाद के लिये एक मंच बनता जा रहा है।

भारत के साइबर सुरक्षा ढाँचे की प्रमुख कमज़ोरियाँ :

1. **अपर्याप्त कानूनी और नियामक ढाँचा का होना :** भारत का आईटी अधिनियम, 2000 अब वर्तमान तकनीकी खतरों (AI, डीपफेक, रैनसमवेयर) के अनुरूप नहीं है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसका प्रभावी कार्यान्वयन अभी चुनौतीपूर्ण है।

2. **देश में कुशल साइबर पेशेवरों की भारी कमी का होना :** नैसकॉम के अनुसार भारत को कम-से-कम 10 लाख साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान संख्या पचास प्रतिशत से भी कम है।

3. **भारतीय नागरिकों में साइबर जागरूकता / साक्षरता की कमी का होना :** भारत के अधिकांश नागरिक अभी तक फिशिंग मेल, नकली वेबसाइट और कॉल फ्रॉड को पहचानने में सक्षम नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता का अभाव और कमजोर साइबर हाइजीन नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाता है।

4. **पुराने और असुरक्षित अवसंरचना प्रोटोकॉल का होना :** बिजली, स्वास्थ्य और दूरसंचार जैसी सेवाओं में अभी भी पुराने सुरक्षा उपाय अपनाए जाते हैं। कई SMEs (लघु और मध्यम उद्योग) अपनी IT सुरक्षा में निवेश नहीं करते, जिससे वे आसानी से लक्षित हो सकते हैं।

5. **विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी का होना :** भारत में CERT-In, NCIIPC, I4C जैसी कई संस्थाएँ काम करती हैं, लेकिन उनके बीच अक्सर जानकारी साझा करने और कार्रवाई में समन्वय का अभाव रहता है। इससे समय रहते खतरे की पहचान करना और उससे संबंधित प्रतिक्रिया में देर होती है। फलतः समय पर खतरे की पहचान और प्रतिकार असंभव हो जाता है।

साइबर सुरक्षा को मज़बूत करने हेतु उठाए गए प्रमुख कदम :

भारत सरकार ने हाल के वर्षों में साइबर सुरक्षा को मज़बूत करने हेतु कई महत्वपूर्ण पहल की हैं -

विधायी पहल :

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** – डिजिटल लेन-देन और साइबर अपराध से संबंधित मूल कानून।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** – व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के लिए नवीन कानून।

संस्थागत ढाँचा :

- CERT-In (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल)
- NCIIPC (राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र)
- I4C (भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र)
- साइबर स्वच्छता केंद्र
- नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली (1930)

रणनीतिक योजनाएँ :

- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024
- चक्षु और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म – खतरों का वास्तविक समय में विश्लेषण।

समाधान की राह :

1. **कानूनी ढांचे का सशक्तीकरण करने की जरूरत :** आईटी अधिनियम को आधुनिक तकनीकों जैसे कि AI, मशीन लर्निंग आधारित साइबर हमलों, डीपफेक और रैनसमवेयर के अनुसार अद्यतन करना चाहिए। डिजिटल डेटा संरक्षण कानून को केवल कागज पर नहीं, बल्कि कठोर अनुपालन और दंडात्मक प्रावधानों के साथ लागू किया जाए।

2. **संस्थागत और प्रशासनिक स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता :** सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साइबर ऑडिट अनिवार्य किया जाए।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

ज़िला स्तर पर साइबर सुरक्षा इकाइयाँ बनाई जाएँ जो CERT-In के साथ समन्वय में कार्य करें। निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ PPP मॉडल के तहत साइबर सुरक्षा बढ़ाई जाए।

3. **महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा करने की जरूरत :** बैंकों, रेलवे, ऊर्जा ग्रिड आदि में 2FA, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाए। ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर को बढ़ावा देकर उसे अपनाया जाए जिसमें हर इंटरैक्शन को सत्यापित किया जाता है और हर उपयोगकर्ता और डिवाइस की बार-बार पुष्टि की जाती है।

4. **स्थानीय साइबर सुरक्षा में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने की जरूरत :** मेक इन इंडिया के तहत घरेलू साइबर सुरक्षा स्टार्टअप्स को फंडिंग और अनुसंधान सहायता दी जाए। भारतीय कंपनियाँ AI आधारित खतरे की पहचान प्रणाली विकसित करें, जिससे विदेशी सॉफ़्टवेयर पर निर्भरता घटे।

5. **साइबर साक्षरता जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत :** राष्ट्रीय साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया जाए जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित करे। प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक साइबर सुरक्षा को शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। स्थानीय भाषाओं में जागरूकता सामग्री, प्रशिक्षण और साइबर हेल्पलाइन उपलब्ध कराई जाए।

निष्कर्ष :

- भारत के लिए साइबर सुरक्षा अब केवल तकनीकी विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का एक अनिवार्य आधार बन चुका है।
- भारत जैसे-जैसे डिजिटल शक्ति के रूप में वैश्विक मंच पर अग्रसर हो रहा है, वैसे-वैसे उसकी जिम्मेदारियाँ भी व्यापक होती जा रही हैं। देश की जनता की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ वैश्विक साइबर स्थिरता में सक्रिय योगदान देना भी अनिवार्य हो गया है।
- इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को एक समग्र और बहु-आयामी रणनीति अपनानी होगी, जिसमें प्रभावी कानूनी ढांचा, संस्थागत दक्षता, व्यापक जन-जागरूकता, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का समावेश हो।
- भारत की डिजिटल प्रगति तभी सार्थक होगी जब उसकी साइबर सुरक्षा संरचना सुदृढ़ और सतत विकसित होती रहे।
- आज साइबर खतरे केवल आर्थिक हानि तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे राष्ट्रीय संप्रभुता, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक समरसता पर भी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। अतः यह समय की मांग है कि भारत साइबर सुरक्षा को अपने राष्ट्रीय एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता दे और इसे नवाचार, नीतिगत संकल्प और जनसहभागिता के माध्यम से सशक्त बनाए।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

1. इंटरनेट की सार्वजानिक पहुँच का विस्तार
2. डिजिटल भुगतान प्रणालियों का अत्यधिक प्रचलन होना
3. देश में सैन्य बजट में कमी होना
4. साइबर खतरों के प्रति आम जनमानस में जागरूकता का अभाव होना

उपर्युक्त में से भारत में साइबर हमलों की संवेदनशीलता बढ़ने के पीछे कौन-कौन से कारण जिम्मेदार हैं?

A. केवल 1, 2 और 3 B. केवल 1, 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं। D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. चर्चा कीजिए कि भारत में हालिया संसदीय रिपोर्ट के आलोक में बढ़ते साइबर खतरों और मौजूदा साइबर सुरक्षा ढांचे की कमियों को देखते हुए, साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भारत को किन प्रमुख क्षेत्रों में नीति, बुनियादी ढांचे और क्षमताओं के स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता है?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



PLUTUS IAS UPSC/ PCS

सोशल मीडिया का विनियमन बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक गरिमा के बीच संतुलन

समाचार में क्यों ?



- हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का "व्यवसायीकरण" कर रहे हैं, जो प्राय: कमजोर वर्गों की गरिमा को ठेस पहुँचाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई यह टिप्पणी एक व्यापक बहस को जन्म देती है कि डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक संवेदनशीलता के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित किया जाए।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक संवेदनशीलता के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रभावी दिशा - निर्देश तैयार करे।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय यह निर्णय भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में ऑनलाइन सामग्री के विनियमन की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित करता है।

सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख अवलोकन :

- **अभिव्यक्ति का व्यवसायीकरण और जवाबदेही में संतुलन की जरूरत :** उच्चत्तम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपनी सामग्री से पैसे कमाते हैं, और अक्सर यह सामग्री अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं को पार कर जाती है। यह व्यवसायीकरण उन्हें अपने प्लेटफार्म पर प्रदर्शित होने वाली सामग्री के लिए अधिक जिम्मेदार बनाता है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह की अभिव्यक्ति का उपयोग दिव्यांगजनों, महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों और वरिष्ठ नागरिकों जैसे कमजोर वर्गों पर हमला करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो ऑनलाइन व्यवहार को एक नैतिक और कानूनी ढांचे में बांधता है।
- **हास्य बनाम मानवीय गरिमा के बीच संतुलन की जरूरत :** एक ओर हास्य जहाँ समाज में तनाव कम करने और विचारों को प्रसारित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, वहीं न्यायालय ने चेतावनी दी कि आपत्तिजनक चुटकुले और असंवेदनशील टिप्पणियाँ कलंक और भेदभाव को भी बढ़ावा देती हैं। इस तरह की सामग्री हाशिये पर पड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने के संवैधानिक दायित्व को बाधित करती है।
- **डिजिटल क्षेत्र में एक स्पष्ट सीमांकन की आवश्यकता पर बल देने की जरूरत :** न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यावसायिक अभिव्यक्ति और प्रतिबंधित अभिव्यक्ति के बीच एक स्पष्ट सीमांकन की आवश्यकता पर बल दिया। गैर-जिम्मेदार ऑनलाइन टिप्पणियाँ न केवल व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुँचाती हैं, बल्कि सामाजिक सद्भाव और सामुदायिक विश्वास को भी कमजोर करती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई प्रमुख सिफारिशें :

- **नियामक दिशा निर्देश बनाने का निर्देश देना :** सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA) जैसे हितधारकों के साथ परामर्श करके इन्फ्लुएंसर्स और पॉडकास्टर्स के लिए नियामक दिशा निर्देश बनाने का निर्देश दिया। इन दिशानिर्देशों में केवल "औपचारिकता" नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनमें उल्लंघन के लिए आनुपातिक और लागू करने योग्य परिणाम भी शामिल होने चाहिए।
- **सामाजिक सौहार्द के उल्लंघनकर्ताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना :** न्यायालय ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता, संवेदनशीलता और डिजिटल नैतिकता के महत्व पर बल दिया। इसका उद्देश्य सामाजिक नुकसान के लिए उल्लंघनकर्ताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना है, जिससे डिजिटल स्पेस में एक जिम्मेदार संस्कृति का निर्माण हो सके।
- **बहुलतावादी समाज में सामुदायिक अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत :** न्यायालय ने इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्लेटफार्मों के माध्यम से बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया। इस आदेश का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और गरिमा के बीच एक स्वस्थ संतुलन स्थापित करना है, ताकि एक विविध समाज में सामुदायिक अधिकारों की रक्षा की जा सके।

भारत में सोशल मीडिया विनियमन से संबंधित प्रमुख कानून :

- भारत में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक बहुस्तरीय कानूनी ढांचा मौजूद है, जिसमें कानून, नियम और कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय शामिल हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 :** यह इलेक्ट्रॉनिक संचार और सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला भारत का सबसे महत्वपूर्ण कानून है।
- **धारा 79(1) :** यह धारा मध्यस्थों (जैसे फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम) को तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए "सुरक्षित आश्रय" (Safe Harbour) का संरक्षण प्रदान करती है। इसका अर्थ है कि यदि वे केवल एक मंच के रूप में कार्य करते हैं और सामग्री को नियंत्रित या संशोधित नहीं करते हैं, तो वे सामग्री से उत्पन्न होने वाली कानूनी देनदारी से सुरक्षित रहते हैं।
- **धारा 69A :** यह धारा सरकार को भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, रक्षा, विदेशी संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करने और अपराधों को भड़काने से रोकने के लिए ऑनलाइन सामग्री को अवरुद्ध करने की अनुमति देती है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 :** ये नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उपयोगकर्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई जिम्मेदारियाँ सौंपते हैं। इनमें गैरकानूनी सामग्री को हटाना और गोपनीयता, कॉपीराइट, मानहानि और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाना शामिल है। इन नियमों में 2023 के संशोधन ने मध्यस्थों को भारत सरकार से संबंधित झूठी या भ्रामक सामग्री हटाने के लिए बाध्य किया था, हालाँकि, इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने दुरुपयोग की आशंका का हवाला देते हुए रोक लगा दी है।

भारत में सोशल मीडिया विनियमन से संबंधित प्रमुख न्यायिक निर्णय :

- **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) :** इस ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने IT अधिनियम, 2000 की धारा 66A को उसकी अस्पष्टता के कारण निरस्त कर दिया। न्यायालय ने दोहराया कि आलोचना, व्यंग्य और असहमति अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित हैं, जब तक कि वे अनुच्छेद 19(2) के तहत लगाए गए युक्तिसंगत प्रतिबंधों के दायरे में न आते हों। धारा 66A में कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से झूठी या आपत्तिजनक जानकारी भेजने को अपराध घोषित किया गया था, जिसके लिए अधिकतम तीन वर्ष का कारावास निर्धारित था।
- **के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) :** इस फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। इस फैसले ने बाद के डेटा संरक्षण उपायों को प्रभावित किया, जिनमें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 शामिल है। इसने व्हाट्सएप की गोपनीयता नीतियों और आधार डेटा मानकों के विनियमन को भी प्रभावित किया।

भारत में सोशल मीडिया को विनियमित करने की आवश्यकता क्यों है?



PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

1. **कमजोर समूहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना :** अनियमित प्लेटफॉर्म अपमानजनक सामग्री, साइबरबुलिंग, ट्रोलिंग और शोषण को बढ़ावा देते हैं, खासकर महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए। विनियमन इन समूहों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है।
2. **घृणा अभियानों और अतिवादी प्रचार से संबंधित अफवाह या गलत सूचना और अभद्र भाषा पर अंकुश लगाने की जरूरत :** फर्जी खबरों, डीपफेक, घृणा अभियानों और अतिवादी प्रचार का तेजी से प्रसार सामाजिक सद्भाव, लोकतांत्रिक संवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करता है। प्रभावी विनियमन से दुष्प्रचार पारिस्थितिकी तंत्र पर अंकुश लगाया जा सकता है और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है।
3. **मानसिक स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जरूरत :** अंतहीन स्क्रॉलिंग और "छूट जाने का डर" (FOMO) जैसी विशेषताएं युवाओं में नशे की लत, चिंता और अवसाद को बढ़ावा देती हैं। विनियमन डिजिटल कल्याण, जिम्मेदार डिजाइन और नैतिक संचार मानकों को बढ़ावा दे सकता है।
4. **विनियमन पारदर्शिता, प्रकटीकरण मानदंडों और उपभोक्ता संरक्षण को सुनिश्चित करना :** इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बढ़ते चलन के साथ, उपयोगकर्ता अक्सर अप्रकटित पेड प्रमोशन्स और अवैध उत्पादों (जैसे, बेटिंग ऐप्स) के कारण वित्तीय जोखिमों में फंस जाते हैं। विनियमन पारदर्शिता, प्रकटीकरण मानदंडों और उपभोक्ता संरक्षण को सुनिश्चित करता है।
5. **निजता के संवैधानिक अधिकार की रक्षा, डेटा गोपनीयता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना :** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़े पैमाने पर उपयोगकर्ताओं का डेटा एकत्रित करते हैं, अक्सर उनकी सूचित सहमति के बिना। इससे गोपनीयता का उल्लंघन, निगरानी और लाभ या राजनीतिक प्रभाव के लिए दुरुपयोग होता है। इनका विनियमन, अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त निजता के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक है।

PLUTUS IAS PLUTUS IAS UPSC/ PCS

6. **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी में संतुलन स्थापित करना :** अनुच्छेद 19(1)(a) मुक्त अभिव्यक्ति की गारंटी प्रदान करता है, लेकिन यह अनुच्छेद 19(2) के तहत युक्तिसंगत प्रतिबंधों (लोक व्यवस्था, नैतिकता, शिष्टता, राज्य की सुरक्षा) के अधीन है। विनियमन वैध मुक्त अभिव्यक्ति और हानिकारक/अपमानजनक सामग्री के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है।

भारत में सोशल मीडिया को विनियमित करने की राह में प्रमुख चुनौतियाँ :



1. **नियामक क्षमता पर दबाव :** ऑनलाइन सामग्री की अत्यधिक मात्रा के कारण निरंतर निगरानी करना कठिन हो जाता है। इसके अलावा, उपयोगकर्ताओं की गुमनामी उन्हें घृणा फैलाने वाले भाषण, फेक न्यूज और हानिकारक सामग्री साझा करने के लिए और अधिक साहसी बना देती है, जिससे नियामक क्षमता पर दबाव पड़ता है।

2. **पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी :** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होती और सामग्री की निगरानी से जुड़ी नीतियों में जवाबदेही का अभाव होता है। स्वतंत्र निगरानी के न होने से इनकी अपारदर्शी कार्यप्रणाली और मनमानी फैसलों को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

3. **हानिकारक सामग्री की परिभाषा :** हानिकारक सामग्री को परिभाषित करना एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों में अंतर के कारण आम सहमति बनाना कठिन हो जाता है। यह अस्पष्टता वैध अभिव्यक्ति और प्रतिबंधित भाषण के बीच एक "ग्रे ज़ोन" (अनिश्चित क्षेत्र) उत्पन्न करती है।

4. **स्वतंत्र अभिव्यक्ति बनाम सेंसरशिप :** भारत में किसी भी प्रकार के नियमन का प्रयास सेंसरशिप या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश के रूप में देखा जा सकता है, विशेष रूप से तब जब मानदंड स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ और आनुपातिक न हों। यह एक नाजुक संतुलन है जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है।

5. **सीमा पार क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे :** हानिकारक सामग्री का एक बड़ा हिस्सा भारत के क्षेत्राधिकार के बाहर से आता है, जिससे घरेलू कानून के तहत प्रवर्तन और विनियमन कठिन हो जाता है।

6. **राजनीतिक निष्पक्षता संबंधी चिंताएँ :** सामग्री की निगरानी से जुड़े निर्णयों पर अक्सर राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगते हैं, जिससे प्लेटफॉर्म की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और नियामक तंत्र में जनता का विश्वास कम होता है।

समाधान की राह :

1. **न्यायिक निगरानी का प्रावधान और एक मजबूत कानूनी-नीति ढाँचा निर्माण की आवश्यकता :** आईटी अधिनियम, 2000 को डिजिटल इंडिया एक्ट के माध्यम से अद्यतन किया जाना चाहिए, ताकि प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, डेटा सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही, किसी भी अतिरेक से बचने के लिए न्यायिक निगरानी का प्रावधान भी आवश्यक है।

2. **स्वतंत्र निरीक्षण निकायों की अनिवार्यता के साथ तटस्थता और शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए AI-आधारित मॉडरेशन टूल्स के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जाना :** एल्गोरिदम की ऑडिटिंग, पारदर्शिता रिपोर्ट और स्वतंत्र निरीक्षण निकायों को अनिवार्य किया जाना चाहिए। तटस्थता और शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए AI-आधारित मॉडरेशन टूल्स के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

3. **तकनीकी और संस्थागत क्षमताओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता :** साइबर फॉरेंसिक लैब्स का विस्तार किया जाना चाहिए और एजेंसियों की क्षमताओं को सशक्त बनाया जाना चाहिए। गोपनीयता और एन्क्रिप्शन मानकों की रक्षा करते हुए AI-सक्षम निगरानी प्रणालियों का एकीकरण भी महत्वपूर्ण है।

4. **राष्ट्रव्यापी डिजिटल साक्षरता अभियान और नैतिक उपयोग प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता :** राष्ट्रव्यापी डिजिटल साक्षरता अभियान चलाए जाएं, जिनका उद्देश्य गलत सूचना, डीपफेक तथा साइबरबुलिंग के खिलाफ जागरूकता फैलाना हो। साथ ही, जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए एवं ऐसे नैतिक डिजाइन प्रथाओं को अपनाया जाए जो उपयोगकर्ता के कल्याण को प्राथमिकता दें।

5. **वैश्विक और बहु-हितधारक सहयोग को सुनिश्चित करने की जरूरत :** सीमापार विनियमन (Cross-Border Regulation) के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया जाए तथा एक समावेशी और भविष्य-उन्मुख डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु नागरिक समाज, शिक्षाविदों और उद्योग जगत की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

निष्कर्ष :

- भारत में सोशल मीडिया के विनियमन की आवश्यकता इसलिए भी है ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर और संवेदनशील समूहों की गरिमा तथा अधिकारों के साथ संतुलित किया जा सके।
- सोशल मीडिया का विनियमन का निर्णय केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक बदलाव की दिशा

में भी कदम है, जिससे ऑनलाइन व्यवहार नैतिक और जिम्मेदार बन सके।



- सोशल मीडिया के विनियमन से संबंधित एक सशक्त कानूनी ढांचा, तकनीकी समाधान, डिजिटल साक्षरता और नैतिक मूल्यों के समन्वय से जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है, गलत सूचनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है, तथा एक सुरक्षित, समावेशी और भरोसेमंद डिजिटल माहौल तैयार किया जा सकता है।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सोशल मीडिया के विनियमन की आवश्यकता एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए सरकार, न्यायपालिका, उद्योग एवं नागरिक समाज के बीच निरंतर सहयोग और समन्वय आवश्यक है, ताकि डिजिटल भारत का भविष्य उज्ज्वल और सशक्त हो सके।
- सोशल मीडिया को प्रभावी ढंग से विनियमित करना एक जटिल कार्य है, जिसमें कई बाधाएं शामिल हैं। अतः भारत में सोशल मीडिया को एक सुरक्षित, विश्वसनीय और उपयोगी मंच बनाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

स्रोत - पी. आई. बी एवं द हिंदू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विनियमित करने की आवश्यकता क्यों है?

1. वे हास्य के माध्यम से सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देते हैं।
2. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपनी अभिव्यक्ति का व्यवसायीकरण कर रहे हैं।
3. उनकी टिप्पणियाँ कमजोर वर्गों की गरिमा को ठेस पहुँचा सकती हैं।
4. भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पारंपरिक मीडिया की जगह ले रहे हैं।

नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए :

A. केवल 1 और 4 B. केवल 2 और 3

C. केवल 1, 2 और 4 D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. डिजिटल युग में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के कमजोर वर्गों की गरिमा की रक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने के संदर्भ में भारत में सोशल मीडिया के विनियमन की आवश्यकता, इससे जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं और सिफारिशों के आलोक में संभावित समाधान पर चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



वैश्विक स्तर पर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में भारत की भूमिका

समाचार में क्यों ?



- हाल ही में G20 टास्क फोर्स द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है और भारत से आग्रह किया गया है कि वह वैश्विक दक्षिण में अपने डिजिटल समाधानों का सक्रिय रूप से विस्तार करे।
- यह टास्क फोर्स जनवरी 2023 में स्थापित किया गया था ताकि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) और वित्तीय समावेशन पर भारत के G20 प्रेसीडेंसी एजेंडे की देखरेख की जा सके।
- इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाकर उत्पादकता बढ़ाना और सरकार की डिजिटल अर्थव्यवस्था नीतियों का समर्थन करना है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) क्या होता है ?

- डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो विभिन्न देशों के डिजिटल समावेशन को सक्षम करने में मदद करती है।
- यह एक साझा डिजिटल प्रणालियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो सुरक्षित और अंतर-संचालनीय होना चाहिए और सामाजिक स्तर पर सार्वजनिक और/या निजी सेवाओं तक समान पहुँच प्रदान करने के लिए खुले मानकों और विनिर्देशों पर बनाया जा सकता है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के प्रमुख घटक :

1. **प्रौद्योगिकी :** इसमें डिजिटल प्रणालियाँ और अनुप्रयोग (जैसे सॉफ्टवेयर कोड, बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रोटोकॉल, मानक) शामिल हैं, जो अंतर-संचालनीय होते हैं।
2. **शासन व्यवस्था :** शासन व्यवस्था DPI में लोगों का विश्वास स्थापित कर बड़े पैमाने पर उपयोगकर्त्ताओं द्वारा इसे अपनाने में सहायता करता है। इसमें हितधारक की गतिविधि को नियंत्रित करने वाले सहभागिता के नियम, क्रॉस-कटिंग और डोमेन-विशिष्ट मानक, विधि और नीतियाँ शामिल हैं।
3. **समुदाय :** समुदाय की सक्रिय और समावेशी भागीदारी मूल्य सृजन को सक्षम कर सकती है। इसमें निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के अभिकर्त्ता भी शामिल होते हैं, जो नवाचार को बढ़ावा देने और मूल्य सृजन के लिए सहयोग कर सकते हैं।

आधारभूत DPI :

1. **पहचान :** इसमें लोगों और व्यवसायों के लिए अपनी पहचान को सुरक्षित रूप से सत्यापित करने की क्षमता शामिल है। इसके साथ ही, इसमें इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और सत्यापन योग्य क्रेडेंशियल जैसी विश्वास की पूरक सेवाएँ भी शामिल हैं।
2. **भुगतान :** इसकी सहायता से लोगों, व्यवसायों, और सरकारों के बीच धन का सुगम और त्वरित अंतरण संभव है।
3. **डेटा साझाकरण :** यह शासन ढाँचे के अनुसार वैयक्तिक डेटा सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों की सहायता से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सहमति के साथ डेटा को निर्बाध रूप से साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।

इस रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य :

- यह रिपोर्ट विश्वव्यापी निकाय की स्थापना की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो DPI पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करने के लिए एक वैश्विक मानक संगठन की रूपरेखा तैयार कर सकता है। इसके साथ - ही - साथ, इस रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है -
- **बहुराष्ट्रीय उपस्थिति :** इस निकाय की बहुराष्ट्रीय उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह निकाय विभिन्न देशों के बीच वैश्विक सहयोग को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकता है।
- **नीतियों और रणनीतियों की तैयारी :** इस निकाय को नीतियों को तैयार करने और रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी।
- **DPI और AI का एकीकरण :** नैतिक उपयोग और डेटा गोपनीयता सुरक्षा के साथ DPI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण की जांच करने में मदद करेगा।
- **नवाचार और मापनीयता :** रिपोर्ट में DPI में नवाचार और मापनीयता को बढ़ावा देने के लिये ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर और AI मॉडल का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है, जिससे यह निजी अभिकर्त्ताओं के लिए अधिक सुलभ बन सके।
- **उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा :** AI-सक्षम सेवाओं में विश्वास बनाए रखने के लिये उपयोगकर्त्ता डेटा की सुरक्षा के उपाय लागू करना महत्वपूर्ण है।
- **पारदर्शिता :** AI एल्गोरिदम में पूर्वाग्रहों को संबोधित करने से सभी उपयोगकर्त्ताओं के लिए निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित होता है, AI प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने से डिजिटल सेवाओं में जनता का विश्वास हासिल करने में मदद मिलती है।

भारत का वैश्विक स्तर पर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में योगदान :



PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **UPI का वैश्वीकरण :** यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मिशनों के साथ मिलकर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अब तक, 80 से अधिक देशों के साथ वार्ता हुई है और 30 से अधिक देशों में भागीदारी की गई है।
- **NPCI की भूमिका :** भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) UPI की अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति के लिए जोर दे रहा है, जो वैश्विक स्तर पर डिजिटल वित्त के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

स्रोत - इंडियन एक्सप्रेस एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए किया जाता है ? (UPSC - 2020)

A. स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा अवसंरचना के क्षेत्र के लिए।

B. डिजिटल सुरक्षा अवसंरचना के क्षेत्र के लिए।

C. दूरसंचार और परिवहन अवसंरचना के क्षेत्र के लिए।

D. भारत में खाद्य सुरक्षा अवसंरचना के क्षेत्र के लिए।

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना रिपोर्ट के प्रमुख तथ्यों को रेखांकित करते हुए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका पर तथ्यात्मक रूप से चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



प्रक्षेपण से लेकर निराशा तक : भारत की अंतरिक्ष दौड़ अब तक की सबसे कठिन परीक्षा

समाचार में क्यों?

- इसरो प्रमुख वी. नारायणन ने हाल ही में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी भारतीय उपग्रहों ने चौबीसों घंटे कार्य किया, मिशन की आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा किया और भारत की उन्नत अंतरिक्ष क्षमताओं को प्रदर्शित किया।
- नई दिल्ली में आयोजित एक रक्षा एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इसरो:
- भारत की तकनीकी बढ़त को मजबूत करना
- स्थानीयकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना
- अंतरिक्ष उद्यमिता को सक्षम बनाना और भारत को वैश्विक अंतरिक्ष नेता के रूप में स्थापित करना।

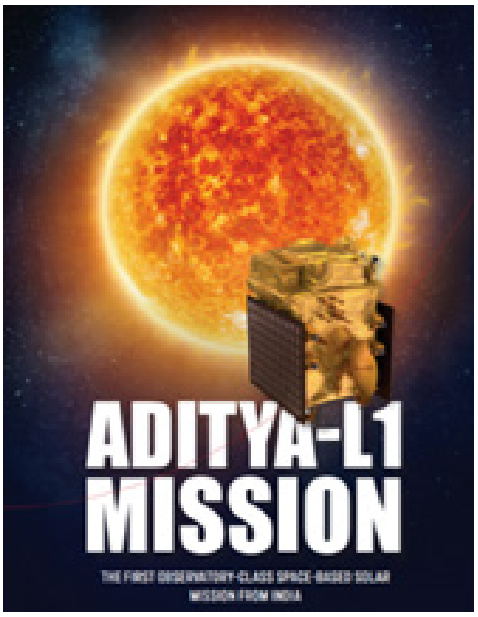




प्रमुख क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग :

कार्यक्षेत्र	अनुप्रयोग और प्रमुख योजनाएँ
1. अर्थव्यवस्था	फसल योजना उपग्रह आधारित फसल पूर्वा-नुमान से कृषि नियोजन में सुधार होता है। भुवन प्लेटफॉर्म भूस्थानिक डेटा खनन, मत्स्य पालन और बुनियादी ढांचे का समर्थन करता है।
2. समाज	ई-विद्या और टेलीमेडिसिनउपग्रह संचार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य के अंतर को पाटता है। संचार पोर्टल ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए दूरसंचार बुनियादी ढांचे की निगरानी करना।
3. शहरी विकास	अमृत एवं स्मार्ट सिटी मिशन जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी ढांचे की निगरानी के लिए उपग्रह डेटा। जीआईएस-आधारित मास्टर प्लानिंग और रिमोट सेंसिंगअवैध अतिक्रमणों का पता लगाने के लिए।
4. राजनीतिक क्षेत्र	मनरेगा जियो-टैगिंग: परिसंपत्ति निर्माण की उपग्रह आधारित ट्रैकिंग पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। डिजिटल इंडिया पहलअंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ई-गवर्नेंस और बेहतर सेवा वितरण को सक्षम बनाती है।
5. राष्ट्रीय सुरक्षा	कार्टोसैट उपग्रहसीमा निगरानी और आतंक-वाद-रोधी कार्रवाई के लिए उच्च-रिज़ॉल्यू-शन इमेजरी प्रदान करना। Mission Shakti (2019): भारत की उप-ग्रह रोधी (ए-सैट) क्षमता का प्रदर्शन किया गया।
6. आपदा प्रबंधन	इसरो का निर्णय सहायता केंद्र (डीएससी): पूर्व चेतावनी (बाढ़, चक्रवात, जंगल की आग) के लिए वास्तविक समय उपग्रह डेटा। जल शक्ति और फ्लडनेट अंतरिक्ष डेटा सूखे, भूजल स्तर और बाढ़ क्षेत्रों की निगरानी करता है





अंतरिक्ष क्षेत्र में सरकारी नीति और पहल

1. **100% एफडीआई की अनुमति :** उदारीकृत एफडीआई नीति के तहत स्वचालित और सरकारी मार्गों से अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति।
2. **भारत अंतरिक्ष नीति 2023:** संपूर्ण अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित कर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को बढ़ावा देना।
3. **स्पेस विजन 2047:** दीर्घकालिक रोडमैप जिसमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS), भविष्य के चंद्र मिशन, अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहन और शुक्र ग्रह अन्वेषण शामिल हैं।
4. **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम :** एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) द्वारा व्यावसायीकरण और उद्योग सहयोग को प्रोत्साहन।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

5. **इन-स्पेस (IN-SPACe) :** एक स्वायत्त निकाय जो उपग्रहों, प्रक्षेपण वाहनों और सेवाओं में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है।

6. **बढ़ते निवेश :** इसरो ने 11 वर्षों में 100 प्रक्षेपण मिशन पूरे किए; अंतरिक्ष बजट ₹5,615 करोड़ (2013-14) से बढ़कर ₹13,416 करोड़ (2025-26) हो गया है।

7. **अंतरिक्ष मलबा प्रायोगिक मिशन (SPADEX) :** पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष मलबे की निगरानी, प्रबंधन और कमी के लिए एक नवीन पहल।

8. **स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र :** 328 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप इसरो और वैश्विक साझेदारों के साथ नवाचार और सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ —

तकनीकी चुनौतियाँ:

- पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहन, मानव-रेटेड अंतरिक्ष यान और दीर्घकालिक जीवन समर्थन प्रणालियों का विकास जटिल।
- गहरे अंतरिक्ष प्रणोदन, उन्नत रोबोटिक्स और एआई-आधारित प्रणालियों में सीमित स्वदेशी क्षमता।

बुनियादी ढाँचे की सीमाएँ:

- बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु अधिक अंतरिक्ष बंदरगाहों और उन्नत लॉन्च पैड की आवश्यकता।
- गहरे अंतरिक्ष संचार हेतु पर्याप्त ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क का अभाव।

निजी क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र:

- स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र अभी प्रारंभिक अवस्था में है, पूंजी और कुशल प्रतिभा की सीमित पहुँच।
- उद्योग-अकादमिक सहयोग और अनुसंधान एवं विकास वित्तपोषण कमजोर।

नीति और विनियमन चुनौतियाँ:

- भारत अंतरिक्ष नीति 2023 के बावजूद देयता मानदंड, बीमा, और उपग्रह लाइसेंसिंग में अस्पष्टता।
- एफडीआई स्वीकृति और निर्यात अनुमोदन में विलंब।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा :

- स्पेसएक्स, सीएनएसए, ब्लू ओरिजिन जैसी संस्थाओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा।
- भारत को लागत प्रभावशीलता और नवाचार की गति के बीच संतुलन बनाना आवश्यक।

स्थिरता और मलबा प्रबंधन:

- बढ़ता अंतरिक्ष मलबा परिचालन उपग्रहों के लिए खतरा।
- मिशन-उपरांत निपटान और मलबा कमी के प्रयास (DFSM) अभी आरंभिक चरण में

मानव पूंजी:

- अंतरिक्ष इंजीनियरिंग, कानून और मिशन संचालन में कुशल पेशेवरों की कमी।
- प्रतिभा पलायन विदेशी एजेंसियों व निजी कंपनियों की ओर।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की विफलताएँ:

चंद्रयान-2 जैसी विफलताएँ प्रणालीगत कमजोरियों को दर्शाती हैं।सीमित बजट उच्च जोखिम-उच्च प्रतिफल मिशनों को सीमित करता है।

साइबर सुरक्षा जोखिम:

- उपग्रहों और ग्राउंड नेटवर्क पर बढ़ते साइबर खतरे।
- मजबूत साइबर सुरक्षा ढाँचे और एन्क्रिप्शन मानकों का अभाव।

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूत करने के प्रमुख उपाय :

तकनीकी प्रगति:

- अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहन (NGLV) का विकास, जिसकी क्षमता 30,000 किलोग्राम LEO तक होगी।
- स्पा-डेक्स (SPADEX) मिशन की सफलता से उपग्रह डॉकिंग और सर्विसिंग की दिशा में प्रगति, जो भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशनों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी।

नीति एवं नियामक सुधार:

- भारत अंतरिक्ष नीति 2023 के माध्यम से निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।
- डीएफएसएम (Debris-Free Space Mission) पहल के तहत 2030 तक शून्य अंतरिक्ष मलबा लक्ष्य निर्धारित।

संस्थागत समर्थन:

- इन-स्पेस (IN-SPACe) को निजी अंतरिक्ष उपक्रमों के लिए एकल-खिड़की स्वीकृति एवं प्रोत्साहन एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया।
- एनएसआईएल (NSIL) इसरो की प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के वैश्विक व्यावसायीकरण को बढ़ावा देता है।

निजी क्षेत्र का विकास:

- उपग्रह, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपोनेंट सेगमेंट में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- 328 से अधिक स्टार्टअप्स को वित्तपोषण, तकनीकी सहायता और नीतिगत प्रोत्साहन के माध्यम से समर्थन।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- निसार (NASA), लुपेक्स (JAXA) और ट्रिश्ना (CNES) जैसे संयुक्त मिशनों पर कार्य जारी।
- ESA, Starlink, Jio, और Airtel के साथ सहयोग से प्रक्षेपण व संचार सेवाओं में विस्तार।

सामरिक एवं नागरिक अनुप्रयोग:

- नाविक प्रणाली का उपयोग परिवहन, लॉजिस्टिक्स और आपदा प्रबंधन में किया जा रहा है।
- जीसैट-N2 उपग्रह ग्रामीण इंटरनेट, ई-शिक्षा और डिजिटल शासन को सशक्त बना रहा है।

निष्कर्ष:

- भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नेतृत्व और नवाचार के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है।
- ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के मिशन जैसी उपलब्धियाँ देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती हैं।
- गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसी पहलों के साथ, भारत अंतरिक्ष में निरंतर मानव उपस्थिति की ओर अग्रसर है।
- मज़बूत नीतिगत समर्थन और निजी क्षेत्र की वृद्धि वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है।
- भारत अब अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को आकार देने वाला एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए तैयार है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. एक्सिओम मिशन-4 (एक्स-4) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक्सिओम मिशन-4, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से जुड़ने वाला पहला पूर्णतः निजी मिशन था।
2. ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मिशन के दौरान अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले पहले भारतीय नागरिक बने।
3. यह मिशन भारत के गगनयान कार्यक्रम के एक भाग के रूप में इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया था।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) तीनों (d) कोई नहीं

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम राज्य-नेतृत्व वाले वैज्ञानिक उद्यम से प्रौद्योगिकी, नीति और निजी क्षेत्र की भागीदारी द्वारा संचालित एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित हो रहा है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों और इसे मजबूत करने के लिए उठाए गए उपायों पर चर्चा करें।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



भारत की परमाणु आपूर्ति श्रृंखला का सशक्तिकरण : सशक्त भारत - सुरक्षित भविष्य

समाचार में क्यों?

- हाल ही में भारत अपने असैन्य परमाणु क्षेत्र में व्यापक कानूनी सुधारों की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
- भारत द्वारा किए जा रहे इन सुधारों का उद्देश्य नियंत्रित निजी एवं विदेशी निवेश को अनुमति देना, आपूर्तिकर्ता दायित्व से जुड़ी जटिलताओं का समाधान करना तथा वैश्विक मानदंडों के अनुरूप संरचना विकसित करना है।
- इस पहल के केंद्र में लाइट वॉटर रिएक्टर (LWR) और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) जैसी उन्नत तकनीकों के माध्यम से कम-कार्बन परमाणु क्षमता का विस्तार करना शामिल है।

परमाणु ऊर्जा : एक परिचय

परमाणु ऊर्जा वह शक्ति है जो परमाणुओं के केंद्र (नाभिक) से निकलती है। यह ऊर्जा दो प्रक्रियाओं से प्राप्त की जा सकती है—

- **विखंडन (फिशन) :** जब भारी परमाणु नाभिक कई छोटे भागों में टूटते हैं।
- **संलयन (फ्यूजन) :** जब हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं।

यह ऊर्जा उच्च घनत्व और कम-कार्बन वाले स्रोत के रूप में जानी जाती है। परमाणु ऊर्जा न केवल सतत् विकास को गति देती है बल्कि स्थायी "बेस-लोड" बिजली उपलब्ध कराने में भी अहम है।



भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थिति :

- भारत की मौजूदा स्थापित परमाणु क्षमता 8.18 गीगावॉट है, जिसे 2031-32 तक 22.48 गीगावॉट और 2047 तक 100 गीगावॉट तक ले जाने की योजना है।
- वर्तमान में 20 से अधिक रिएक्टर सक्रिय हैं, जिन्हें NPCIL संचालित करता है। एक दर्जन से अधिक नए संयंत्रों की परिकल्पना भी की जा चुकी है।
- कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जैसी परियोजनाएँ भारत की तकनीकी प्रगति का संकेत देती हैं।
- बजट 2025-26 में 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसके अंतर्गत 2033 तक पाँच "भारत स्मॉल रिएक्टर (BSR)" स्थापित करने का लक्ष्य है।

भारत के लिए परमाणु ऊर्जा का महत्त्व :

1. **विश्वसनीय आपूर्ति :** परमाणु संयंत्र लगातार बिजली देते हैं, जिससे बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।
2. **दूरस्थ क्षेत्रों के लिए समाधान :** SMR और माइक्रोरिएक्टर पारंपरिक ग्रिड से दूर क्षेत्रों में स्वच्छ बिजली उपलब्ध करा सकते हैं।
3. **आपदा-प्रबंधन क्षमता :** प्राकृतिक या भू-राजनीतिक व्यवधानों में भी स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित रहती है।
4. **नेट-ज़ीरो लक्ष्य :** यह भारत का जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाकर वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने में सहायक है।
5. **औद्योगिक सहयोग :** इस्पात, सीमेंट और डेटा सेंटर जैसे ऊर्जा-गहन उद्योगों के लिए भरोसेमंद आपूर्ति में सहायक है।
6. **रणनीतिक आत्मनिर्भरता :** स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जैसी उपलब्धियाँ तकनीकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देती हैं।

भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की प्रमुख चुनौतियाँ :

1. **आपूर्ति श्रृंखला व गुणवत्ता :** भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला और गुणवत्ता से जुड़ी चुनौती यह है कि मध्यम और निम्न श्रेणी के आपूर्तिकर्ताओं में मानकों और क्षमता की गंभीर कमी है।
2. **गुणवत्ता आश्वासन (QA) :** गुणवत्ता आश्वासन (QA) के क्षेत्र में प्रशिक्षित और योग्य पेशेवरों की कमी परियोजनाओं में बार-बार विलंब और रुकावट उत्पन्न करती है।
3. **साइबर सुरक्षा :** साइबर सुरक्षा एक गंभीर खतरा है, क्योंकि संवेदनशील संयंत्र डेटा साइबर हमलों और रैंसमवेयर के निशाने पर रहता है।
4. **नियामक अड़चनें :** नियामक अड़चनों की वजह से AERB और NPCIL के बीच समन्वय का अभाव परियोजनाओं के कार्यान्वयन को जटिल बना देता है।
5. **स्वदेशीकरण की सीमाएँ :** स्वदेशीकरण की सीमाएँ भी स्पष्ट हैं, विशेषकर नियंत्रण और उपकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमता अभी अपर्याप्त है।
6. **कानूनी ढाँचे की बाधा :** कानूनी ढाँचे की बाधाएँ भी बड़ी चुनौती हैं, क्योंकि 1962 का अधिनियम निजी भागीदारी को रोकता है और अस्पष्ट बीमा नियम व देयता की परिभाषाएँ निवेशकों के लिए जोखिमपूर्ण साबित होती हैं।

सुधार की राह / समाधान की दिशा :

1. **आपूर्ति श्रृंखला मज़बूत करना :** आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत बनाने के लिए मध्यम और निम्न श्रेणी के आपूर्तिकर्ताओं हेतु गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए तथा नए विक्रेताओं का विकास किया जाना चाहिए।
2. **गुणवत्ता प्रबंधन :** गुणवत्ता प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए योग्य QA विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए, साथ ही थर्ड-पार्टी निरीक्षण और स्थलों पर स्थायी QA टीम की व्यवस्था भी आवश्यक है।

3. **साइबर सुरक्षा :** साइबर सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए संयंत्रों और आपूर्तिकर्ताओं दोनों को शामिल करते हुए एक उन्नत और एकीकृत सुरक्षा ढाँचा तैयार करना होगा।

4. **कानूनी सुधार :** कानूनी सुधारों के अंतर्गत विद्युत अधिनियम, परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व कानून में संशोधन कर निवेशकों के लिए आकर्षक और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सकता है।

5. **रणनीतिक प्रौद्योगिकी विकास :** रणनीतिक प्रौद्योगिकी विकास को गति देने के लिए स्वदेशी SMR रणनीति को स्पष्ट समयसीमा के साथ लागू करना अनिवार्य है।

6. **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा :** वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में भारतीय आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति को मज़बूत करने के लिए निर्यात को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष :

- भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र न केवल ऊर्जा सुरक्षा का आधार है, बल्कि औद्योगिक विकास और रणनीतिक स्वायत्तता का भी प्रमुख स्तंभ है।
- आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करने, उच्च गुणवत्ता और साइबर सुरक्षा मानकों को लागू करने तथा स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) तकनीक को आगे बढ़ाने से यह क्षेत्र घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में भी भारत की स्थिति को सुदृढ़ करेगा।
- इन पहलों से देश एक स्थायी, लचीली और निम्न-कार्बन ऊर्जा व्यवस्था की ओर अग्रसर होगा, जो न केवल भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करेगी बल्कि यह एक मज़बूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा देगी।

स्रोत - पी. आई. बी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत की वर्तमान और भविष्य की परमाणु ऊर्जा स्थिति के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं?

1. मौजूदा स्थापित क्षमता 8.18 गीगावॉट है।
2. वर्ष 2047 तक क्षमता को 100 गीगावॉट तक ले जाने की योजना है।
3. भारत केवल विदेशी रिएक्टर तकनीकों पर निर्भर है, स्वदेशी परियोजनाएँ नहीं हैं।
4. बजट 2025-26 में पाँच "भारत स्मॉल रिएक्टर (BSR)" की योजना बनाई गई है।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए :

A. केवल 1, 2 और 3 B. केवल 1, 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं। D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत के असैन्य परमाणु क्षेत्र में हालिया कानूनी सुधारों, उनकी आवश्यकता, मौजूदा चुनौतियों और समाधान की दिशा पर चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



बर्फ के नैनोस्केल रहस्य : नैनोटेक्नोलॉजी की दुनिया में एक कदम

समाचार में क्यों?

- पैसिफिक नॉर्थवेस्ट नेशनल लेबोरेटरी (पीएनएनएल) के वैज्ञानिकों ने बर्फ के बारे में एक अभूतपूर्व खोज की है: नैनोस्केल पर, यह अपनी कठोर षट्कोणीय जाली के बावजूद, आश्चर्यजनक रूप से लचीली और आघातवर्धनीय है।
- एक नवीन तकनीक—क्रायोजेनिक लिक्विड-सेल ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (क्रायो-एलसी-टीईएम)—का उपयोग करके शोधकर्ताओं ने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि बर्फ के क्रिस्टलों के भीतर घुली हुई गैसें कैसे बनती हैं, स्थानांतरित होती हैं, विलीन होती हैं और घुलती हैं।
- यह तरल पानी के बर्फ में जमने की पहली आणविक-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग है, जो क्रायोजेनिक चिकित्सा, विमानन सुरक्षा और जलवायु विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रों में नई संभावनाओं को खोलती है।



नैनोटेक्नोलॉजी क्या है?

- नैनोटेक्नोलॉजी में नैनोस्केल (1-100 नैनोमीटर) पर पदार्थों का हेरफेर शामिल है, जहाँ अद्वितीय भौतिक और रासायनिक गुण उभर कर आते हैं।
- इस पैमाने पर, पदार्थ अक्सर अपने मूल रूप की तुलना में अलग तरह से व्यवहार करते हैं, जिसके कारण हैं: क्वांटम प्रभाव (जैसे, परिवर्तित चालकता, चुंबकत्व), उच्च सतह-से-आयतन अनुपात (अधिक प्रतिक्रियाशीलता और शक्ति), और अद्वितीय संरचनात्मक लचीलापन।
- यह वैज्ञानिकों को असाधारण अनुप्रयोगों वाली सामग्री और उपकरण डिज़ाइन करने में सक्षम बनाता है—लक्षित दवा वितरण प्रणालियों से लेकर अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ तक कि नैनो-सक्षम कृषि तक।



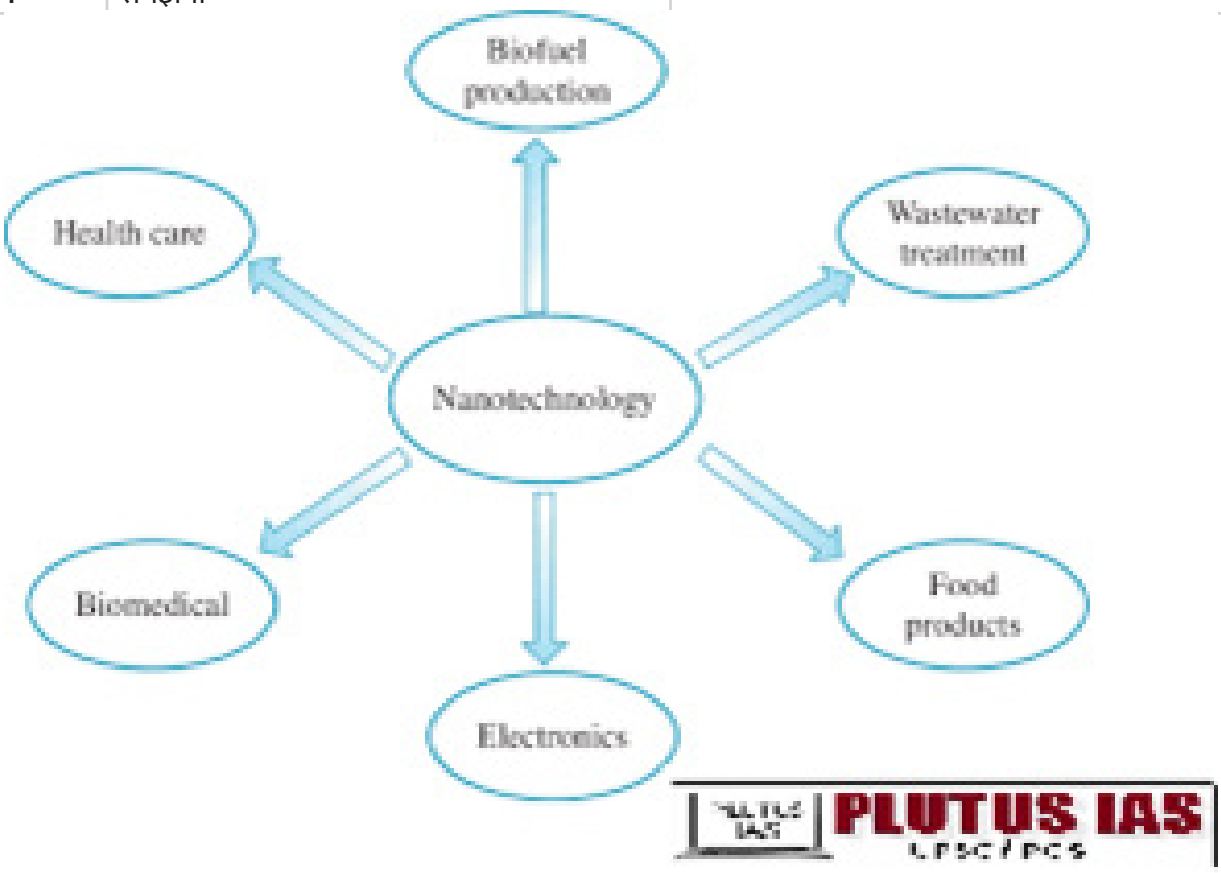
नैनो प्रौद्योगिकी के मुख्य घटक और विशेषताएं :

मुख्य घटक	विशेषता / महत्व	उदाहरण
नेनोसामग्री	परिवर्तित गुणों के साथ नैनोस्केल पर इंजीनियर की गई सामग्री	कार्बन नैनोट्यूब, ग्राफीन, क्वांटम डॉट्स
नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स	लघुकृत सर्किट तेज और अधिक कुशल उपकरणों को सक्षम बनाते हैं	प्रोसेसरों में ट्रांजिस्टर, नैनोसेंसर
नैनोमेडिसिन	नैनोकणों का उपयोग करके चिकित्सा अनुप्रयोग	mRNA टीकों में लिपिड नैनोकण
नैनोफोटोनिक्स	नैनोस्केल पर प्रकाश का नियंत्रण	सौर सेल, उन्नत इमेजिंग
नैनोसंरचित सतहें	हाइड्रोफोबिसिटी/शक्ति के लिए डिज़ाइन की गई सतहें	कोहरा-रोधी कांच, स्व-सफाई कोटिंग्स



विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग:

क्षेत्र	अनुप्रयोग	उदाहरण
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	लक्षित दवा वितरण, कैंसर चिकित्सा, नैदानिक इमेजिंग	ट्यूमर का पता लगाने के लिए सोने के नैनोकण; लिपिड-आधारित COVID-19 टीके
पर्यावरण	जल शोधन, प्रदूषण निगरानी	भारी धातुओं को हटाने वाले नैनोफिल्टर
ऊर्जा	कुशल सौर पैनल, हल्की बैटरियाँ	सौर कोशिकाओं के लिए पेरोव्स्काइट नैनोमटेरियल
कृषि	नैनो-उर्वरक, कीट नियंत्रण, मृदा निगरानी	फसलों तक पोषक तत्वों की स्मार्ट डिलीवरी
उद्योग और विमानन	एंटी-आइसिंग कोटिंग्स, मजबूत सामग्री	विमान के पंखों के लिए नैनोकोटिंग्स
जलवायु विज्ञान	बर्फ/ग्लेशियर के व्यवहार और कार्बन कैप्चर को समझना	नैनोस्केल बर्फ अध्ययन (PNNL अनुसंधान)



नैनो टेक्नोलॉजी में भारत की प्रगति

1. **राष्ट्रीय नैनो प्रौद्योगिकी मिशन (2007):** मिशन का ध्यान बुनियादी अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित था।
2. **नैनो मिशन चरण II (2017-2022):** दूसरे चरण में दवा वितरण, जल शोधन, सेंसर और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में अनुप्रयोगों को गति दी गई।
3. उत्कृष्टता केंद्र और अनुसंधान केंद्र: कई प्रमुख संस्थान भारत के नैनोटेक अनुसंधान का नेतृत्व कर रहे हैं:

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी): बैंगलोर,नैनोमटेरियल और बायोमेडिकल नैनोटेक में मजबूत।
- आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली : नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स और नैनोफोटोनिक्स में उन्नत कार्य
- राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनपीएल) : नैनोमेट्रोलॉजी और पदार्थ विज्ञान पर कार्य करता है।

4. **चिकित्सा नवाचार :** भारत तपेदिक, मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए नैनो-आधारित औषधि वाहक विकसित कर रहा है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने रोगों का शीघ्र पता लगाने के लिए नैनो-डायग्नोस्टिक्स और बायोसेंसर पर परियोजनाओं को भी वित्त पोषित किया है।

5. **औद्योगिक अनुप्रयोग:** भारत के उद्योगों में नैनो प्रौद्योगिकी का तेजी से उपयोग किया जा रहा है:
   - एशियन पेंट्स मजबूत, मौसम प्रतिरोधी कोटिंग्स के लिए नैनो-एडिटिव्स का उपयोग करता है।
   - कपड़ा उद्योग स्व-सफाई और जीवाणुरोधी कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं।
   - टाटा केमिकल्स ने किफायती, स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए नैनो-सक्षम जल निस्पंदन प्रौद्योगिकियों की खोज की है।
   - लॉग 9 मैटेरियल्स जैसे स्टार्टअप नैनोटेक्नोलॉजी-सक्षम बैटरी और सुपरकैपेसिटर विकसित कर रहे हैं, जो भारत के इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं।



नैनोटेक्नोलॉजी में भारत बनाम वैश्विक नेतृत्व

देश/क्षेत्र	प्रमुख ताकतें	वित्तपोषण और निवेश	वैश्विक स्थिति
संयुक्त राज्य अमेरिका	मजबूत शैक्षणिक-उद्योग संबंध; नैनोमेडिसिन, नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स	> $1.5 बिलियन प्रतिवर्ष; राष्ट्रीय नैनो प्रौद्योगिकी पहल (NNI)	पेटेंट और स्टार्टअप में विश्व अग्रणी
चीन	बड़े पैमाने पर वित्त पोषण; तीव्र व्यावसायीकरण; नैनोमटेरियल में प्रभुत्व	अनुमानित > $2 बिलियन वार्षिक; प्रकाशनों में शीर्ष	नैनोटेक प्रकाशनों में #1; तेजी से बढ़ता उद्योग
यूरोपीय संघ	टिकाऊ नैनोटेक; सुरक्षा नियमों और हरित ऊर्जा पर ध्यान	~ €1 बिलियन+ प्रतिवर्ष; Horizon Europe	हरित नैनो प्रौद्योगिकी और नियामक ढाँचे में अग्रणी
जापान	उन्नत नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, सामग्री विज्ञान	वार्षिक अनुसंधान एवं विकास में करोड़ों डॉलर; सेमीकंडक्टर पर ध्यान	नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स और सामग्रियों में वैश्विक अग्रणी
भारत	मजबूत शैक्षणिक परिणाम, स्वास्थ्य, ऊर्जा और वस्त्रों में अनुप्रयोग	₹1000 करोड़ (~$120M); नैनो मिशन चरण II (2017–22)	प्रकाशनों में शीर्ष 3, पर पेटेंट और व्यावसायीकरण सीमित

नैनो प्रौद्योगिकी के उपयोग में चुनौतियाँ :

1. **उच्च लागत और बुनियादी ढांचे की जरूरतें :** नैनोटेक अनुसंधान के लिए उन्नत प्रयोगशालाएँ स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नैनोलिथोग्राफी सिस्टम और क्लीन-रूम सुविधाओं जैसे अत्याधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। इनमें से अधिकांश उपकरण उच्च लागत पर आयात किए जाते हैं, जिससे अनुसंधान विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अत्यधिक निर्भर हो जाता है।

2. **कौशल अंतर:** भारत बड़ी संख्या में इंजीनियर और वैज्ञानिक तैयार करता है, लेकिन नैनो-इंजीनियरिंग और नैनो-फैब्रिकेशन में विशेष प्रशिक्षण सीमित है।

3. **विनियमन एवं सुरक्षा संबंधी चिंताएं :** नैनोकण जैविक प्रणालियों के साथ अप्रत्याशित रूप से अंतःक्रिया कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिम पैदा हो सकते हैं। भारत में वर्तमान में नैनोटेक सुरक्षा के लिए एक व्यापक नियामक ढाँचे का अभाव है, जिससे अनियंत्रित औद्योगिक उपयोग को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

4. **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण बाधाएं :** यद्यपि भारत का शैक्षणिक अनुसंधान उत्पादन मजबूत है, लेकिन उद्योग-अकादमिक सहयोग कमजोर होने के कारण प्रयोगशाला अनुसंधान का औद्योगिक उत्पादों में रूपांतरण धीमा बना हुआ है।

5. **आयात पर निर्भरता :** अधिकांश उच्च-परिशुद्धता वाले नैनोटेक उपकरण और कच्चे माल आयात किए जाते हैं। इससे न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण अनुसंधान भी प्रभावित होता है।

आगे की राह :

1. **अनुसंधान वित्तपोषण को मजबूत करना:** अधिक वित्त पोषण और लंबी अवधि के साथ नैनो मिशन का विस्तार करने से बड़े पैमाने की परियोजनाओं को स्थिरता मिलेगी।

2. **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी):** उद्योग और शिक्षा जगत के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना बेहद ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, दवा कंपनियों के साथ सहयोग नैनो-आधारित दवा वितरण प्रणालियों के व्यावसायीकरण में मदद कर सकता है, जबकि ऊर्जा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनियाँ अगली पीढ़ी की बैटरियों पर आईआईटी के साथ मिलकर काम कर सकती हैं।

3. **विनियमन ढांचे:** भारत को वैश्विक प्रथाओं (जैसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) के अनुरूप एक राष्ट्रीय नैनो-सुरक्षा ढाँचा विकसित करना चाहिए। इससे खाद्य, औषधि और उपभोक्ता उत्पादों में नैनोकणों का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित होगा।

4. **वैश्विक सहयोग :** अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ से भारत को विशेषज्ञता साझा करने, उन्नत सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने और वैश्विक परियोजनाओं में योगदान करने का अवसर मिलेगा।

5. **कौशल विकास :** विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ विशेष नैनो प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम शुरू करने से कुशल कार्यबल का निर्माण होगा।

निष्कर्ष :

- बर्फ के लचीलेपन की नैनोस्केल खोज एक वैज्ञानिक जिज्ञासा से कहीं बढ़कर है—यह इस बात की याद दिलाती है कि प्रकृति के रहस्य छोटे से छोटे पैमाने पर भी उजागर होते हैं।
- चिकित्सा क्षेत्र में नई खोजों से लेकर जलवायु समाधानों तक, नैनोटेक्नोलॉजी उन नवाचारों की कुंजी है जो मानवता के भविष्य को आकार दे सकते हैं।
- भारत के लिए, इस क्रांति को मज़बूत नीतियों, सुरक्षित प्रथाओं और वैश्विक साझेदारियों के साथ अपनाना, क्षमता को प्रगति में बदलने के लिए ज़रूरी होगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नैनोकणों का उपयोग जल शोधन प्रणालियों में भारी धातुओं और रोगाणुओं को हटाने के लिए किया जा सकता है।
2. नैनो-उर्वरक पोषक तत्व उपयोग दक्षता में सुधार कर सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं।
3. विमान के पंखों को बर्फ जमने से बचाने के लिए नैनो-कोटिंग विकसित की जा रही है।
4. दुनिया भर में मानव शल्य चिकित्सा में नैनोरोबोट का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. "नैनोटेक्नोलॉजी में विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में कार्य करने की क्षमता है।" टिप्पणी कीजिए।

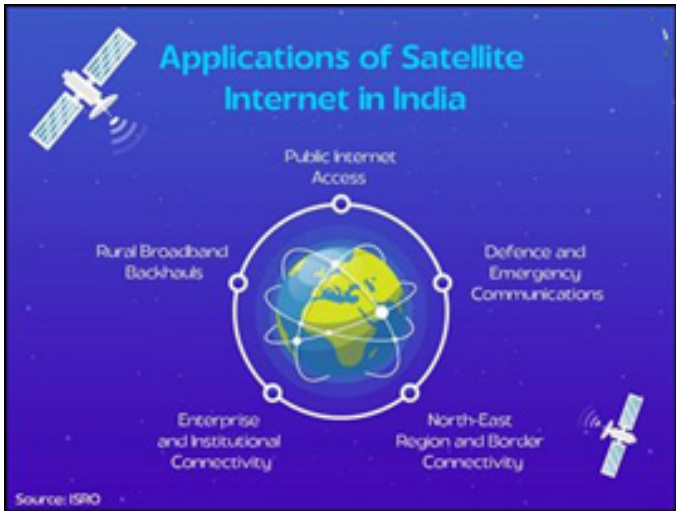


भारत में सैटेलाइट बनाम इंटरनेट : इंटरनेट का भविष्य

समाचार में क्यों?



- भारत का डिजिटल परिदृश्य तेज़ी से विस्तार कर रहा है, अप्रैल-जून 2025 तक 1,002.85 मिलियन इंटरनेट ग्राहक होने की सूचना मिली है, जो इसे सबसे तेज़ी से बढ़ते डिजिटल देशों में से एक होने का दर्जा देता है।
- इस वृद्धि के बावजूद, इंटरनेट की पहुँच असमान बनी हुई है, खासकर दूरदराज के इलाकों में, जिससे मौजूदा नेटवर्क के पूरक और समावेशी डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करने के लिए उपग्रह-आधारित कनेक्टिविटी की आवश्यकता उजागर होती है।



सैटेलाइट इंटरनेट क्या है?

- भूस्थिर कक्षाओं (जीएसओ) या गैर-भूस्थिर कक्षाओं (एनजीएसओ) में उपग्रहों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवा। डिजिटल इंडिया विजन का समर्थन करता है, किसी भी स्थान पर कनेक्टिविटी प्रदान करता है।दूरस्थ और कम सुविधा वाले क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण, जहां पारंपरिक इंटरनेट नहीं पहुंच सकता।

सैटेलाइट इंटरनेट के लिए नियामक परिदृश्य

1. **अंतरिक्ष क्षेत्र सुधार (2020) :** इस क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया गया।
2. **भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 :** गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीई) के लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है।
3. **दूरसंचार विभाग (डीओटी) :** एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था के तहत प्राधिकरण प्रदान करता है। सेवाओं में वाणिज्यिक वीसैट, जीएमपीसीएस, स्थलीय नेटवर्क के पूरक शामिल हैं। दूरसंचार अधिनियम, 2023, स्पेक्ट्रम आवंटन और उपग्रह सेवाओं के विनियमन की अनुमति देता है।
4. **भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) :** मई 2025 में उपग्रह स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए 5-वर्षीय आवंटन की अनुशंसा, जिसे 2 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।
5. **इन-स्पेस :** इसरो और निजी संस्थाओं के बीच इंटरफेस। गैर-सरकारी अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देना और उनका पर्यवेक्षण करना।
6. **न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल):** इसरो की वाणिज्यिक शाखा; 15 इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों का संचालन करती है। डीटीएच और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए मांग-आधारित मिशनों का प्रबंधन करती है।

उपग्रह संचार परिदृश्य में परिवर्तन



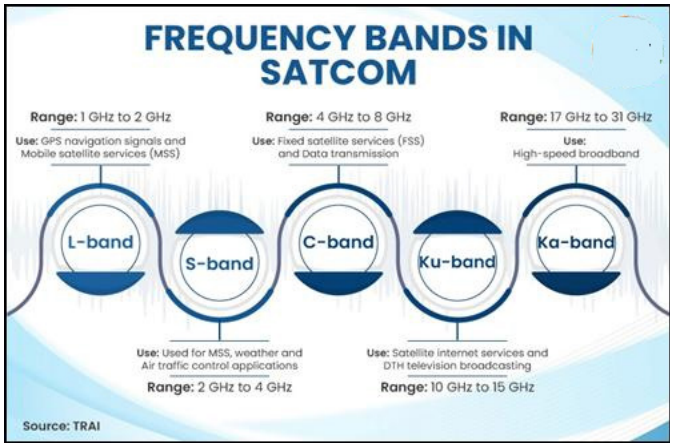
1. **भूस्थिर उपग्रहों** (जीसैट) से एलईओ और एमईओ प्रणालियों की ओर बदलाव।
2. **LEO उपग्रह:** 400-2,000 किमी की ऊंचाई, कम विलंबता, इंटरनेट के लिए आदर्श।
3. **एमईओ उपग्रह:** 8,000–20,000 किमी, बड़ा कवरेज, थोड़ा अधिक विलंबता।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

4. **नीतिगत सुधारों के तहत** अब 100% तक एफडीआई की अनुमति दी गई है, जिससे निजी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

5. **लाइसेंस प्राप्त निजी ऑपरेटर:** स्टारलिंक, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वनवेब, आदि।

उपग्रह संचार स्पेक्ट्रम को समझना



समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए सरकारी पहल:

1. **डिजिटल भारत निधि (DBN) :** ग्रामीण क्षेत्रों में 4G टावरों के माध्यम से ब्रॉडबैंड का विस्तार। वंचित क्षेत्रों में परियोजनाओं को वित्तपोषित करना।

2. व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी)

द्वीप समूह : अंडमान और निकोबार की क्षमता 2 Gbps → 4 Gbps से बढ़ी, लक्षद्वीप 318 Mbps → 1.71 Gbps।

उत्तर-पूर्व: 3,389 स्थानों पर 2,485 मोबाइल टावर।

3. **राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 (एनबीएम 2.0) :** शेष 1.7 लाख गांवों तक ब्रॉडबैंड का विस्तार।

भारतनेट चरण II : 2.14 लाख ग्राम पंचायतें जुड़ीं।

4. **पीएम-अन्य :** सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाए गए, 3.73 लाख से अधिक स्थापित किए गए।

5. **जीआईएस-आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) - एमओईएस:** चरम मौसम की पूर्व चेतावनी के लिए उपग्रह और वास्तविक समय डेटा का उपयोग करता है।

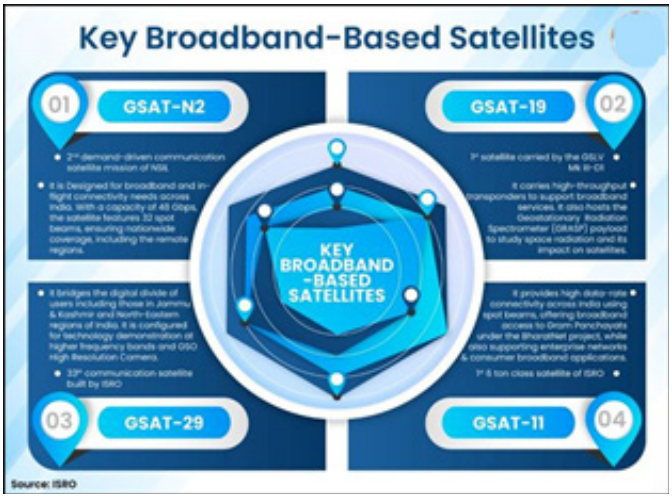
भारत के प्रमुख ब्रॉडबैंड-आधारित उपग्रह

जीसैट-19, जीसैट-29, जीसैट-11, जीसैट-एन2 सहित 19 संचार उपग्रहों का बेड़ा।

समर्थन:

- कम सेवा वाले क्षेत्रों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड
- उड़ान के दौरान कनेक्टिविटी
- रक्षा नेटवर्क
- आपदा प्रबंधन
- स्पॉट-बीम प्रौद्योगिकी वाले उच्च-थ्रूपुट उपग्रह (एचटीएस) तीव्र गति और उच्च क्षमता सुनिश्चित करते हैं।

भारत के प्रमुख ब्रॉडबैंड-आधारित उपग्रह :



- इसरो द्वारा विकसित उच्च-थ्रूपुट उपग्रहों (HTS) के माध्यम से भारत की ब्रॉडबैंड पहुँच लगातार बढ़ रही है, जो तेज़ गति और उच्च क्षमता प्रदान करने के लिए उन्नत स्पॉट-बीम तकनीक का उपयोग करते हैं।

- भारत के पास 19 परिचालन संचार उपग्रहों का बेड़ा है, जिनमें GSAT-19, GSAT-29, GSAT-11 और GSAT-N2 विशेष रूप से भारत की ब्रॉडबैंड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए हैं।

- इन उपग्रहों को कम सेवा वाले क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने, उड़ान के दौरान संचार, रक्षा नेटवर्क और आपदा प्रबंधन में सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- ये उपग्रह मिलकर भारत में उपग्रह-आधारित ब्रॉडबैंड अवसंरचना की रीढ़ हैं और भारतनेट जैसे भू-आधारित नेटवर्क के पूरक हैं।

निष्कर्ष :

1. भारत का उपग्रह इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र एक परिवर्तनकारी बदलाव के दौर से गुज़र रहा है, जिसमें LEO/MEO उपग्रह प्रणालियाँ, निजी क्षेत्र की भागीदारी और डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए मज़बूत नीतिगत समर्थन शामिल है।

2. ये पहल डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों का समर्थन करती हैं, सामाजिक-आर्थिक विकास को मज़बूत करती हैं, और रक्षा, आपदा प्रबंधन और शिक्षा में लचीलापन बढ़ाती हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. 2047 तक, उपग्रह कनेक्टिविटी देश के सभी कोनों में समावेशी, तेज़ गति इंटरनेट पहुँच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे विकसित भारत का विज़न साकार होगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

Q1. भारत की उपग्रह इंटरनेट पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. भारत के पास जीसैट-19, जीसैट-29, जीसैट-11 और जीसैट-एन2 सहित 19 परिचालन संचार उपग्रहों का बेड़ा है।
2. LEO उपग्रह 400-2,000 किमी की ऊंचाई पर संचालित होते हैं और कम विलंबता वाले इंटरनेट के लिए आदर्श हैं।
3. पीएम-वाणी योजना केवल शहरी क्षेत्रों में 5जी सेवाओं के विस्तार से संबंधित है।

सही उत्तर का चयन करें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में उपग्रह आधारित इंटरनेट के महत्व, निजी खिलाड़ियों और सरकारी पहलों की भूमिका और दूरदराज के क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट सुनिश्चित करने में चुनौतियों पर चर्चा करें।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)





भारत में बढ़ती मादक पदार्थों की तस्करी

समाचार में क्यों?

- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने इंटरपोल के साथ मिलकर, एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स और मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट के कथित सरगना पवन ठाकुर के खिलाफ अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है।
- वह दिल्ली में 82 किलोग्राम कोकीन की जब्ती (नवंबर 2024) के सिलसिले में वांछित है। जाँच से पता चला है कि उसने न केवल भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से खेप के आयात और परिवहन की व्यवस्था की, बल्कि दुबई और दिल्ली में अपने केंद्रों के साथ एक हवाला नेटवर्क भी चलाया, जिससे नशीली दवाओं की आय को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में जमा किया जा सके। वर्तमान में दुबई में स्थित, वह विदेश से अपने सिंडिकेट का संचालन जारी रखता है।

संगठित अपराध क्या हैं?

- संगठित अपराध एक संरचित समूह द्वारा किया जाने वाला एक सतत आपराधिक उद्यम है जो लाभ या शक्ति के लिए अवैध गतिविधियों में संलग्न होता है, अक्सर हिंसा, भ्रष्टाचार और सीमा पार संबंधों का उपयोग करता है। यह अपने पैमाने, परिष्कार और राज्य सत्ता को चुनौती देने की क्षमता में सामान्य अपराध से भिन्न होता है।

संगठित अपराध की प्रमुख विशेषताएँ :

1. **निरंतरता :** यह एक बार का अपराध नहीं है बल्कि एक सतत आपराधिक उद्यम है।
- **उदाहरण:** पंजाब में ड्रग कार्टेल लगातार सीमा पार से हेरोइन की तस्करी करते हैं।

2. **संरचना और पदानुक्रम :** इसमें नेताओं, बिचौलियों और पैदल सैनिकों के साथ एक सुपरिभाषित कमान श्रृंखला शामिल होती है।
- **उदाहरण:** तस्करी और मानव तस्करी को नियंत्रित करने वाले माफिया जैसे नेटवर्क।

3. **अवैध सामान और सेवाएँ :** निम्नलिखित अवैध व्यापारों में संलग्न है:
- नशीले पदार्थों की तस्करी
- हथियारों की तस्करी
- मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति
- काले धन को वैध बनाना
- साइबर अपराध

4. **हिंसा और धमकी का प्रयोग :** हत्या, जबरन वसूली, धमकी के माध्यम से प्रभुत्व बनाए रखता है।
- **उदाहरण:** प्रतिद्वंद्वी ड्रग गिरोहों द्वारा प्रतिद्वंद्वियों की हत्या (जैसे कि चेय्यार मामले में)।

5. **राजनीतिक एवं नौकरशाही भ्रष्टाचार :** अपराधी अक्सर अपने कार्यों को सुरक्षित रखने के लिए राजनेताओं, पुलिस या नौकरशाहों के साथ सांठगांठ कर लेते हैं।

6. **अंतरराष्ट्रीय आयाम :** कई समूह कमजोर प्रवर्तन और छिद्रपूर्ण सीमाओं का लाभ उठाते हुए सीमाओं के पार काम करते हैं।
- **उदाहरण :** गोल्डन क्रीसेंट (अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान) ⊠ भारत में मादक पदार्थ।

भारत में मादक पदार्थों की तस्करी के आयाम :

1. **उत्पादन और खेती**
- पहाड़ी/वन क्षेत्रों (जैसे हिमाचल, ओडिशा) में अवैध रूप से उगाई जाने वाली भांग।
- मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अवैध रूप से उगाई जाने वाली अफीम।

2. **सीमा पार तस्करी**
- **गोल्डन क्रीसेंट (अफगानिस्तान-ईरान-पाकिस्तान):** पंजाब, जम्मू और कश्मीर में हेरोइन का स्रोत।
- **स्वर्ण त्रिभुज (म्यांमार-लाओस-थाईलैंड):** पूर्वोत्तर भारत में सिंथेटिक ड्रग्स और मेथामफेटामाइन।

- अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के माध्यम से समुद्री तस्करी।

3. घरेलू वितरण नेटवर्क

- अंतरराज्यीय आवागमन (उदाहरण के लिए, चेय्यार मामले में आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक गांजा)।
- शहरी क्षेत्रों में सड़क स्तर पर छात्रों/युवाओं को लक्षित करके वाहन बेचना।

4. उभरते रुझान

- डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग ऑनलाइन बिक्री और भुगतान के लिए किया जा रहा है।
- प्रिस्क्रिप्शन दवाओं का दुरुपयोग (ट्रामाडोल, कफ सिरप, शामक)।

भारत में कानूनी और संस्थागत ढांचा :

1. **एनडीपीएस अधिनियम, 1985:** उत्पादन, कब्जे और तस्करी के लिए कठोर दंड।
2. **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी):** नशीली दवाओं से संबंधित कानून प्रवर्तन के लिए नोडल एजेंसी।
3. सीमा एजेंसियां (बीएसएफ, असम राइफल्स, तटरक्षक बल) को अवरोधन के लिए नियुक्त किया गया।
4. **पीएमएलए, 2002:** वित्तीय प्रवाह को अवरुद्ध करना।
5. **अंतर्राष्ट्रीय:** भारत ने मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1988 पर हस्ताक्षर किये हैं।

आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा के रूप में संगठित अपराध :

1. **सामाजिक व्यवधान :** युवाओं में नशे की लत, स्वास्थ्य पर बोझ, परिवारों का टूटना।
2. **हिंसा और कानून एवं व्यवस्था संबंधी मुद्दे :** गिरोह युद्ध, हत्याएं, जबरन वसूली।
3. **आतंकवाद-वित्तपोषण संबंध :** नार्को-आतंकवाद (जैसे, अफगान हेरोइन मार्ग)।
4. **संस्थाओं को कमजोर करना :** प्रवर्तन एजेंसियों के बीच भ्रष्टाचार, जैसा कि इस मामले में एक स्थानीय निरीक्षक के निलंबन में देखा गया।
5. **सीमा पार चुनौतियाँ :** गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल से भारत की निकटता इसे असुरक्षित बनाती है।

संगठित अपराध पर नज़र रखने में चुनौतियाँ :

1. संरचनात्मक चुनौतियाँ

- **नेटवर्क प्रकृति:** सामान्य अपराधों के विपरीत, संगठित अपराध शिथिल रूप से जुड़े, विकेन्द्रित कोशिकाओं में संचालित होते हैं, जिससे नेतृत्व का पता लगाना कठिन हो जाता है।
- **उदाहरण:** पंजाब में ड्रग कार्टेल अक्सर बिचौलियों की कई परतों के माध्यम से काम करते हैं।
- **अंतर-राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसार:** आपराधिक नेटवर्क राज्य एवं राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाते हैं
- पुलिस की अधिकारिता सीमाएं जांच को बोझिल बना देती हैं।
- **उदाहरण:** चेय्यार मामले में गांजा आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु की ओर जा रहा है।

2. तकनीकी चुनौतियाँ

- **डार्कनेट और एन्क्रिप्शन:** डार्कनेट मार्केट और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड ऐप्स का उपयोग निगरानी को कठिन बना देता है।
- **क्रिप्टोकरेंसी और हवाला:** डिजिटल भुगतान और अनौपचारिक चैनल वित्तीय जानकारी को छिपाते हैं।
- **फर्जी पहचान पत्र एवं जाली दस्तावेज:** अपराधी पहचान से बचने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं (सिम कार्ड, बैंक खाते)।

3. कानूनी एवं संस्थागत चुनौतियाँ

- **क्षेत्राधिकार का ओवरलैप:** कई एजेंसियां (राज्य पुलिस, एनसीबी, ईडी, सीबीआई) समन्वय में अंतराल पैदा करती हैं।
- **अपर्याप्त फोरेंसिक एवं साइबर क्षमताएं:** कई राज्य पुलिस बलों में वित्तीय जांच और साइबर फोरेंसिक में विशेषज्ञता का अभाव है।
- **कमजोर गवाह संरक्षण:** पीड़ितों और गवाहों को अक्सर प्रतिशोध का डर रहता है, जिसके कारण दोषसिद्धि की दर कम होती है।

4. सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियाँ

- **भ्रष्टाचार और स्थानीय मिलीभगत:** अपराधी अक्सर अधिकारियों या राजनेताओं को रिश्वत देते हैं, जिससे प्रवर्तन कमजोर हो जाता है।
- **उदाहरण:** चेय्यार मामले में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने में विफल रहने के कारण इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया।
- **सार्वजनिक भय और चुप्पी:** पीड़ित अक्सर धमकी के कारण रिपोर्ट करने से बचते हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **मांग-संचालित बाजार:** नशीली दवाओं, तस्करी या अवैध हथियारों की उच्च मांग इन नेटवर्कों को बनाए रखती है।

5. अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियाँ

- **छिद्रयुक्त सीमाएँ:** गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल के बीच भारत का स्थान इसे मादक पदार्थों की तस्करी के लिए संवेदनशील बनाता है।
- **वैश्विक सहयोग का अभाव:** प्रत्यर्पण में देरी, भिन्न कानून और सीमित खुफिया जानकारी साझा करने से कार्रवाई में बाधा आती है।
- **नार्को-आतंकवाद संबंध:** संगठित अपराध और आतंकवादी वित्तपोषण में समानता है, जिससे सुरक्षा संबंधी आयाम जुड़ जाता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. संस्थागत:

- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) - मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई का समन्वय करने वाली शीर्ष संस्था।
- **उदाहरण:** एनसीबी के नेतृत्व वाले ऑपरेशन समुद्रगुप्त (2023) में हिंद महासागर में लगभग 2,500 किलोग्राम मेथामफेटामाइन और 500 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई।
- सीमा सुरक्षा बल, तटरक्षक बल और राज्य पुलिस की अवरोधन में भागीदारी।
- **उदाहरण:** बीएसएफ ने 2022 में पंजाब सीमा पर 700 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन जब्त की।

2. विधायी:

- एनडीपीएस अधिनियम, 1985 (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) - नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए कठोर दंड।
- **उदाहरण:** 2022 में, ईडी ने ड्रग से जुड़े मामलों में एनडीपीएस और पीएमएलए के तहत ₹1,400 करोड़ की संपत्ति कुर्क की।
- धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 - नशीली दवाओं के व्यापार की आय पर नज़र रखने के लिए।
- **उदाहरण:** हाल ही में पंजाब में ड्रग-कार्टेल के मामलों में, पीएमएलए के तहत तस्करों के खातों को फ्रीज कर दिया गया था।

3. नियामक:

- **स्वापक औषधियों और मन:** प्रभावी पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति - मांग में कमी के साथ आपूर्ति में कमी को संतुलित करना।
- **उदाहरण:** युवाओं में मांग को कम करने के लिए 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान (2020) शुरू किया गया
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम।

4. अंतर्राष्ट्रीय:

- भारत मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1988) का एक पक्ष है।
- पड़ोसी देशों (नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश) के साथ द्विपक्षीय सहयोग।
- खुफिया जानकारी साझा करने के लिए इंटरपोल और यूएनओडीसी के साथ सहयोग।

निष्कर्ष :

- पवन ठाकुर का मामला भारत में संगठित अपराध की बढ़ती जटिलता और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति को उजागर करता है,
- जहाँ मादक पदार्थों की तस्करी हवाला नेटवर्क, धन शोधन और विदेशी सुरक्षित ठिकानों से गहराई से जुड़ी हुई है।
- इंटरपोल सिल्वर नोटिस जारी होना वैश्विक मादक पदार्थ सिंडिकेट के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है,
- लेकिन यह आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को कमजोर करने वाले ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए मज़बूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग, वित्तीय खुफिया जानकारी साझा करने और सक्रिय प्रत्यर्पण तंत्र की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. संगठित अपराध के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह लाभ या शक्ति के लिए संरचित समूहों द्वारा चलाया जाने वाला एक सतत आपराधिक उद्यम है।
2. यह आमतौर पर केवल राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर ही संचालित होता है और इसका कोई अंतरराष्ट्रीय आयाम नहीं होता है।
3. संगठित अपराध अक्सर हिंसा, भ्रष्टाचार और अवैध व्यापार पर निर्भर करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. संगठित अपराध, विशेषकर मादक पदार्थों की तस्करी, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बनकर उभरा है। हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)



भारत में संगठित अपराध : स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा

समाचार में क्यों?

महाराष्ट्र में पुलिस एजेंसियों ने संगठित अपराध पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा से जुड़ा एक हाई-प्रोफाइल विवाद सामने आया है।

संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई

- पुणे में तैनात आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चला रही हैं और अवैध गतिविधियों और नेटवर्क को ध्वस्त कर रही हैं।
- उनकी साहसिक और स्वतंत्र पुलिसिंग ने कथित तौर पर राजनीतिक संबंधों या प्रभाव वाले समूहों को निशाना बनाया है,
- जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शक्तिशाली हितों के साथ आमने-सामने खड़ा होना पड़ा है।

विवाद

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कथित तौर पर आईपीएस अधिकारी पर उनकी जांच को लेकर दबाव डाला, जिससे पुलिस कार्रवाई में राजनीतिक हस्तक्षेप की चिंता पैदा हो गई।
- इससे पुलिस एजेंसियों की स्वायत्तता और राजनीतिक संरक्षण से समर्थित अपराध का सामना करते समय अधिकारियों के समक्ष आने वाले जोखिमों के बारे में व्यापक बहस छिड़ गई है।



भारत में संगठित अपराध के विभिन्न वर्ग:

- भारत में, संगठित अपराध में आपराधिक गिरोहों द्वारा सत्ता हासिल करने, धन संचय करने और अपने कार्यों का विस्तार करने के लिए की जाने वाली कई तरह की अवैध गतिविधियाँ शामिल हैं।
- ये गतिविधियाँ व्यवस्थागत कमज़ोरियों का फायदा उठाकर गंभीर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियाँ पैदा करती हैं।

अपराध का प्रकार	परिभाषा
नशीले पदार्थों की तस्करी	हेरोइन, कोकीन और सिंथेटिक पदार्थों जैसी अवैध दवाओं की तस्करी, वितरण और उत्पादन।
मानव तस्करी	कमजोर व्यक्तियों का जबरन श्रम, यौन दु-र्व्यवहार और अंग तस्करी के लिए शोषण।
जबरन वसूली और संरक्षण रैकेट	व्यवसायों और व्यक्तियों को धमकी या भय दिखाकर "सुरक्षा राशि" का भुगतान करने के लिए मजबूर करना।
अवैध वन्यजीव तस्करी	वन्यजीवों और वन्यजीव उत्पादों का अवैध शिकार, तस्करी और व्यापार, जैव विविधता के लिए खतरा बन रहा है।
साइबर क्राइम	डिजिटल प्रणालियों से जुड़े अपराध, जिनमें हैकिंग, फ़िशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी शामिल हैं।

वित्तीय धोखाधड़ी और धन शोधन	पोन्जी घोटाले जैसी धोखाधड़ी योजनाएं और अवैध स्रोतों को छिपाने के लिए आपराधिक आय को वैध बनाना।
अवैध हथियारों की तस्करी	अवैध हथियारों की तस्करी और व्यापार, हिंसा और असुरक्षा को बढ़ावा देता है।
जालसाजी और आईपी चोरी	नकली वस्तुओं का उत्पादन और वितरण, जिसमें विलासिता की वस्तुएं और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं, तथा बौद्धिक संपदा का उल्लंघन।
अवैध जुआ और सट्टेबाजी	भ्रष्टाचार और धन शोधन से जुड़े गुप्त जुआ और सट्टेबाजी प्लेटफार्मों का संचालन।
तस्करी	सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स और नकली मुद्रा जैसे प्रतिबंधित सामान को सीमा पार ले जाना।
अनुबंध हत्या और हत्याएं	व्यक्तिगत या वित्तीय उद्देश्यों के लिए भाड़े के हत्यारों द्वारा की गई लक्षित हत्याएं।
लकड़ी और चंदन का अवैध व्यापार	मूल्यवान लकड़ी की तस्करी के लिए वन विभाग की खामियों का फायदा उठाना, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है।

संगठित अपराध से निपटने के लिए भारत में पहल और कानून

कार्य / पहल	संगठित अपराध से निपटने में उद्देश्य/भूमिका
मकोका (1999)	संगठित अपराध सिंडिकेटों को लक्ष्य बनाता है; संचार अवरोधन, संपत्ति जब्ती की अनुमति देता है।
पीएमएलए (2002)	धन शोधन को रोकता है; प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अवैध संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है।
यूएपीए	व्यक्तियों/समूहों को आतंकवादी घोषित करना; निवारक नजरबंदी और संपत्ति जब्त करना।
एनडीपीएस अधिनियम (1985)	मादक पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान।
बीएनएस धारा 111	प्रमुख संगठित अपराध (अपहरण, जबरन वसूली, साइबर अपराध, आदि) को परिभाषित करता है।
बीएनएस धारा 112	छोटे संगठित अपराधों को परिभाषित करता है (जैसे, समूह में चोरी, सार्वजनिक क्षेत्रों में जेबकतरी)।
शस्त्र अधिनियम	आग्नेयास्त्रों को विनियमित करता है; अपराध सिंडिकेटों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अवैध हथियारों पर अंकुश लगाता है।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972)	वन्यजीव तस्करी नेटवर्क और अवैध व्यापार को निशाना बनाता है।
तस्करी विरोधी एवं श्रम कानून	अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम,बंधुआ मजदूरी अधिनियम,बाल श्रम अधिनियम- मानव तस्करी नेटवर्क से मुकाबला करना।
कंपनी अधिनियम (2013)	मुखौटा कम्पनियों, अंदरूनी व्यापार और धन शोधन कार्यों को विनियमित करता है।
पोक्सो अधिनियम (2012)	संगठित गिरोहों द्वारा यौन अपराधों और तस्करी से बच्चों की सुरक्षा करना।
एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो)	एजेंसियों को पैटर्न पर नज़र रखने और संचालन की योजना बनाने में मदद करने के लिए अपराध डेटा बनाए रखता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)	संगठित अपराध से संबंधित पीएमएलए के अंतर्गत वित्तीय अपराधों की जांच करना।

राज्य संगठित अपराध विरोधी इकाइयाँ	विशेष पुलिस शाखाएँ (जैसे, महाराष्ट्र AOCU) स्थानीय सिंडिकेटों को निशाना बना रही हैं।
निगरानी प्रौद्योगिकी	वायरटैपिंग, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, जीपीएस - नेटवर्क को ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है।
साइबर अपराध प्रकोष्ठ	साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन तस्करी और संगठित हैकिंग समूहों पर नज़र रखें।

संगठित अपराध से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा

कार्यक्षेत्र	धमकियाँ
राजनीतिक	• अस्थिरताभ्रष्टाचार, चुनाव में हेराफेरी और जबरदस्ती के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करता है। • कानून और व्यवस्था का पतन: मणिपुर जैसे राज्यों में शांति भंग होती है। • राज्य बिजली व्यवधानअपराधी-विद्रोही गठजोड़ संप्रभुता को कमजोर करता है, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में।
आर्थिक	• काला धन सृजनजबरन वसूली, तस्करी और अवैध खनन से लेकर वैध बाजारों को विकृत करना। • कर की चोरीबड़े पैमाने पर कर चोरी से विकास निधि पर प्रभाव पड़ता है। • काले धन को वैध बनाना: वित्तीय प्रणालियों और कानूनी अर्थव्यवस्था को विकृत करता है।
सामाजिक	• मानव तस्करी: विशेषकर महिलाओं और बच्चों को गहरा सामाजिक नुकसान और शोषण। • जान-माल का नुकसान हिंसा, अनुबंध हत्याओं और नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के कारण। • महिलाओं की असुरक्षा संगठित अपराध से लैंगिक खतरे बढ़ते हैं। • युवा कट्टरपंथ आपराधिक समूह कमजोर युवाओं की भर्ती करते हैं और उन्हें कट्टरपंथी बनाते हैं। • सामाजिक असामंजस्य: सांप्रदायिक तनाव, अविश्वास और हिंसा को बढ़ावा देता है, जिससे राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है।

भारत में संगठित अपराध से निपटने की चुनौतियाँ :

1. **राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम मानव सुरक्षा :** राष्ट्रीय सुरक्षा और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने से अक्सर संघर्ष उत्पन्न होता है, विशेषकर तब जब निगरानी और शक्ति-वर्धक कानूनों के माध्यम से संगठित अपराध का मुकाबला किया जाता है।

2. **अत्यधिक पुलिस क्रूरता :** संगठित अपराध के ख़िलाफ़ लड़ाई में कभी-कभी पुलिस की बर्बरता सामने आती है, जिससे क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों पर भरोसा कम होता है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश और पंजाब में ऐसे मामले सामने आए हैं।

3. **अपराधों की अंतरराष्ट्रीय प्रकृति :** संगठित अपराध तेजी से सीमाओं के पार संचालित हो रहा है, तथा सिंडिकेट मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी जैसी गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों का दुरुपयोग कर रहे हैं।

4. **सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्य प्रायोजित अपराध :** पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में संगठित अपराध मौन राजनीतिक समर्थन से फल-फूल रहा है, जिससे अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास जटिल हो रहे हैं।

5. **साइबर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्रे ज़ोन युद्ध :** संगठित अपराधियों द्वारा उन्नत साइबर तकनीकों के इस्तेमाल ने पारंपरिक और डिजिटल अपराधों के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है। साइबर-सक्षम आतंकवाद, जैसे कि भारत के सरकारी संस्थानों पर रैंसमवेयर हमलों में वृद्धि, युद्ध के इस नए रूप से उत्पन्न बढ़ते खतरे को दर्शाता है।

6. **अपराधियों द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग :** अपराधी पुलिस की पकड़ से बचने के लिए उच्च तकनीक वाले तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए उन पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। केरल में सोने की तस्करी के मामले में, अपराधियों ने सोने की तस्करी के लिए छिपे हुए डिब्बों और अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया, जो संगठित अपराध के विकसित होते स्वरूप को दर्शाता है।

7. **प्रभावी पुलिस प्रशिक्षण का अभाव :** कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास अक्सर साइबर अपराध, मानव तस्करी और धन शोधन जैसे विशिष्ट अपराधों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण और उपकरणों का अभाव होता है। कई राज्य पुलिस बल पुराने कौशल और तकनीक के कारण साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से जूझ रहे हैं।

8. **एजेंसियों के बीच सहयोग का अभाव :** सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और राज्य पुलिस जैसी एजेंसियों के बीच सहयोग अक्सर बिखरा हुआ होता है, जिससे संगठित अपराध से निपटने के प्रयास कमज़ोर पड़ जाते हैं। कुछ हाई-प्रोफाइल मामलों में, समन्वय की इस कमी के कारण देरी हुई है और आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के अवसर चूक गए हैं।

9. **अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण :** राजनीतिक हस्तियाँ कभी-कभी संगठित अपराधियों को संरक्षण देती हैं, जिससे वे बेख़ौफ़ होकर अपनी गतिविधियाँ चला पाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार से मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि स्थानीय राजनेताओं पर समर्थन के बदले अपराधियों को पनाह देने का आरोप लगाया गया है, जिससे अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के प्रयास जटिल हो जाते हैं।

10. **विलंबित अभियोजन :** संगठित अपराध के मामलों में विलंबित कानूनी कार्यवाही अक्सर त्वरित न्याय में बाधा डालती है, जिससे निवारक प्रभाव कम हो जाता है। मुकदमों की धीमी गति, जैसा कि 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों में देखा गया, अपराधियों को समय पर कानूनी परिणामों का सामना किए बिना अपने कार्यों को जारी रखने का अवसर देती है, जिससे कानून प्रवर्तन प्रयास कमजोर होते हैं।

संगठित अपराध के विरुद्ध सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के तरीके :

1. **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) :** 1998 में गठित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी निर्णयों का मार्गदर्शन करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नेतृत्व में रणनीतिक नीति समूह विभिन्न एजेंसियों में संगठित अपराध के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करता है।

2. **आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय :** एक समर्पित मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत आंतरिक गड़बड़ी और समन्वित अपराध रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करते हुए आंतरिक सुरक्षा प्रतिक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकता है।

3. **एजेंसियों के बीच बेहतर सहयोग :** सीबीआई, ईडी और राज्य पुलिस जैसी सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से संगठित अपराध गतिविधियों के प्रति खुफिया जानकारी साझा करने और प्रतिक्रिया समय में सुधार होगा।

4. **भारतीय न्याय संहिता (BNS) :** बीएनएस संगठित अपराध को इस प्रकार परिभाषित करता है कि यह कानून प्रवर्तन को अपहरण, जबरन वसूली और मानव तस्करी जैसे अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाता है।

5. **पुलिस बलों को मजबूत बनाना :** साइबर अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्षेत्रों में नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने से संगठित अपराध से निपटने में राज्य पुलिस की क्षमता में सुधार होगा।

6. **सुरक्षा और मानवाधिकारों में संतुलन :** राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों में मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अपराध-विरोधी कार्रवाइयां नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन न करें।

7. **सीमा बाड़ लगाना और निगरानी :** म्यांमार-भारत सीमा की तरह सीमा सुरक्षा को मजबूत करने से तस्करी, मानव तस्करी और अन्य सीमा पार अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी।

8. **सीमावर्ती समुदायों के लिए समर्थन :** सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास से कमजोरियां कम होती हैं और आपराधिक गिरोहों द्वारा शोषण को रोका जा सकता है।

9. **साइबर अपराध के विरुद्ध उन्नत प्रौद्योगिकी :** साइबर अपराधियों पर नज़र रखने और विशेष साइबर अपराध इकाइयों की स्थापना के लिए एआई और ब्लॉकचेन जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने से भारत की डिजिटल सुरक्षा बढ़ेगी।

10. **कानूनी और न्यायिक सुधार :** संगठित अपराध के मामलों में अभियोजन में तेजी लाने और फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना से आपराधिक गिरोहों पर रोक लगेगी और न्याय प्रणाली मजबूत होगी।

निष्कर्ष :

1. निष्कर्षतः संगठित अपराध भारत की सुरक्षा के लिए, विशेष रूप से वर्तमान तकनीकी युग में, एक गंभीर खतरा है। पिछले एक दशक में, भारत ने संगठित अपराध से निपटने के लिए कानूनी ढाँचों को मज़बूत करने से लेकर सीमा सुरक्षा बढ़ाने तक, विभिन्न उपाय लागू किए हैं।

2. संगठित अपराध को नियंत्रित रखने और दीर्घकालिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास, सतत निगरानी और अनुकूलनीय रणनीतियाँ आवश्यक हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कानून या पहल संगठित अपराध पर केंद्रित है?

1. मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम)
2. पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम)
3. एनडीपीएस अधिनियम (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट)
4. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972.

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल एक B. केवल दो

C. केवल तीन D. सभी चार

उत्तर: D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. संगठित अपराध से निपटने के उद्देश्य से भारत में लागू विभिन्न कानूनों और पहलों पर चर्चा कीजिए। संगठित अपराध की बहुमुखी प्रकृति से निपटने में ये उपाय कितने प्रभावी हैं?

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)



भारत के लिए बढ़ती आंतरिक सुरक्षा चुनौती : पाकिस्तान से सीमा पार ड्रग ड्रोन

समाचार में क्यों?

- एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2024 ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी में, खासकर पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए, तेज़ वृद्धि को उजागर किया है।
- ड्रोन से जुड़े मामले 2021 में सिर्फ़ 3 से बढ़कर 2024 में 179 हो गए, जिनमें ज़्यादातर पंजाब सीमा पर थे, और राजस्थान और जम्मू-कश्मीर भी प्रभावित हुए।
- 2019-24 के बीच सिंथेटिक ड्रग्स की ज़ब्ती छह गुना बढ़ गई (2024 में 11,994 किलोग्राम), जबकि समुद्री तस्करी में 10,564 किलोग्राम की ज़ब्ती हुई।
- एएनटीएफ के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में मेस्केलिन जैसी नई सिंथेटिक ड्रग्स और इंजेक्शन के ज़रिए नशीली दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग को भी चिन्हित किया गया है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है।



सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा :

1. **छिद्रयुक्त सीमाएं और निगरानी चुनौतियां :** भारत की पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और चीन के साथ लंबी स्थलीय सीमाएँ हैं, जिससे उन पर पूरी तरह से निगरानी रखना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण: भारत-नेपाल सीमा पर आवाजाही स्वतंत्र है, जिसका अक्सर तस्करी और मानव तस्करी के लिए दुरुपयोग किया जाता है।
2. **सीमा पार तस्करी और नार्को-आतंकवाद :** नशीले पदार्थों, हथियारों और नकली मुद्रा की तस्करी से आंतरिक सुरक्षा को खतरा बढ़ता है। उदाहरण:पाकिस्तान से पंजाब में ड्रोन आधारित हेरोइन तस्करी में तेजी से वृद्धि हुई है (2024 में 179 मामले)।
3. **भौगोलिक कमजोरियाँ :** राजस्थान में रेगिस्तान, असम में नदी सीमाएँ और पूर्वोत्तर में घने जंगल जैसे दुर्गम इलाके गश्त और बाड़ लगाने को जटिल बनाते हैं। तटीय क्षेत्र समुद्री तस्करी के लिए असुरक्षित हैं।
4. **तकनीकी और निगरानी अंतराल :** ड्रोन-रोधी प्रणालियों, एआई-आधारित निगरानी, रडार और रात्रि-दर्शन उपकरणों की सीमित तैनाती। तस्कर पहचान से बचने के लिए जीपीएस-सक्षम ड्रोन, एन्क्रिप्टेड संचार और समुद्री मार्गों का उपयोग करते हैं।
5. **एजेंसियों के बीच समन्वय :** कई एजेंसियाँ—बीएसएफ, तटरक्षक बल, एनसीबी, सीमा शुल्क और राज्य पुलिस—सीमाओं पर काम करती हैं, लेकिन समन्वय अक्सर कमज़ोर होता है, जिससे संयुक्त अभियानों में देरी होती है। उदाहरण: 2023 में गुजरात तट पर नशीली दवाओं की खेपों को समन्वय की कमी के कारण देर से पकड़ा गया था।
6. **स्थानीय समुदाय और युवा भागीदारी :** सीमावर्ती ज़िलों में कमज़ोर स्थानीय आबादी को कभी-कभी बेरोज़गारी के कारण नशीली दवाओं के परिवहन या तस्करी के लिए कार्टेल द्वारा भर्ती किया जाता है। उदाहरण: पंजाब के युवा अक्सर ड्रोन से गिराई गई खेपों के प्राप्तकर्ता के रूप में काम करते हैं।

सीमा सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है?

1. **नार्को-आतंकवाद और चरमपंथी वित्तपोषण को रोकता है :** सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी से आतंकवादी और

चरमपंथी गतिविधियों को धन मिलता है। उदाहरण: जम्मू-कश्मीर में, आतंकवादी संगठन अपने अभियानों के वित्तपोषण के लिए हेरोइन की तस्करी का इस्तेमाल करते हैं।

2. **राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा :** मज़बूत सीमाएँ शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों द्वारा घुसपैठ और अतिक्रमण को रोकती हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध बस्तियों और अतिक्रमणों को रोकती हैं।

3. **आंतरिक स्थिरता और कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना :** उग्रवाद और अलगाववादी आंदोलनों को भीतरी इलाकों में फैलने से रोकता है। सांप्रदायिक तनाव और सीमा पार के कार्टेलों से जुड़े संगठित अपराध को कम करने में मदद करता है।

4. **युवाओं को नशीली दवाओं के खतरे से बचाता है :** मादक पदार्थों की तस्करी, सीमावर्ती क्षेत्रों के कमज़ोर युवाओं को उपभोक्ता और वाहक के रूप में निशाना बनाती है। इससे नशे की लत बढ़ती है, स्वास्थ्य संकट बढ़ता है और उत्पादक कार्यबल का ह्रास होता है।

5. **सीमावर्ती समुदायों और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित करना :** सीमावर्ती गाँवों को अक्सर घुसपैठ, तस्करी और हिंसा का सामना करना पड़ता है। मज़बूत सीमा सुरक्षा विश्वास, आजीविका के अवसरों और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देती है।

6. **अवैध व्यापार और आर्थिक नुकसान को रोकता है :** नशीली दवाओं, नकली मुद्रा, सोने और हथियारों की तस्करी अर्थव्यवस्था को अस्थिर करती है। औपचारिक व्यापार, सीमा शुल्क राजस्व और वित्तीय सुरक्षा को कमज़ोर करती है।

7. **भारत की वैश्विक छवि और क्षेत्रीय सुरक्षा भूमिका को मजबूत करता है :** प्रभावी सीमा प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय अपराध से निपटने में भारत की क्षमता को दर्शाता है। यह पड़ोसियों और वैश्विक निकायों (जैसे, यूएनओडीसी, बिम्सटेक, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन) के साथ सहयोग को बढ़ाता है।

आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने प्रमुख सीमावर्ती क्षेत्र :

1. **पंजाब-पाकिस्तान सीमा :** ड्रोन के जरिए हेरोइन और हथियार गिराए जाने से नार्को आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है; अमृतसर और तरनतारन इसके हॉटस्पॉट हैं।

2. **पश्चिमी राजस्थान :** तस्कर घुसपैठ के लिए बाड़मेर और जैसलमेर के विशाल रेगिस्तानी इलाके का फायदा उठाते हैं।

3. **जम्मू और कश्मीर :** आतंकवादी संगठन हेरोइन तस्करी ("नार्को-आतंकवाद") के माध्यम से अपने कार्यों को वित्तपोषित करते हैं।

4. **पूर्वोत्तर (भारत-म्यांमार सीमा) :** 'मृत्यु त्रिकोण' का हिस्सा होने के कारण सीमा से मिजोरम और मणिपुर में मेथामफेटामाइन और याबा टैबलेट की तस्करी होती है।

5. **तटीय राज्य (गुजरात, केरल, तमिलनाडु) :** बड़ी खेप (2021 में गुजरात तट से जब्त 3,000 किलोग्राम से अधिक हेरोइन) समुद्री मार्गों की भेद्यता को दर्शाती है।

6. **भारत-नेपाल और भारत-बांग्लादेश सीमाएँ :** मुक्त आवागमन समझौते अक्सर अवैध व्यापार, नकली मुद्रा और मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देते हैं।

7. **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह :** हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में इसकी स्थिति इसे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के लिए आकर्षक बनाती है।

सरकारी पहल / नीतियां :

1. **एनसीओआरडी (नार्को समन्वय केंद्र) :** समन्वय को मजबूत करने के लिए 2016 में बनाया गया, कमियों को दूर करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर बैठकें आयोजित करता है।

2. **राष्ट्रीय एनडीपीएस नीति (2012) :** नशे की लत के पुनर्वास के साथ आपूर्ति में कमी को संतुलित करना।

3. **ड्रोन रोधी प्रणालियाँ :** डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रणालियाँ अब पंजाब और राजस्थान सेक्टरों में तैनात हैं।

4. **जागरूकता कार्यक्रम :** नशा मुक्त भारत अभियान मांग को कम करने के लिए 270 से अधिक जिलों को कवर करता है।

5. **समुद्री सुरक्षा :** नौसेना और तटरक्षक बल के साथ तटीय रडार श्रृंखला (46 स्टेशन) को जोड़ा गया; 2008 के मुंबई हमलों के बाद निगरानी को उन्नत किया गया।

6. **पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम :** 2024 में इसका उपयोग बढ़ाया गया - 531 निरोध आदेश जारी किए गए, जबकि 2020 में यह संख्या केवल 93 थी।

7. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग :** भारत क्षेत्रीय मादक पदार्थों के मार्गों की निगरानी के लिए यूएनओडीसी, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव और बिम्सटेक के साथ काम करता है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियाँ :

1. **तकनीकी अंतर :** 24×7 एआई निगरानी ग्रिड की कमी के कारण लंबी दूरी के पेलोड वाले ड्रोन अक्सर पकड़ में नहीं आते।

2. **कठिन इलाका :** भारत-म्यांमार के पहाड़ी जंगलों या ब्रह्मपुत्र नदी की सीमा पर गश्त करना संसाधन-प्रधान कार्य है।

3. **सीमा पार कार्टेल :** पाकिस्तान और म्यांमार के कार्टेल सीधे तौर पर भारत में आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े हुए हैं।

4. **स्थानीय युवाओं की भागीदारी :** पंजाब में बढ़ती नशीली दवाओं की लत तस्करों के लिए एक तैयार नेटवर्क प्रदान करती है।

5. **भ्रष्टाचार और मिलीभगत :** कुछ निचले स्तर के सुरक्षाकर्मी तस्करों की सहायता करते पकड़े गए हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

6. **न्यायिक विलंब :** एनडीपीएस के मामले वर्षों तक चलते रहते हैं; दोषसिद्धि की दर कम (~30%) बनी हुई है।

7. **भू-राजनीतिक कारक :** अफगानिस्तान (गोल्डन क्रीसेंट) में अस्थिरता के कारण हेरोइन भारतीय बाजारों में आ रही है।

आगे की राह :

1. **प्रौद्योगिकी-संचालित सुरक्षा :** पंजाब और राजस्थान जैसे संवेदनशील राज्यों में एआई-आधारित रडार, एंटी-ड्रोन सिस्टम, उपग्रह निगरानी तैनात करें।

2. **बलों को मजबूत करना :** बीएसएफ और तटरक्षक बल की जनशक्ति में वृद्धि की जाए; रात्रि-दर्शन ड्रोन और बख्तरबंद वाहन उपलब्ध कराए जाएं।

3. **एकीकृत तटीय सुरक्षा योजना :** तटीय पुलिसिंग की "आंख और कान" के रूप में मछुआरा समुदायों को शामिल करें।

4. **क्षेत्रीय सहयोग :** कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के अंतर्गत संयुक्त अभियान को बढ़ावा देना तथा बिम्सटेक भागीदारों के साथ खुफिया जानकारी साझा करना।

5. **सामुदायिक सहभागिता :** पंजाब और पूर्वोत्तर में मांग में कमी लाने तथा तस्करों के लिए स्थानीय समर्थन को कम करने के लिए पुनर्वास कार्यक्रम शुरू करें।

6. **कानूनी सुधार :** विशेष अदालतों के माध्यम से एनडीपीएस मामलों को त्वरित गति से निपटाया जाना चाहिए ताकि रोकथाम की जा सके।

7. **रोजगार योजनाएँ :** सीमावर्ती जिलों (जैसे पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य) में कौशल विकास और नौकरियों का विस्तार करना ताकि कार्टेलों द्वारा युवाओं की भर्ती पर अंकुश लगाया जा सके।

निष्कर्ष :

- सीमा सुरक्षा का तात्पर्य केवल क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता सुनिश्चित करना भी है।
- ड्रोन और समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों के आतंकवाद में खतरनाक वृद्धि, सीमा पार खतरों की प्रकृति में एक खतरनाक बदलाव को उजागर करती है।
- इसका मुकाबला करने के लिए, भारत को एक समग्र सरकारी और समग्र समाज-केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें तकनीक-संचालित निगरानी, अंतर-एजेंसी समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी केंद्रीय भूमिका निभाएँ।
- साथ ही, तस्करी के स्थानीय नेटवर्क को कम करने के लिए सीमावर्ती जिलों में सामाजिक-आर्थिक कमज़ोरियों का समाधान आवश्यक है।
- नशीली दवाओं के खतरे से समग्र रूप से निपटने के लिए आपूर्ति में कमी, मांग में कमी और पुनर्वास उपायों को एकीकृत करने वाली एक संतुलित रणनीति अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

Q1. हाल ही में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की वार्षिक रिपोर्ट 2024 में पाकिस्तान से मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल में तेज़ वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। इस संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 2024 में भारत-पाकिस्तान सीमा पर 150 से अधिक ड्रोन-आधारित नशीली दवाओं की तस्करी के मामले सामने आए।
2. ड्रोन-जनित मादक पदार्थों की तस्करी से भारत में पंजाब सबसे अधिक प्रभावित राज्य था।
3. भारत में सिंथेटिक ड्रग की जब्ती 2019 और 2024 के बीच लगभग छह गुना बढ़ गई।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर : D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. "ड्रोन-आधारित सीमा-पार मादक पदार्थों की तस्करी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे का एक नया आयाम प्रस्तुत करती है।" नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा रिपोर्ट किए गए हालिया रुझानों के संदर्भ में चर्चा करें। (UPSC 2024) (शब्द सीमा - 250, अंक - 15)



फेक न्यूज़ और भ्रामक सूचना पर संसद की चिंता : लोकतंत्र की रक्षा की दिशा में कदम

ख़बरों में क्यों ?



- भारतीय लोकतंत्र में मीडिया और सूचना का प्रवाह हमेशा से अहम भूमिका निभाता रहा है। प्रौद्योगिकी के विकास और डिजिटल माध्यमों की पहुँच ने सूचना-साझेदारी को पहले से कहीं अधिक त्वरित और सुलभ बना दिया है। किंतु इस तेज़ी ने फेक न्यूज़ और भ्रामक सूचना का अनियंत्रित प्रसार जैसी एक नई समस्या को भी जन्म दिया है।
- हाल ही में संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने इस विषय पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कई ठोस सिफारिशें पेश की हैं।
- इस स्थायी समिति का मानना है कि झूठी खबरें न केवल समाज में अव्यवस्था फैलाती हैं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जड़ों को भी कमज़ोर करती हैं।

समिति की प्रमुख सिफारिशें :

स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में अनेक उपाय सुझाए हैं जो फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने में सहायक हो सकते हैं।

1. **देश के हर मीडिया संगठन के भीतर तथ्य-जाँच प्रणाली स्थापित करने की अनिवार्यता होना :** समिति चाहती है कि हर मीडिया संगठन के भीतर तथ्य-जाँच की औपचारिक व्यवस्था हो। इसके साथ ही, एक आंतरिक लोकपाल या ओम्बड्समैन नियुक्त किया जाए, जो संपादकीय सामग्री की निगरानी कर सके और शिकायतों का समाधान सुनिश्चित कर सके।
2. **कड़े दंडात्मक प्रावधान को अनिवार्य करना :** झूठी खबरों के प्रसार को हतोत्साहित करने के लिए समिति ने जुर्माने की राशि बढ़ाने तथा संपादकीय ज़िम्मेदारी तय करने की सिफारिश की है। इससे मीडिया संगठनों की जवाबदेही बढ़ेगी।
3. **स्पष्ट परिभाषा का निर्धारण करने की जरूरत :** समिति ने 'फेक न्यूज़' की एक ठोस और स्वीकार्य परिभाषा तय करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फेक न्यूज़ और वैचारिक असहमति, व्यंग्य या आलोचना को एक ही श्रेणी में न डाला जाए।
4. **भारतीय प्रेस परिषद और निगरानी तंत्र को सशक्त करने की आवश्यकता :** भ्रामक सूचना के बेहतर निगरानी के लिए शिकायत पोर्टल और स्वतंत्र नियामक निकाय स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। इससे संस्थागत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। मीडिया की बेहतर निगरानी के लिए, समिति ने एक स्वतंत्र निगरानी निकाय और एक शिकायत पोर्टल बनाने का सुझाव दिया है।
5. **एआई-जनित सामग्री का विनियमन :** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से बनी सामग्री पर भी लगाम कसने की बात कही गई है।
6. समिति ने एआई सामग्री बनाने वालों के लिए लाइसेंसिंग और एआई-जनित सामग्री (जैसे वीडियो) पर यह लेबल लगाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है कि यह एआई द्वारा बनाई गई है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गुमराह करने वाली सामग्री को रोका जा सकेगा।

भ्रामक सूचना/ भ्रामक जानकारी या फेक न्यूज़ पर लगाम क्यों ज़रूरी है?



आज फेक न्यूज़ केवल एक संचार समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती बन चुकी है।

1. **लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर :** चुनावों के दौरान गलत सूचनाएँ जनमत को प्रभावित कर सकती हैं। इससे मतदाता वास्तविक तथ्यों से वंचित रह जाते हैं और लोकतंत्र की नींव डगमगा सकती है।
2. **सूचना के अधिकार का ह्रास :** भारत का संविधान नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति और सूचना का अधिकार देता है। किंतु झूठी खबरें नागरिकों तक सही सूचना पहुँचने में बाधक बनती हैं।
3. **लोक व्यवस्था का विघटन :** वर्ष 2018 में बच्चों के अपहरण की अफवाहों ने कई राज्यों में भीड़ हिंसा को जन्म दिया था।

यह उदाहरण बताता है कि भ्रामक सूचनाएँ सीधे जनसुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं।

4. **मीडिया और संस्थानों पर विश्वास की कमी :** कोविड-19 के दौरान टीकाकरण और उपचार को लेकर फैली अफवाहों ने लोगों का भरोसा सरकारी दिशा-निर्देशों से उठाया और टीकाकरण अभियान प्रभावित हुआ।

5. **राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा :** भ्रामक सूचना समाज में विभाजन और अशांति फैला सकती है, जिसे बाहरी शक्तियाँ भी अपने हित में उपयोग कर सकती हैं।

भ्रामक सूचना/ भ्रामक जानकारी या फेक न्यूज को नियंत्रित करने की मुख्य चुनौतियाँ :



फेक न्यूज पर रोक लगाने का कार्य आसान नहीं है। इससे जुड़ी मुख्य चुनौतियाँ निम्नलिखित है -

1. **परिभाषा की जटिलता या अस्पष्ट होना :** हर देश और समाज में 'फेक न्यूज' की परिभाषा अलग हो सकती है। विचार और व्यंग्य को इससे अलग करना हमेशा सरल नहीं होता।

2. **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल :** यदि नियम बहुत कठोर बनाए जाएँ, तो वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। संतुलन साधना सबसे बड़ी चुनौती है।

3. **डिजिटल प्लेटफार्मों की वैश्विक स्थिति :** अधिकांश सोशल मीडिया कंपनियाँ भारत से बाहर पंजीकृत हैं। ऐसे में उन पर कानूनी कार्यवाही करना कठिन होता है।

4. **तकनीकी कठिनाइयाँ :** डीपफेक, बॉट्स और एआई-जनित सामग्री इतनी वास्तविक प्रतीत होती है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है।

5. **कम डिजिटल साक्षरता :** भारत में बड़ी आबादी अब भी डिजिटल साक्षर नहीं है। वे आसानी से भ्रामक सामग्री के प्रभाव में आ जाते हैं।

6. **राजनीतिक ध्रुवीकरण :** राजनीतिक रूप से बंटे हुए समाज में लोग ऐसी 'फेक न्यूज' पर आसानी से यकीन कर लेते हैं जो उनके विचारों से मेल खाती है, जिससे इसे रोकना और भी मुश्किल हो जाता है।

7. **सरकारी हस्तक्षेप का डर :** सख्त नियमों को सेंसरशिप के रूप में देखा जा सकता है, जिससे जनता का अधिकारियों पर से विश्वास उठ सकता है।

भारत की मौजूदा पहलें :

भारत सरकार ने 'फेक न्यूज' को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं:

- **भारतीय प्रेस परिषद (PCI) :** यह नैतिक पत्रकारिता के लिए दिशानिर्देश देती है।
- **आई.टी. अधिनियम, 2000 :** यह सरकार को ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को गैर-कानूनी सामग्री हटाने की ज़िम्मेदारी दी गई है।
- **प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) फैक्ट-चेकिंग इकाई :** यह सरकार से जुड़ी भ्रामक जानकारी का खंडन करती है।
- **भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) :** ईसीआई ने 'मिथक बनाम वास्तविकता रजिस्टर' शुरू किया है और चुनावों के दौरान 'फेक न्यूज़' का मुकाबला करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाता है।
- साइबर अपराध समन्वय केंद्र और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल – ऑनलाइन अपराधों से निपटने की प्रणाली।

समाधान / आगे की राह :



स्थायी समिति की सिफारिशें तभी प्रभावी होंगी जब उन्हें ठोस क्रियान्वयन और व्यापक सामाजिक सहयोग प्राप्त होगा।

1. **कानूनी ढाँचा स्पष्ट करना** – कानून में यह स्पष्ट होना चाहिए कि फेक न्यूज राय, व्यंग्य और आलोचना से अलग है।

2. **तथ्य-जाँच तंत्र का संस्थानीकरण** – स्वतंत्र और प्रमाणित फैक्ट-चेक संस्थाओं की मान्यता होनी चाहिए।

3. **प्लेटफॉर्म की जवाबदेही** – सोशल मीडिया कंपनियों को अपने एल्गोरिद्म पारदर्शी बनाने और झूठी सामग्री हटाने की समयबद्ध ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।

4. **प्रौद्योगिकी का ज़िम्मेदार उपयोग** – एआई-आधारित उपकरणों से झूठी खबरों का त्वरित पता लगाया जा सकता है।

5. **जन-जागरूकता और डिजिटल साक्षरता** – नागरिकों को सिखाना होगा कि किस प्रकार सूचना की सत्यता को परखा जाए।

6. **अंतर-मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित किया जाना** – विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच सहयोग सुनिश्चित किया जाए।

निष्कर्ष :



- फेक न्यूज़ का मुकाबला करना केवल कानूनी या तकनीकी उपायों का विषय नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी है।
- भारत का लोकतंत्र तभी सशक्त रह सकता है जब जनता तक सही सूचना पहुँचे और वे तथ्यों के आधार पर निर्णय ले सकें। संसद की स्थायी समिति की सिफारिशें इस दिशा में एक अहम पहल हैं। किंतु इनका सफल कार्यान्वयन तभी संभव है जब सरकार, मीडिया संस्थान, डिजिटल प्लेटफॉर्म और आम नागरिक मिलकर सक्रिय भूमिका निभाएँ।
- किसी भी देश के लिए भ्रामक सूचना या गलत जानकारी को रोकना एक जटिल चुनौती है, लेकिन सही नीतियों, जागरूकता और तकनीकी समाधानों के साथ इससे निपटा जा सकता है। भारत के लिए भी यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार ध्यान देना और मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है।

स्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. निम्नलिखित कथनों और कारणों पर विचार कीजिए :

कथन (A) : फेक न्यूज़ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करती है।

कारण (R) : चुनावों के दौरान झूठी खबरें जनमत को प्रभावित कर सकती हैं और मतदाता वास्तविक तथ्यों से वंचित रह जाते हैं।

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, परन्तु R गलत है।
4. A गलत है, परन्तु R सही है।

कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए।

A. केवल 1 B. केवल 2

C. केवल 3 D. केवल 4

उत्तर - A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। क्या इसके दायरे में घृणा-भाषण भी शामिल माना जा सकता है? भारत में फिल्मों को अभिव्यक्ति के अन्य माध्यमों की तुलना में विशेष स्थान क्यों प्राप्त है? इसकी विवेचना कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)





परिवर्तन के चक्र : हरित गतिशीलता के लिए भारत की करंट छलांग

समाचार में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद के हसनपुर प्लांट में सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV), "ई विटारा" का उद्घाटन करके भारत की हरित गतिशीलता यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया।
- यह 100 से अधिक देशों को भारत में निर्मित BEV के निर्यात की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने तोशिबा, डेंसो और सुजुकी के संयुक्त उद्यम, टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का भी उद्घाटन किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि 80 प्रतिशत से अधिक बैटरी का निर्माण भारत में ही किया जाए, जिससे "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिली।
- ये ऐतिहासिक प्रगति न केवल भारत को वैश्विक EV आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार की दिशा में एक निर्णायक छलांग भी लगाती है।
- भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पूरी गति से आगे बढ़ रहा है और वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं।
- इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (ई-टू-व्हीलर) की बिक्री 11.49 लाख इकाई तक पहुँच गई, जो पिछले वर्ष के 9.48 लाख से 21% अधिक है। ये आँकड़े भारतीय सड़कों पर स्वच्छ और अधिक टिकाऊ परिवहन की ओर तेज़ी से बढ़ते बदलाव का संकेत देते हैं।

लाभों से युक्त

इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पारंपरिक ईंधन-आधारित परिवहन का एक स्वच्छ, स्मार्ट और अधिक कुशल विकल्प प्रदान करके हमारी यात्रा के तरीके को बदल रहे हैं। जैसे-जैसे भारत स्थायी गतिशीलता की ओर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना एक व्यावहारिक और भविष्य के लिए तैयार विकल्प बनता जा रहा है।



स्वच्छ गतिशीलता के लिए सरकार का रोडमैप

- भारत की हरित गतिशीलता की कहानी किसी एक पथ पर नहीं, बल्कि बदलाव लाने वाली साहसिक पहलों के एक नेटवर्क पर आधारित है।
- हरित गतिशीलता की ओर भारत की यात्रा दूरदर्शी सरकारी योजनाओं की एक श्रृंखला द्वारा संचालित हो रही है, जो एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं जहाँ हर सवारी एक स्वस्थ ग्रह की ओर एक कदम है।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना और FAME-I

- **भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यात्रा को सरकार ने एक स्पष्ट**

नीति: राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP) 2020 की शुरुआत के साथ एक बड़ा प्रोत्साहन दिया।

- इस योजना को इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने और उत्पादन में तेज़ी लाने के लिए लागू किया गया था, जिससे एक स्वच्छ और हरित परिवहन भविष्य की नींव रखी गई।
- इस मिशन के एक भाग के रूप में, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए 2015 से 2019 तक FAME इंडिया योजना (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तेज़ अपनाना और निर्माण) लागू की गई थी।
- FAME-I ने न केवल EV की बढ़ती लोकप्रियता पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस योजना के तहत लगभग 520 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई और इस बुनियादी ढाँचे के समर्थन के लिए कुल ₹43 करोड़ का आवंटन किया गया।

FAME-I (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) के अंतर्गत समर्थित इलेक्ट्रिक वाहन

1. **ई-2 व्हीलर्स:** 1,51,648 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को प्रोत्साहन दिया गया।
2. **ई-3 व्हीलर्स:** 786 इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहनों को सब्सिडी प्राप्त हुई।
3. **ई-4 व्हीलर्स:** 1,02,446 इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहनों को सहायता प्रदान की गई।
4. **इलेक्ट्रिक बसें :** 425 बसों को योजना के तहत समर्थन मिला।
5. **कुल समर्थित वाहन:** FAME-I योजना के अंतर्गत कुल 2,55,305 इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहित किए गए।

FAME II (इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से अपनाना और विनिर्माण) - चरण II

पिछले चरण की गति को आगे बढ़ाते हुए, FAME-II ने गति पकड़ी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया। अप्रैल 2019 में शुरू किए गए FAME इंडिया चरण-II का बजट ₹11,500 करोड़ था। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में वृद्धि, ई-बस नेटवर्क का विस्तार और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना है।

FAME-II (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles – Phase II) के अंतर्गत समर्थित इलेक्ट्रिक वाहन (जून 2025 तक)

1. **ई-2 व्हीलर्स:** 14,35,065 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
2. **ई-3 व्हीलर्स:** 1,65,029 इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहनों को सब्सिडी दी गई।
3. **ई-4 व्हीलर्स:** 22,644 इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहनों को योजना के तहत समर्थन मिला।
4. **इलेक्ट्रिक बसें:** 5,165 बसें तैनात की गईं, जबकि कुल 6,862 बसें स्वीकृत की गईं।
5. **कुल समर्थित वाहन:** जून 2025 तक 16,29,600 इलेक्ट्रिक वाहन FAME-II योजना के तहत प्रोत्साहित किए गए।

भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (पीएलआई-ऑटो)

- पीएलआई योजना, उन्नत ऑटोमोटिव तकनीकों का वैश्विक केंद्र बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को बल दे रही है और घरेलू नवाचार को प्रमुखता दे रही है।
- सितंबर 2021 में शुरू की गई, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, उन्नत ऑटोमोटिव तकनीकों (एएटी) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹25,938 करोड़ का बजट लेकर आई है।
- मार्च 2025 तक, इस योजना ने ₹29,576 करोड़ का संचयी निवेश आकर्षित किया है और 44,987 (संख्या) रोज़गार सृजित किए हैं। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी प्रमुख कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में महत्वपूर्ण निवेश किया है।
- एक प्रमुख अनिवार्यता यह है कि प्रोत्साहन के लिए पात्र होने के लिए कंपनियों को कम से कम 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) सुनिश्चित करना होगा।

उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पीएलआई योजना

- बैटरियां इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की धड़कन हैं और एसीसी पीएलआई योजना के साथ भारत अपने भविष्य को आंतरिक रूप से ऊर्जा प्रदान करने, आयात कम करने और घरेलू स्तर पर अत्याधुनिक ऊर्जा भंडारण क्षमताओं का निर्माण करने के लिए तैयार है।
- 2021 में शुरू की गई एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का उद्देश्य ₹18,100 करोड़ के निवेश से भारत की बैटरी निर्माण क्षमता को 50 गीगावाट घंटा एसीसी बैटरियों तक बढ़ाना है।
- फरवरी 2025 तक 40 गीगावाट घंटा आवंटित किए जा चुके हैं, जिसके तहत दो वर्षों के भीतर लाभार्थियों को प्रतिबद्ध क्षमता के प्रत्येक गीगावाट घंटा पर न्यूनतम ₹225 करोड़ का निवेश करना होगा और कम से कम 25% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए)

सुनिश्चित करना होगा, जिसे पांच वर्षों के भीतर 60% तक बढ़ाया जा सकेगा।

- यह पहल भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ऊर्जा भंडारण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।

पीएम ई-ड्राइव

- हालांकि ट्रक सड़क पर सभी वाहनों का केवल 3% हिस्सा बनाते हैं, लेकिन जब प्रदूषण की बात आती है तो वे भारी मार करते हैं, कुल CO_2 उत्सर्जन का 34% और धूल, कालिख और धुएं जैसे पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन का चौंका देने वाला 53%।
- बसें भी, बेड़े का 1% से भी कम हिस्सा हैं, लेकिन उनका पर्यावरणीय पदचिह्न छोटे से बहुत दूर है, जो सभी CO_2 उत्सर्जन का लगभग 15% योगदान देता है। इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम-ईड्राइव) में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति, जिसे सितंबर 2024 में मंजूरी दी गई और मार्च 2028 तक लागू किया गया, शहरी वायु गुणवत्ता में सबसे अधिक दबाव वाली चुनौतियों में से एक से निपटने के लिए इस तरह के उत्सर्जन को रोकने के लिए एक केंद्रित धक्का है।
- इस योजना से 24.79 लाख ई-दोपहिया वाहन (₹1,772 करोड़ की सब्सिडी के साथ), 3.15 लाख ई-तिपहिया वाहन (₹907 करोड़ की सब्सिडी के साथ), 5,643 ई-ट्रक (₹500 करोड़, इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए सरकार की पहली प्रत्यक्ष प्रोत्साहन योजना), और ई-एम्बुलेंस (₹500 करोड़ की सब्सिडी) लाभान्वित हुए हैं।
- इस योजना ने जुलाई 2025 तक ₹4,391 करोड़ के वित्तपोषण के साथ 14,028 इलेक्ट्रिक बसों को भी सहायता प्रदान की है।

भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई)

- इलेक्ट्रिक कार निर्माण का वैश्विक केंद्र बनने का भारत का लक्ष्य एसपीएमईपीसीआई के साथ गति में लाया गया है, जिसे मार्च 2024 में अधिसूचित किया गया था। आवेदकों को कम से कम ₹4,150 करोड़ के निवेश के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, तीन वर्षों के भीतर 25% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) हासिल करना चाहिए, और पांच साल के अंत तक 50% डीवीए तक बढ़ाना चाहिए।
- एसपीएमईपीसीआई के लिए आवेदन पोर्टल 24 जून 2025 को लॉन्च किया गया है, और यह 21 अक्टूबर 2025 तक खुला है। वैश्विक वाहन निर्माताओं को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए, यह योजना स्वीकृत आवेदकों को उनके आवेदन अनुमोदन की तारीख से शुरू होने वाले 15% की काफी कम सीमा शुल्क पर न्यूनतम 35,000 अमेरिकी डॉलर के मूल्य के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर्स (ई-4W) की पूरी तरह से निर्मित इकाइयों (सीबीयू) के आयात के लिए पांच साल की अवधि प्रदान करती है।
- यह योजना 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों के साथ-साथ स्वच्छ-गतिशीलता विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थानीयकरण के साथ प्रोत्साहनों को जोड़ती है।



पीएम-ई-बस सेवा योजना

- स्वच्छ शहरी यात्रा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, पीएम ई-बस सेवा योजना भारत की सड़कों पर हजारों इलेक्ट्रिक बसें उतारकर सार्वजनिक परिवहन को नया रूप देने के लिए तैयार है, जिससे हर सवारी में आराम, कनेक्टिविटी और स्थिरता आएगी।
- सरकार ने शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2023 में यह योजना शुरू की थी। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए ₹20,000 करोड़ के बजट के साथ, यह योजना शहरी यात्रा को अधिक स्वच्छ और कुशल बनाने पर केंद्रित है।
- पात्र शहरों में 3 से 40 लाख की आबादी वाले शहर, साथ ही 2011 की जनगणना के अनुसार 3 लाख से कम निवासियों वाली राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियाँ शामिल हैं। अगस्त 2025 तक, 14 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 7,293 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई है।
- इस विस्तार को समर्थन देने के लिए, 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में डिपो और बिजली बुनियादी ढांचे के लिए 1,062.74 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें से 9 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रमुख सुविधाएं बनाने के लिए 475.44 करोड़ रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।

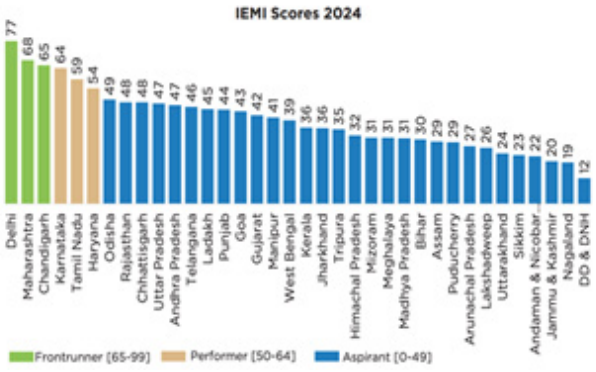
PLUTUS IAS UPSC/ PCS

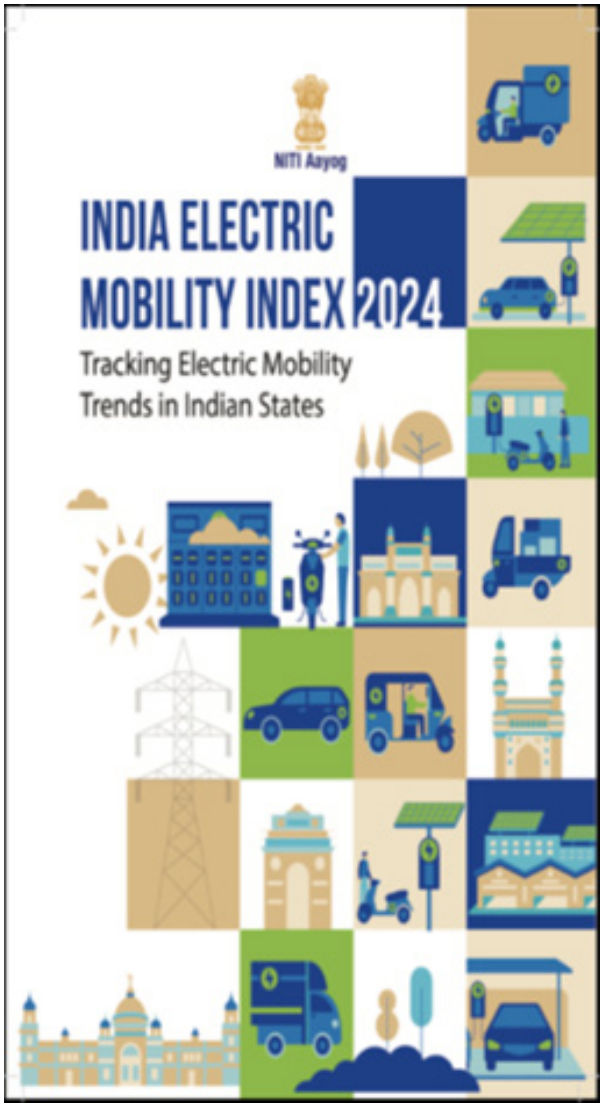
पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना

- इलेक्ट्रिक बसों के विकास को जारी रखते हुए, अक्टूबर 2024 में स्वीकृत ₹3,435.33 करोड़ की पीएम-ई-बस सेवा-पीएसएम योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2028-29 के बीच पूरे भारत में 38,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का समर्थन करना है, जिनका संचालन उनकी तैनाती की तारीख से 12 वर्षों तक जारी रहेगा।
- इस योजना का उद्देश्य ई-बस संचालकों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करना है, और सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में भुगतान सुरक्षा तंत्र प्रदान करना है।
- पीएम ई-बस सेवा योजना, स्केलेबल इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती को सक्षम बनाकर और भुगतान सुरक्षा के माध्यम से परिचालन जोखिमों का समाधान करके भारत की शहरी गतिशीलता को भविष्य की ओर ले जाने का काम जारी रखे हुए है।

भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI)

- भारत के स्वच्छ परिवहन भविष्य को आकार देने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, नीति आयोग ने अगस्त 2025 में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) का अनावरण किया।
- यह एक अग्रणी उपकरण है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी महत्वाकांक्षाओं की प्रगति को ट्रैक, माप और तुलना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपनी तरह का यह पहला ढाँचा न केवल उपलब्धियों का मानकीकरण करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है कि प्रत्येक क्षेत्र विद्युतीकृत, टिकाऊ परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र की राह पर कहाँ खड़ा है।
- IEMI स्कोर की गणना तीन मुख्य विषयों - परिवहन विद्युतीकरण प्रगति, चार्जिंग बुनियादी ढाँचे की तैयारी, और EV अनुसंधान एवं नवाचार स्थिति - के अंतर्गत 16 संकेतकों पर प्रदर्शन का आकलन करके की जाती है।





मील के पत्थर तय, कल के लिए ट्रैक

1. भारत हरित ऊर्जा और विद्युतीकरण की ओर संक्रमण में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। स्पष्ट दृष्टिकोण और निर्णायक लक्ष्यों के साथ, आगे का रोडमैप स्वच्छ वायु, मज़बूत बुनियादी ढाँचे और भविष्य के लिए तैयार परिवहन नेटवर्क की दिशा निर्धारित करता है।
2. भारत सरकार ने वैश्विक EV30@30 पहल के साथ तालमेल करते हुए 2030 तक 30% EV प्रवेश प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
3. फरवरी 2025 तक, भारत में 389.77 मिलियन पंजीकृत वाहनों में से कुल 56.75 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए गए हैं।
4. भारत ने महत्वाकांक्षी हरित क्षितिज पर अपनी दृष्टि स्थापित की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करना है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

5. कम उत्सर्जन वाले भविष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम के रूप में, भारत का लक्ष्य 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से नीचे लाना और अंततः 2070 तक शुद्ध-शून्य राष्ट्र में परिवर्तित होना है।

निष्कर्ष :

1. भारत में हरित गतिशीलता अब केवल एक आकांक्षा नहीं रह गई है, बल्कि यह एक ऐसा आंदोलन है जो राष्ट्र की गति, साँस और विकास को नया रूप दे रहा है। भारत का हरित गतिशीलता अभियान परिवहन की कहानी को नए सिरे से लिख रहा है, इंजनों की गर्जना की जगह नवाचार की मधुर ध्वनि ले रहा है।
2. शहर की सड़कों पर दौड़ती आकर्षक इलेक्ट्रिक बसों से लेकर चार्जिंग पॉइंट्स से सुसज्जित राजमार्गों तक, राष्ट्र एक ऐसा नेटवर्क बना रहा है जहाँ गति और स्थायित्व का मेल है।
3. यह केवल एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुँचने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने के बारे में है जहाँ यात्रा की गई प्रत्येक मील एक हल्का पदचिह्न और स्वच्छ हवा, स्वस्थ शहरों और एक ऐसे ग्रह की स्थायी विरासत छोड़े जो हमारी महत्वाकांक्षाओं के साथ तालमेल बिठा सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित में से कौन सी योजना अपने उद्देश्यों से सही ढंग से मेल खाती है?

1. फेम-I - ईवी और चार्जिंग इंफ्रा को अपनाना
2. पीएलआई-एसीसी - उन्नत बैटरियों का घरेलू निर्माण
3. पीएम ई-बस सेवा - पीपीपी मॉडल के तहत ई-बसों की तैनाती

सही उत्तर का चयन करें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के वैश्विक केंद्र में बदलने में FAME, PLI और PM E-Drive जैसी प्रमुख योजनाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए। 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुँच के लक्ष्य को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

ओज़ोन संरक्षण और जलवायु संतुलन बनाम वैश्विक कार्यवाही और साझा सुरक्षा

समाचार में क्यों?

- हाल ही में, 16 सितंबर 2025 को विश्व ओज़ोन दिवस " (विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक - From Science to Global Action)" थीम के साथ मनाया गया।
- इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता की सराहना की और इसे सामूहिक प्रयासों की प्रभावशीलता का प्रमाण बताया।
- भारत ने भी अपनी कूलिंग एक्शन प्लान (2019) और एचएफसी फेज-डाउन रणनीति (2023) जैसी पहलों के माध्यम से इस वैश्विक प्रयास में अपनी अग्रणी भूमिका प्रदर्शित की है।

ओज़ोन और ओज़ोन परत क्या है?

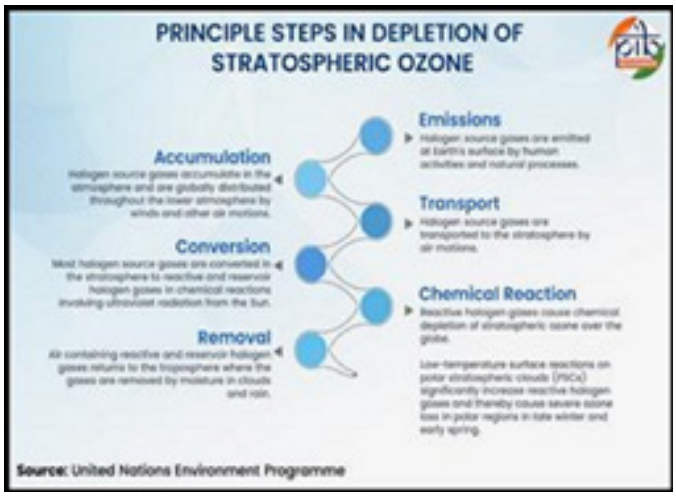


- ओज़ोन (O_3) तीन ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना एक अणु है। वायुमंडल के समतापमंडल (stratosphere) में 15 से 50 किलोमीटर की ऊँचाई पर इसकी एक मोटी परत मौजूद है, जिसे ओज़ोन परत कहते हैं।
- इसे पृथ्वी का "सनस्क्रीन" भी कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य की हानिकारक यूवी-बी किरणों को अवशोषित करता है।
- यह परत पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी-बी (UV-B) किरणों को अवशोषित कर लेती है।
- ये किरणें त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और फसलों को नुकसान पहुँचाने का कारण बनती हैं। इस प्रकार, ओज़ोन परत पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है।

ओज़ोन परत के क्षय के प्रमुख कारण :

- ओज़ोन परत के क्षय का मुख्य कारण मानव निर्मित रासायनिक

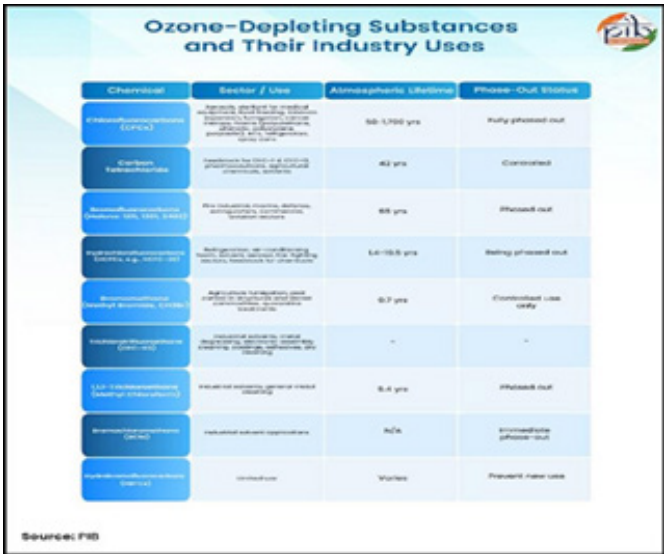
पदार्थों का उत्सर्जन है। ये रसायन वायुमंडल में लंबे समय तक बने रहते हैं और समतापमंडल में पहुँचकर सूर्य के प्रकाश से टूटकर क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे परमाणु छोड़ते हैं। ये परमाणु ओज़ोन के अणुओं को तेज़ी से नष्ट करते हैं।



- ओज़ोन परत के क्षय का मुख्य कारण मानव निर्मित रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन है। ये रसायन वायुमंडल में लंबे समय तक बने रहते हैं और समतापमंडल में पहुँचकर सूर्य के प्रकाश से टूटकर क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे परमाणु छोड़ते हैं। ये परमाणु ओज़ोन के अणुओं को तेज़ी से नष्ट करते हैं।
- **ओज़ोन क्षयकारी पदार्थ (ODS) :** क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC), हैलॉन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFC), कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं।
- यह जानना आश्चर्यजनक है कि एक क्लोरीन परमाणु लगभग 1,00,000 ओज़ोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। समतापमंडल में मौजूद 85% क्लोरीन का स्रोत मानव गतिविधियाँ हैं।
- ज्वालामुखी विस्फोट जैसे प्राकृतिक कारणों की भूमिका हालाँकि बहुत ही कम है, लेकिन 1991 में माउंट पिनातुबो विस्फोट के बाद ओज़ोन क्षय में कुछ वृद्धि देखी गई थी।

ओज़ोन क्षयकारी पदार्थ और उनके मुख्य उपयोग :

- **सीएफसी** – रेफ्रिजरेशन, एयर-कंडीशनिंग, एयरोसोल स्प्रे।
- **हैलॉन्स** – अग्निशमन, विशेषकर विमानन व संवेदनशील प्रतिष्ठान।
- **एचसीएफसी** – अस्थायी विकल्प, परंतु अब भी हानिकारक।
- **कार्बन टेट्राक्लोराइड** – सॉल्वेंट, क्लीनिंग एजेंट।
- **मिथाइल ब्रोमाइड** – कृषि में मृदा धूमन।



ओज़ोन क्षय के पर्यावरणीय प्रभाव :

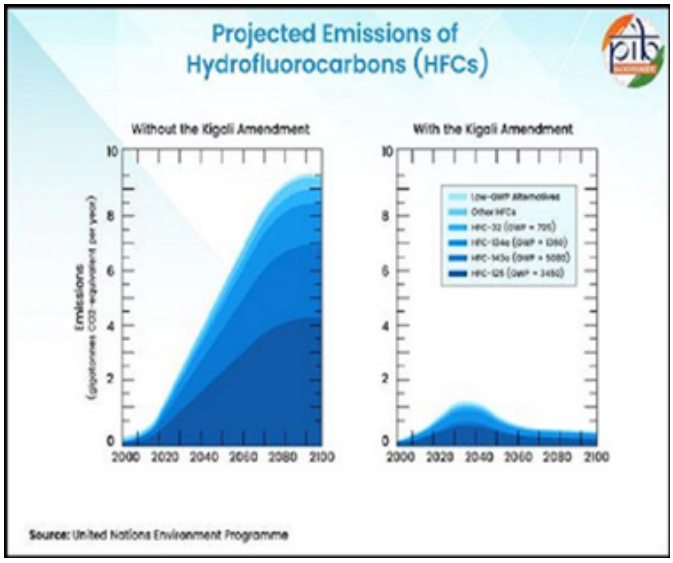
ओज़ोन क्षय के गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं। जो निम्नलिखित है -

- **मानव स्वास्थ्य :** ओज़ोन परत में 1% की कमी से यूवी-बी किरणों का स्तर 2% बढ़ जाता है, जिससे हर साल लगभग 20 लाख नए मोतियाबिंद के मामले सामने आते हैं। इसके अलावा, त्वचा कैंसर और प्रतिरक्षा प्रणाली का कमज़ोर होना भी इसके प्रमुख प्रभाव हैं।
- **कृषि और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र :** यह गेहूँ, धान और सोयाबीन जैसी फसलों की प्रकाश-संश्लेषण क्षमता को कम करता है। इसके साथ ही, यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लवक (plankton) को नुकसान पहुँचाता है, जो मत्स्य पालन और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **सामग्री को क्षति :** प्लास्टिक, लकड़ी और वस्त्र जैसी सामग्री भी यूवी-बी किरणों के संपर्क में आकर जल्दी खराब हो जाती है।

ओज़ोन परत की सुरक्षा से संबंधित वैश्विक पहल :

- **वियना कन्वेंशन (1985) :** ओज़ोन परत की सुरक्षा पर पहला वैश्विक ढाँचा।
- **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) :** अब तक का सबसे सफल पर्यावरणीय समझौता, जिसने 99% ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है।
- **किगाली संशोधन (2016) :** इसका उद्देश्य एचएफसी (HFCs) के उपयोग को कम करना है, जिससे 0.5°C तक तापमान वृद्धि को रोका जा सकता है।
- **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) :** 1996–2000 में 160 मिलियन डॉलर सहायता, अतिरिक्त 60 मिलियन एचसीएफसी और मिथाइल ब्रोमाइड के लिए।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS



ओज़ोन परत की सुरक्षा से संबंधित भारत की प्रमुख पहल और उपलब्धियाँ :

- **ODS नियमन (2000) :** CFC और हैलॉन्स वाले नए उपकरण प्रतिबंधित।
- **CFC फेज-आउट :** 1 अगस्त 2008 से उत्पादन बंद, समय से 17 माह पहले।
- **HCFC फेज-आउट :** 2013 फ्रीज़ और 2015 तक 10% कमी हासिल।
- **इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (2019) :** विश्व का पहला; 2037–38 तक 20–25% कूलिंग डिमांड घटाने का लक्ष्य।
- **HFC फेज-डाउन रणनीति (2023) :** कोल्ड-चेन, रेफ्रिजरेशन और एयर-कंडीशनिंग में विकल्पों को बढ़ावा।
- **क्षमता निर्माण :** 20,000 से अधिक तकनीशियन ODS-मुक्त तकनीक में प्रशिक्षित।
- **वैश्विक नेतृत्व :** विकासशील देशों के लिए वित्तीय-तकनीकी सहयोग सुनिश्चित किया; 1990 में मल्टीलेटरल फंड का गठन।

व्यक्तिगत स्तर पर योगदान :

- CFC-मुक्त/ईको-फ्रेंडली उपकरणों की खरीद।
- पुराने AC/फ्रिज का सुरक्षित निपटान, गैस रिकवरी।
- **किसान:** मिथाइल ब्रोमाइड की जगह इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट।
- **तकनीशियन:** रेफ्रिजरेंट रिसाइक्लिंग और लीक चेक।
- **नागरिक:** जागरूकता अभियान में भागीदारी।

अतिरिक्त आवश्यक कदम :

- ODS और HFC की अवैध तस्करी पर सख्त निगरानी।
- प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट (CO_2, अमोनिया, हाइड्रोकार्बन) पर अनुसंधान।
- ओज़ोन-जलवायु रणनीतियों का एकीकरण; भारत में कूलिंग की मांग 2037 तक 8 गुना बढ़ने की संभावना।
- क्षेत्रीय भाषाओं में जन-जागरूकता।
- दक्षिण–दक्षिण सहयोग में भारत की अग्रणी भूमिका।

निष्कर्ष :

- विश्व ओज़ोन दिवस हमें केवल पिछली सफलताओं की याद भर ही नहीं दिलाता है, बल्कि यह दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि जब विज्ञान पर आधारित नीतियों और वैश्विक एकजुटता को मिला दिया जाए, तो किसी भी पर्यावरणीय संकट का समाधान संभव है।
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और भारत जैसे देशों के नेतृत्व ने यह साबित कर दिया है कि विज्ञान-आधारित नीतियाँ और वैश्विक सहयोग सबसे गंभीर पर्यावरणीय संकटों जैसे सबसे बड़ी चुनौतियों को भी प्रभावी ढंग से हल किया जा सकता है।
- ओज़ोन परत के ठीक और स्वस्थ होने के साथ ही, हमारी असली चुनौती अब जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भी ऐसी ही तात्कालिकता और सामूहिक प्रयास दिखाना जरूरी है, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ ग्रह प्रदान करने को सुनिश्चित कर सकें।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. निम्नलिखित में से कौन-से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत ओज़ोन क्षयकारी पदार्थ (ODS) के रूप में वर्गीकृत हैं?

1. हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFCs)
2. हैलॉन्स
3. कार्बन टेट्राक्लोराइड
4. अमोनिया

सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. "मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एक सफल वैश्विक पर्यावरणीय संधि के रूप में जाना जाता है।" इस कथन के आलोक में इसकी प्रमुख उपलब्धियों की चर्चा कीजिए तथा भारत द्वारा ओज़ोन संरक्षण के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों को स्पष्ट करते हुए बताइए कि भविष्य में ओज़ोन संरक्षण को जलवायु कार्रवाई से किस प्रकार जोड़ा जा सकता है?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



भारत की नवीकरणीय ऊर्जा : आत्मनिर्भरता और जलवायु नेतृत्व की यात्रा

समाचार में क्यों?

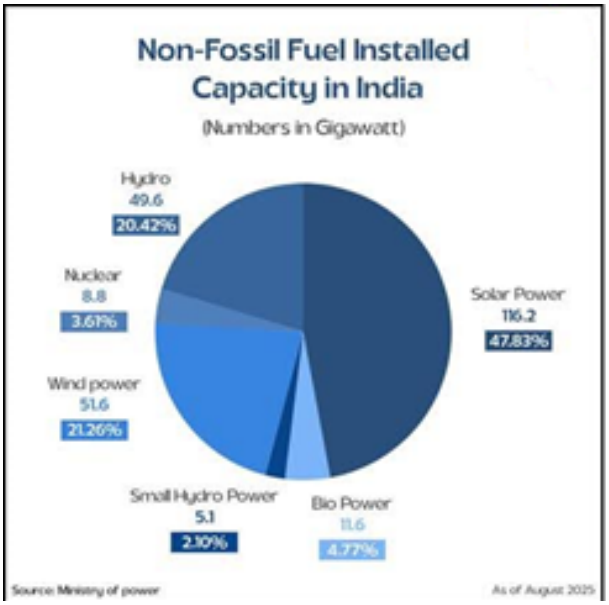
- 14 सितंबर 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम बायोएथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया और गोलाघाट, असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) में एक पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र की आधारशिला रखी।
- 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारत के स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- बायोएथेनॉल संयंत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कच्चे माल के रूप में बांस का उपयोग किया जाता है, जिससे असम के आदिवासी किसानों को लाभ होता है।
- इसके साथ ही, मोरीगांव में सेमीकंडक्टर मिशन (₹27,000 करोड़ का निवेश) ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की प्रगति में असम की बढ़ती भूमिका को और भी उजागर करता है।



भारत की नवीकरणीय ऊर्जा :

स्थापित क्षमता (2025 के मध्य तक)

ऊर्जा का स्रोत	स्थापित क्षमता (लगभग)	भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण में हिस्सेदारी	प्रमुख विशेषताएँ
सौर ऊर्जा	~116 गीगावाट	~47%	सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र; राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक अग्रणी; बड़े सौर पार्क + रूफटॉप पहल।
पवन ऊर्जा	~51 गीगावाट	~21%	तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में केंद्रित; पवन ऊर्जा में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है।
जल-विद्युत (बड़ी)	~49 गीगावाट	~20%	आधार-भार स्थिरता प्रदान करता है; अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
बायोमास और अपशिष्ट से ऊर्जा	~11 गीगावाट	~5%	इसमें खोई सह-उत्पादन, चावल की भूसी संयंत्र, बांस आधारित इथेनॉल (असम), शहरी अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं।
लघु जल-विद्युत	~5 गीगावाट	~3%	ग्रामीण विद्युतीकरण, पहाड़ी राज्यों में पर्यावरण अनुकूल विकल्प उपलब्ध कराना।



घरेलू नीति को आगे बढ़ाना

1. **राष्ट्रीय सौर मिशन (2010) :** सौर ऊर्जा का विस्तार 2014 में <3 गीगावाट से 2025 में 82 गीगावाट तक किया गया। राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक इसमें अग्रणी योगदानकर्ता हैं।
2. **राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति (2018) :** ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पवन और सौर ऊर्जा को संयोजित करने वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है।
3. **राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा मिशन :** बायोमास, खोई सह-उत्पादन, तथा अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
4. **इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) :** 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य, असम में बांस आधारित इथेनॉल के माध्यम से आंशिक रूप से प्राप्त किया गया।
5. **राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन (2021) :** 2030 तक प्रति वर्ष 5 एमएमटी हरित हाइड्रोजन का लक्ष्य, गुजरात और राजस्थान हाइड्रोजन केन्द्र के रूप में उभरेंगे।
6. **राष्ट्रीय हरित अमोनिया मिशन (2023) :** उर्वरक और रासायनिक उद्योगों को कार्बन मुक्त करना।
7. **राष्ट्रीय गहरे पानी अन्वेषण मिशन (2025) :** अपतटीय हाइड्रोकार्बन भंडारों का पता लगाने के लिए "समुद्र मंथन" पहल।
8. **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना :** सौर पी.वी. विनिर्माण और बैटरी भंडारण के लिए।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ और वैश्विक भूमिका

1. **पेरिस समझौता (2015) :** 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना (2005 आधार रेखा)।
2. **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) :** भारत के नेतृत्व में 120 से अधिक देशों का गठबंधन, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है।
3. **वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (2023):** भारत, ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका का संयुक्त प्रयास।
4. **स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय एवं मिशन नवाचार:** भारत वैश्विक अनुसंधान एवं विकास साझेदारी को बढ़ावा दे रहा है।
5. **जी20 अध्यक्षता (2023):** भारत ने स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को प्राथमिकता के एजेंडे में रखा।

नवीकरणीय ऊर्जा में राज्यवार अग्रणी

1. **राजस्थान:** सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी; क्षमता 18 गीगावाट से अधिक, जो भारत में सबसे अधिक है।
2. **तमिलनाडु:** पवन ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख राज्य; लगभग 9 गीगावाट स्थापित क्षमता।
3. **कर्नाटक:** सौर और पवन ऊर्जा दोनों में अग्रणी; कुल नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण 16 गीगावाट से अधिक।
4. **महाराष्ट्र :** बायोमास और गन्ना खोई आधारित ऊर्जा में लगभग 2 गीगावाट क्षमता विकसित।
5. **असम एवं पूर्वोत्तर राज्य :** बायोमास और जल विद्युत पर केंद्रित; बांस आधारित इथेनॉल और लघु जलविद्युत परियोजनाओं का विकास जारी।

मुद्दे और बाधाएँ

आर्थिक

1. उच्च अग्रिम पूंजीगत लागत.
2. ग्रीन बांड बाजार में वृद्धि के बावजूद वित्तपोषण में कमी।
3. घाटे से जूझ रही वितरण कम्पनियां (डिस्कॉम) नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स को भुगतान में देरी कर रही हैं।

सामाजिक

1. सौर पार्कों के लिए भूमि अधिग्रहण विवाद (उदाहरणार्थ, पावागडा, कर्नाटक)।
2. जल विद्युत परियोजनाओं में विस्थापन की चिंताएँ।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सौर ऊर्जा और बायोगैस के बारे में कम जागरूकता।

पर्यावरण

1. जलविद्युत परियोजनाएं नदी पारिस्थितिकी तंत्र को बदल देती हैं।

2. सौर पी.वी. पैनलों के निपटान से भविष्य में ई-कचरे का खतरा पैदा हो सकता है।

3. बायोमास का अत्यधिक निष्कर्षण स्थानीय पारिस्थितिकी के लिए खतरा है।

प्रौद्योगिकीय

1. सौर एवं पवन ऊर्जा के साथ ग्रिड अन्तराल।

2. बड़े पैमाने पर भंडारण समाधान का अभाव।

3. आयातित सौर मॉड्यूल पर निर्भरता (पीएलआई योजनाओं के बावजूद)।

आगे की राह:

1. **विविधीकरण और विकेंद्रीकरण :** पारेषण हानि को कम करने के लिए छत पर सौर ऊर्जा, लघु जल विद्युत और स्थानीय जैव ऊर्जा को मजबूत करना।

2. **हरित वित्त एवं नवाचार :** जलवायु वित्त, संप्रभु हरित बांड और बहुपक्षीय बैंकों के साथ गठजोड़ का विस्तार करना।

3. **वृत्ताकार अर्थव्यवस्था :** सौर पी.वी., बैटरी और ई-कचरे के लिए पुनर्चक्रण क्षमता का निर्माण करना।

4. **हाइड्रोजन और अमोनिया :** भारत को हरित हाइड्रोजन आधारित ईंधन के निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना।

5. **ग्रामीण संपर्क :** ग्रामीण आय के लिए बांस, जट्रोफा और कृषि अवशेष आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करें।

6. **क्षेत्रीय साझेदारियां :** ऊर्जा गलियारों पर आसियान और बिम्सटेक के साथ संपर्क।

7. **कौशल विकास :** स्थानीय युवाओं को नवीकरणीय तकनीक के रखरखाव और विनिर्माण में प्रशिक्षित करना।

निष्कर्ष :

1. भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा एक आर्थिक आवश्यकता और एक सभ्यतागत ज़िम्मेदारी दोनों है।

2. जैसे-जैसे देश अपने अमृत काल (2022-2047) में प्रवेश कर रहा है, स्वच्छ ऊर्जा राष्ट्रीय विकास के पंच प्राणों को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय हो जाती है।

3. नवीकरणीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करती है, औद्योगिक विकास को गति देती है, और भारत की पारंपरिक शक्तियों—जैसे असम में बांस-आधारित इथेनॉल—को हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे आधुनिक नवाचारों के साथ एकीकृत करती है।

4. यह सौर ऊर्जा से समृद्ध पश्चिमी राज्यों, दक्षिण के पवन गलियारों, हिमालय में जलविद्युत और पूर्वोत्तर में जैव-ऊर्जा को एक राष्ट्रीय मिशन में जोड़कर विविधता में एकता को भी दर्शाता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

Q1. भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का संस्थापक सदस्य है।

2. वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन भारत, ब्राजील और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था।

3. भारत ने ग्लासगो में आयोजित COP26 में 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया था।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) तीनों (d) कोई नहीं

उत्तर: C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "नवीकरणीय ऊर्जा केवल जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है, बल्कि आर्थिक लचीलेपन और समावेशी विकास से भी जुड़ी है।" 2047 तक विकसित भारत के लिए भारत के पंच प्राण और अमृत काल दृष्टिकोण के आलोक में इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)



समुद्री सुरक्षा और द्वीपीय पारिस्थितिकी में संतुलन : अंडमान और निकोबार में दुविधा की स्थिति

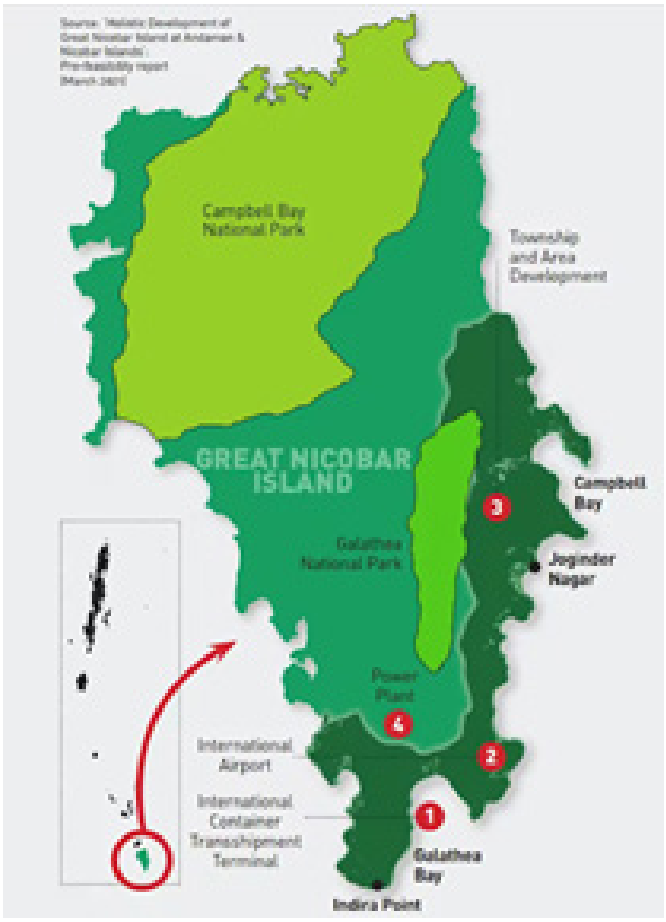
समाचार में क्यों?

- द ग्रेट निकोबार परियोजना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2021 में स्वीकृत (ग्रेट निकोबार द्वीप का समग्र विकास) परियोजना, अपनी अपार आर्थिक और रक्षा क्षमता के साथ-साथ गंभीर परिस्थिति और स्वदेशी चिंताओं के कारण एक बार फिर चर्चा में आ गई है।
- लगभग ₹72,000 करोड़ मूल्य की इस परियोजना में 166 वर्ग किलोमीटर में फैले एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली संयंत्र और टाउनशिप के विकास की परिकल्पना की गई है, जो द्वीप के क्षेत्रफल का लगभग 10% है।
- जहाँ सरकार कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने में इसके रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालती है, वहीं राजनीतिक नेता, पर्यावरणविद और विशेषज्ञ इस बात पर तीखी राय रखते हैं कि क्या दीर्घकालिक आर्थिक और रक्षा लाभ जैव विविधता, नाजुक पारिस्थितिक तंत्र और स्वदेशी समुदायों के अधिकारों के लिए उत्पन्न जोखिमों से अधिक हैं।



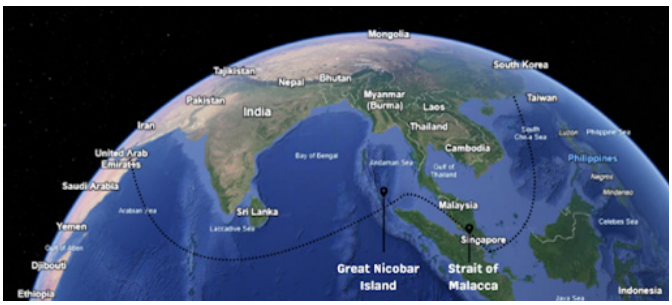
ग्रेट निकोबार परियोजना क्या है?

- अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम (एएनआईआईडीसीओ) द्वारा कार्यान्वित।
- 30 वर्षों में चरणबद्ध निर्माण कार्य 2024 में शुरू होगा, आंशिक संचालन 2028 तक होगा।



चार मुख्य घटक:

1. गैलेथिया खाड़ी में ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह (14.5 मिलियन टीईयू क्षमता)
2. ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (चौड़े शरीर वाले विमानों के लिए 3,300 मीटर का रनवे)।
3. 450 मेगावाट विद्युत संयंत्र (गैस + सौर)।
4. 16,569 हेक्टेयर टाउनशिप (लगभग 65,000 निवासियों, श्रमिकों और प्रवासियों के लिए)।



PLUTUS IAS UPSC/ PCS

परियोजना का महत्व

परियोजना का आयाम	महत्व (डेटा/उदाहरण सहित)
रणनीतिक स्थान	द्वीप के पास मलक्का जलडमरूमध्य स्थित है, जिसके माध्यम से ~वैश्विक व्यापार का 25% और चीन के तेल आयात का 80% गुजरता है। इससे भारत को समुद्री सीमा में बढ़त मिलेगी।
2022	2040 तक सालाना ₹30,000 करोड़ के उत्पादन और 50,000 नौकरियों के सृजन की उम्मीद। यह सागरमाला जैसी राष्ट्रीय पहलों को समर्थन देगा।
बंदरगाह अव-संरचना	गैलाथिया खाड़ी में ट्रांसशिपमेंट हब की योजना (क्षमता: 14.5 मिलियन TEU/वर्ष)। भारत को सिंगापुर और मलेशिया जैसे प्रति-स्पर्धियों के समकक्ष स्थापित करेगा।
कनेक्टिविटी बूस्ट	एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास पर्यटन को बढ़ाएगा और ग्रेट निकोबार को क्षेत्रीय रसद केंद्र बनाएगा।
ऊर्जा आत्मनि-र्भरता	450 मेगावाट बिजली संयंत्र (गैस + सौर) औद्योगिक और नागरिक मांग को पूरा कर आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करेगा।
रक्षा एवं सुरक्षा	भारत की उपस्थिति को भारत-प्रशांत क्षेत्र में मजबूत करेगा और सुंडा, लोम्बोक व ओमबाई-वेटर जलडमरूमध्य पर निगरानी में सुधार करेगा।
क्षेत्रीय एकता	BIMSTEC के लिए विकास ध्रुव के रूप में उभर सकता है और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापार व संपर्क को बढ़ावा देगा।

ऐसी बड़ी परियोजनाओं की चिंताएँ :

1. **पारिस्थितिक चिंताएँ:**

- **जैव विविधता का नुकसान:** द्वीप पर लगभग 200 पक्षी प्रजातियाँ और 85% स्थानिक वनस्पति आवरण मौजूद; परियोजना से अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति और दुर्लभ प्रजातियों के लुप्त होने की आशंका।
- **लेदरबैक कछुओं के लिए खतरा:** गैलाथिया खाड़ी विश्व का सबसे महत्वपूर्ण घोंसला स्थल है; परियोजना से इस संकटग्रस्त प्रजाति के अस्तित्व पर गंभीर खतरा।
- **प्रवाल भित्तियाँ और समुद्र तल विनाश :** बंदरगाह निर्माण हेतु बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग से मूंगे की चट्टानों का नाश, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी और आजीविका प्रभावित।

2. **स्वदेशी एवं सामाजिक सरोकार:**

- **शोम्पेन जनजाति का विस्थापन (PVTG) :** लगभग 300–400 लोग 130 वर्ग किमी पैतृक भूमि खोने के खतरे में; जनजातीय अस्तित्व और सांस्कृतिक जीवन पर संकट।
- **स्वास्थ्य जोखिम :** संपर्कहीन जनजातियाँ खसरा और फ्लू जैसी बीमारियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील; उच्च मृत्यु दर की संभावना।
- **सांस्कृतिक क्षरण:** पवित्र जनजातीय स्थलों और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के नष्ट होने से स्वदेशी पहचान और सांस्कृतिक धरोहर कमजोर हो रही है।

3. **कानूनी और प्रशासनिक चिंताएँ:**

- **सीआरजेड नियमों का उल्लंघन:** पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में विकास निषिद्ध होने के बावजूद परियोजना को मंजूरी दी गई; कानूनी प्रावधान कमजोर पड़े।
- **संदिग्ध पर्यावरणीय मंज़ूरियाँ:** विशेषज्ञों की आपत्तियों के बावजूद MoEFCC द्वारा स्वीकृति, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रश्न।
- **आपदा जोखिम:** द्वीप भूकंपीय और सुनामी-प्रवण क्षेत्र में स्थित; संभावित आपदाओं से मानव जीवन और अवसंरचना को गंभीर खतरा।

आगे की राह : विकास और पारिस्थितिकी में संतुलन



1. **रणनीतिक चरणबद्धता:** रक्षा और बंदरगाह अवसंरचना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जबकि पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित होने तक बड़े पैमाने पर टाउनशिप विस्तार को स्थगित रखा जाना चाहिए।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

2. **पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विकास:** हरित निर्माण प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करें और ड्रेजिंग को सीमित करें।

3. **समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण:** शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों के अधिकारों का सम्मान करें; उन्हें निर्णय लेने और आजीविका सृजन में शामिल करें।

4. **पर्यावरण सुरक्षा उपाय:** कछुओं, प्रवालों और वनों पर पड़ने वाले प्रभावों की स्वतंत्र निगरानी तथा शमन योजनाएं।

5. **अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएँ:** सतत विकास के लिए सिंगापुर के भूमि-उपयोग संतुलन और कोस्टा रिका के इको-पर्यटन से सीखें।

6. **कानूनी अनुपालन:** जनजातीय संरक्षण पर सीआरजेड कानूनों और सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

विकास, पारिस्थितिकी और सुरक्षा में संतुलन के वैश्विक उदाहरण

1. **ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया:**

- **पारिस्थितिक भूमिका:** प्रवाल भित्तियाँ प्राकृतिक सुरक्षा कवच बनकर तटीय कटाव, चक्रवात और तूफानी लहरों से रक्षा करती हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा लाभ:** तटीय समुदायों, नौसैनिक अड्डों और शिपिंग अवसंरचना की रक्षा सुनिश्चित करती हैं; पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को सामरिक लाभ मिलता है।
- **संतुलित प्रबंधन दृष्टिकोण:** नौसेना मार्गों को कोर रीफ ज़ोन से बाहर रखा गया और लगभग 1 बिलियन डॉलर का बड़े पैमाने पर रीफ पुनर्स्थापन कार्यक्रम लागू किया गया।

2. **गैलापागोस द्वीप समूह, इक्वाडोर:**

- **पारिस्थितिक भूमिका:** समुद्री जैव विविधता और मैंग्रोव तटीय भेद्यता को कम कर पारिस्थितिक स्थिरता व मछली भंडार बनाए रखते हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा लाभ:** टिकाऊ मत्स्य पालन से खाद्य सुरक्षा और प्रशांत महासागर में सामरिक उपस्थिति को सुदृढ़ समर्थन।
- **संतुलित प्रबंधन दृष्टिकोण:** सख्त नौसैनिक गतिविधि नियम, नियंत्रित पारिस्थितिकी पर्यटन, और पर्यावरण-अनुकूल निगरानी तकनीकों का उपयोग किया गया।

निष्कर्ष :

- ग्रेट निकोबार परियोजना हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक सामरिक और आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने की भारत की महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी अवस्थिति भारत को मलक्का जलडमरूमध्य जैसे समुद्री अवरोधों पर बेजोड़ लाभ प्रदान करती है।
- अनियंत्रित कार्यान्वयन से नाज़ुक पारिस्थितिक तंत्रों और जनजातीय संस्कृतियों को अपूरणीय क्षति पहुँच सकती है। पर्यावरण-संवेदनशील विकास में निहित है—जहाँ पारिस्थितिक विरासत और स्वदेशी अधिकारों का त्याग किए बिना रक्षा और संपर्क लक्ष्यों को पूरा किया जाए। ग्रेट निकोबार के प्रति भारत के दृष्टिकोण का मार्गदर्शन, अंधाधुंध विस्तार से नहीं बल्कि सतत विकास से होना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत में पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ईएसजेड को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है।
2. ईएसजेड का प्राथमिक उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर एक "शॉक एब्जॉर्बर" बनाना है।
3. ईएसजेड में खनन और जलविद्युत परियोजनाएं पूर्णतः प्रतिबंधित हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. ग्रेट निकोबार परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं और पारिस्थितिक सुरक्षा आवश्यकताओं के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करती है। चर्चा करें?

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)



स्वच्छ पौध - समृद्ध किसान बनाम क्लीन प्लांट मिशन और सतत बागवानी

समाचार में क्यों ?



- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त 2024 को क्लीन प्लांट प्रोग्राम (CPP) को मंजूरी दी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय किसानों को रोग-मुक्त और उच्च-गुणवत्ता वाली पौध रोपण सामग्री उपलब्ध कराना है।
- यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन व्यवस्थित रोगाणुओं (Systemic Pathogens), जैसे कि वायरस, से निपटने के लिए बनाया गया है, जो बागवानी फसलों की पैदावार और गुणवत्ता में भारी कमी लाते हैं। इस महत्वपूर्ण पहल को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) द्वारा लागू किया जाएगा, जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करेगी।
- इस कार्यक्रम पर कुल ₹1,765.67 करोड़ का खर्च आएगा, जिसमें दिसंबर 2023 में एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा स्वीकृत 98 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भी शामिल है।

क्लीन प्लांट प्रोग्राम (CPP) का महत्व और उद्देश्य :

- क्लीन प्लांट प्रोग्राम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एशियाई विकास बैंक के सहयोग से परिकल्पित एक दूरदर्शी पहल है। इसका प्राथमिक लक्ष्य प्रमुख फल फसलों के लिए स्वस्थ, वायरस-मुक्त और रोग-मुक्त रोपण सामग्री सुनिश्चित करना है।
- यह कार्यक्रम रोकथाम-आधारित फसल स्वास्थ्य प्रबंधन पर केंद्रित है, जिसका अर्थ है कि अच्छी उपज और फसल स्वास्थ्य की नींव साफ-सुथरे और प्रमाणित पौधों से ही शुरू होती है।
- यह किसानों की उत्पादकता, आय और लाभप्रदता में वृद्धि करने का प्रयास करता है। इसके साथ ही, यह गुणवत्ता मानकों को स्थापित करके भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ावा देगा।



भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम (CPP) के प्रमुख लाभ :

- **किसानों की आय में वृद्धि :** उच्च गुणवत्ता वाले, वायरस-मुक्त पौधों के उपयोग से फसलों की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलेगा और उनकी आय में सीधी वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, यदि एक केले के पौधे में वायरस न हो, तो वह स्वस्थ रूप से बढ़ेगा और अधिक फल देगा, जिससे किसान को अधिक लाभ होगा।
- **नर्सरियों को बढ़ावा देना :** यह कार्यक्रम एक मजबूत प्रमाणन प्रणाली और अवसंरचनात्मक सहयोग प्रदान करके नर्सरियों को बढ़ावा देगा, जिससे साफ-सुथरी रोपण सामग्री का बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण सुनिश्चित होगा। यह एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा, जहाँ नर्सरियाँ गुणवत्तापूर्ण सामग्री की आपूर्ति कर सकेंगी।
- **उपभोक्ता अनुभव में सुधार करना :** जब फसलें रोग-मुक्त पौधों से उगाई जाएँगी, तो उनसे मिलने वाले फल और सब्जियाँ बेहतर गुणवत्ता वाले होंगे। इनमें बेहतर स्वाद, आकर्षक रूप-रंग और अधिक पोषण होगा, जिससे उपभोक्ताओं का अनुभव बेहतर होगा।
- **निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना :** रोग-मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन से भारत को वैश्विक स्तर पर बढ़त मिलेगी। जब हमारे कृषि उत्पाद अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करेंगे, तो उनके निर्यात में वृद्धि होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **समानता व समावेशिता को बढ़ावा देना :** यह कार्यक्रम सभी किसानों के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री उपलब्ध कराएगा, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को भी समान अवसर मिलेंगे। यह महिला किसानों की भागीदारी को भी बढ़ावा देगा और विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार समाधान प्रदान करेगा।

भारतीय बागवानी का महत्व :

- भारतीय अर्थव्यवस्था में बागवानी का महत्व अतुलनीय है। यह क्षेत्र न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी देता है और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **कृषि सकल मूल्य वर्धित (GVA) द्वारा अर्थव्यवस्था में योगदान देना :** भारत का कुल बागवानी उत्पादन 367.72 मिलियन टन है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.66% अधिक है। यह क्षेत्र कृषि सकल मूल्य वर्धित (GVA) में 33% का योगदान देता है, जबकि यह केवल 13% कृषि भूमि पर होता है। हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
- **किसानों के लिए उच्च उत्पादकता प्रदान करना :** बागवानी फसलें खाद्यान्न की तुलना में कहीं अधिक उत्पादक होती हैं। बागवानी की औसत उत्पादकता 12.5 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि खाद्यान्न की 2.23 टन प्रति हेक्टेयर है। पुणे में पॉलीहाउस फ्लोरीकल्चर इसका प्रमाण है, जहाँ सीमित क्षेत्र में उच्च मूल्य वाली फसलें उगाई जाती हैं।
- **व्यावसायिक और निजी क्षेत्र का विकास और निर्यात को बढ़ावा देना :** फलों और मसालों का बढ़ता निर्यात, और पॉलीहाउस व कोल्ड-चेन में निजी निवेश इस क्षेत्र में व्यावसायिक विकास को दर्शाता है। गुजरात में आम प्रसंस्करण इकाइयाँ इस बात का स्पष्ट उदाहरण हैं कि कैसे निजी क्षेत्र मूल्यवर्धन और निर्यात को बढ़ावा दे रहा है।
- **महिला किसानों की भागीदारी को सुनिश्चित करना :** वर्ष 2024 के आँकड़ों के अनुसार, भारत में 76.9% ग्रामीण महिलाएँ कृषि क्षेत्र में संलग्न हैं, और उनमें से एक बड़ा हिस्सा बागवानी में सक्रिय रूप से काम करता है। पश्चिम बंगाल में महिलाएँ आम की बागवानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- **निर्यात और विदेश नीति को प्रोत्साहित करना :** भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक है, और इसका निर्यात लगातार बढ़ रहा है। तमिलनाडु से केले का निर्यात विदेशी बाजारों में भारतीय उत्पादों की बढ़ती माँग को दर्शाता है।
- **खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देना :** भारत का सब्जी उत्पादन 219.6 मिलियन टन है, जो खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है, जो पोषण और खाद्य सुरक्षा में बागवानी के महत्व को उजागर करता है। उत्तराखंड में पत्तेदार सब्जियों का उत्पादन स्थानीय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान करता है।
- **पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण होना :** बागवानी बागान कार्बन को अवशोषित करते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन करने में मदद करते हैं। मध्य प्रदेश में संतरे के बागान जलवायु अनुकूल खेती का उदाहरण हैं।



संबंधित सरकारी नीतियाँ और पहल :

1. **मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) :** यह योजना रोपण सामग्री, क्षेत्र विस्तार, प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करती है। यह सभी राज्यों में लागू है और कश्मीर में केसर के पुनरुद्धार और जीआई-टैग के निर्यात में वृद्धि जैसी सफलता की कहानियों को जन्म दे चुकी है।
2. **हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम (CDP) :** इस कार्यक्रम का उद्देश्य विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में बागवानी क्लस्टरों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है। 55 क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें आम, केला और मसाले पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का आम क्लस्टर मध्य-पूर्व में आम का निर्यात करने में सफल रहा है।
3. **ऑपरेशन ग्रीन्स (TOP to TOTAL) :** यह योजना टमाटर, प्याज और आलू जैसी फसलों की मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करती है। यह 22 राज्यों में लागू है और संकट के समय आंध्र प्रदेश में टमाटर किसानों को राहत प्रदान कर चुकी है।
4. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) :** यह योजना सूक्ष्म सिंचाई और जल दक्षता को बढ़ावा देती है। इसने 72 लाख हेक्टेयर में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को अपनाया है, जिससे महाराष्ट्र में अंगूर किसानों ने 40% तक पानी की बचत की है।
5. **कृषि निर्यात नीति 2018 :** यह नीति फल, सब्जी और मसालों के निर्यात को बढ़ावा देती है। इसके तहत 46 उत्पाद-जनपद निर्यात हब के रूप में विकसित किए गए हैं, जैसे केरल में मसाला हब, जिसने काली मिर्च के निर्यात में वृद्धि की है।
6. **डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (2021-26) :** यह मिशन डिजिटल समाधानों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग कर रहा है। यह 7 राज्यों में पायलट परियोजनाओं के

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

रूप में चल रहा है और आंध्र प्रदेश में ब्लॉकचेन का उपयोग करके यूरोपीय संघ को आम निर्यात को ट्रैक करने में मदद कर रहा है।

भारतीय बागवानी क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ :

- **जलवायु परिवर्तन :** अनियमित मानसून, तापमान वृद्धि, और बाढ़-सूखे जैसी घटनाएँ फसलों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। 2022 की गर्मी के कारण महाराष्ट्र में प्याज उत्पादन में 20% की कमी आई थी।
- **कटाई के बाद नुकसान :** भारत में कटाई के बाद 20-30% कृषि उत्पाद खराब हो जाते हैं, जो किसानों के लिए भारी नुकसान का कारण बनता है। उत्तर प्रदेश में आलू की 25% बर्बादी इसका एक उदाहरण है।
- **अवसंरचना की कमी :** कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स की अपर्याप्तता के कारण किसान अक्सर अपने उत्पाद कम कीमतों पर बेचने को मजबूर होते हैं। ओडिशा में सब्जी किसान अक्सर इस समस्या से जूझते हैं।
- **गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का अभाव :** रोग-ग्रस्त पौधे अभी भी एक बड़ी समस्या हैं। तमिलनाडु में केले की फसल को "बंची टॉप वायरस" से भारी नुकसान हुआ था, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा।
- **बाजार अस्थिरता :** प्याज और टमाटर जैसी फसलों में कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखा जाता है। नासिक में प्याज की कीमत ₹25 प्रति किलोग्राम से घटकर ₹2 प्रति किलोग्राम हो गई थी।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा :** निर्यात के लिए गुणवत्ता मानकों की चुनौती बनी हुई है। यूरोप में भारतीय अंगूरों को अक्सर कीटनाशक अवशेषों (pesticide residues) के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है।
- **जल संकट :** अत्यधिक भूजल दोहन कई क्षेत्रों में पानी की कमी का कारण बन रहा है। महाराष्ट्र के जलगाँव में केले की खेती के कारण पानी का संकट गहरा गया है।

समाधान / आगे की राह :

1. **जलवायु-सहनशील खेती को बढ़ावा देने की जरूरत :** आईसीएआर जैसे संस्थानों द्वारा विकसित जलवायु-सहनशील फसल किस्मों को अपनाना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में सौर सिंचाई और विविध फसलें उगाना इस दिशा में एक अच्छा कदम है।
2. **कोल्ड-चेन विस्तार करने की आवश्यकता :** राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) की परियोजनाओं के माध्यम से कोल्ड-चेन अवसंरचना का विस्तार करना होगा, जिससे कटाई के बाद के नुकसान को कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश में आलू का नुकसान कम करने के लिए ऐसी पहलें महत्वपूर्ण हैं।
3. **बाजार और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में सुधार करने की जरूरत :** ई-नैम (e-NAM) जैसी डिजिटल पहलों और ग्रामीण भंडारण सुविधाओं का विस्तार करके बाजार की अस्थिरता को कम किया जा सकता है। ओडिशा में किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में ये कदम सहायक होंगे।
4. **गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री को बढ़ावा देने की आवश्यकता :** क्लीन प्लांट प्रोग्राम (CPP) जैसी पहलें रोग-मुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी, जिससे तमिलनाडु में केले जैसी फसलों की उत्पादकता में सुधार होगा।
5. **मूल्य स्थिरता प्रबंधन को सुनिश्चित करने की जरूरत :** राज्य सरकारों को मूल्य स्थिरीकरण फंड स्थापित करने चाहिए और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को समर्थन देना चाहिए, जैसा कि नासिक में प्याज के मामले में किया गया।
6. **निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की आवश्यकता :** एपीडा (APEDA) और एनएचबी को मिलकर काम करना चाहिए ताकि भारतीय उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को अपनाया जा सके। भारतीय अंगूर उत्पादकों द्वारा यूरोपीय संघ के निर्यात मानकों को अपनाना एक सफल उदाहरण है।
7. **जल-दक्ष खेती को बढ़ावा देने की जरूरत :** आईसीएआर और राष्ट्रीय जल मिशन को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देना चाहिए। जलगाँव में ड्रिप सिंचाई को अपनाने से पानी की बचत हुई है।

निष्कर्ष :

- भारत सरकार ने बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियाँ और योजनाएँ शुरू की हैं, जो इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। क्लीन प्लांट प्रोग्राम (CPP) भारत की बागवानी को एक नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह रोग-मुक्त पौध रोपण सामग्री उपलब्ध कराकर उपज, किसानों की आय और निर्यात प्रतिस्पर्धा को सीधे तौर पर बढ़ाएगा।
- मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) जैसी मौजूदा योजनाओं के साथ मिलकर, यह कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, कटाई के बाद होने वाले नुकसान और मूल्य अस्थिरता जैसी चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा।
- जलवायु-सहनशील खेती, कोल्ड-चेन के विस्तार, और डिजिटल ट्रेसिबिलिटी पर जोर देकर, भारत अपने बागवानी क्षेत्र को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जा सकता है, जिससे किसानों की समृद्धि और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. MIDH एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे भारत में बागवानी के समग्र विकास हेतु लागू किया गया है।
2. MIDH के अंतर्गत भारत सरकार सभी राज्यों में कुल व्यय का 90% योगदान करती है।
3. इस योजना में फल, सब्जियाँ, कंद फसलें, मसाले, फूल, नारियल और बाँस शामिल हैं।

कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए —

A. केवल 1 और 3 B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 2 D. 1, 2 और 3

उत्तर - A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) के प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए तथा समालोचनात्मक रूप से विवेचना कीजिए कि यह कार्यक्रम भारत के बागवानी क्षेत्र के समग्र, संतुलित और सतत् विकास में किस प्रकार योगदान देता है?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



प्राकृतिक आपदा चक्रवात : तूफान रागासा (RAGASA's) का एशिया भर में प्रभाव

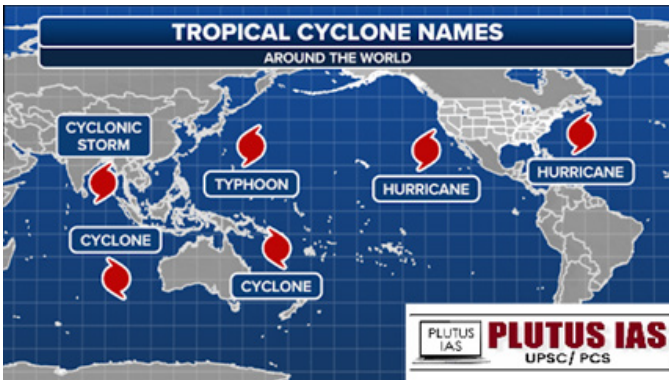
समाचार में क्यों?

- टाइफून रागासा हाल ही में फिलीपींस के तट से टकराया, जिसके साथ 150 से 166 किमी/घंटा की तेज़ हवाएँ चलीं, जो श्रेणी 2 के तूफान के बराबर है।
- यह तूफ़ान वर्तमान में लगभग 20 किमी/घंटा की गति से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है।
- फिलीपींस पर अपने प्रभाव के बाद, टाइफून रागासा अब वियतनाम के उत्तरी तट के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है, जहाँ इसके भारी वर्षा और तेज़ हवाएँ लाने की आशंका है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है?

- कम दबाव वाले क्षेत्र, तेज हवाओं, सर्पिल तूफानों और भारी वर्षा के साथ तेजी से घूमने वाली तूफान प्रणाली।
- आमतौर पर 100-2000 किमी चौड़ा, गर्म समुद्री पानी से संचालित।
- कोरिओलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमता है।
- प्रतिवर्ष लगभग 80-90 उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, जिनमें से 50% तूफानी हवाओं तक पहुंचते हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विभिन्न नाम

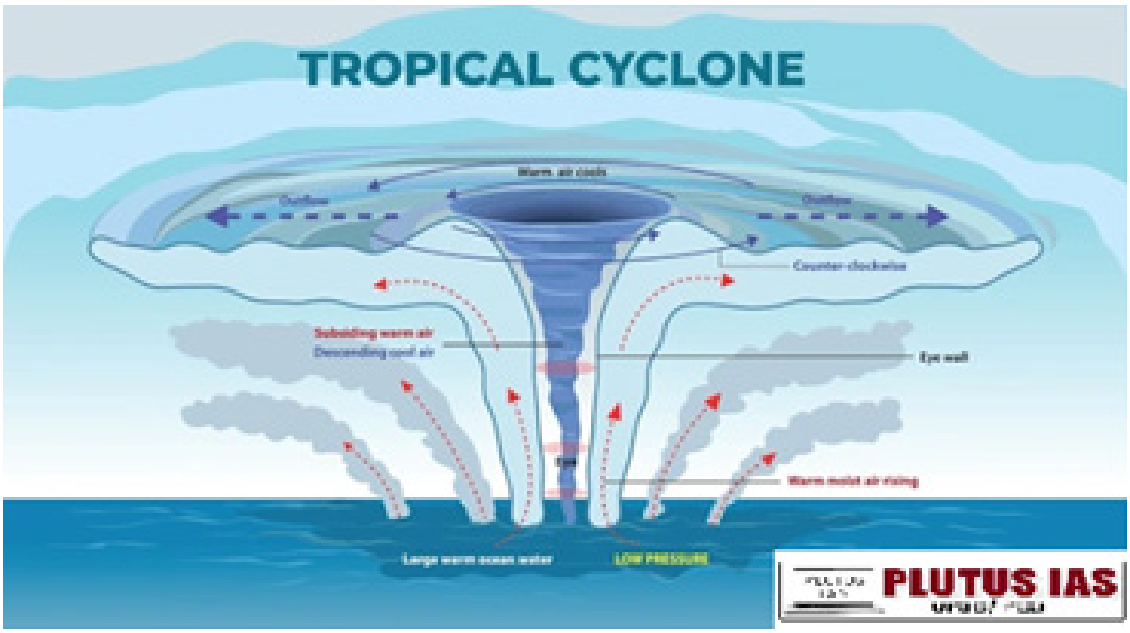


उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्माण के लिए परिस्थितियाँ

स्थिति	स्पष्टीकरण	उदाहरण (2020–2025)
गर्म महासागरीय जल	समुद्र की सतह का तापमान 50 मीटर गहराई तक ≥ 26.5°C होना आवश्यक।	चक्रवात अम्फान (2020)
वायुमंडलीय नमी और अस्थिरता	मध्य-स्तर पर आर्द्रता + ऊँचाई के साथ तीव्र शीतलन चक्रवात को ऊर्जा प्रदान करता है।	टाइफून राय / ओडेट (2021)
निम्न ऊर्ध्वाधर पवन कतरनी	ऊँचाई के साथ हवा की गति/दिशा में न्यूनतम परिवर्तन होना चाहिए ताकि संरचना बिगड़े नहीं।	चक्रवात तौकते (2021)
कोरिओलिस प्रभाव	घूर्णन के लिए भूमध्य रेखा से ≥ 500 किमी की दूरी पर होना आवश्यक।	टाइफून हिन्नमनोअर (2022)
पहले से मौजूद गड़बड़ी	निम्न दबाव क्षेत्र तूफान के बीज के रूप में कार्य करता है।	चक्रवात बिपरजॉय (2023)

चक्रवात निर्माण के चरण

अवस्था	प्रक्रियाएँ / विशेषताएँ	नोट्स / उदाहरण
1. निम्न-दाब विक्षोभ / उष्णकटिबंधीय विक्षोभ	गर्म समुद्री जल हवा को गर्म करता है → नम हवा ऊपर उठती है → गरज-तूफानों के समूह बनते हैं।	उष्णकटिबंधीय समुद्रों पर प्रारंभिक निम्न दबाव क्षेत्र का निर्माण।
2. अवदाब / चक्रवाती तूफान का निर्माण	तूफानों का संगठन: कोरिओलिस प्रभाव घूर्णन को प्रेरित करता है; कम ऊर्ध्वाधर पवन कतरनी से तीव्रता बढ़ती है।	आईएमडी वर्गीकरण: अवदाब → गहन अवदाब → चक्रवाती तूफान।
3. परिपक्व चक्रवात / गंभीर चक्रवात	"नेत्र" (शांत, निम्न दाब क्षेत्र); "नेत्र-भित्ति" सबसे तेज़ हवाएँ और वर्षा; बाहर की ओर सर्पिल वर्षा पट्टियाँ।	गंभीर चक्रवाती तूफान या सुपर साइक्लोन में बदल सकता है (उदा. अम्फान 2020, तौकते 2021)।

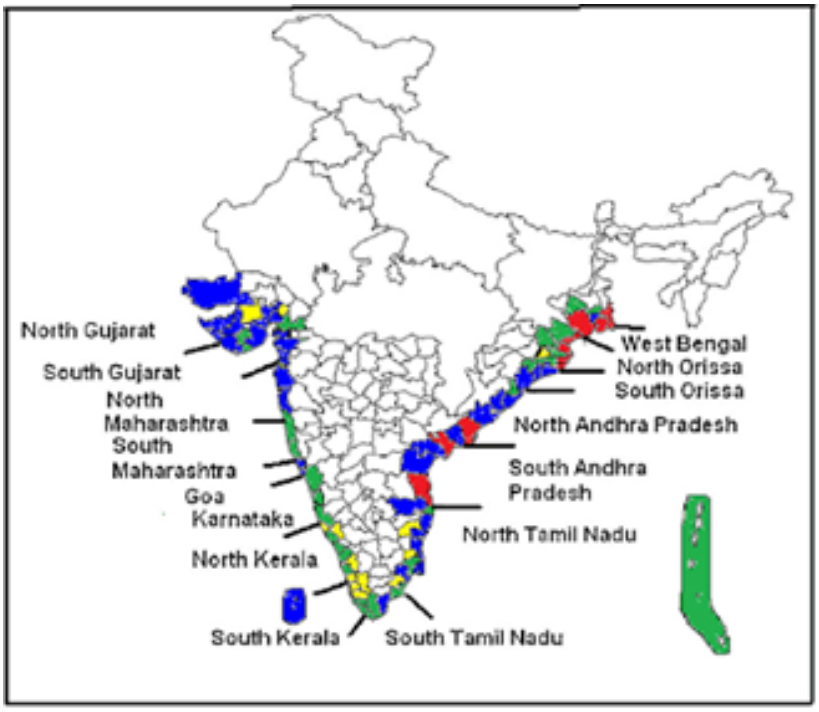


PLUTUS IAS UPSC/ PCS

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम

परिणाम	विवरण	उदाहरण (2020–2025)
तटीय विनाश	तेज़ हवाओं और तूफ़ानी लहरों से घरों, बंदरगाहों और सड़कों को नुकसान।	चक्रवात अम्फान (2020) – भारत और बांग्लादेश में $13 अरब का नुकसान।
बाढ़ (नदी और अंतर्देशीय)	मूसलाधार बारिश से नदियाँ, बांध और जल निकासी प्रणालियाँ डूब जाती हैं।	चक्रवात यास (2021) – ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भीषण बाढ़।
कृषि हानियाँ	फसलें नष्ट, कृषि भूमि का लवणीकरण।	टाइफून राय / ओडेट (2021) – फिलीपींस में चावल और नारियल के खेतों को नुकसान।
बुनियादी ढांचे में व्यवधान	बिजली ग्रिड, दूरसंचार और परिवहन पर गंभीर असर।	चक्रवात तौकते (2021) – गुजरात में भारी बिजली कटौती।
मानवीय संकट	विस्थापन, हताहत और स्वास्थ्य आपात स्थिति।	चक्रवात मोचा (2023) – म्यांमार और बांग्लादेश में 10 लाख लोग विस्थापित।
पारिस्थितिक क्षति	मैंग्रोव का नुकसान, तटीय क्षरण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव।	चक्रवात बिपरजॉय (2023) – गुजरात तट पर कटाव।
जलवायु परिवर्तन प्रभाव	गर्म महासागर → लंबे और शक्तिशाली चक्रवात।	चक्रवात फ्रेडी (2023) – सबसे लंबे समय तक चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात।

भारत का चक्रवात संवेदनशीलता : मानचित्र



PLUTUS IAS UPSC/ PCS

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

चक्रवात के लिए संरचनात्मक उपाय :

चरण	संरचनात्मक उपाय	उदाहरण / सर्वोत्तम अभ्यास
आपदा-पूर्व	1. चक्रवात आश्रयों और ऊँची सुरक्षित संरचनाओं का निर्माण। 2. तूफानी लहरों को रोकने के लिए तटीय तटबंध, समुद्री दीवारें और तटबंध। 3. बिजली लाइनों, संचार टावरों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।	1. ओडिशा चक्रवात आश्रय स्थल – फैलिन (2013) के बाद 3,000+ आश्रय स्थल। 2. गुजरात में समुद्री दीवारें – तौकते (2021) के दौरान नुकसान कम। 3. ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बिजली खंभों को मजबूत करना – अम्फान (2020) के दौरान बिजली कटौती कम।
आपदा के दौरान	1. बाढ़ को कम करने के लिए अस्थायी अवरोध और रेत की बोरियाँ। 2. आश्रय स्थलों में आपातकालीन विद्युत जनरेटर और संचार सुविधाएँ। 3. बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में बचाव नौकाओं और हेलीकॉप्टरों की तैनाती।	1. केरल में सैंडबैगिंग (2022 बाढ़) – जलभराव में कमी। 2. ओडिशा आश्रयों में आईएमडी मोबाइल संचार इकाइयाँ – फानी (2019) के दौरान संपर्क बनाए रखा। 3. भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के बचाव अभियान – मोचा (2023), म्यांमार/बांग्लादेश।
आपदा के बाद	1. क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे (सड़क, पुल, बिजली) की बहाली। 2. चक्रवात प्रतिरोधी डिजाइन के साथ आवास का पुनर्वास। 3. तटीय सुरक्षा और जल निकासी प्रणालियों की मरम्मत।	1. पश्चिम बंगाल में अम्फान (2020) के बाद त्वरित सड़क और पुल मरम्मत। 2. ओडिशा में चक्रवात प्रतिरोधी ग्रामीण आवास – फैलिन (2013) के बाद अपनाया गया। 3. गुजरात तटबंध की मरम्मत – तौकते (2021) के बाद।

चक्रवात प्रबंधन के लिए गैर-संरचनात्मक / अनुकूली उपाय :

चरण	गैर-संरचनात्मक / अनुकूली उपाय	उदाहरण / सर्वोत्तम अभ्यास
आपदा-पूर्व	1. प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ और आईएमडी अलर्ट। 2. सामुदायिक जागरूकता और तैयारी कार्यक्रम। 3. उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए भूमि उपयोग योजना और ज़ोनिंग।	1. आईएमडी चक्रवात अलर्ट – अम्फान (2020) के लिए अग्रिम चेतावनियों ने हजारों लोगों को बचाया। 2. ओडिशा में सामुदायिक आपदा तैयारी – फैलिन (2013) के बाद स्थानीय स्वयंसेवक प्रशिक्षित। 3. तमिलनाडु और गुजरात में तटीय ज़ोनिंग – उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बसावट पर प्रतिबंध।
आपदा के दौरान	1. लोगों को आश्रय स्थलों तक पहुँचाना। 2. मीडिया और ऐप्स के माध्यम से सार्वजनिक परामर्श और वास्तविक समय की जानकारी। 3. आपातकालीन सेवाओं और प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं का समन्वय।	1. ओडिशा में बड़े पैमाने पर निकासी – फानी (2019) के दौरान लगभग 1.2 मिलियन लोग। 2. मोबाइल अलर्ट और टीवी चेतावनियाँ – तौकते (2021) में प्रभावी उपयोग। 3. एनडीएमए और एनडीआरएफ समन्वय – मोचा (2023) में कुशल बचाव।
आपदा के बाद	1. प्रभावित आबादी को राहत वितरण और स्वास्थ्य सेवाएँ। 2. क्षति का आकलन और जोखिम मानचित्रण। 3. समुदाय-आधारित अनुकूलन कार्यक्रम और आपदा लचीलापन प्रशिक्षण।	1. पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अम्फान के बाद राहत – भोजन, पानी, चिकित्सा सहायता। 2. ओडिशा में जोखिम मानचित्रण – फैलिन के बाद अद्यतन मानचित्र। 3. गुजरात और ओडिशा में सामुदायिक लचीलापन प्रशिक्षण – NGOs और राज्य सरकार द्वारा।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

निष्कर्ष :

- चक्रवात सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक हैं, जिनसे व्यापक रूप से जान-माल और पारिस्थितिक क्षति होती है।
- चक्रवात निर्माण की स्थितियों और चरणों को समझने और समय पर पूर्वानुमान लगाने से उनके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
- प्रभावी प्रबंधन के लिए चक्रवात आश्रय और तटीय सुरक्षा जैसे संरचनात्मक उपायों और पूर्व चेतावनी प्रणालियों, सामुदायिक तैयारी और अनुकूली योजना सहित गैर-संरचनात्मक उपायों के संयोजन की आवश्यकता होती है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवातों की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि के साथ, सक्रिय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सुदृढ़ बुनियादी ढाँचा संवेदनशील समुदायों की सुरक्षा और मानवीय एवं आर्थिक नुकसान को न्यूनतम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. चक्रवातों के लिए आईएमडी रंग-कोडित मौसम चेतावनियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रेड अलर्ट अत्यधिक खतरे का संकेत देता है और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है।
2. हरे अलर्ट का मतलब है कि निकासी अनिवार्य है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत और विश्व के उदाहरणों के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारणों, प्रभावों और शमन उपायों की व्याख्या कीजिए। (शब्द सीमा - 250, अंक - 15)





इतिहास, कला एवं संस्कृति

क्रांति की स्त्री-रेखा : भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की निर्णायक भूमिका

समाचार में क्यों ?

- हाल ही में भारत ने अपना 79वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस ऐतिहासिक अवसर पर न केवल देश की आज़ादी के संघर्ष - गाथाओं की यादों को एक बार पुनः ताज़ा किया गया, बल्कि उन अनगिनत महिलाओं के योगदान को भी प्रमुखता से रेखांकित किया गया, जिन्होंने अपनी जान की बाज़ी लगाकर स्वतंत्रता के स्वप्न को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
- भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास मुख्यतः पुरुष नेताओं की कहानियों से भरा पड़ा है—गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि। किंतु इस संघर्ष का एक अन्य महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखा पहलू है।
- भारतीय महिलाओं की भूमिका, जो न केवल तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लड़ीं, बल्कि भारतीय समाज में व्याप्त अनेक सामाजिक रूढ़ियों और बेड़ियों को तोड़कर सार्वजनिक जीवन में आईं।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की बहुआयामी भागीदारी :

1. **जन आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी :** महिलाओं ने 'भारत माता' के प्रतीक से प्रेरणा लेकर अपने पारंपरिक भूमिकाओं की सीमाओं को तोड़ा और आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बनीं। वे स्थानीय, क्षेत्रीय और जातीय पहचान से ऊपर उठकर एक राष्ट्रवादी चेतना से ओतप्रोत हुईं। इस सामाजिक एकजुटता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को व्यापक जनाधार प्रदान किया।
2. **असहयोग आंदोलन (1920-22) :** महिलाओं ने ब्रिटिश वस्त्रों और संस्थाओं का बहिष्कार किया, खादी को अपनाया, विदेशी माल की होली जलाई और विरोध जुलूसों में भाग लिया। उन्होंने गिरफ्तारी से भी परहेज़ नहीं किया। इस आंदोलन में हजारों महिलाएँ घरों से बाहर निकलकर राष्ट्र के लिये खड़ी हुईं—यह एक राजनीतिक जागरूकता और साहस की ऐतिहासिक मिसाल थी।
3. **नमक सत्याग्रह (1930) :** महात्मा गांधी के इस शांतिपूर्ण विरोध में महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही। सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू और कमलादेवी चट्टोपाध्याय जैसी महिलाएँ न केवल जुलूसों की अगुवाई कर रही थीं, बल्कि ग्रामीण भारत की महिलाओं को भी संगठित कर रही थीं। उन्होंने नमक कानून तोड़ा, धरना दिया और गिरफ्तारियों का सामना किया।
4. **भारत छोड़ो आंदोलन (1942) :** यह आंदोलन महिलाओं की राजनीतिक नेतृत्व क्षमता का प्रमाण बन गया। पुरुष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी आंदोलन की निरंतरता बनाए रखने का कार्य महिलाओं ने बखूबी किया। अरुणा आसफ अली द्वारा बंबई के गोवालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराना इस आंदोलन का प्रतीक बन गया।
5. **महिलाओं का क्रांतिकारी योगदान और भूमिगत गतिविधियाँ :** महिलाओं ने केवल अहिंसक आंदोलनों तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि वे क्रांतिकारी संगठनों में भी शामिल हुईं। उन्होंने हथियारों की तस्करी की, गुप्त संदेश पहुँचाए, भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाए और ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर हमले किए। उदाहरण के लिए -

- प्रीतिलता वाद्देदार ने ब्रिटिश नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध यूरोपियन क्लब पर हमला किया।
- कल्पना दत्त ने चटगाँव शस्त्रागार छापे की न केवल सहभागी रही, बल्कि इसमें उन्होंने अपनी सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **बीना दास :** इन्होंने वर्ष 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हॉल (Convocation Hall) में बंगाल के गवर्नर स्टेनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया था। उन्होंने खादी पहनकर, प्रतिबंधित साहित्य पर लेखन करते हुए और अपने कॉलेज में क्रांतिकारी साहित्य का वितरण कर शांतिपूर्वक विरोध जताया। इन कार्यों ने ब्रिटिश साम्राज्य और महिलाओं की आवाज़ को दबाने वाले वाले सामाजिक मानदंडों, दोनों को चुनौती दी।
- **कमला दास गुप्ता :** क्रांतिकारियों को छुपाने में सहायता की, संदेशों को पहुँचाने का कार्य किया तथा क्रांतिकारियों को हथियार उपलब्ध कराते हुए स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया।
- **बेगम रुकैया सखावत हुसैन :** एक अग्रणी नारीवादी, उन्होंने अपने उपन्यास सुल्ताना का सपना (Sultana's Dream) में महिलाओं के नेतृत्व में, तर्क एवं शांतिपूर्ण तरीके से शासित और पितृसत्ता एवं उपनिवेशवाद दोनों की बेड़ियों से मुक्त समाज की कल्पना की। उन्होंने कोलकाता में मुस्लिम लड़कियों के लिये

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

स्कूल स्थापित किये और व्यक्तिगत रूप से परिवारों को अपनी बेटियों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया था।

नेतृत्व के स्तर पर और संगठनात्मक निर्माण में महिलाओं की भूमिका :

महिला संगठनों की स्थापना करना : भारत के स्वतंत्रता - संग्राम के आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को सशक्त करने के लिए कई संगठन बने। जिसमें अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (AIWC) और विमेन्स इंडियन एसोसिएशन (WIA) जैसे संगठन का निर्माण किया। इन संगठनों ने महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त करने का कार्य किया। यहीं से भारतीय महिलाओं की संगठित चेतना की नींव पड़ी।

राष्ट्रीय नेतृत्व में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना :

- **सरोजिनी नायडू :** कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनीं, भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व दिया।
- **विजया लक्ष्मी पंडित :** संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली राजदूत और विश्व राजनीति में भारत की आवाज बनीं।
- **सुचेता कृपलानी :** स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री (उत्तर प्रदेश) बनीं।
- **अरुणा आसफ अली :** इन्हें '1942 के आन्दोलन की नायिका' के रूप में भारतीय इतिहास में दर्ज किया गया है। इन महिला नेताओं ने यह सिद्ध किया कि राजनीतिक नेतृत्व और महिला सशक्तीकरण एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं।

सामाजिक सुधार और लैंगिक न्याय के लिए संघर्ष करना :

स्त्री शिक्षा और सामाजिक चेतना से संबंधित स्वतंत्रता संग्राम की नायिकाएँ :

- **सावित्रीबाई फुले :** भारत की पहली महिला शिक्षिका, जिन्होंने भारत में सबसे पहले दलित और महिला - शिक्षा की नींव रखी और भारतीय इतिहास में अपना नाम स्त्री - अधिकारों की प्रबल समर्थक के रूप में दर्ज कराया।
- **फातिमा शेख :** महिलाओं के लिए समान शिक्षा की समर्थक और सावित्रीबाई की मुख्य सहयोगी के रूप में फातिमा शेख ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **पंडिता रमाबाई :** पंडिता रमाबाई ने विधवाओं के अधिकार और स्त्री शिक्षा की पुरजोर वकालत की।

बाल विवाह, पर्दा - प्रथा के विरुद्ध और संपत्ति के अधिकार से संबंधित नायिकाएँ :

- महिलाओं ने इन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष किया और इनसे मुक्ति को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का एक अंग माना।
- बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया और 'सुल्ताना का सपना' जैसी प्रगतिशील रचनाएँ लिखीं।
- रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के माध्यम से महिलाओं की सृजनात्मक शक्ति को सामने लाया।
- **ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सहभागिता :** खादी उत्पादन, साक्षरता अभियान, महिला मेलों और प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से महिलाओं को संगठित किया गया। इसने न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता दी, बल्कि उन्हें राजनीतिक नागरिकता का भी बोध कराया।

आज़ादी के आंदोलन में बलिदान की प्रतिमूर्तियाँ :

- **भारत के स्वतंत्रता** - संग्राम में कुछ महिलाएँ ऐसी भी रहीं, जो संघर्ष करते हुए शहीद हो गईं और भारत माता की संतान के रूप में अमर हो गईं। जिनमें प्रमुख हैं -
- **रानी लक्ष्मीबाई :** 1857 की क्रांति की वीरांगना, जिन्होंने अंग्रेजों के "डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स" का विरोध करते हुए वीरगति प्राप्त की।
- **मातंगिनी हाजरा :** 'गांधी बूढ़ी' के नाम से प्रसिद्ध, जो 'वंदे मातरम' का नारा लगाते हुए गोली खाकर शहीद हुईं।
- **कनकलता बरुआ :** असम की युवा क्रांतिकारी, जिन्होंने तिरंगा थामे हुए ब्रिटिश गोलीबारी का सामना किया। इन तमाम महिलाओं का अपना सर्वोच्च बलिदान इस बात का प्रतीक है कि स्वतंत्रता किसी विशेष वर्ग की जागीर नहीं, बल्कि हर नागरिक की साझी आकांक्षा थी।

प्रमुख महिला क्रांतिकारी : भारतीय स्वतंत्रता - संग्राम में उनका योगदान :

नाम	योगदान
रानी चेन्नम्मा	1824 में कर्नाटक में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह
कमलादेवी चट्टोपाध्याय	महिला संगठनकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक
उषा मेहता	गुप्त रूप से 'कांग्रेस रेडियो' का संचालन
कमला नेहरू	असहयोग आंदोलन में अग्रणी भूमिका
भीकाजी कामा	विदेश में भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला
लाबन्या प्रभा घोष	ग्रामीण महिलाओं में राष्ट्रवाद का संचार
कमला दास गुप्ता	क्रांतिकारियों को सहायता और संदेश संचालन

निष्कर्ष :

- भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाएँ केवल दर्शक भर नहीं थीं, बल्कि वे संघर्ष की आधार - स्तंभ भी थीं। उन्होंने घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर, अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित किया।
- देश की आज़ादी के संघर्ष में जहाँ कुछ महिलाओं ने अपने कंधों पर बंदूक उठाई, तो वहीं कुछ महिलाओं ने तिरंगा, कुछ ने किताब और कुछ ने चरखा को अपनाकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर भारतीय इतिहास के पन्नों में अपने स्वर्णिम संघर्ष को अमर कर अपनी अमिट छाप छोड़ गई हैं।
- इन महिलाओं ने यह सिद्ध किया कि स्वतंत्रता केवल राजनैतिक आज़ादी नहीं होती, वह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुक्ति का संगम होती है।
- आज जब हम 'नारी सशक्तिकरण' की बात करते हैं, तो हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि इस सशक्तिकरण की जड़ें भारत की आज़ादी की उस मिट्टी में हैं, जिसे इन महिलाओं ने अपने खून, पसीने और संघर्ष से सींचा था।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में 8 अगस्त, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

1. भारत छोड़ो प्रस्ताव AICC (अखिल भारतीय कांग्रेस समिति) द्वारा अपनाया गया था।
2. वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिये किया गया था।
3. कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने सात प्रांतों में इस्तीफा दे दिया।
4. द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद क्रिप्स मिशन ने पूर्ण डोमिनियन दर्जे के साथ एक भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा।

नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए :

A. केवल 1 B. केवल 2

C. केवल 1, 2 और 3 D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

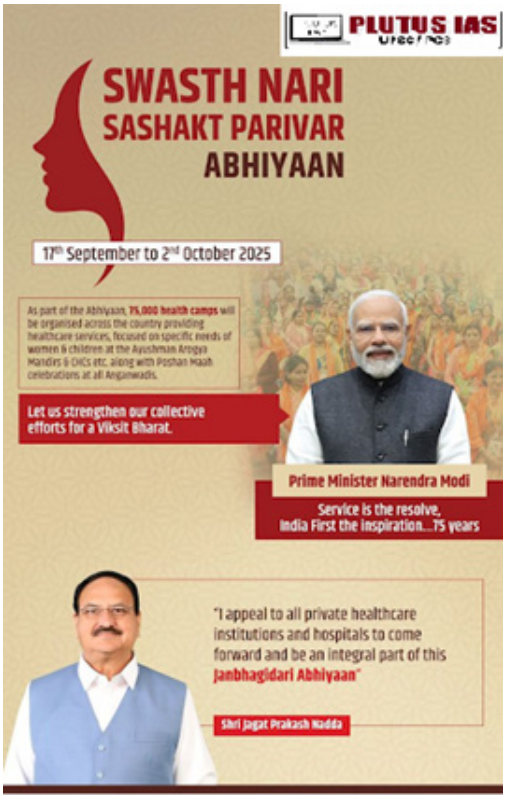
Q1. चर्चा कीजिए कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका क्या रही है और उनका योगदान किस प्रकार बहुआयामी एवं ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान

चर्चा में क्यों?



- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान पर 17 सितंबर, 2025, के साथ पोषण माह का आठवां संस्करण, अंकन भारत का अब तक का सबसे बड़ा महिला एवं बाल स्वास्थ्य अभियान है।
- इस अभियान का नेतृत्व संयुक्त रूप से किया गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD), से चलेगा। (17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक)
- यह आयोजित करेगादेश भर में एक लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर, प्रदान करनानिवारक, प्रोत्साहनकारी और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएंमहिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए।
- फोकस क्षेत्रों में शामिल हैं कैंसर, एनीमिया, तपेदिक, सिकल सेल रोग, मातृ स्वास्थ्य, गैर-संचारी रोगों की जांच, साथ ही पोषण परामर्श, मासिक धर्म स्वच्छता संवर्धन, जीवनशैली और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता है।

परिवार में महिलाओं की भूमिका :

आयाम	भूमिका	उदाहरण
आर्थिक	1. औपचारिक और अनौपचारिक कार्यों के माध्यम से घरेलू आय में योगदान 2. संसाधनों, बचत और पारिवारिक वित्त का प्रबंधन	केरल में कुदुम्बश्री एसएचजी महिलाएं चला रही हैं सूक्ष्म उद्यम घरेलू लचीलेपन के लिए सूक्ष्म वित्त का उपयोग करने वाली महिला सहकारी समितियाँ
सामाजिक	1. बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करना 2. बच्चों को शिक्षा, मूल्य और अनुशासन प्रदान करना	पोषण अभियान माताओं द्वारा अल्पपोषण से निपटना केरल में उच्च विद्यालय नामांकन का संबंध साक्षर माताओं से
सांस्कृतिक	1. परंपराओं, त्योहारों और अनुष्ठानों को संरक्षित करना 2. भाषा, शिल्प और कला को बढ़ावा देना	राजस्थानी महिलाएं लोकगीतों और रीति-रिवाजों को कायम रखती हैं असमिया महिलाएं बुनाई की परंपरा को कायम रख रही हैं
राजनीतिक	1. पंचायती राज के माध्यम से निर्णय लेने में भागीदारी 2. परिवार कल्याण नीतियों का समर्थन करना	महिला सरपंच स्वच्छता और जल सुविधाओं में सुधार ला रही हैं महिला सांसद मातृ स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा कानूनों का समर्थन कर रही हैं
सुरक्षा	1. संकट के समय भावनात्मक और सामाजिक स्थिरता प्रदान करना 2. घरेलू और सामुदायिक सुरक्षा सुनिश्चित करना	COVID-19 महामारी के दौरान परिवारों का समर्थन करती महिलाएं ओडिशा में महिला आपदा समूह चक्रवातों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं।



महिला सशक्तिकरण में प्रमुख सरकारी पहल —

1. स्वास्थ्य

- **राष्ट्रीय पोषण मिशन (2018):** महिलाओं और बच्चों में कुपोषण, एनीमिया और बौनेपन को कम करना, लक्ष्य: 2022 तक बौनेपन 25% तक घटाना; तंत्र: WCD, स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला समूह।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA, 2016):** हर महीने 9 तारीख को निःशुल्क प्रसवपूर्व देखभाल; 2023 तक 3.6 करोड़ महिलाएं लाभान्वित; तंत्र: MoHFW और नीति आयोग।

2. शिक्षा:

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (2015):** जागरूकता और शिक्षा अभियान; महिला GER उच्च शिक्षा में बढ़कर 28.5% (2021); तंत्र: WCD, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय।
- **समग्र शिक्षा अभियान (2018):** स्कूली शिक्षा में एकीकृत योजना; लड़कियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म और साइकिल; तंत्र: स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।

3. सुरक्षा:

- **निर्भया फंड (2013):** सुरक्षित परिवहन, CCTV और आपातकालीन प्रतिक्रिया; उदाहरण: 112 हेल्पलाइन; तंत्र: गृह मंत्रालय, WCD।
- **वन स्टॉप सेंटर (2015):** संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एकीकृत सहायता; 2024 तक 1100+ केंद्र; नीतिगत पहल: "मिशन शक्ति"।

4. प्रतिनिधित्व:

- **पंचायती राज में 33% आरक्षण (1992):** 14 लाख महिला प्रतिनिधि (43% सीटें), विश्व में सबसे बड़ा आरक्षण।
- **महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023):** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण; 2026 के परिसीमन के बाद लागू।

5. रोजगार:

- **स्टैंड-अप इंडिया योजना (2016):** महिला उद्यमियों के लिए ऋण; 2023 तक 1.5 लाख महिला उद्यमी लाभान्वित; तंत्र: SIDBI और बैंक।
- **महिला ई-हाट और कौशल भारत पहल:** ऑनलाइन बाज़ार और व्यावसायिक प्रशिक्षण; 20 लाख महिलाएं जुड़ीं; तंत्र: WCD और कौशल विकास मंत्रालय। ChatGPT said:

अतिरिक्त संस्थागत तंत्र:

1. **राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू, 1992)** - शिकायत निवारण और नीति वकालत के लिए वैधानिक निकाय।
2. **मिशन शक्ति (2022)** – महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा, सशक्तिकरण (सामर्थ्य और संबल घटक) के लिए छत्र योजना।
3. **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD)** - महिला-केंद्रित नीतियों के लिए नोडल मंत्रालय।
4. **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई, 2005)** - संस्थागत प्रसव के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण।
5. **श्रम संहिता 2020** - मातृत्व अवकाश, शिशुगृह सुविधाएं और समान वेतन के प्रावधान।

महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दे और बाधाएँ:

कार्यक्षेत्र	मुद्दे और बाधाएँ	उदाहरण / डेटा
स्वास्थ्य	- ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण मातृ स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच। - एनीमिया और कुपोषण का उच्च स्तर।	- NFHS-5 (2019-21): 15–49 वर्ष की 57% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित। - बिहार, यूपी, एमपी में PMSMA के बावजूद संस्थागत प्रसव में अंतराल।
शिक्षा	- कम उम्र में विवाह और पढ़ाई छोड़ने से उच्च शिक्षा की संभावनाएं कम। - लैंगिक डिजिटल विभाजन से ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच प्रभावित।	- AISHE 2022-23: उच्च शिक्षा में महिला GER = 27.9% (पुरुषों से कम)। - ग्रामीण लड़कियों में सुरक्षा व घरेलू जिम्मेदारियों के कारण माध्यमिक स्तर पर उच्च ड्रॉपआउट।
रोजगार / अर्थव्यवस्था	- अनौपचारिक/अवैतनिक श्रम में वेतन अंतर और संकेन्द्रण। - देखभाल का बोझ औपचारिक क्षेत्र में भागीदारी सीमित करता है।	- PLFS 2023-24: महिला LFPR = 31.7% (पुरुष ~77%)। - ILO 2023: औपचारिक नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से ~30% कम।

प्रतिनिधित्व (राजनीतिक / निर्णय-निर्माण)	- विधानमंडलों में कम प्रतिनिधित्व, आरक्षण के बावजूद। - पितृसत्तात्मक मानदंड और प्रॉक्सी नियंत्रण।	- 2024 लोकसभा चुनाव: महिला सांसद ~13.8%। - कई महिला सरपंचों पर पुरुष रिश्तेदारों का "प्रॉक्सी" नियंत्रण।
सुरक्षा	- साइबर अपराध, पीछा करना और उत्पीड़न में वृद्धि। - कलंक और प्रतिशोध के डर से कम रिपोर्टिंग।	- NCRB 2023: महिलाओं के खिलाफ 4.45 लाख अपराध दर्ज (2022 से 4% वृद्धि)। - 2023 में महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध 19% बढ़े।

डोमेन में बाधाएं:

- सामाजिक आदर्श (पितृसत्ता, पुत्र को प्राथमिकता, अवैतनिक देखभाल का बोझ)।
- संस्थागत कमजोरियाँ (योजनाओं का खराब कार्यान्वयन, प्रवर्तन में महिलाओं की कमी)।
- आर्थिक असमानताएँ (ऋण तक कम पहुंच, भूमि स्वामित्व)।
- सुरक्षा संबंधी चिंताएं (भौतिक एवं डिजिटल दोनों)

महिला विकास के लिए आगे की राह :

कार्यक्षेत्र	आगे की राह (समितियों/विशेषज्ञों के अनुसार)	उदाहरण / सहायक साक्ष्य
स्वास्थ्य	- नीति आयोग (रणनीति @75): निवारक देखभाल को मजबूत करना, एनसीडी के लिए सार्वभौमिक जांच, डिजिटल स्वास्थ्य का विस्तार। - डब्ल्यूएचओ विशेषज्ञ पत्र: मातृ स्वास्थ्य को मानसिक स्वास्थ्य और पोषण के साथ एकीकृत करना।	- तमिलनाडु मॉडल: प्रसूति अस्पताल + पोषण परामर्श से एमएमआर में कमी। - आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABHA): ई-स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।
शिक्षा	- एनईपी 2020: लिंग समावेशन निधि, STEM छात्रवृत्ति, डिजिटल साक्षरता। - कोठारी आयोग: सामाजिक समानता के लिए बालिकाओं की शिक्षा में निवेश।	- कन्याश्री प्रकल्प (प. बंगाल): बाल विवाह में कमी व स्कूल उपस्थिति में वृद्धि। -बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: महिला नामांकन में सुधार।
रोजगार / अर्थव्यवस्था	- ILO रिपोर्ट (2023): बाल देखभाल का विस्तार, समान वेतन, अनौपचारिक कार्य का औपचारिककरण। - आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22: ऋण, कौशल, बाजार संपर्क से महिला उद्यमिता को बढ़ावा।	- DAY-NRLM के अंतर्गत 9 करोड़+ महिलाएं SHG से जुड़ीं। - केरल कुडुम्बश्री मॉडल: महिला सहकारी उद्यम सफल।
प्रतिनिधित्व (राजनीतिक / निर्णय-निर्माण)	- विधि आयोग (170वीं रिपोर्ट) व संसदीय समितियाँ: विधानमंडलों में 33% महिला आरक्षण। - NCW: महिला नेताओं के लिए क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण।	- पंचायती राज: स्थानीय निकायों में 43% महिलाएं (2024)। - नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023): संसद में महिला आरक्षण।
सुरक्षा	- न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013): पुलिस सुधार, फास्ट-ट्रैक अदालतें, लैंगिक संवेदनशील न्यायपालिका। - UN Women (2022): साइबर सुरक्षा, सुरक्षित गतिशीलता, कार्यस्थल सुरक्षा।	- वन स्टॉप सेंटर: 1100+ केंद्र कानूनी व चिकित्सा सहायता दे रहे हैं। - सुरक्षित शहर परियोजना (दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद): निर्भया फंड से निगरानी व सुरक्षा में सुधार।

क्रॉस-कटिंग अनुशंसाएँ:

लिंग बजट संस्थागत तंत्र को मजबूत करना (वित्त मंत्रालय का जेंडर बजट सेल)।

1. **अंतःक्रियाशीलता:** विशेष रूप से ग्रामीण, आदिवासी, विकलांग और अल्पसंख्यक महिलाओं की आवश्यकताओं को संबोधित करना (एनसीडब्ल्यू, यूएनडीपी)।
2. **डिजिटल सशक्तिकरण :** महिलाओं के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट सब्सिडी के माध्यम से लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटना (नीति आयोग, 2022)।
3. **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** महिलाओं के कौशल विकास, स्वास्थ्य शिविरों और सुरक्षा पहलों में कॉर्पोरेट क्षेत्र (सीएसआर) को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष :

- जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है अमृत काल एक विकसित राष्ट्र बनने की दृष्टि से 2047 महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल एक सामाजिक अनिवार्यता है, बल्कि एक सभ्यतागत आवश्यकता भी है।
- परिवारों के पालन-पोषण से लेकर पंचायतों का नेतृत्व करने तक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने से लेकर रक्षा बलों में सेवा देने तक, भारतीय महिलाओं ने लगातार खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित किया है।
- लचीलापन, नवाचार और करुणा के पथ प्रदर्शक रूप में आगे बढ़ रहा है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच और स्कूल-पूर्व शिक्षा प्रदान करता है।
2. आंगनवाड़ी केंद्र आईसीडीएस सेवाओं के वितरण के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करते हैं।
3. यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) तीनों (d) कोई नहीं

उत्तर: C

Q2. 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह योजना गर्भावस्था के दूसरे और तीसरे तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं के न्यूनतम पैकेज और किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा में प्रसव के बाद छह महीने की स्वास्थ्य देखभाल सेवा की गारंटी देती है।
2. इस योजना के अंतर्गत, कुछ विशेषज्ञता वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, निकटवर्ती सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सेवा प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से आगे आ सकते हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

Q3. 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (UPSC 2024)

1. यह प्रावधान 18वीं लोकसभा से लागू होंगे।
2. यह अधिनियम बनने के बाद 15 वर्षों तक लागू रहेगा।
3. अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

A. 1, 2 और 3 B. केवल 1 और 2

C. केवल 2 और 3 D. केवल 1 और 3

उत्तर: C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. "वैश्वीकरण के युग में, परिवारों को मजबूत बनाने में महिलाओं की भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है।" परिवार में महिलाओं के विकसित होते आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक योगदान तथा समाज पर उनके प्रभाव पर चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

PLUTUS IAS UPSC/ PCS


PLUTUS IAS
UPSC/ PCS
EVENING BATCH
हिंदी साहित्य
वैकल्पिक
ONLINE BATCH AVAILABLE AT CHANDIGARH
BATCH STARTING FROM
24th OCTOBER 2025
05:20PM – 07:20PM
2nd Floor, Apsara Arcade, Karol Bagh Metro Station Gate No. - 6, New Delhi 110005
OUR CENTERS Delhi I Chandigarh I Shimla I Bilaspur
info@plutusias.com
8448440231
www.plutusias.com
Click to Know More
Dr. Akhilesh Kr. Shrivastava
M. A., M. Phil & Ph.D JNU New Delhi.
UPSC CSE Interview - 2017, 2018 & 2020.
BPSC CSE 64th, 67th & 68th Interview.
UGC NET - JRF (2018)

PLUTUS IAS
UPSC / PCS

Our Top Rankers



Many more.....

Best UPSC Faculties in India



Dr. Hardeep Singh IAS (Retd.)



Dr. Ghanshyam Singh (HCS allied services)



Dr. Raju Narayana Swamy (Principal Secretary | IAS | AIR 1 | honorary)



Dr. Huma Hassan (Anthropology & Sociology optional)



Prateek Tripathi (Economic & Physics Optional)

Our Books are available on

www.flipkart.com — Flipkart

www.onlinekhanmarket.com — Onlinekhanmarket

www.examophobia.com — Examophobia

www.amazon.in — Amazon

Corporate Office:

917A/41, 1st floor, WEA Karol Bagh, Delhi 110005

Basement - 8 Apsara Arcade, Karol Bagh metro station Gate no. 6, New Delhi 110005

C 59, C Block, Sector 2, Noida, Uttar Pradesh 201301

https://www.instagram.com/__plutusias/ https://www.facebook.com/PlutusIAS/ https://www.youtube.com/@plutusias